16/5/95 lib HV 3/5

हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

10 मार्च, 1995

खण्ड 1, अंक 5

अधिकृत विवरण

Vidhan Sabha Secretariat LIBRARY Chandigarh

विषय सूची

शुक्रवार, 10 मार्च, 1995

	पृष्ठ संख्या
तारांकित प्रश्न एवं उत्तर	(5) 1
नियम 45 के अधीन सदन की मेज पर रखे गए तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर	(5) 24
अतारांकित प्रश्न एवं उत्तर	(5) 54
ध्यानाकर्षण प्रस्ताव—	
हरियाणा राज्य में ओलावृष्टि के कारण फसलों को हुए नुकसान संबंधी	(5) 55
वक्तव्य—	
मुख्य मन्त्री द्वारा उपरोक्त ध्यानाकर्षण प्रस्ताव संबंधी	(5) 64
ध्यानाकर्षण सूचनाएं	(5) 79
वाक आउट	(5) 84
राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा तथा धन्यवाद प्रस्ताव पर मतदान (पुनरारम्भ)	(5) 85

मूल्य : 230 00

सदन की बैठक दो दिन और बढ़ाना (5)99

राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा तथा धन्यवाद प्रस्ताव पर मतदान (पुनरारम्भ) (5)102

बैठक का समय बढ़ाना (5)105

राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा तथा धन्यवाद प्रस्ताव पर मतदान (पुनरारम्भ) (5)105

वैयक्तिक स्पष्टीकरण/एक व्यक्ति को सदन में आमन्त्रित करने संबंधी रूलिंग रिजर्व करना (5)117

राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा तथा धन्यवाद प्रस्ताव पर मतदान (पुनरारम्भ) (5)123

बैठक का समय बढ़ाना (5)123

राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा तथा धन्यवाद प्रस्ताव पर मतदान (पुनरारम्भ) (5)124

बैठक का समय बढ़ाना (5)133

राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा तथा धन्यवाद प्रस्ताव पर मतदान (पुनरारम्भ) (5)133

वैयक्तिक स्पष्टीकरण—
(1) चौधरी बंसी लाल द्वारा (5)141

राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा तथा धन्यवाद प्रस्ताव पर मतदान (पुनरारम्भ) (5)141

बैठक का समय बढ़ाना (5)144

राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा तथा धन्यवाद प्रस्ताव पर मतदान (पुनरारम्भ) (5)144

वैयक्तिक स्पष्टीकरण--
(2) चौधरी बंसी लाल द्वारा (5)146

राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा तथा धन्यवाद प्रस्ताव पर मतदान (पुनरारम्भ) (5)146

वर्ष 1994-95 के अनुपूरक अनुमानों पर चर्चा तथा मतदान (5)146

Haryana Vidhan Sabha Secretariat ★ Chandigarh ★ LIBRARY

ERRATA

TO

Haryana Vidhan Sabha Debates Vol. I, No. 5 dated
the 10th March, 1995

Read	For	Page	Line
रजिस्ट्रेशन	रजिस्ट्र शन	2	14
कैन्डीडेट्स	कैडीडेट्स	2	29
completed	ccmpleted	16	20
completed	competed	16	31
मुख्य मन्त्री	मुख्यमत्री	18	16
Rohtak	Roh ak	18	last line
प्रभावित	प्रभावित	22	27
than	then	59	32
loss to the	loss the	61	29
caused	c used	61	31
Agriculture	Agriculature	62	6
अभी बैठिए	भी बैठिए	62	13
स्पीकर	स ीकर	63	9
अटैंशन	अटशन	63	10
गये	ा ये	64	29
रुपये प्रति	प्रति रुपये	65	5
प्रतिशत	पतिशत	65	20
शब्द "को" और "निभा" के बीच शब्द भलीभांति पढ़ा जाये।		65	30
शीघ्र	शीघ	66	7
कोशिश की है	कोशिश है	67	13
स्पीकर साहब	अगर स्पीकर साहब	68	10
परसैन्ट रेट बढ़	परसैन्ट बढ़	68	28
रिकार्ड	रिकाड	72	अन्तिम पंक्ति
बनेंगे	बनेंग	73	14
जो	ज	73	31
चौधरी भजन लाल	चौधरी भ जन लाल	74	29

Read	For	Page	Line
छोटा	छाटा	74	31
अनुरोध	अनरोध	76	3
की जितनी	जितनी की	76	17
आर्डर	ग्राडर	80	26
motion to the	motion the	81	16
का	के	87	11
परसेंट	परसट	91	4, 6
साथ	सा	93	1
वायदा	वाभदा	95	14
लिए	लि	96	2
नीचे	नी नीचे	96	9
मरेंगी	मरेगी	96	18
जाने से	जाने के से	96	28
इतना	इनना	96	30
को कोई	कोई को	98	11
दो	तो	99	26
करें	क ँ	118	30
चौधरी	जीधरी	123	6
सम्पन्न	सम्पत्र	123	15
समितियों	समितियाँ	124	23
कर्मचारियों	कर्मचरियों	124	31
दौरान	दौनान	125	16
पढ़े	पढ़	126	26
अध्यक्ष	अध्य	129	1
फैसला	फैसल	129	3
दें	द	129	17
कुरुक्षेत्र	कुरुक्षत्र	129	31
चौधरी	चौधरी	145	26

हरियाणा विधान सभा

शुक्रवार, 10 मार्च, 1995

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सैक्टर–1, चण्डीगढ़ में प्रातः 9.30 बजे हुई। अध्यक्ष (चौधरी ईश्वर सिंह) ने अध्यक्षता की।

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर

श्री अध्यक्ष : मैम्बर साहेबान, अब सवाल होंगे।

Registration for R.M.P.

***1019. Shri Krishan Lal** : Will the Minister for Health be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to open registration of R.M.Ps. in the State during the year 1994-95 ?

स्वास्थ्य एवं आयुर्वेद मन्त्री (बहिन करतार देवी) : नहीं।

श्री कृष्ण लाल : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि जब दूसरी स्टेट्स में आर०एम०पी० डाक्टर्ज रजिस्टर कर लिए जाते हैं तो हमारी स्टेट में ये रजिस्टर क्यों नहीं किए जाते ? इसका क्या कारण है ? आज हमारे प्रदेश में कम से कम 70 और 75 हजार आर०एम०पी० डाक्टर हैं, जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं किया हुआ है। पिछले हाउस में हमारी पार्टी की तरफ से इस बारे में एक कालिंग अटैन्शन मोशन आया था, जिसके जवाब में सरकार की तरफ से मन्त्री जी ने बताया था कि जो आर०एम०पी० डाक्टर्ज हैं, उनका रजिस्ट्रेशन करने के लिए पहले हम उनका टैस्ट लेंगे और अगर वे टैस्ट क्वालिफाई कर लेंगे तो उनको रजिस्टर करने के बारे में विचार कर लिया जाएगा। क्या सरकार ने ऐसा कोई निर्णय लिया है और अगर लिया है तो कब तक उन डाक्टर्ज को रजिस्टर कर देंगे ?

बहिन करतार देवी : स्पीकर सर, बहुत पहले 24-9-1970 को ये पंजीकरण खोले गए थे। उससे पहले पंजाब में एक एक्ट के तहत इनकी रजिस्ट्रेशन होती थी।

[बहिन करतार देवी]

उस समय 24,165 आवेदन पत्र इन डाक्टर्ज के रजिस्ट्रेशन के लिए आए थे जिसमें से 11,137 डाक्टर्ज का रजिस्ट्रेशन कर दिया गया था। मैं माननीय सदस्य की जानकारी के लिए बताना चाहती हूं कि इंडियन मैडीसन सैंट्रल कौंसिल ऐक्ट, जो कि 1970 में बना था, के अनुसार हरियाणा में आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक, दोनों तरह के डाक्टर्ज के लिए पंजीकरण 1970 और 1978 में हो चुका है। यह ऐक्ट केवल हरियाणा में ही नहीं बल्कि दूसरी स्टेट्स में भी लागू है। सर, दूसरी स्टेट्स में केवल अनुभव के आधार पर ही इन डाक्टर्ज का रजिस्ट्रेशन नहीं किया जाता। यह अलग बात है कि उन स्टेट्स ने अलग अलग डिग्रियों को मान्यता दे रखी है लेकिन वह भी इन्होंने इसी ऐक्ट के अन्दर दे रखी है। इसलिए उस एक्ट को देखते हुए उनको पंजीकरण देने की कोई संभावना नहीं है।

प्रो० राम बिलास शर्मा : स्पीकर सर, मैं माननीय बहन जी से जानना चाहता हूं कि जो रजिस्ट्रेशन का मामला है इसमें बिहार व अन्य दूसरी स्टेट्स से लोग डिग्रियां लेकर आ जाते हैं। इसके अलावा, जो बच्चे फार्मेसी में डिप्लोमा करते हैं, उनके रजिस्ट्रेशन का यहां पर कोई दफ्तर है, लेकिन वह हरियाणा सरकार के अधीन नहीं है। वह शायद कोई आटोनोमस बोडी है, जिसके बारे में पहले भी सदन में कई बार चर्चा हो चुकी है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या इन सभी हालातों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग इस बारे में कोई पुनर्विचार करेगा ?

बहिन करतार देवी : स्पीकर सर, जैसे दूसरी शिक्षा बढ़ रही है, इसी तरह से आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक और एलोपैथिक, इन तीनों साईडों में पूरे देश में और प्रदेश में शिक्षा बढ़ रही है। इसलिए केवल अनुभव के आधार पर रजिस्ट्रेशन करने की बात तो सोची भी नहीं जानी चाहिए थी। आवश्यकता तो इस बात की है कि इसमें कुछ और कोर्स कराकर उनको सिखाया जाए, क्योंकि इस समय होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक पद्धति के 25,225 डाक्टर हरियाणा में रजिस्टर्ड हैं। दूसरी बात इन्होंने फार्मेसी के बारे में कही है। सर, वह तो अलग बात है। यह सवाल तो आर०एम०पी० डाक्टर्ज के बारे में है। आप वे फार्मेसी के बारे में जानना चाहते हैं, तो अलग से नोटिस दे दें।

श्री कृष्ण लाल : अध्यक्ष महोदय, इस बारे में पहले भी हाउस में चर्चा हुई थी और उस समय सरकार ने आश्वासन भी दिया था कि आर०एम०पी० डाक्टर्ज का टैस्ट कराकर देखेंगे। जो कैंडीडेट्स क्वालिफाई कर जाएंगे उनको रजिस्टर कर लिया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, जब राजस्थान में ऐसे डाक्टर्ज रजिस्टर हो सकते हैं, तो हरियाणा में क्यों नहीं हो सकते ?

बहिन करतार देवी : स्पीकर साहब, जैसा मैंने बताया है कि यह इंडियन मैडीसन सैंट्रल ऐक्ट के तहत रजिस्टर्ड हैं, लेकिन अनुभव के आधार पर राजस्थान या दूसरी स्टेट्स में रजिस्ट्रेशन नहीं होता। उन्होंने कुछ डिग्रियों को मान्यता दी हुई है। अनुभव के आधार पर कोई व्यक्ति कहीं पर भी रजिस्टर नहीं हो रहा है।

चौधरी जिले सिंह जाखड़ : मैं आपके माध्यम से मन्त्री जी को बताना चाहूंगा कि गांव के अन्दर डाक्टर आर०एम०पी० या ए०आई०एम०एस० की डिग्रियों का बोर्ड लगाकर बैठे हैं और उनको किसी भी प्रकार का कुछ ज्ञान नहीं है। न उनके पास कोई दवाई होती और न ही उनको इंजैक्शन ही लगाना आता है। उनको दवाईयों के बारे में कुछ पता ही नहीं है, लेकिन वे देहातों में इस तरह के बोर्ड लगाकर बैठे हैं। क्या सरकार ऐसे डाक्टर्ज के बोर्ड चैक कराएगी जो इस तरह के बोर्ड लगाकर बैठे हैं ? ऐसी शिकायतें पहले भी आयी हैं कि ऐसे डाक्टर्ज के द्वारा इंजैक्शन वगैरह लगाने से कोई लफड़ा हो गया और किसी की तो मौत भी हो गयी है। तो क्या सरकार ऐसे डाक्टरों के बोर्ड और सर्टिफिकेट चैक करवा कर उनके खिलाफ कोई कार्यवाही करेगी ?

बहिन करतार देवी : स्पीकर सर, माननीय सदस्य की चिन्ता सही है। कहा गया है कि नीम हकीम खतराएजान। उसके लिए हमारे ड्रग कंट्रोलर द्वारा, आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक दोनों साईड से चैकिंग की जाती है। मैं आपकी जानकारी के लिए सदन को अवगत कराना चाहती हूं कि 1992–93 में 454 डाक्टर चैक किए गए, जिनमें से 16 अन-रजिस्टर्ड पाए गए और उनके खिलाफ केस दर्ज हो गए। 1993 में 321 चैक किए गए। 1994 से अब तक, जिसमें जनवरी के बाद की फिगर नहीं है 185 डाक्टर चैक किए गए, जो अन-रजिस्टर्ड पाए गए, 16 केस उनके खिलाफ दर्ज कराए गए हैं।

Construction of a Dam on Tangri, Ghaggar Rivers

***1004. Dr. Ram Parkash** : Will the Minister for Irrigation be pleased to state—

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to construct a Dam on Tangri, Markanda or Ghaggar rivers to raise the water table; and

(b) if so, the steps taken in this regard so far ?

Irrigation Minister (Chaudhri Jagdish Nehra) :

(a) The proposal for constructing a Dam on Tangri, Markanda or Ghaggar rivers for irrigation & raising the water table is under investigation.

(b) Question does not arise.

डा० राम प्रकाश : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय से जानना चाहूंगा कि यह छान-बीन कब से जारी है, कब तक इसके पूरे होने की संभावना है, छानबीन किन्हें सौंपी गई है और उसकी नेचर क्या है ? वैसे मेरे विचार में छान-बीन शुरु करना भी एक पग है और इसलिए अगर भाग (क) के जवाब में उस पग की चर्चा की है तो भाग (ख) में यह कहना कि 'क्वैश्चन डज नाट एराइज' उचित नहीं है । दोनों का फार्मेट आपस में मिलता नहीं है । साथ ही मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि अगर इसमें कुछ समय लगने की संभावना है और इस क्षेत्र में वाटर लैवल बहुत नीचे चला गया है तो क्या कोई राहत देंगे ? पहले वाटर लैवल 60 फुट के करीब था आज 75 से 80 फुट के करीब है पर उसके लिए बिजली के जो अलग अलग तीन रेट्स हैं, वे हमारे इलाके पर लागू नहीं होते । हमारे यहां चाहे 80 फुट पर वाटर टेबल हो, पचास फुट वाले रेट चार्ज किए जाते हैं । इस वाटर टेबल को ऊपर पहुंचाने की क्या कोई और भी स्कीम सरकार के विचारा-धीन है ? खास तौर पर जब यमुना जल समझौता हो चुका है, उसके बाद भी दादूपुर नलवी और लाडवा दादूपुर नहर का काम आरम्भ नहीं हुआ है । क्या इस लैवल को ऊपर उठाने का और कोई ढंग है ? क्या सरकार इस बारे में विचार करेगी ?

चौधरी जगदीश नेहरा : स्पीकर सर, इसकी इन्वैस्टीगेशन नवम्बर 1990 से शुरु हुई और हरियाणा गवर्नमेंट और सी०डब्ल्यू०सी० जो दिल्ली की है, उनके ताल-मेल से जारी है । यह जो इनकी चिन्ता है कि वाटर टेबल नीचे गिर रहा है, बारिश के दिनों में फ्लड आ रहा है, हरियाणा सरकार भी इस बारे में चिंतित है । इसीलिए इन्वैस्टीगेशन काफी लार्ज स्केल पर शुरु किया है । जो नदियां हैं, उनमें इसे अलग-अलग तरीके से शुरु किया है । एक तो धनौरा-रिजरा प्रोजैक्ट रिवर मारकंडा पर, एक जसपुर रिसर्च प्रोजैक्ट रिवर टांगरी पर और घग्घर डैम प्रोजैक्ट घग्घर पर है । इसके अलावा भी छोटे-छोटे डैम हैं, उनको बनाने के लिए भी इन्वैस्टीगेशन है । जैसे टांगड़ी पर खेत पराली, एक मसूमपुर, एक सबलपुर, एक तिलोकपुर । यानी इनसे पानी को रोककर जिससे री-चार्जिंग भी हो, सिंचाई भी हो और बाढ़ की जो स्थिति है, उसमें भी रुकावट आए । स्पीकर सर, एग्रीकल्चर और फारैस्ट महकमा भी इसमें संलग्न है । फारैस्ट महकमे के ऊपर के लैवल के जो चैक डैम्स हैं वे हमारे पास हैं । इसी तरह से ऐग्रीकलचर विभाग का भी संबंध है । इसके साथ मैं यह भी बताना चाहता हूं कि बड़े-बड़े डैम्ज की इन्वैस्टीगेशन जारी है और उसमें मेन बात पैसे की है, और पैसा हम लगा रहे हैं । पैसे के साधन कहां से हो सकते हैं, इसके लिये हम कोशिश कर रहे हैं । वर्ल्ड-बैंक से इसके लिये टाई-अप कर रहे हैं ताकि बाढ़ की स्थिति में पानी ऊपर रुके, रि-चार्ज हो और उससे सिंचाई की व्यवस्था ठीक हो सके ।

श्री अध्यक्ष : आप यह बताएं कि यह इलाका कितना पहाड़ी है, कितना मैदानी है ?

चौधरी जगदीश नेहरा : सर, मोस्टली पहाड़ी और मैदानी के बीच की स्थिति है। वहां सर, दिक्कत क्या है कि सिल्ट बहुत आती है, क्योंकि पहाड़ कच्चे हैं और ज्यादातर सिल्ट निकलती है। एक तो पुराने टाईम पर जो सिल्ट निकालने का सिस्टम था, वह ठीक नहीं है। जैसे पानी को पहले रोका, फिर जो वह फट्टे थे, वे ऊपर उठा दिये और बाद में उसमें पानी चला गया। अब नई टैक्नीक आ रही है, लेकिन उसके ऊपर पहले से ज्यादा खर्चा आएगा।

साथी लहरी सिंह : अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय ने यहां पर मारकंडा व टांगरी नदियों का जिकर किया है। उसी तरह से जो बरसाती नाले जैसे कि चौतंग, राखसी व सरस्वती हैं, यह बहुत गहरे नाले हैं। इनका पानी आगे चलकर बड़ा नुकसान करता है और ऐसा इनमें स्कोप हैं, जिनमें खर्चा भी कुछ नहीं लगता। किसान की सहायता से बन्ध लग सकते हैं और उससे वाटर रिन्चार्जिंग भी हो जाएगी और वाटर टेबल भी हमारा बढ़ जाएगा और इससे किसानों को सिंचाई के लिये भी सुविधा मिल जाएगी। जैसे मेरा अपना ही गांव है। वहां पर, आपको मैं बताता हूं कि जब जीरी पकने को होती है, तब पानी ही नहीं मिलता। अगर सरकार उन नालों पर किसानों को अपने वाटर-पम्प लगाने की इजाजत दे दे तो जीरी पकने के समय पानी मिल सकता है। क्या सरकार मेरे इस सुझाव पर विचार करेगी ?

श्री अध्यक्ष : चौधरी लहरी सिंह जी, क्या आपने अपना यह सुझाव लिखकर सरकार के पास भेजा हुआ है ?

साथी लहरी सिंह : जी हां, मैंने लिखकर भिजवा रखा है।

चौधरी जगदीश नेहरा : अध्यक्ष महोदय, इस तरह की इंवेस्टीगेशन जारी है और उन्हीं जगहों पर है जहां पर कि छोटी-छोटी जगहें हैं। इसका मेन मकसद यह है कि पानी इक्ट्ठा हो, लेकिन गांव उसमें न आएं, यह भी ध्यान रखने की कोशिश की जा रही है। जो फील्ड में हैं, जैसे बीबीपुर लेक है, ओटू है, ये इनके बारे में भी शायद जानना चाहते हैं। इन से सिल्ट निकाल कर और बांध बनाकर पानी इक्ट्ठा करने की और रिन्चार्जिंग करने की इंवेस्टीगेशन चल रही है।

साथी लहरी सिंह : अध्यक्ष महोदय, जहां पानी इक्ट्ठा होता है वहां किसानों को अपने वाटर पम्प लगाने की इजाजत अवश्य दे दो, तभी किसान का फायदा हो सकता है। अभी तक तो सरकार की ओर से कोई इजाजत नहीं है और पानी यूंही बह रहा है। वाटर-पम्प लगाने पर बैन है। अगर जमींदारों को वाटर पम्प लगाने की सरकार इजाजत देगी, वे लोग तभी तो अपने खेतों को पानी दे सकेंगे। इसलिये सरकार इस पर विचार करे।

चौधरी जगदीश नेहरा : जो पानी बह रहा है, उसे इस्तेमाल करने में कोई दिक्कत नहीं है। मैंने पिछली बार भी और मुख्य मन्त्री महोदय ने भी इस बारे में विभाग को कहा था कि जो बांध बने हुए हैं और बाढ़ का पानी आगे जा रहा है, उसमें जमींदार एक क्यूसिक, दो क्यूसिकस व तीन क्यूसिक के मोघे ले लें। आपका सवाल दूसरा है। उसमें कोई रुकावट नहीं है। जैसे पानी नीचे घग्घर में जा रहा है, आप उसको लिफ्ट कर सकते हैं, इसमें किसी तरह की कोई रुकावट नहीं है। अगर आपस में कोई झगड़ा हो तो रुकावट हो सकती है। हम इसकी इंवेस्टीगेशन कर लेंगे। इसके अलावा, मैं कहना चाहता हूं कि जो पानी बांध के बावजूद आगे जा रहा है और वह बाढ़ का पानी है, वह 20–40 हजार क्यूसिक आगे जा रहा है लेकिन साथ में जीरी की खेती सूखी पड़ी हो, तो उसके लिए हम किसानों को अपील करते हैं कि वे वहां से मोघे ले लें। वे एक-दो या तीन क्यूसिक्स के मोघे लें ताकि जो बाढ़ का पानी है, जिसमें मिनरल्ज भी होते हैं और खेती के लिए अच्छा होता है, उसका किसान इस्तेमाल करे। हम किसानों को मोघे देने के लिए तैयार हैं।

मुख्य मन्त्री (चौधरी भजन लाल) : अध्यक्ष महोदय, चौधरी लहरी सिंह जी ने बहुत अच्छा सवाल उठाया है। जहां पानी आगे जा कर नुकसान करता है, अगर उस पानी को किसान अपने खेत में ले लें, तो यह कोई बुरी बात नहीं है। हम इस बात के लिए सरकार की तरफ से फैसला करते हैं कि किसान वह पानी ले सकता है। लेकिन इसमें दिक्कत यह है कि एक दो पानी से फसल नहीं पकती। इसलिए अगर वह बाद में दूसरा पानी लेगा और जब हम उससे बिल मांगेंगे तो वह कहेगा कि मैंने तो पानी घग्घर नदी से लिया था, इसलिए मैं इसका आबियाना नहीं दूंगा। अगर नदी के पानी से उसकी फसल पक जाए तब तो ठीक है, लेकिन अगर वह दूसरा पानी लेगा तो उसे आबियाना देना पड़ेगा।

साथी लहरी सिंह : हमारे यहां तो ट्यूबवैल का पानी लगाते हैं जिसका फ्लैट रेट है।

चौधरी भजन लाल : मैंने कह दिया है कि वाटर पम्प लगाने पर कोई बैन नहीं है।

प्रो० राम बिलास शर्मा : अध्यक्ष महोदय, नेहरा जी ने फरमाया कि घग्घर, टांगरी और मारकंडा में बरसात के दिनों में बहुत पानी बहता है जो किसानों का नुकसान करता है। आज पूरे हरियाणा का जल स्तर नीचे जा रहा है। डा० राम प्रकाश जी के यहां 80 फुट तक यह स्तर नीचे चला गया है जिसकी वे चिन्ता कर रहे हैं। हमारे जिलों में तो तीन सौ फुट तक जल स्तर नीचे चला गया है। यह जल स्तर इतने एलार्मिंग स्तर पर पहुंच गया है कि इसको देखते हुए, उन इलाकों

में, 1988 में, बरसात के दिनों में कृष्णावती, साहबी और दोहान नदियों में नहर का पानी छोड़ा गया था। तो क्या मन्त्री महोदय किसानों को बचाने के लिए इन नदियों में नहरों का पानी डालने पर विचार करेंगे ?

चौधरी जगदीश नेहरा : अध्यक्ष महोदय, जिस एरिया की ये बात कर रहे हैं वहां घग्घर और मारकंडा नदियों का पानी नहीं जा सकता बल्कि वहां पर जे0 एल0 एन0 का पानी जाता है। वहां पर बारिश के दिनों में ही पानी जाता है। जब फ्लड के टाईम में यमुना में पूरा पानी होता है, तो वह पानी हम उधर देते हैं। जो पानी राजस्थान से आता है, उसके बारे में पिछली बार मीटिंग हुई थी और हमारे मुख्य मन्त्री जी ने राजस्थान के मुख्य मन्त्री को कहा था कि आपने जो बांध बना रखे हैं, उनको हटाओ। तो उन्होंने कहा था कि हमने कोई बांध नहीं बना रखे हैं। हम इस बारे में दोबारा राजस्थान सरकार से बात करेंगे।

श्री अध्यक्ष : क्या कोई कमेटी उनको चैक करने गई थी ?

चौधरी जगदीश नेहरा : उन्होंने कहा था कि कमेटी से बाद में चैक करवा देंगे। मैंने उनके मिनिस्टर से बात की थी, लेकिन उन्होंने हमें टाईम नहीं दिया और न ही ज्वायंट इंस्पैक्शन करवाई। यह बात पहले हुई थी और अब भी हमारी यही कोशिश है कि ज्वायंट इन्स्पैक्शन हो।

श्री अध्यक्ष : आपने प्राइवेट तौर पर भी तो पता किया होगा ?

चौधरी जगदीश नेहरा : हमने प्राइवेट तौर पर पता किया था। उन्होंने कुछ बांध बना रखे हैं। उन्होंने साहबी और दोहान नदियों पर बांध बना रखे हैं। लेकिन उन्होंने जो ऑफर दी है, उसको हमने एक्सैप्ट किया है लेकिन अभी वह काम हुआ नहीं है। हमने सी0 डब्ल्यू0 सी0 से भी कहा है।

प्रो0 सम्पत सिंह : स्पीकर साहब, आपने ठीक सवाल किया था। साहबी, कृष्णावती और दोहान नदियों पर राजस्थान सरकार ने अपनी साईड में कच्चे बांध बना रखे हैं। वे बांध मैंने भी देखे हैं। तकरीबन 9–10 जगहों पर बांध बना रखे हैं। पहले बड़े-बड़े बांध बांध रखे हैं, फिर उसके बाद छोटे बांध बना रखे हैं। उन बांधों से हरियाणा प्रदेश को दोहरा नुकसान है। पहला नुकसान तो यह है कि पानी नहीं आ रहा है। दूसरा नुकसान यह है कि यदि किसी टाईम पर ज्यादा बारिश हो जाए तो वे बांध कच्चे होने के कारण टूटेंगे और टूटने के बाद मसानी बांध में रैगुलेटर न होने की वजह से हमारी तरफ बाढ़ की स्थिति हो जाएगी यानि बाढ़ आएगी। अगर बाढ़ नहीं आएगी तो पानी न आने की वजह से ड्राउट पड़ जाएगा। इसलिए हरियाणा सरकार इस बारे में सीरियस

[प्रो० सम्पत सिंह]

हो कर सैंट्रल वाटर रिसोर्सिज मिनिस्टर से मिलें और उनसे मिलकर उन पर दबाव डालें, स्ट्रैस करें और उन बांधों को उनसे रिमूव करवाएं। यह आपस का एग्रीमेंट है ।

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, आपने भी ठीक बात पूछी और सम्पत सिंह जी ने भी ठीक कहा है । यह ठीक बात है कि उन नदियों पर राजस्थान वालों ने अपनी साईड में छोटे-छोटे बांध बांध रखे हैं । इस बारे में हमारे से पहले जो चौधरी देवी लाल जी की सरकार थी, मैं उस सरकार का सबसे ज्यादा कसूर मानता हूं क्योंकि अगर वह सरकार मसानी बैराज नहीं बनाती तो वे अपनी साइड में बांध नहीं बांधते । हमारे से पहले वाली सरकार ने मसानी बैराज बनाना शुरू कर दिया तो उन्होंने अपनी साईड में बांध बांध लिए । वह पानी हमारे इलाके में नुकसान करेगा । मेरी राजस्थान के चीफ मिनिस्टर से इस बारे में बात हुई । मैंने उनसे कहा कि मसानी बैराज और साहबी नदी के पानी से रिवाड़ी जिले के किसानों को बड़ा भारी फायदा होता था लेकिन अब वहां पर पानी न आने के कारण वाटर लैवल बहुत नीचे चला गया है और किसान बरबाद हो गए हैं । हमारी राजस्थान के मुख्य मन्त्री से इस बारे में सैंट्रल वाटर रिसोर्सिज मन्त्री श्री शुक्ला के सामने बात हुई । उस समय राजस्थान के मुख्य मन्त्री ने यह कहा कि हम आपस में एक ज्वायंट मीटिंग कर लेंगे । उस मीटिंग में आप भी आ जाएं और आपके मन्त्री भी आ जाएं, मैं भी आ जाऊंगा और हमारा मन्त्री भी आ जाएगा और आपके महकमे के और हमारे महकमे के ऑफिसर्ज भी आ जाएंगे । मैंने यह काम नेहरा साहब के जिम्मे लगाया और नेहरा साहब ने इस बारे में पूरे प्रयास किए हैं । लेकिन राजस्थान के सियासी हालात ऐसे हो गए कि वह सरकार चली गई और दोबारा चुनाव हो गए और चुनाव के बाद फिर वही मुख्य मन्त्री आ गए हैं । जब यमुना वाटर का समझौता हुआ, उस समय मैंने उनसे इस बारे में दो दफा बातचीत की । उन्होंने कहा कि चौधरी भजन लाल जी, आप भी आ जाएं और आप अपने मन्त्री को भी साथ ले आएं, मैं भी आ जाऊंगा । हम बैठ कर इस बारे में बात कर लेंगे । अगर हरियाणा प्रदेश को कोई नुकसान होता होगा, तो ऐसा काम हम नहीं करेंगे । उन्होंने हमारी बात को माना है । हम फिर उनसे बातचीत करेंगे कि उन्होंने जो वहां पर बांध बना रखे हैं, उनको वह जरूर हटाएं ताकि हरियाणा प्रदेश को कोई नुकसान न हो ।

Incentive to small scale sector in the State

*1042. **Shri Jai Singh** : Will the Minister of State for Industries be pleased to state—

(a) whether any special provision has been made for augmenting the production in small scale sector in the State; and

(b) if so, the details thereof ?

उद्योग मन्त्री (श्री ए0 सी0 चौधरी) :

(क) जी हाँ ।

(ख) राज्य में लघु उद्योग क्षेत्र में उत्पादन संवर्धन के लिए किए गए विशेष प्रावधान का ब्यौरा सदन के पटल पर रखा है ।

"ब्यौरा"

राज्य सरकार ने लघु उद्योग क्षेत्र में उत्पादन बढ़ाने के लिए तथा इकाईयों के उत्थान के लिए निम्नलिखित कदम उठाये हैं :—

राज्य में लघु औद्योगिक इकाईयों को बिक्री कर छूट/स्थगन, नकद अनुदान, सरकारी खरीद पर मूल्य अधिमान, बिजली शुल्क छूट, चुंगी कर छूट इत्यादि कई सुविधाएं प्रदान की जाती हैं जिनका ब्यौरा निम्न अनुसार है :—

(क) बिक्री कर छूट/स्थगन :

लघु औद्योगिक इकाईयों को बिक्री कर छूट/स्थगन का लाभ अचल पूंजी निवेश के 150 प्रतिशत की दर से जोन "ए" में आने वाले क्षेत्रों में तथा 125 प्रतिशत की दर से जोन "बी" के क्षेत्रों में तथा 100 प्रतिशत की दर से जोन "सी" में आने वाले क्षेत्रों में दिया जाता है जबकि बड़ी तथा मध्यम औद्योगिक इकाईयों को यह लाभ अचल पूंजी निवेश के 125 प्रतिशत, 100 प्रतिशत तथा 90 प्रतिशत की दर से क्रमशः जोन ए, बी तथा सी में दिया जाता है ।

इसी प्रकार उन लघु उद्योगों को जिन्होंने विस्तार/विविधिकरण किया है को भी बिक्री कर छूट/स्थगन का लाभ 100 प्रतिशत की दर से तथा बड़े व मध्यम उद्योगों को 90 प्रतिशत की दर से सभी जोन में प्रदान किया जाता है ।

जोन ए, बी, सी में आने वाले क्षेत्रों का ब्यौरा इस प्रकार है :—

जोन ए : पिछड़े क्षेत्र ;

जोन बी : पिछड़े क्षेत्रों में आने वाले क्षेत्र तथा फरीदाबाद-बल्लभगढ़ प्रशासन कम्पलैक्स में आने वाले क्षेत्र के अलावा सभी क्षेत्र

जोन सी : फरीदाबाद-बल्लभगढ़ प्रशासन कम्पलैक्स में पड़ने वाले क्षेत्र ।

[श्री ए० सी० चौधरी]

(ख) मूल्य अधिमान--

राज्य सरकार द्वारा लघु उद्योगों को 10 प्रतिशत की दर से जबकि बड़े तथा मध्यम उद्योगों को 5 प्रतिशत की दर से मूल्य अधिमान प्रदान किया जाता है।

(ग) जनरेटिंग सैट

जनरेटिंग सैट अनुदान केवल लघु उद्योगों को 1200 रुपये प्रति के०वी०ए० की दर से या 50 प्रतिशत मूल्य जो भी कम हो जिसकी अधिकतम सीमा 15 लाख रुपये है, प्रदान किया जाता है।

(घ) पूंजी निवेश अनुदान

(i) पूंजी निवेश अनुदान कृषि आधारित तथा फूड प्रोसेसिंग उद्योगों को राज्य भर में अचल पूंजी निवेश पर 25 प्रतिशत की दर से, जिसकी अधिकतम सीमा 30 लाख रुपये है, प्रदान किया जाता है।

(ii) इलैक्ट्रोनिक इकाईयों को पूंजी निवेश अनुदान निम्नानुसार प्रदान किया जाता है।

—राज्य में कहीं भी स्थापित इकाई को 15 प्रतिशत की दर से जिसकी अधिकतम सीमा 15 लाख रुपये है।

—पिछड़े क्षेत्र में स्थापित इकाई को 25 प्रतिशत की दर से जिसकी अधिकतम सीमा 30 लाख रुपये है।

(iii) पिछड़े क्षेत्रों में स्थापित नई इकाईयों को 15 प्रतिशत की दर से पूंजी निवेश अनुदान, जिसकी अधिकतम सीमा 15 लाख रुपये है, प्रदान किया जाता है।

(ङ) बिजली शुल्क से छूट

राज्य सरकार सभी नई इकाईयों को पांच वर्ष की अवधि के लिए बिजली शुल्क से छूट प्रदान करती है।

(च) चुंगी शुल्क अदायगी में छूट

सभी नई उद्योगिक इकाईयों को स्थाई यंत्र, भवन निर्माण सामग्री तथा कच्चे माल पर जोन ए में 9 वर्ष, जोन बी में 7 वर्ष तथा जोन सी में 5 वर्ष की अवधि के लिये चुंगी कर की अदायगी से छूट प्रदान की जाती है।

(छ) ग्रामीण उद्योग योजना के अन्तर्गत अनुदान

1. ग्रामीण उद्योग योजना के अन्तर्गत 25 प्रतिशत की दर से पूंजी निवेश अनुदान ग्रामीण क्षेत्र में स्थापित की जाने वाली नन्हीं इकाईयों को प्रदान किया जाता है, जिसकी अधिकतम सीमा 2 लाख रुपये है।

2. (i) लघु उद्योगिक इकाईयों के समुचित विकास के लिये एनसिलरी उद्योगिक सम्पदाओं को विकसित किया जा रहा है।

(ii) ग्रामीण युवकों को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिये राज्य सरकार द्वारा फोकल गांवों का चयन करके ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योग कुंज स्थापित किए जा रहे हैं।

(iii) विशेष तौर पर लघु उद्योग क्षेत्र में उद्योग के विस्तार के लिये विभिन्न जिलों में ग्रोथ सैंटर, एकीकृत इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास केन्द्र, इण्डस्ट्रीयल पार्क तथा उद्योगिक सम्पदायें विकसित की जा रही हैं।

श्री जय सिंह : स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि यदि कोई आदमी हरियाणा प्रदेश में कोई लघु उद्योग लगाना चाहे तो क्या उसको रियायती दरों पर प्लाट देंगे ?

श्री ए0सी0 चौधरी : स्पीकर साहब, मैंने अपना जवाब बड़ी डिटेल में दिया है। मेरा जवाब पूरे अढ़ाई पेज का है। इसमें लिखा है कि किस-किस तरह की छूट हम दे रहे हैं। हमारी बहुत सी स्कीमें हैं, जिनके तहत हम छूट दे रहे हैं। इनकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहता हूं कि किसानों से जमीन लेने के बाद हम जब प्लाट देते हैं, तो उनको यानी प्लाट लेने वाले को 'नो प्रोफिट नो लौस' बेसिज पर प्लाट्स देते हैं। जहां तक छूट देने की बात है, इनको हम सेल्ज टैक्स में एग्जैमप्शन/डेफरमैंट, कैश सबसिडीज, प्राईस प्रैफरेंस इन गवर्नमेंट परचेजिज, इलैक्ट्रीसिटी ड्यूटी एग्जैमप्शन, ओक्ट्राय एग्जैमप्शन आदि की छूट देते हैं। मैंने तो अपना जवाब तफसील से दिया है। फिर भी यदि ये किसी खास मद के बारे में पूछना चाहते हैं तो ये पूछ लें, मैं बता दूंगा।

श्री जय सिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरे सवाल का जवाब नहीं आया। मैं यह जानना चाहूंगा कि 'नो प्रोफिट नो लॉस' बेसिज पर कितने लोगों को कितने प्लाट्स दिए गए ?

श्री ए० सी० चौधरी : हरियाणा में इस वक्त 1,23,731 स्माल स्केल यूनिट्स हैं। इनमें बाई एण्ड लार्ज हम जितने प्लाट्स सबसिडाईज्ड रेट्स पर दे सकते हैं, दिए हैं इनमें कुछ प्लाट्स ऐसे भी हैं जिन्होंने अपनी जमीन में यूनिट्स लगाए हैं। ऐसे यूनिट्स को हमने चेंज आफ लैण्ड यूज, सबजैक्ट टू दी कंडीशन दी है। यानि जो हमारी शर्तें हैं, वे पूरी करने पर, उनको वहां पर यूनिट्स चलाने की परमिशन दी है। इन 1,23,731 यूनिट्स में से कितने यूनिट्स को सबसिडाइज्ड रेट्स पर लोगों को प्लाट दिये हैं, यह बताना मेरे लिये सम्भव नहीं है। अगर ये चाहेंगे तो अलग से यह सूचना दे दूंगा।

Purchase of new Buses

***1071. Chaudhri Balwant Singh Maina :** Will the Minister of State for Transport be pleased to state the total number of new buses purchased by the Transport Department during the year 1994-95, togetherwith the number of buses out of them allowed to each depot ?

परिवहन राज्य मन्त्री (श्री बलबीर पाल शाह) : परिवहन विभाग द्वारा वर्ष 1994-95 में 28-2-95 तक कुल 363 बसें खरीद की गई हैं और डिपोवार अलाट की गई हैं। बसों का विवरण अनुबंध "क" में दिया गया है।

अनुबंध "क"

वर्ष 1994-95 में दिनांक 28-2-95 तक डिपोवार अलाट की गई बसों का विवरण

क्रमांक	डिपो का नाम	दिनांक 28-2-95 तक अलाट की गई बसों की संख्या
1	2	3
1.	अम्बाला	9
2.	भिवानी	7

1	2	3
3.	चण्डीगढ़	20
4.	चरखी दादरी	6
5.	दिल्ली	22
6.	फरीदाबाद	25
7.	फतेहाबाद	24
8.	गुड़गांवा	23
9.	हिसार	22
10.	जीन्द	25
11.	कैथल	21
12.	कुरुक्षेत्र	19
13.	करनाल	19
14.	पानीपत	16
15.	रोहतक	23
16.	रिवाड़ी	16
17.	सोनीपत	24
18.	सिरसा	18
19.	यमुनानगर	24
	जोड़	363

चौधरी बलवंत सिंह मायना : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने बताया है कि 363 नई बसें खरीदी गई हैं और उनकी डिपो वाइज़ अलाटमैंट की संख्या भी दी है। मैं यह जानना चाहता हूं कि इनमें से कितनी बसें आर्डिनरी हैं और कितनी एक्सप्रैस हैं ? क्या ये बसें जनता की सुविधा के लिये खरीदी गई हैं ?

श्री बलबीर पाल शाह : अध्यक्ष महोदय, ये सभी बसें जनता की सुविधा के लिये ही हैं। हमने नई बसें नहीं खरीदीं। जो बसें पुरानी पड़ गई थीं, जिनको शर्तों के आधार पर बदलना होता है, केवल उन्हीं के बदले ये नई बसें खरीदी गई हैं। हम अलग से नई बसें इसीलिये नहीं ले रहे, क्योंकि प्लानिंग कमीशन ने हमारे पर फ्रीज़ लगा रखा है कि हरियाणा रोडवेज़ का 3800 बसों का बेड़ा रहेगा, इसलिये हम नई बसें नहीं ले रहे। जो बसें हम बदलते हैं, उनमें यह देखना होता है कि वे 6 लाख किलोमीटर चल चुकी हों और आठ साल पूरे कर चुकी हों, केवल उन्हीं की रिप्लेसमैंट करते हैं। एक्सप्रैस बसें हम वहीं पर देते हैं, जहां से डिमांड आती है, वरना हम आर्डिनरी बसें खरीदते हैं।

चौधरी बलवंत सिंह मायना : अध्यक्ष महोदय, मेरे सवाल का जवाब नहीं आया। मैंने यह पूछा था कि इन 363 बसों में से एक्सप्रैस कितनी बसें हैं और आर्डिनरी कितनी हैं ?

श्री बलबीर पाल शाह : इसका विवरण इस समय मेरे पास नहीं है।

प्रो० छत्तर सिंह चौहान : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी

10.00 बजे | से जानना चाहूंगा कि इन्होंने जो 363 बसों की लिस्ट दी है, उसमें भिवानी जिले के दो डिपुओं-भिवानी और दादरी में सबसे कम नम्बर आफ बसिज क्यों दिया है ? हम इस बारे में बार-बार माननीय मन्त्री जी से मिले हैं। मैं इनसे जानना चाहूंगा कि बसों के मामले में भिवानी जिले के साथ सौतेला व्यवहार क्यों कर रहे हैं ? इसके साथ ही मेरा दूसरा सवाल यह है कि जो बसें 3-4 साल पुरानी चल चुकी हैं, उनको ट्रांसफर करके भिवानी और दादरी में रिप्लेस करके दिया गया है, उसका क्या कारण है ? भिवानी और दादरी डिपोज में सबसे कम बसें दिये जाने का क्या कारण है ? इन डिपुओं के साथ सौतेला व्यवहार क्यों किया जा रहा है ?

श्री बलबीर पाल शाह : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय साथी को बताना चाहूंगा कि किसी भी डिपो के साथ कोई सौतेला व्यवहार नहीं किया जा रहा है। अम्बाला में केवल 9 बसें दी गई हैं। सौतेले व्यवहार की कोई बात नहीं है। जिस डिपो की जितनी रिप्लेसमैंट ड्यू होती है, वह उसको दी जाती है। जहां तक दादरी का ताल्लुक है, दादरी में 4 साल में लगभग "ए" पोजीशन में 4-5 साल एवरेज रही है। "ए" एवरेज की पोजीशन में विभिन्न डिपुओं में वेरियेशन है। वहां पर जो बसिज दी गई हैं, वे केवल रिप्लेसमैंट के अगेंस्ट दी गई हैं। स्पीकर सर, भिवानी और दादरी की जो ये बात कह रहे हैं, उसमें मेनटेनैंस की बात हो सकती है। वहां मेनटेनैंस आफ रोड्ज में भी कुछ फर्क हो सकता है। कुछ बम्पिंग रोड्ज होती हैं। कुछ कच्ची सड़कें होती हैं। उन पर बसें चलती हैं, वे कुछ जल्दी खराब हो जाती हैं। इस परपज के लिये भी अब हमने रीजनल बेसिज पर अथौरिटीज को कहा है कि वे हर साल बसों को फिटनैस सर्टिफिकेट दें। वे बसों के रख-रखाव को पूरी तरह से चैक करें और सर्टिफिकेट देने से पहले इस बात की जांच करें कि बस की पोजीशन ठीक है। क्या वे रोड पर चलने लायक है ? क्या उसके शीशे ठीक हैं और उसकी सीट्स खराब तो नहीं हुई हैं ? इस बारे में अथौरिटीज सुनिश्चित करेंगी। इसके लिये हमने बाकायदा एक नार्म फिक्स किया है। उसके मुताबिक ही उन बसों को उसी प्रकार सर्टिफिकेट लेना होगा जिस प्रकार प्राईवेट तौर पर प्राईवेट आपरेटर्ज और ट्रक आपरेटर्ज को लेना होता है। हरियाणा रोडवेज की बसों को भी उस नार्म के मुताबिक सर्टिफिकेट लेना होगा कि वे मकैनिकली फिट हैं, उनमें रंग-रोगन, शीशे और सीटें आदि बिल्कुल ठीक हैं ? साथ ही उनके इंजन की भी चैकिंग होगी, तभी उनको सर्टिफिकेट मिलेगा। अध्यक्ष महोदय, यह जो सिस्टम बनाया गया है, इसके रिजल्ट्स अगले 6 महीने तक नज़र आने लगेंगे।

प्रो0 छत्तर सिंह चौहान : अध्यक्ष महोदय, मेरे सवाल का संतोषजनक जवाब मंत्री जी की तरफ से नहीं आया है। मैंने मन्त्री जी से यह पूछा था कि दिल्ली और पानीपत के डिपुओं से जो बसें भिवानी और दादरी में पुरानी रिप्लेस या ट्रांसफर की गई हैं, उसका क्या कारण है ? ये पुरानी बसें नई बसों की एवज में दी गई हैं या किसी और वजह से दी गई हैं ? दूसरे मैंने यह जानना चाहा था कि दादरी और भिवानी डिपुओं की बसों की कण्डीशन सारे हरियाणा के डिपुओं की बसों से खराब क्यों हैं ? मैं माननीय मन्त्री जी से कहना चाहता हूं कि किसी डिपो को इन्होंने 20, किसी को 25, किसी को 30 नई बसें दी हैं। दादरी और भिवानी के डिपुओं के साथ स्टेप-मदरली बिहेव क्यों किया जा रहा है ?

श्री बलबीर पाल शाह : अध्यक्ष महोदय, मैं पहले भी इस बात को स्पष्ट कर चुका हूं कि जो बसें 8 साल चल चुकी हैं और 6 लाख किलो-मीटर कम से कम चल चुकी हैं, उनकी जगह पर नई बसों की रिप्लेसमैंट दी गई है। हो सकता है अगले साल इन डिपुओं में ज्यादा नई बसें आ जाएं और दूसरे डिपुओं में कम बसें पहुंचें। यह उस साईकल पर डिपैंड करता है, जिस के मुताबिक 8 साल पुरानी बसों की जो 6 लाख किलोमीटर चल चुकी हैं, उनके स्थान पर नई बसों की रिप्लेसमैंट दी जाती है। इसके लिये हमने स्ट्रिक्टली क्राईटीरिया बना रखा है और उसको स्ट्रिक्टली फोलो किया जा रहा है। इसमें किसी के साथ कोई भेदभाव वाली कोई बात नहीं है।

प्रो0 छत्तर सिंह चौहान : अध्यक्ष महोदय, नम्बर आफ बसिज इन डिपुओं में कम दिया गया है। दूसरे मेरे सवाल का जवाब नहीं आया कि दिल्ली और पानीपत से जो पुरानी बसें यहां पर ट्रांसफर की गई हैं, उसका क्या कारण है ? अध्यक्ष महोदय, हमने ऐस्टिमेट्स कमेटी के सामने डिपार्टमैंट को बुलाया था और इनके डिपार्टमैंट ने खुद इस बात को माना है कि पुरानी बसें वहां पर ट्रांसफर की गई हैं। मंत्री जी गलत उत्तर दे कर हाउस को गुमराह कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मेरे सवाल का जवाब मन्त्री महोदय को देना चाहिये कि यह सौतेला व्यवहार क्यों है ?

श्री बलबीर पाल शाह : अध्यक्ष महोदय, सौतेले व्यवहार की कोई बात नहीं है जो बसें दी गई हैं उनमें टाटा और ले-लैण्ड की बसें भी थीं। (विघ्न)

प्रो0 सम्पत सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री जी से रिप्लेसमैंट के बारे में ही पूछना चाहता हूं। उन्होंने डिपोज के बारे में तो क्लीयर कर दिया है कि अगर बसिज आठ साल और 6 लाख किलोमीटर चली हों तो उसके बाद वह रिप्लेस कर दी जाती हैं। मैं इनसे एक तो यह पूछना चाहता हूं कि जिस रूट की बस रिप्लेस की जाती है, क्या नई बस आने पर उसे उसी रूट पर ही लगाया जाता है या नेशनल हाई-वे पर चलाया जाता है ? दूसरे इन्होंने यह कह दिया कि इसमें से आर्डिनरी बसिज और एक्सप्रेस बसिज कितनी कितनी हैं, यह मुझे पता नहीं है। ये इस बारे में तो

[प्रो० सम्पत सिंह]

बताएं। अध्यक्ष महोदय, आठ साल पहले एक्सप्रैस बसिज नहीं थीं। इन्होंने उन बसिज की रिप्लेसमैंट एक्सप्रैस बसिज से क्यों की ? क्या इस बारे में भी मंत्री जी बताएंगे ?

श्री बलबीर पाल शाह : अध्यक्ष महोदय, एक्सप्रैस बसिज नैशनल हाई-वे पर तीन साल चलने के बाद हरियाणा की लोकल जगहों पर लगा दी जाती हैं। जो नई बसिज होती हैं, उनको लौंग रूट पर लगाया जाता है और पुरानी बसिज को छोटे रूट्स पर लगाया जाता है। लेकिन अब हम यह कर रहे हैं कि किसी भी बस को फिटनैस सर्टिफिकेट दिए बगैर, सड़क पर नहीं उतारेंगे। जहां तक एक्सप्रैस बसिज की बात है, उनकी मांग जहां-जहां से आई है, वे हमने वहीं पर ही दी हैं। अध्यक्ष महोदय, अब दूसरे राज्यों ने भी यह सिस्टम अपनाया है।

प्रो० सम्पत सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं यह पूछ रहा हूं कि आर्डिनरी बसिज को एक्सप्रैस बसिज से क्यों बदला गया है ? साधारण बसें क्यों नहीं खरीदीं ?

श्री अध्यक्ष : सम्पत सिंह जी, बसों का नम्बर तो बढ़ा ही है।

प्रो० सम्पत सिंह : अध्यक्ष महोदय, यह रिप्लेसमैंट नहीं है, यह तो एडिशन है।

श्री अध्यक्ष : यह स्टेट के हित में ही है। आप बैठ जाएं। (शोर एवं व्यवधान)

Construction of Jhanswa and Salhawas Minor

***1087. Chaudhri Zile Singh Jakhar :** Will the Minister for Irrigation be pleased to state the present stage of contruction of Jhanswa and Salhawas Minors together with the time by which these are likely to be completed ?

Irrigation Minister (Chaudhri Jagdish Nehra) : Jhanswa Minor : The construction of this minor was started during 7/84 and uptil now 92% Qty. of earth work, 85% lining work and 38% masonary works have been completed. The balance works of this minor will be undertaken on availability of funds.

Salhawas Minor : The construction of this minor was also started in 7/84 and 71% Qty. of earth work, 45% lining work and 9% masonary works have been completed. The balance works of this minor will be undertaken on availablity of funds.

Choudhri Zile Singh Jakhar : Sir, the Hon'ble Minister has replied that 92% of the earth work and 85% of lining work has been competed uptil now. सर, जब झांसवा माईनर पर मिट्टी का कार्य 92 प्रतिशत और लाईनिंग का कार्य 85 प्रतिशत कम्पलीट हो गया है, तो फिर इस पर तो थोड़ा-सा ही काम बाकी रह गया

है। मंत्री जी यह बताएं कि इन दोनों माईनरों पर 1993-94 में कितना काम हुआ ? चीफ मिनिस्टर साहब ने झांसवा गांव के अन्दर यह आश्वासन दिया था कि इन दोनों माईनरों का काम दो महीने के अन्दर-अन्दर हम पूरा करवा देंगे क्योंकि इनसे गांवों की वाटर सप्लाई अफैक्टिड है। सर, मैंने परसों भी मंत्री महोदय को इस बारे में एक चिट दी थी और कहा था कि जोहड़ों में पीने का पानी नहीं है, कुंए खाली हो गए हैं और पशुओं के लिये भी पानी नहीं है। सर, जब लोगों को पीने के लिये ही पानी उपलब्ध नहीं है, तो सिंचाई की बात तो दूर रही। इन माईनरों से गांव को पीने का पानी जाता है और इन पर थोड़ा सा काम ही बाकी बचा है। तो क्या मंत्री जी हमें यह आश्वासन देंगे कि इन माईनर्ज को जल्दी ही बनवा दिया जाएगा ?

चौधरी जगदीश नेहरा : अध्यक्ष महोदय, जिले सिंह जी ने जिन दो माईनरों का जिक्र किया है, इनकी यह बात ठीक है कि इनको पानी की दिक्कत है। सर, इन माईनरों पर 1984-85, 85-86 और 86-87 में कुछ काम हुआ था लेकिन उसके बाद कोई काम नहीं हुआ है। यह बात ठीक है कि झांसवा माईनर पर अर्थवर्क काफी हो चुका है तथा साल्हावास माईनर का काफी काम हो चुका है। लेकिन हमारे पास ज्यों-ज्यों फंडज् की अवेलेबिलिटी होगी, काम करवाने की कोशिश करेंगे।

चौधरी जिले सिंह जाखड़ : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इन माईनरों पर 1993-94 में कितना काम हुआ है ? मुझे इनसे आश्वासन चाहिये और बताएं कि कब तक इनको पूरा करवा देंगे ? ये तो सभी मामलों में यह बात कह देते हैं कि यह काम फंडज की अवेलेबिलिटी पर डिपैंड करेगा। लेकिन ये मुझे बताएं कि इन्होंने इन माईनरों पर अब तक कितना पैसा खर्च किया है ? सर, ऐस्टीमेट तो सौ रुपये का होता है और सरकार 92 परसैंट खर्च करती है। सर, बाकी आठ परसैंट काम करने के लिये इतना लम्बा समय ले लिया तो फिर 92 प्रतिशत पैसा लगाने की क्या यूटिलिटी है ? इस तरह से तो लोगों का पैसा वाहियात जाता है। मंत्री जी इन माईनरों को कब तक पूरा करवा देंगे ?

चौधरी जगदीश नेहरा : स्पीकर सर, जैसे मैंने टोटल बताया कि 1984, 1985, 1986 और 1987 में इन पर कुछ काम हुआ लेकिन इनकी सरकार के वक्त में कुछ भी काम नहीं हुआ। इन्होंने एक टक्का भी नहीं तोड़ा था। इनके चार साल के राज में कोई भी काम नहीं हुआ। (विघ्न)

चौधरी जिले सिंह जाखड़ : स्पीकर सर, इन्होंने अपने साढ़े तीन साल के राज में इन माईनरों को पूरा करवाने के लिये क्या किया ?

चौधरी जगदीश नेहरा : सर, 1993-94 में इन पर कुछ काम नहीं हुआ लेकिन इनके चार साल के राज्य में भी इन पर कोई काम नहीं हुआ था। ...(विघ्न)

चौधरी जिले सिंह जाखड़ : स्पीकर सर, ये हर काम के बारे में यही कह देते हैं कि अवेलेबिलिटी आफ फंड पर डिपैंड करेगा। (विघ्न)

चौधरी जगदीश नेहरा : स्पीकर सर, मैं आपको इस बारे में डिटेल बताना चाहता हूं। ये ठीक कहते हैं कि झांसवा माईनर के पूरा होने से पांच गांवों को इसका फायदा है। ये गांव हैं : साल्हावास, धारीवास, झांसवा, छाना और सदाना। इस तरह से इनसे पांच या छः गांवों को इरीगेशन का और पीने के पानी का फायदा है। झांसवा माईनर में 9.82 लाख रुपये का खर्चा हो चुका है। इसमें अभी ईंटों का काम ज्यादा होना है इसलिये दिक्कत आ रही है। तकरीबन 17.30 लाख रुपये का काम और होना है और लैंड की पेमैंट भी बाकी है। इसके अलावा, इस माईनर के लिये फंडज की अवेलेबिलिटी न हमारे टाईम में रही और न ही इनके टाईम में रही। इस पर थोड़ा सा काम बाकी रह गया है। वर्ष 1995-96 में इसके लिये प्रावधान कराकर इस काम को पूरा करने की कोशिश करेंगे।

चौधरी जिले सिंह जाखड़ : स्पीकर सर, मुख्य मंत्री जी मेरे हल्के में गए थे। इन्होंने कहा था कि इन माईनरों को दो महीने में पूरा करवा देंगे। लेकिन आज तीन साल हो गए हैं, आज तक कोई काम नहीं हुआ है।

मुख्य मन्त्री (चौधरी भजन लाल) : अध्यक्ष महोदय, 1984-85 में जब मैं मुख्यमंत्री था तो इसी पार्टी की सरकार ने ही इस पर काम शुरु किया था। उस सरकार के जाने के बाद उस काम पर एक कस्सी भी नहीं लगाई गई। बीच में चार साल इनकी पार्टी का राज था, उस समय एक भी कस्सी नहीं लगाई गई। हमारी सरकार आने पर हमने समझा कि वह काम तो कब का हो गया होगा, लेकिन अब पता चला है कि वह काम नहीं हुआ है। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि 6 महीने के अन्दर-अन्दर ये दोनों माईनर्ज कंपलीट करा देंगे।

चौधरी जिले सिंह जाखड़ : 6 महीने किस तारीख से शुरु होंगे ?

चौधरी भजन लाल : आज से।

Death occurred due to Gastro-Enteritis and Cholera

*1097. **Shri Dhir Pal Singh :** Will the Minister for Health be pleased to state—

(a) the district-wise number of persons died on account of Gastro-enteritis and Cholera in the State during the period from March, 1993 to 31st March, 1994 and particularly in village Paksama, district Rohtak ?

स्वास्थ्य मन्त्री (बहिन करतार देवी) : जिलावार विवरण निम्न प्रकार है :—

जिला	आन्त्रशोथ से मृत्यु	हैजे से मृत्यु
अम्बाला	शून्य	शून्य
भिवानी	शून्य	शून्य
फरीदाबाद	शून्य	शून्य
गुड़गांव	शून्य	शून्य
हिसार	शून्य	शून्य
जीन्द	शून्य	शून्य
कैथल	शून्य	शून्य
करनाल	शून्य	शून्य
कुरुक्षेत्र	शून्य	शून्य
महेन्द्रगढ़	शून्य	शून्य
पानीपत	शून्य	शून्य
रिवाड़ी	शून्य	शून्य
रोहतक	7	शून्य
सोनीपत	शून्य	शून्य
सिरसा	शून्य	शून्य
यमुनानगर	शून्य	शून्य
योग	7	शून्य

गांव पाकसमा जिला रोहतक में आन्त्रशोथ तथा हैजे से किसी की मृत्यु नहीं हुई ।

चौधरी बलवंत सिंह मायना : मैं माननीय मंत्री महोदया से कहना चाहूंगा कि पाकसमां गांव में जो सात लोगों की मृत्यु आंत्रशोथ से हुई थी, उसके बारे में पिछले बजट सैशन में भी चर्चा हुई थी। क्या मंत्री महोदया ने उस मामले की जांच करवाई है? क्या यह बात सही है कि इसमें कम से कम 40-50 आदमियों की मृत्यु हुई है?

बहिन करतार देवी : स्पीकर सर, माननीय सदस्य ने अपने सवाल में आंत्रशोथ से हुई मृत्यु की संख्या पूछी है। ग्राम पाकसमां में आंत्रशोथ से कोई मृत्यु नहीं हुई। 20 आदमियों की मृत्यु जरूर हुई है। हमने उसकी पूरी जांच करवाई है। वह वायरल बुखार था। जैसे ही गांव में यह बुखार फैला, सिविल सर्जन गए, डी0सी0 गए, मैडीकल कालेज की टीम गई। जब इससे हमारी संतुष्टि नहीं हुई तो भारत सरकार से कम्यूनिकेबल डिजिज के स्पैशलिस्ट को बुलाया गया। बुखार के सभी मामलों में रक्त की जांच कराई गई। वह वायरल बुखार था। जिन बीस आदमियों की मृत्यु हुई है, उनमें से 16 आदमी 70 वर्ष से अधिक उम्र के थे। बाकी चार मामलों में से एक औरत की डैथ गर्भपात के कारण, एक की प्राईवेट डाक्टर से ग्लूकोज चढ़वाने के कारण हुई है। शेष लम्बी बीमारी से पीड़ित थे और उनकी रजिस्टैंस पावर कम हो गई थी, इसलिये हम उनको बचा नहीं सके। जहां तक प्रयासों का सवाल है, गांव के सभी घरों में मैलाथियोन का छिड़काव किया गया। पानी के सभी स्रोतों को क्लोरीनेट किया गया, डी0एच0सी0 का 10 प्रतिशत घोल खाद के ढेरों पर छिड़का गया ताकि मक्खियां पैदा होने से रोकी जा सकें। मच्छरों को पैदा होने से रोकने के लिये लारवा नष्ट करने के तरीके अपनाए गए। ग्राम पंचायत तथा स्वयं सेवकों के सहयोग से विशेष सफाई अभियान चलाया गया। आपात कालीन स्थिति के लिये गांव में एक एम्बुलैंस रखी गई। मैडीकल कालेज, रोहतक से भी बीमारियों के विशेष सर्वेक्षण तथा पहचान हेतु एक चिकित्सा विशेषज्ञ दल भेजा गया। इस दल ने वायरल संक्रमण की रिपोर्ट दी। भारतीय चिकित्सा संघ के एक दल ने भी इस गांव का दौरा किया और वायरल संक्रमण के मामले रिपोर्ट किए। डी0सी0, रोहतक ने भी इस गांव का दौरा किया तथा वे वहां चल रहे ईलाज एवं बचाव कार्यों से संतुष्ट थे। डायरैक्टर, हैल्थ सर्विसिज़ ने भी वहां का दौरा किया तथा तकनीकी सलाह दी। अध्यक्ष महोदय, इससे ज्यादा चिंता सरकार को थी। पूरी सतर्कता बरती जाती है। मगर मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि वायरल का प्रिवेंटिव मैयर ही है। उसका कोई ईलाज नहीं है।

चौधरी बलवन्त सिंह मायना : स्पीकर सर, अभी मन्त्री महोदया ने बतलाया कि एक व्यक्ति की मौत किसी प्राईवेट डाक्टर द्वारा ग्लूकोज चढ़ाने से हुई। क्या सरकार के नोटिस में ऐसी कोई बात है कि आया उस डाक्टर के पास कोई लाइसैन्स था या नहीं? क्या सरकार ने ऐसे डाक्टर के खिलाफ कोई कार्यवाही की है?

बहिन करतार देवी : अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले सवाल के उत्तर में बताया था कि बराबर इस तरह का कार्य चैकिंग का चलता ही रहता है और हमने ड्रग इंस्पैक्टर्ज

को इस तरह की हिदायतें दे रखी हैं कि महीने में कम से कम पांच डाक्टर्ज की चैकिंग की जाया करे कि आया वह क्वालीफाईड है या नहीं। लेकिन जिस पर्टीकुलर केस के बारे में ये पूछ रहे हैं, वह पर्टीकुलर सूचना अभी हमारे पास अवेलेबल नहीं है। ये लिखकर दें, हम बता देंगे।

Widening of Road

*1110. **Shri Ram Kumar Katwal** : Will the Minister for P.W.D. (B&R) be pleased to state—

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to widen the road from village Rajaund to Datrath via Alewa ; and

(b) if so, the time by which the road as referred above is likely to be widened ?

लोक निर्माण मन्त्री (चौधरी अमर सिंह) :

(क) केवल राजौंद से अलेवा तक सड़क चौड़ी करने का प्रस्ताव है।

(ख) राजौंद से अलेवा तक सड़क को चौड़ा करने का कार्य शीघ्र अति शीघ्र पूरा करना धन की उपलब्धता पर निर्भर करता है।

श्री राम कुमार कटवाल : अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय ने जो मेरे सवाल का जवाब दिया है, मैं उससे सन्तुष्ट नहीं हूं। मैंने पूछा था कि राजौंद से डाटरथ वाया अलेवा सड़क को चौड़ा करने का सरकार का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है ? इन्होंने कह दिया कि केवल राजौंद से अलेवा तक सड़क चौड़ी करने का सरकार का प्रस्ताव है। अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार किसान और मजदूर का आपस में चोली दामन का साथ होता है, उसी प्रकार राजौंद से डाटरथ सड़क का अलेवा से चोली दामन का साथ है। इस रोड से जींद जाएं तो तीन किलोमीटर का फर्क पड़ता है। अगर यह सड़क अधूरी रह गई, न बनी तो लोगों को आने-जाने में काफी परेशानी होगी। क्या सरकार अपने निर्णय पर पुनर्विचार करेगी क्योंकि अगर यह सड़क न बनी तो बसों के टायर भी फटेंगे, लोग भी दुखी होंगे ?

चौधरी अमर सिंह : अध्यक्ष महोदय, यह जो सड़क है, यह टोटल 24 किलोमीटर लम्बी है। इसको चौड़ा करने में 43,39,399 रुपया खर्च होने की सम्भावना है। इसमें से 13.36 किलोमीटर सड़क 12 से 18 फुट तक चौड़ी कर दी है और वह 1995-96 में पूरी हो जाएगी। शेष 10.40 किलोमीटर सड़क जो बन जाएगी,

[चौधरी अमर सिंह]

उस पर 20 लाख रुपये लगने का अनुमान है और यह काम धन की उपलब्धता पर निर्भर करता है।

श्री राम कुमार कटवाल : पिछली बार भी मैंने इस बारे में कहा था लेकिन सरकार ने इस पर गौर नहीं किया। हर बार यह कह देते हैं कि खर्चा बहुत होगा, धन की उपलब्धता पर निर्भर करता है। स्पीकर साहब, जब ये पार्टी बदल कर कांग्रेस में गये थे, उस समय क्या मुख्य मंत्री महोदय ने कम पैसा खर्च किया था और अब इनके पास पैसा नहीं है। (हंसी)।

(इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दिया गया)

Supply of Spurious Seed of Paddy

*1127. Prof. Ram Bilas Sharma : Will the Minister for Agriculture be pleased to state—

(a) whether the Government is aware of the fact that spurious seed of Paddy has been supplied by an Agency of Karnal to the farmers during the last year; and

(b) if so, the action taken in this regard ?

मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल) :

(क) जी, हां।

(ख) मै0 लिबर्टी सीडज कारपोरेशन, घरौण्डा (करनाल) के विरुद्ध इस सम्बन्ध में भारतीय दण्ड संहिता आवश्यक वस्तु अधिनियम तथा बीज अधिनियम के अधीन एक प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई है।

प्रो0 राम बिलास शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं मुख्य मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि यह आठ महीने पहले की घटना है। लिबर्टी सीड कारपोरेशन ने करनाल, कुरुक्षेत्र और पानीपत जिलों के किसानों को नकली बीज बेचा, जिसकी वजह से जीरी बोने वाले किसान प्रभावित हुए। मैं जानना चाहता हूं कि आठ महीनों के दौरान इस कारपोरेशन के खिलाफ कब मुकदमा दर्ज हुआ ? क्या इसमें किसी की गिरफ्तारी भी हुई या नहीं ? इसके अलावा जिन किसानों का नुकसान हुआ था, क्या उनको मुआवजा मिला ?

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, शर्मा जी का सवाल बिल्कुल सही है। यह मामला सरकार के ज्यों ही नोटिस में आया, सरकार ने फौरन इस फर्म के खिलाफ 9-10-94 को एफ0आई0आर0 दर्ज करवाई। कुल दस लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। जिनमें से सात तो फर्म के पार्टनर थे, और तीन सरकारी अधिकारी थे। अधिकारियों में एक चीफ सर्टिफिकेशन आफिसर है और दो सीड आफिसर्ज हैं।

श्री कर्ण सिंह दलाल : आप उनके नाम बताएं।

चौधरी भजन लाल : जब आप सवाल पूछेंगे तो आपके सवाल का जवाब दूंगा। जो बात इन्होंने पूछी है, मैं उसका जवाब दे रहा हूं। वैसे मेरे पास नाम भी हैं। अध्यक्ष महोदय, इसमें दो आदमी गिरफ्तार हो चुके हैं और आठ आदमियों के खिलाफ तफतीश जारी है। हम जल्द से जल्द कार्यवाही करेंगे। मैं बताना चाहता हूं कि अब से पहले सरकार ने इस कम्पनी के खिलाफ क्या-क्या कार्यवाही की है। एक तो उनका सीड प्रोडक्शन का प्रोग्राम बन्द कर दिया है और दूसरे उनका सीड बेचने का प्रोग्राम भी बन्द कर दिया है। हमने वहां पर डी0सी0 की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई है। उन्होंने किसानों को सुना और लिबर्टी सीड वालों को भी सुना और उसके बाद नुकसान का अन्दाजा लगाया। अन्दाजे के मुताबिक जो आंकड़े उपलब्ध हैं, उसके मुताबिक दो हजार रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से नुकसान हुआ है। सीड के जर्मीनेशन में कमी नहीं थी। जो रिपोर्ट आई है, वह यह है कि उसमें एक सीड अरली वैरायटी का है और दूसरा लेट वैरायटी का है। ये दोनों सीड मिक्स हो गए, जिसकी वजह से एक वैरायटी पहले काटने के लायक हो गई और दूसरी वैरायटी हरी रह गई। उससे लगभग किसान का एक एकड़ में तीन क्विंटल जीरी का नुकसान हुआ। ईल्ड जो होनी चाहिये थी, वह एक एकड़ में 45 क्विंटल होनी चाहिये थी लेकिन तीन क्विंटल कम हुई। तीन क्विंटल जीरी का मूल्य करीब एक हजार रुपए बनता है। इसमें 238 किसान प्रभावित हुए हैं और 1560 एकड़ जमीन में यह जीरी बोई गई थी। इसके लिये हमारी कोशिश है कि जिन किसानों का नुकसान हुआ है, उनको उचित मुआवजा दिलाया जाए। किसान तो कहते हैं कि हमें पांच हजार एकड़ के हिसाब से मुआवजा मिलना चाहिये। लेकिन अन्दाजे के मुताबिक मुआवजा एक हजार रुपए फी एकड़ बनता है। फिर भी डी0सी0 ने कहा है कि दो हजार रुपए एकड़ के हिसाब से सैटलमैंट हो जाए तो भी ठीक है ताकि उनका फैसला हो जाए। हम चाहते हैं कि किसानों को उचित मुआवजा मिले। सरकार की तरफ से दोषियों के खिलाफ पूरी कार्यवाही की जाएगी।

श्री अध्यक्ष: अब सवालों का समय समाप्त होता है।

नियम 45 के अधीन सदन की मेज पर रखे गए तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर

Un-employed persons registered with Employment Exchanges

*1113. **Shri Amar Singh Dhanday** : Will the Minister of State for Labour & Employment be pleased to state the number of persons belonging to Scheduled Castes registered with the Employment Exchanges in the State during the years 1991-92, 1992-93, 1993-94 and 1994-95 separately together with the number of persons provided employment during the said years separately amongst them ?

श्रम एवं रोजगार राज्य मन्त्री (चौधरी कृष्ण मूर्ति हुड्डा): ब्यौरा विधान सभा के पटल पर रखा जाता है ।

"ब्यौरा'

वर्ष 1991-92, 1992-93, 1993-94 व 1-4-94 से 31-12-94 में राज्य के रोजगार कार्यालयों में दर्ज व नौकरी पर लगे अनुसूचित जाति के प्रार्थियों की संख्या निम्न है :—

अवधि	अन्तिम दिवस को सजीव रजिस्टर पर प्रतीक्षा कर रहे अनुसूचित जाति के प्रार्थियों की संख्या	नौकरी पर लगे अनुसूचित जाति के प्रार्थियों की संख्या
1-4-91 से 31-3-92	103549	2090
1-4-92 से 31-3-93	108170	985
1-4-93 से 31-3-94	111630	1192
1-4-94 से 31-12-94	110185	919

Educated Un-employed Persons in the State

*1106. **Sathi Lehri Singh** : Will the Minister of State for Labour & Employment be pleased to state—

(a) the category-wise number of educated un-employed persons registered with the employment exchanges in the State during the last three years, year-wise separately ?

(b) whether the Government have formulated any comprehenive scheme to provide employment to educated unemployed persons; if so, the details thereof ?

श्रम एवं रोजगार राज्य मन्त्री (चौधरी कृष्ण मूर्ति हुड्डा) : ब्यौरा विधान सभा के पटल पर रखा जाता है ।

ब्यौरा

(क) पिछले तीन वर्षों में वर्षानुसार रोजगार कार्यालयों में दर्ज श्रेणी अनुसार शिक्षित बेरोजगार प्रार्थियों की संख्या निम्न है :

वर्ष के अन्तिम दिवस की प्रतीक्षा कर रहे श्रेणी अनुसार शिक्षित बेरोजगार प्रार्थियों की संख्या

	कुल	महिलाएं	अनुसूचित जाति	पिछड़े वर्ग
1992	421659	77413	47263	23023
1993	449138	81732	50905	26142
1994	458257	84054	52231	28071

(ख) पढ़े लिखे बेरोजगार प्रार्थियों को स्व: रोजगार प्रदान करने हेतु हरियाणा सरकार द्वारा निम्नलिखित योजना कार्यरत की जा रही है :

स्कीम का नाम	स्कीम का संक्षिप्त ब्यौरा	योग्यता
1	2	3
प्रधान मन्त्री रोजगार योजना	इस स्कीम के अन्तर्गत 18 से 35 वर्ष की आयु सीमा के प्रार्थियों को स्व: रोजगार दिलवाने के लिए एक लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता दी जाती है। 5 प्रतिशत राशि मार्जन मनी के रूप में प्रार्थी द्वारा स्वयं लगानी पड़ती है। 15 प्रतिशत राशि अनुदान (अधिकतम सीमा 7500 रुपये) के रूप	प्रार्थी दसवीं (पास या फेल)। आई0 टी आई0/ सरकार द्वारा प्रायोजित 6 मास का टैक्नीकल कोर्स। परिवार की वार्षिक आय 24,000 रुपये तक

[चौधरी कृष्ण मूर्ति हुडडा]

1	2		3
		में दी जाती है। 95 प्रतिशत राशि बैंक द्वारा ऋण के रूप में प्रदान की जाती है।	
2.	सहकारिता समितियों की बसों के लिये स्टेज कैरियर्ज परमिट स्कीम	परिवहन विभाग द्वारा 1177 सहकारिता समितियों की बसों के लिये स्टेज कैरियर्ज परमिट दिए गए / सहकारिता बैंक द्वारा ऋण दिए गए।	सहकारिता समिति में 5 सदस्य होंगे। सामान्य श्रेणी हेतु 10वीं पास अनुसूचित जाति/पिछड़े वर्ग हेतु 8वीं पास (चालकों की विशेष अनुभव की अवस्था में शैक्षणिक योग्यताओं में छूट है)।
3.	ग्रामीण उद्योग स्कीम	यह स्कीम ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण युवकों को रोजगार प्रदान करती है। इस स्कीम के अधीन वित्तीय सहायता/अनुदान/बिक्री कर चुंगी, विद्युत ड्यूटी में छूट/टालना। निवेश का 75 प्रतिशत ऋण के रूप में है। प्लांट और मशीनरी की निवेश सीमा 5 लाख है।	प्रार्थी पढ़ा लिखा होना चाहिए।
4.	एक परिवार एक रोजगार स्कीम	यह स्कीम निम्नलिखित क्षेत्रों में शिक्षित तथा अशिक्षित युवकों को रोजगार प्रदान करती है :– (क) सार्वजनिक क्षेत्र में रोजगार (ख) निजी क्षेत्र में रोजगार (ग) दैनिक वेतन पर रोजगार (घ) स्व-रोजगार (ङ) रोजगार/स्व-रोजगार के लिये प्रशिक्षण	गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे परिवार।

Construction of New Roads

***1125. Shri Ramesh Kumar** : Will the Minister for P.W.D. (B&R) be pleased to state—

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to construct the following new roads of district Sonepat :—

(i) Chhatehera to Ahmodpur-Majra ;

(ii) Butana to Janta School etc. ;

(iii) Gangana to Rana-Kheri ;

(iv) Rana-Kheri to Bagaru ; and

(b) if so, the time by which the aforesaid roads are likely to be completed ?

लोक निर्माण मन्त्री (चौधरी अमर सिंह) :

(क) (i) छतेहरा से अहमदपुर माजरा सड़क की मैटलिंग पूरी की जा चुकी है केवल ब्लैक टौपिंग करनी शेष है ।

(ii) बुटाना से जनता स्कूल तक सड़क की मैटलिंग पूरी हो चुकी है । इस सड़क पर 3 कि० मी० तक सरफेसिंग का कार्य भी किया जा चुका है तथा 2.30 कि० मी० की शेष लम्बाई पर कार्य 30-6-95 तक पूरा कर दिया जायेगा ।

(iii) तथा (iv) नहीं श्रीमान जी ।

(ख) छतेहरा से अहमदपुर माजरा सड़क तथा बुटाना से जनता स्कूल सड़क पर ब्लैक टौपिंग का कार्य जून, 1995 तक पूरा कर दिया जायेगा ।

(iii) और (iv) को सम्मुख रखते हुए गंगाना से राणा खेड़ी तथा राणा खेड़ी से बागरु सड़कों को बनाने का प्रश्न पैदा नहीं होता ।

10+2 System Schools in the State

***1142. Shri Azmat Khan** : Will the Minister for Education be pleased to State —

(a) the prescribed qualification for getting admission in J.B.T. course in the State ; and

[श्री अजमत खां]

(b) the district-wise and tehsil-wise number of 10+2 system schools in rural and urban areas in the State at present separately togetherwith the places at which these are located ?

शिक्षा मन्त्री (श्री फूल चन्द मुलाना) :

(क) डिप्लोमा-इन-एजुकेशन कोर्स में प्रवेश हेतु हरियाणा में निम्नलिखित योग्यताएं निर्धारित हैं :—

अभ्यार्थी ने विद्यालय शिक्षा बोर्ड, हरियाणा की 10+2 परीक्षा या हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा मान्य किसी अन्य बोर्ड के समकक्ष परीक्षा 50 प्रतिशत अंक लेकर पास की हो। अनुसूचित जाति, पिछड़ी जाति, भूतपूर्व सैनिक, परित्यक्ता स्त्री एवं विधवाओं की अवस्था में 10 प्रतिशत अंकों की ढील देय है।

(ख) सूचना की तालिका सदन के पटल पर प्रस्तुत है।

हरियाणा में वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों की ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में तहसीलवार तथा जिलावार संख्या के आंकड़े

तहसील/जिला	हरियाणा शिक्षा बोर्ड से सम्बद्ध				केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड		कुल		
	राजकीय		प्राईवेट						
	ग्रामीण	शहरी	ग्रामीण	शहरी	ग्रामीण	शहरी	ग्रामीण	शहरी	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
तहसील		3	—	15	—	5			
त0 बराड़ा		—	3	—	—	—			
त0 नारायणगढ़	5	—	1	—	—	—			
त0 पंचकूला	35	2	—	2	—	4			
त0 कालका	5	1	1	1	3	—			
जिला अम्बाला	30	36	8	18	3	9	38	33	71
त0 भिवानी	4	2	—	4	—	2			
त0 बवानी खेड़ा	2	1	—	—	—	—			
त0 तोशाम	1	1	—	—	—	—			
त0 चरखी दादरी	12	2	—	2	—	1			
त0 लोहारु	2	2	—	—	—	—			
2. जिला भिवानी	21	8	—	6	—	3	19	15	34

[श्री फूल चन्द मुलाना]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
त0 बल्लबगढ़	3	2	—	2	—	1			
त0 फरीदाबाद	2	6	—	12	—	12			
त0 पलवल	6	4	—	2	—	—			
त0 हथीन	3	2	—	—	—	—			
3. जिला फरीदाबाद	13	14	—	16	—	13	13	41	54
त0 गुड़गांव	3	5	—	8	—	5			
त0 पटौदी	1	3	—	1	—	—			
त0 नूंह	2	—	1	—	—	—			
त0 फिरोजपुर झिरका	1	3	—	—	—	—			
4. जिला गुड़गांव	7	11	1	9	—	5	8	26	33
त0 हिसार	12	2	1	7	—	4			
त0 सिवानी	—	2	—	—	—	—			
त0 आदमपुर	11	—	—	—	—	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
त0 टोहाना	1	2	—	1	—	—			
त0 फतेहाबाद	8	1	—	2	1	—			
त0 रतिया	—	2	—	—	—	—			
त0 हांसी	5	2	—	—	—	—			
त0 नारनौंद	3	1	—	—	—	—			
5. जिला हिसार	40	12	1	10	1	4	42	26	68
त0 जीन्द	3	3	—	2	—	1			
त0 सफीदों	6	2	1	—	1	—			
त0 नरवाना	5	2	1	2	—	—			
6. जिला जीन्द	13	7	2	4	1	1	16	12	28
त0 कैथल	11	2	—	4	—	—	—		
त0 गुलहा	4	—	—	—	—	—			
7. जिला कैथल	15	2	—	4	—	—	15	6	21

[श्री फूल चन्द मुलाना]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
त0 करनाल	8	9	—	7	1	4			
त0 असंध	1	1	1	1	—	—			
8. जिला करनाल	9	10	1	8	1	4	11	22	33
त0 थानेसर	6	3	1	9	—	2			
त0 पेहवा	1	1	—	—	—	1			
9. जिला कुरुक्षेत्र	7	4	1	9	—	3	4	16	24
त0 महेन्द्रगढ़	4	2	—	—	—	—			
त0 नारनौल	6	2	—	1	—	—			
10 जिला महेन्द्रगढ़	10	4	—	1	—	—	10	5	15
त0 पानीपत	7	2	1	5	—	5			
त0 समालखा	3	1	—	1	—	—			
11. जिला पानीपत	10	3	1	6	—	5	11	14	25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
त0 रेवाड़ी	6	2	—	5	—	2			
त0 बावल	—	2	—	—	—	—			
त0 कोसली	4	—	—	—	—	—			
12 जिला रेवाड़ी	10	4	—	5	—	2	10	11	21
त0 रोहतक	16	2	3	7	—	5			
त0 सैहम	7	—	—	—	—	—			
त0 बहादुरगढ़	7	2	—	4	—	—			
त0 झज्जर	14	2	—	2	—	1			
13. जिला रोहतक	44	6	3	13	—	6	47	25	72
त0 सिरसा	9	2	—	2	—	2			
त0 डबवाली	6	1	—	1	1	—			
त0 ऐलनाबाद	3	—	—	—	—	—			
त0 रानियां	3	—	—	—	—	—	—	—	—
14. जिला सिरसा	21	3	—	3	1	2	22	8	30

[श्री फूल चन्द मुलाना]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
त0 गन्नौर	8	1	1	2	—	1			
त0 गोहाना	9	1	1	2	—	—			
त0 सोनीपत	12	3	2	16	1	2			
15. जिला सोनीपत	8	5	4	20	1	3	34	28	62
त0 छछरौली	2	1	—	—	—	—			
त0 जगाधरी	7	3	2	15	—	1			
16. जिला यमुनानगर	9	4	2	15	—	1	11	20	31
कुल योग हरियाणा	288	103	21	147	8	61	317	311	628

	ग्रामीण	शहरी	कुल
राजकीय विद्यालय	288	103	391
प्राईवेट विद्यालय	21	147	168
केन्द्रीय मा0 शिक्षा बोर्ड	8	61	69
योग	317	311	628

हरियाणा में ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में 10 जमा दो विद्यालयों की तहसीलवार व जिलावार सूची ।

हरियाणा शिक्षा बोर्ड से सम्बद्ध				केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से सम्बद्ध	
राजकीय		प्राईवेट			
ग्रामीण	शहरी	ग्रामीण	शहरी	ग्रामीण	शहरी
1	2	3	4	5	6
जिला अम्बाला					
1. तहसील अम्बाला					
बलाना–1	अम्बाला छावनी–1	—	अम्बाला छावनी–8	—	अम्बाला छावनी 5
शाहपुर- 1	अम्बाला शहर–1		अम्बाला शहर 7		
जलबेड़ा–1	बलदेव नगर–1				
2. तहसील बराड़ा					
अधोया –1	—	बराड़ा–3	—	—	—
बीहटा–1					
केसरी–1					
बराड़ा–1					
मुलाना–					
साहा–1					
उगाला –1					
गोकलगढ़–1					
धीन –1					

[श्री फूल चन्द मुलाना]

1	2	3	4	5	6
अकरपुर–1					
समलेहेड़ी –1					
सम्भालका–1					
3. तहसील नारायणगढ़					
नारायणगढ़–1	—	शाहजादपुर–1	—	—	—
जटवाड़–1					
कक्कड़ माजरा–1					
बघौली–1					
रायपुर रानी–1					
4. तहसील पंचकूला					
बरवाला–1	पंचकूला–2	—	पंचकूला–2	—	पंचकूला–4
मोरनी–1					
रत्तेवाली–1					
मांधना–1					
रामगढ़–1					
5. तहसील कालका					
नानकपुर–1	कालका–1	पिंजौर–1	कालका–1	पिंजौर चंडी मंदिर–2	—
पिंजौर–1					
करनपुर–1					

1	2	3	4	5	6
रज्जीपुर–1					
मल्लाह–1					
जिला भिवानी					
1. तहसील भिवानी					
बामला–1	भिवानी–2	—	भिवानी–4	—	भिवानी–2
बापौरा–1					
मुंढाल खुर्द–1					
धरेरू–1					
2. तहसील बवानी खेड़ा					
कुंगर–1	बवानीखेड़ा–1	—	—	—	—
सुई–1					
3. तहसील तोशाम					
जुई खुर्द–1	तोशाम–1	—	—	—	—
4. तहसील दादरी					
अटेली कलां–1	चरखी दादरी–2	—	दादरी–2	—	दादरी–1
अचीना–1					
बौंद कलां–1					
बाढड़ा–1					
चिरायां–1					
झमलौटा–1					

1	2	3	4	5	6
झोजू कलां–1					
कादमा–1					
मकराना–1					
मिसरी–1					
रानीला–1					
पैंतावास कलां–1					
5. तहसील लोहारू					
बहल–1	लोहारू–2	—	—	—	—
चहड़ कलां–1					
जिला फरीदाबाद					
1. तहसील बल्लभगढ़					
फतेहपुर बिलौच–1	बल्लभगढ़–2	—	बल्लबगढ़–2	—	बल्लभगढ़–1
कौराली–1					
पन्हैड़ा खुर्द –1					
2. तहसील फरीदाबाद					
जसराना –1	फरीदाबाद –6	—	फरीदाबाद –12	—	फरीदाबाद –12
तिगांवों –1					
3. तहसील पलवल					
अलावलपुर –1	हसनपुर –1 होडल –1	—	होडल –1 पलवल –1	—	—

1	2	3	4	5	6
औरंगाबाद 1	पलवल –2				
बरौली –1					
चांदट –1					
पिरथला –1					
तहसील हथीन :					
बहीन –1	हथीन –2	—	—	—	—
मालई –1					
मंडकोला –1					
जिला गुड़गांव					
1. तहसील गुड़गांव					
भोंडसी –1	गुड़गांव –3	—	गुड़गांव –8	—	गुड़गांव –5
कासन 1	सोहना –2				
धनकोट –1					
2. तहसील पटौदी :					
गढ़ी हरसरु –1	फर्रुखनगर –1 हेलीमंडी –1 शेरपुर –1	—	पटौदी –1	—	—
3. तहसील नूंह					
हसनपुर तावड़ू					
तावड़ू –1	—	तावड़ू	—		—

1	2	3	4	5	6
4. तहसील फिरोजपुर झिरका					
पिनंगवा –1	फिरोजपुर झिरका –1 पुन्हाना –2	—	—	—	—
जिला हिसार					
1. तहसील हिसार					
आर्यनगर –2	हिसार –2	उकलाना मंडी–1	हिसार –7	—	हिसार –4
बरवाला –1					
बेहबलपुर –1					
जाखौद खेड़ा –1					
मंगाली –2					
सातरोड खुर्द –1					
सातरोड खास –1					
उकलाना मन्डी –1					
कालता –1					
धीरनवास –1					
2. तहसील सिवानी					
सिवानी –1					
सिवानी मंडी–1		—	—	—	—

1	2	3	4	5	6
3. तहसील आदमपुर					
बालसमंद—2	—	—	—		—
चिम्बिड़—1					
सदलपुर—1					
सिसवाल—1					
आदमपुर—1					
कुलेरी—1					
मोड़ाखेड़ा—1					
किरसान—1					
लांदड़ी—1					
डामी—1					
4. तहसील फतेहाबाद					
भट्टू कलां—1	फतेहाबाद—1	—	फतेहाबाद—2	पाबड़ा—1	—
भूना—2					
धांगड़—1					
मुहम्मदपुर—1					
रोडी					
नेहला—1					
मुहम्मदपुर—1					
बडोपल—1					

[श्री फूल चन्द मुलाना]

1	2	3	4	5	6
5. तहसील रतिया					
—	रतिया—2	—	—	—	—
6. तहसील टोहाना					
मैमैन—1	टोहाना—1 जाखल—1	—	टोहाना—1	—	—
7. तहसील हांसी	हांसी—2	—	—	—	—
भाटेला—1					
चौधरीवास—1					
धिराए—1					
मोरखी—1					
सिसर—1					
8. तहसील नारनौल					
सिर्चपुर—1	नारनौल—1	—	—	—	—
राखी शाहपुर—1					
खरक पूनीयां—1					
जिला जींद					
1. तहसील जींद					
अलेवा—1					
शामलो कलां—1	जींद—2 जुलाना—1	—	जींद—2	—	जींद—1
सिंधवी खेड़ा—1					

1	2	3	4	5	6
2. तहसील सफीदों					
भुसलाना—1	सफीदों--2	गेंदा खेड़ा--1	--	खुर्शी कोठी--1	—
गत हेड़ी पोपड़ा—1					
हाट—1					
कालवा--1					
3. तहसील नरवाना					
अमरगढ़--1	नरवाना--1				
दनोदा--1	उचानामंडी—1	खरल--1	नरवाना—2	--	--
कालवन--1					
कटसिंह--1					
उचाना—1					
जिला कैथल					
बाल--1	कैथल—2	—	कैथल—4	—	—
चौशाला--1					
गुल्याना--1					
जाजौली—1					
कलायत--1					

[श्री फूल चन्द मुलाना]

1	2	3	4	5	6
फाई—1					
पुन्डरी—1					
राजौंद—1					
ढाकल—1					
हाबरी—1					
करोड़ा—1					
2. तहसील गुल्हा					
कंगथली—1					
क्योडक—1		—	—	—	—
पाडला—1					
सिवन—1					
जिला करनाल					
1. तहसील करनाल					
अराइपुरा—1	करनाल—3				
काछवा—1	घरौंडा—2				
कतलेहड़ी—1	इन्द्री—2	—	करनाल—6		
खेड़ी मान सिंह—1	नीलोखेड़ी—1		नीलोखेड़ी—1]	कुंजपुरा—1	करनाल—4
कुंजपुरा—1	तरावड़ी—1				
निसिंग—1					
सांभली—1					
गोंदर—1					

1	2	3	4	5	6
2. तहसील असन्ध					
सालवान—1	असन्ध—1	शाहपुरा—1	असन्ध—1	—	—
जिला कुरुक्षेत्र					
1. तहसील थानेसर					
इसमायलाबाद—1	कुरुक्षेत्र—1	भेरीया—1	कुरुक्षेत्र—6	—	कुरुक्षेत्र—2
कलसाना—1}	शाहबाद—1		शाहबाद—1		
किरमच—1	थानेसर—1		थानेसर—1		
गधाना—1			लाडवा—1		
झांसा—1					
नलवी—1					
2. तहसील पेहवा					
थाना—1	पेहवा—1	—	—	—	पेहवा—1
जिला महेन्द्रगढ़					
1. तहसील महेन्द्रगढ़					
खेड़ी तलवाना—1	कनीना—1	—	—	—	—
पोटा—1}	महेन्द्रगढ़—1				
सतनाली—1					
तंगल सिरोही—1					

[श्री फूल चन्द मुलाना]

1	2	3	4	5	6
2. तहसील नारनौल					
मन्डी—1	अटेली—1				
नंगल दुर्ग—1	नारनौल—1	—	नारनौल—1	—	—
नंगल चौधरी—1					
सिहमा—1					
कृष्ण नगर—1					
जिला पानीपत					
1. तहसील पानीपत					
अडथाना—1	पानीपत—2	मोरमाजरा—1	पानीपत—5	—	पानीपत—5
आहर—1					
मन्डी—1					
सिवाह—1					
बल्लाह—1					
उगराहेड़ी—1					
2. तहसील समालखा					
बापोली—1	समालखा—1	—	समालखा—1	—	—
महावली—1					
मनौली खुर्द—1					

1	2	3	4	5	6
जिला रेवाड़ी					
1. तहसील रेवाड़ी	रेवाड़ी—2	—	रेवाड़ी—5	—	रेवाड़ी—2
धारूहेड़ा—1					
गुरावड़ा—1					
जाटूसाना—1					
करवाड़ा मानकपुर—1					
मसानी—1					
माजरा प्योराज—1					
2. तहसील बावल					
—	बावल—2	—	—	—	—
3. तहसील कौसली					
कौसली—1					
कुण्ड—1					
महोला—1					
झोरी—1					

[श्री फूल चन्द मुलाना]

1	2	3	4	5	6
जिला रोहतक					
1. तहसील रोहतक					
कलानौर—1	रोहतक—2	सांपला—1	रोहतक—7	—	रोहतक—5
रिंढाल—1		सिंघपुरा—1			
खरक कलां—1		हसनगढ़—1			
छिदवाली—1					
किलोई—1					
लाखन माजरा—1					
पाकसमा—2					
रोहतक—2					
सांघी—1					
संडाना—1					
भालोट—1					
बहु अकबरपुर—1					
इसमायला—1					
खरावड़—1					
2. तहसील महम					
बेहलबा—1					
फरमाना—1					

1	2	3	4	5	6
खरकड़ा—1					
मदीना—1					
महम—1					
निडाना—1					
मोखरा—1					
3. तहसील बहादुरगढ़					
बादली—1	बहादुरगढ़—2	—	बहादुरगढ़—4	—	
लापड़ीवा—1					
छारा—1					
नया माजरा—2					
मगहोथी—1					
जसौर खेड़ी—1					
4. तहसील झज्जर					
बिरधाना—1	बेरी—1	—	झज्जर—2	—	झज्जर—1
बादलपुर—1	झज्जर—1				
ढाकला—1					
डीघल—1					

[श्री फूल चन्द मुलाना]

1	2	3	4	5	6
जहाजगढ़—1					
झाड़ली—1					
मातन हेल—1					
महराना—1					
लडैन—1					
सिलानी—1					
साल्हावास—1					
सबाना—1					
पैल्वा—1					
दादरी तोय—1					
जिला सिरसा					
1. तहसील सिरसा					
भारोखां—1	सिरसा—2	—	सिरसा—2	—	सिरसा—2
बड़ी—1					
जमाल—1					
मोडी सिधाना—1					
मंगाला—1					
साहूवाला-II—1					
झिरा—1					
नेजाडेला खुर्द—1					
रोडी—1					

Haryana Vidhan Sabha Secretariat Chandigarh LIBRARY

1	2	3	4	5	6
2. तहसील डबवाली					
चौटाला—2	डबवाली—1	—	डबवाली—1	ओढां—1	—
गंगा—1					
कलांवाली—1					
पानीवाला मोटा—1					
रिसालीया खेड़ा—1					
3. तहसील ऐलनाबाद					
ऐलनाबाद—2	—	—	—	—	—
कारीवाला—1					
4. तहसील रानीयां					
केहरवाला—1	—	—	—	—	—
रानीयां—1					
खारीयां—1					
जिला सोनीपत					
1. तहसील गन्नौर					
आसोली—1	गन्नौर—1	बुटाना—1	गन्नौर—2	—	गन्नौर—1
मुरथल—2					
पिपली खेड़ा—1					

1	2	3	4	5	6
पुरखास—1					
खेड़ी गुज्जर—1					
खुबडू—1					
मुगलाना—1					
2. तहसील गोहाना					
बड़ौदा—1	गोहाना—1	खानपुरकलां—1	गोहाना—2	—	—
भन्सवाल कलां—2					
बिछल पिनाना—1					
भिदाना—1					
जौली—1					
कथुरा—1					
राबुंडा—1					
नूरी खेड़ा—1					
3. तहसील सोनीपत					
बिधलान—1	सोनीपत—2	रोहत—1	सोनीपत—16	राई—1	सोनीपत—2
मटिन्ड—1	खरखोदा—1	मोहाना—1			
नाहरा—1					
सैदपुर—1					
शहजादपुर—1					

1	2	3	4	5	6
सिलाना—1					
मंडोरा—1					
जम्मान—1					
फरमाना—1					
सिसाना—1					
रोहला—1					
बटेरना—1					
जिला यमुनानगर					
1. तहसील छछरौली					
खिदराबाद—1	छछरौली—1	—	—	—	—
ललहाडी कलां—1					
2. तहसील जगाधरी					
बिलासपुर—1	जगाधरी—1	मुस्तफाबाद—2	जगाधरी—6	—	यमुनानगर
दामला—1	यमुनानगर—2		यमुनानगर—8	—	
नगल—1			सढौरा—1		
रादौर—1			रादौर—1		
बुढिया—1					
मुस्तफाबाद—1					
मरबल—1					

अतारांकित प्रश्न एवं उत्तर

Local Bus Service

245. **Shri Karan Singh Dalal** : Will the Minister of State for Transport be pleased to state—

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to start Local Bus Service in Palwal City ; and

(b) if so, the time by which the aforesaid service is likely to be started ?

परिवहन राज्य मन्त्री (श्री बलबीर पाल शाह) :

(क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता ।

Expenditure incurred on Suraj Kund Mela.

246. **Shri Karan Singh Dalal** : Will the Minister of State for Tourism be pleased to state the total expenditure incurred to organize the Suraj Kund Crafts Mela in district Faridabad during the year 1995, togetherwith the income accrued therefrom ?

पर्यटन राज्य मन्त्री (श्री लीला कृष्ण) : सूरजकुण्ड शिल्प मेले—1995 के आयोजन पर हुए खर्चे तथा इससे हुई आमदनी का अन्तिम लेखा-जोखा अभी तैयार किया जाना है। फिर भी, अस्थाई आधार पर, यह निम्न प्रकार से है :—

(क) खर्चा : 42.80 लाख रुपये

(ख) आमदनी : 46.40 लाख रुपये (इसमें भारत सरकार से 26.50 लाख रुपये की सहायता भी सम्मिलित है)

Opening of a Women Degree College

247. **Shri Karan Singh Dalal** : Will the Minister for Education be pleased to state—

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to open a degree college for women at Hodal in district Faridabad ; and

(b) if so, the time by which the aforesaid college is likely to be opened ?

शिक्षा मन्त्री (श्री फूलचन्द मुलाना) :

(क) जी नहीं।

(ख) होडल में महिला डिग्री महाविद्यालय खोलने बारे ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

हरियाणा राज्य में ओलावृष्टि के कारण फसलों को हुए नुकसान सम्बन्धी

Mr. Speaker : Hon'ble Members, I have received a Calling Attention Notice No. 10 given notice of by Shri Om Parkash and 12 other M.L.As., regarding damage of crops due to hailstrom in Haryana State and Calling attention motion No. 12 given notice of by Smt. Chadrawati regarding damage of crops due to hailstrom in District Bhiwani(bracketed with Calling attention notice No. 10). Now Sh. Om Parkash and Smt. Chandrawati may read their notices.

श्रीमती चन्द्रावती : स्पीकर साहब, सबसे पहले काल अटैंशन मोशन मैंने दिया था इसलिए आप मुझे पहले पढ़ने दें।

श्री अध्यक्ष : जी नहीं, पहले चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने दिया था, उसके बाद आपने दिया था।

प्रो० छत्तर सिंह चौहान : स्पीकर साहब, हमारा भी कई मैम्बर्ज का इसी बारे में काल अटैंशन मोशन दिया हुआ है। आपने हमारा नाम ही नहीं लिया ?

श्री अध्यक्ष : जिन जिन माननीय सदस्यों का इस बारे में काल अटैंशन नोटिस दिया हुआ है, उन सब को सप्लीमैंटरी पूछने देंगे। अब श्री ओम प्रकाश चौटाला तथा श्रीमती चन्द्रावती अपना-अपना नोटिस पढ़ें।

***सर्वश्री ओम प्रकाश चौटाला** : सम्पत सिंह, धीरपाल सिंह, अमर सिंह ढांडे, बलवन्त सिंह, सूरजभान काजल, जिले सिंह, अभयपाल सिंह, कृष्ण लाल रमेश कुमार, राम कुमार कटवाल, भरत सिंह तथा अरविन्द सिंह : मैं इस महान सदन का ध्यान एक अत्यावश्यक लोक महत्व के विषय की ओर दिलाना चाहता हूं कि हरियाणा प्रदेश में पिछले दिनों सैंकड़ों गांवों में किसानों की खड़ी फसलें ओला-वृष्टि से नष्ट हो गई हैं। इस बार पर्याप्त वर्षा होने से फसलें बहुत

---

* Read by Ch. Om Parkash Chautala.

[चौधरी ओम प्रकाश चौटाला]

अच्छी है। किसानों ने अपनी फसलों पर काफी खर्च किया था। परन्तु कुछ गांवों में प्रकृति प्रकोप से हजारों एकड़ भूमि में खड़ी किसानों की फसलें बिल्कुल नष्ट हो गई हैं विशेषकर जिला करनाल, हिसार, सोनीपत तथा भिवानी में। जिला करनाल के गांव दुपेड़ी, फफड़ाना, सालवन, कबूलपुर खेड़ा, ठरी, कुरलन, कमालपुर, झबाला, फैजपुर खेड़ा, हिसार जिले के गांव शामसुख संडोल तथा खरकड़ा आदि, सोनीपत जिले के गांव गढ सहजादपुर, देवली, शाहपुर, तुर्क, राठधाना, फाजिलपुर तथा रायपुर आदि तथा भिवानी जिले के गांव दांग, बीरन, बापोड़ा, बलियाली, सीमली, मोदकारी, बरसाना, लेगा, अटेला, केरु, शामकलां, बुडाना, बिलावल, चहड़, काकड़ोली-हुठी, कापड़ोली-सरदारा-हुकमी, जगराम-बास, हड़ौदा, हड़ौदी आदि 80 गांवों की फसलें ओलों से काफी प्रभावित हुई हैं।

परन्तु सरकार ने अभी तक न तो फसलों के नुकसान का मूल्यांकन करने के लिए कोई विशेष गिरदावरी करवाई है और न ही प्रभावित किसानों को मुआवजा आदि देने बारे कोई कदम उठाए हैं। कोई भी सरकारी अधिकारी गरीब किसानों के आंसू तक पोंछने नहीं आया है। उक्त ओलों से किसानों की फसलें पूरी तरह नष्ट हो गई हैं। किसानों ने कर्जा आदि लेकर काफी पैसा फसलों पर लगाया हुआ था। किसानों व जनता में इस बात को लेकर बहुत रोष है। अतः मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि वह इस संबंध में एक वक्तव्य देकर अपनी स्थिति स्पष्ट करे।

श्री अध्यक्ष : अब श्रीमती चन्द्रावती अपना नोटिस पढ़ें।

श्रीमती चन्द्रावती : अध्यक्ष महोदय, मैं इस महान सदन का ध्यान एक अत्यावश्यक लोक महत्व के विषय की ओर दिलाना चाहती हूं कि भिवानी जिले तथा राज्य के अन्य भागों में 13-14 फरवरी और शायद 27-28 फरवरी, 1995 को ओलों से फसलों को भारी नुकसान हुआ है। सरकार को सभी जगह प्रभावित किसानों को और अधिक आर्थिक सहायता देनी चाहिए क्योंकि 400 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा बहुत कम है। लोहारु निर्वाचन क्षेत्र के गांव सिरसी, चहड़-खुर्द, चहड़ कलां, बीठण, लडास, बिधनोई, बढेड़ा तथा सोरड़ा, जहीद, कदीम तथा ढिगावा-जाटान इत्यादि के कुछ भाग, बाढड़ा निर्वाचन क्षेत्र के गांव कारीतोखा कापड़ी, काकड़ौली हुकम, सरदारा डान्डमा, सिरसली भोपाली, लाडास, शामकलाण तथा गुडाणा, तोशाम निर्वाचन क्षेत्र के गांव सीमली, लेगा, जीतवा बास इत्यादि तथा दादरी निर्वाचन क्षेत्र के गांव दादरी, रावलधी, कमोद तथा खातीवास आदि में ओले पड़े हैं। उक्त गांवों में सरसों, गेहूं तथा चने की फसल को हुए नुकसान का मूल्यांकन करने के लिए ठीक से गिरदावरी करवाई जाए। जिसे खेतीबाड़ी का ज्ञान न हो वह फसलों को हुए नुकसान का मूल्यांकन नहीं कर सकता। ओला लगने से फसलों की फली, टाट

और आस सफेद पड़ गई है। अत: जिसे खेतीबाड़ी का ज्ञान नहीं है वह 25 प्रतिशत नुकसान बताता है। वास्तव में अधिकतर जगहों पर 100 प्रतिशत नुकसान हुआ है। पूरी तरह बढ़े हुए चनों को भी नुकसान हुआ है। अत: सरकार ने किसानों को तुरन्त उचित मुआवजा देना चाहिए।

अत: मैं सरकार से निवेदन करती हूं कि वह सदन में इस संबंध में एक वक्तव्य देकर अपनी स्थिति स्पष्ट करे।

(इस समय श्री राम बिलास शर्मा तथा श्री छत्तर सिंह चौहान बोलने के लिए खड़े हो गये)

श्री अध्यक्ष : आप बैठिए, 5 तारीख को ओम प्रकाश चौटाला की तरफ से, 6 तारीख को चन्द्रावती जी की तरफ से, 7 तारीख को छत्तर सिंह और राम बिलास जी की तरफ से यह ध्यानाकर्षण प्रस्ताव आया था।

चौधरी बंसी लाल : स्पीकर साहब, आप यह तो एडमिट करते हैं कि छत्तर सिंह जी की तरफ से भी नोटिस दिया गया है और आप इनको बोलने के लिए भी कह रहे हैं, लेकिन मैं यह पूछना चाहता हूं कि इसमें हमारा नाम क्यों नहीं है? हमारा नाम न आने में किसका कसूर रहा है?

प्रो0 राम बिलास शर्मा : अध्यक्ष महोदय, आपने बताया है कि 5 तारीख को चौटाला जी की तरफ से, 6 तारीख को बहन चन्द्रावती जी की तरफ से और 7 तारीख को छत्तर सिंह और मेरी तरफ से ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया गया है। आपने चौटाला साहब का और चन्द्रावती जी का तो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में नाम दे दिया लेकिन हमारा नाम नहीं आया। इसका एक प्रोसीजर है। ये बड़ी पार्टी के मैम्बर हैं, क्या इसीलिए इनका नाम आ गया? हमारी छोटी पार्टी है और मैं अकेला विधायक हूं क्या इसलिये मेरा नाम नहीं आया? चन्द्रावती जी कांग्रेस में चली गईं, इसलिए इनका भी सर्कुलेट हो गया। हमारा भी बराबर का प्रिविलेज है, इसलिए हमारा भी नोटिस सर्कुलेट होना चाहिए क्योंकि किसानों की फसल की बर्बादी से यह मामला जुड़ा हुआ है।

श्री अध्यक्ष : छत्तर सिंह जी, आप अब अपना मोशन पढ़ दें।

प्रो0 छत्तर सिंह चौहान : स्पीकर साहब, मेरा आपसे अनुरोध है कि पहले हमारा नोटिस सर्कुलेट कराइए। उसके बाद मैं इसको पढ़ूंगा। (विघ्न) पहले भी ऐसा होता रहा है।

श्री अध्यक्ष : कायदा यही है कि दूसरे संबंधित सदस्यों को सप्लीमैंटरी पूछने की इजाजत दी जाती है। (विघ्न)

चौधरी बंसी लाल : अध्यक्ष महोदय, मेरा कहना यह है कि हाउस का एक प्रोसिजर है, even the Chairman is also controlled by the Rules of Procedure and list of business circulated in the House.

तो यह नोटिस सर्कुलेट क्यों नहीं हुआ ? आपने उन पार्टियों के मैम्बरों के नाम लिए, जो बड़ी पार्टीज के मैम्बर हैं । हम तो छोटी पार्टी के मैम्बर हैं, हम कहां जाएं ? हमारा यह काल अटैन्शन मोशन सर्कुलेट क्यों नहीं हुआ ? यह डिस्क्रिमिनेशन आपके मातहत हमारे साथ क्यों हो रहा है ? (विघ्न) यह ठीक है कि हमने नोटिस बाद में दिया था, यानी 7 तारीख को दिया था और आज 10 तारीख हो गई है, लेकिन हमारे नाम इसमें शामिल नहीं किये गये हैं । हम इस तरह से काम नहीं चलने देंगे । पहले आप हमारे नाम सर्कुलेट करें, तब हम अपना कालिंग अटैंशन नोटिस पढ़ेंगे । (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : मैं इस बारे में अपनी रूलिंग कल दूंगा । (विघ्न)

प्रो० छतर सिंह चौहान : अध्यक्ष महोदय, मैं यह अर्ज करूंगा कि पहले आप इसको सर्कुलेट करवाईये क्योंकि हमारे नाम भी इसमें आने चाहिएं । अगर ऐसा होना पोसिबल नहीं है, तो आप इस मामले को पोस्टपोन कर दें । हमने इस बारे में कालिंग अटैंशन नोटिस दिये हैं और हमारे नाम भी इन्क्ल्यूड होने चाहिएं । (विघ्न)

चौधरी ओम प्रकाश बेरी : अध्यक्ष महोदय, यह वाकई ही बहुत सीरियस बात है । बिजली के बारे में एक कालिंग अटैंशन मोशन दिया गया था, वह भी सर्कुलेट नहीं किया गया था । अध्यक्ष महोदय, आप इस बारे में अपने सैक्रेटेरियेट से पता करवाइये कि वह क्यों सर्कुलेट नहीं हुआ ? (विघ्न) जो रूल्ज बने हुए हैं, एक सैट प्रोसीजर है, उनके मुताबिक ही कार्यवाही होनी चाहिए । इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए कि सर्कुलेट ही न हो । (विघ्न)

प्रो० राम बिलास शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मेरी सबमिशन यह है कि नोटिसिज सर्कुलेट किये जाने चाहियें ।

सिंचाई मन्त्री (चौधरी जगदीश नेहरा) : अध्यक्ष महोदय, मेरी सबमिशन यह है कि आप अगर इस बारे में अपनी रूलिंग कल देंगे, तो क्या इसको आज डिस्कस किया जाएगा ? अध्यक्ष महोदय, कालिंग अटैंशन मोशन का मामला है और यह जरूरी नहीं है कि कालिंग अटैंशन मोशन में सारे मैम्बर्ज के नाम आएं । एक या दो मैम्बर्ज के नाम आ सकते हैं, इस बारे में शकधर ने भी लिखा है । यह जरूरी नहीं है कि अगर 15 पार्टियों ने नोटिस दिया है तो उन सब के नाम आएं । सारी पार्टियों के नाम दिया जाना जरूरी नहीं है । कालिंग अटैंशन का मतलब तो यह है कि उस पर सरकार का ध्यान दिलाया जाए और पूछा जाए कि सरकार की तरफ

से इसमें क्या रिलीफ मिलेगा या सरकार क्या कार्यवाही कर रही है या किसको क्या रिलीफ दिया जाएगा ? कालिंग अटेंशन मोशन को स्वीकार कर लिया गया है और सदन में मुख्य मंत्री जी जवाब देंगे । जो सप्लीमैंटरी ये पूछेंगे, इनको जवाब मिल जाएगा । इसमें नाम सर्कुलेट करने के लिए इनसिस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है । (विघ्न)

प्रो0 राम विलास शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी रूलिंग आने से पहले एक सबमिशन करना चाहूंगा । नेहरा साहब तो लाजवाब हैं । स्पीकर सर, एक ही सब्जैक्ट पर कई मैम्बर्ज ने कालिंग अटेंशन मोशन दी है । मैं उदाहरण देना चाहूंगा । राजस्थान की असैंबली में रात के 10 बजे तक कालिंग अटेंशन मोशन में 20-20 लोगों के नाम आते हैं । वहां पर हरीशंकर भाभड़ा स्पीकर थे । मैंने राजस्थान असैम्बली की सारी कार्यवाही अपनी आंखों से देखी है और कानों से सुनी है । अखबारों में भी पढ़ा है । कई बार 30-30 मैम्बर्ज कालिंग अटैंशन मोशन द्वारा अपनी चिन्ता जाहिर करते हैं और सारी स्थिति स्पष्ट होती है । अध्यक्ष महोदय, ओलावृष्टि हुई है, किसानों का नुकसान हुआ है । चिन्ता का विषय है, पता नहीं नेहरा साहब क्यों इसको अपनी प्रैस्टिज का ईशू बना रहे हैं ? स्पीकर साहब, इस बारे में आपकी अपनी डिस्क्रिशनरी पावर्ज हैं, आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं । इनको गलत सुजैशन नहीं देना चाहिए । जितने मैम्बर्ज ने कालिंग अटैंशन मोशन दिया है, आपने उन सभी के नाम क्लेकेटिड किए हैं । आप उनको अपना नोटिस पढ़ने का मौका देंगे । इनको असैम्बली में सर्कुलेट करना चाहिए । हाउस का जो रूल्ज आफ प्रोसीजर है, वह एडाप्ट किया जाना चाहिए ।

चौधरी जगदीश नेहरा : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है । अध्यक्ष महोदय, असैम्बली रूल्ज एंड प्रोसीजर के अनुसार चलती है । ये जैसा कह दें, वैसे नहीं होता है । मैं इस बारे में रूल 73 पढ़ देता हूं—

"73.(1) A member may, with the previous permission of the Speaker, call the attention of a Minister to any matter of urgent Public importance and the Minister may make a brief statement or ask for time to make a statement at a later hour or date.

(2) There shall be no debate on such statement at the time it is made.

(3) Not more than one such matter shall be raised at the same sitting.

(4) In the event of more then one matter being presented for the same day, priority shall be given to the matter which in the opinion of the Speaker, is more urgent and important.

(5) The proposed matter shall be raised after the questions and before the list of business is entered upon and at no other time during the sitting of the House."

[चौधरी जगदीश नेहरा]
इसलिए स्पीकर साहब, इस रूल के तहत ही कार्यवाही चलनी चाहिए, जैसे ये चाहते हैं, वैसे नहीं होता।

डा० राम प्रकाश : अध्यक्ष महोदय, एक मैम्बर की कालिंग अटैन्शन मोशन तो सर्कुलेट हो जाए और दूसरे की नहीं। जब कालिंग अटैन्शन मोशन एडमिट हो गई है तो सबके नाम सर्कुलेट क्यों नहीं किए गए ? अध्यक्ष महोदय, जब मैंने यूरिया के बारे में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया था, तब भी यही बात थी। मुझे खुशी है कि सदन का ध्यान आज इस तरफ आकर्षित किया गया है।

चौधरी जगदीश नेहरा : अध्यक्ष महोदय, जो रूल बनता है वह पोजिटिव बनता है, नैगेटिव नहीं। अध्यक्ष महोदय, आप जैसा फैसला करेंगे, हम वैसे ही कर लेंगे। आप इन्हें कहें कि सप्लीमेंटरी कर लें और मुख्यमंत्री जी जवाब दे देंगे। इसमें नाम की कोई बात नहीं है। सदन का समय ऐसे ही वेस्ट नहीं करना चाहिए।

चौधरी बंसी लाल : अध्यक्ष महोदय, हम यह बात मान लेंगे, अगर आप सबका नाम सर्कुलेट करवा दें। इसे चौटाला जी पढ़ देंगे। कम से कम वह सर्कुलेट तो होनी चाहिए। It must be circulated before the House. It has not been circulated as if we have not given the notice of the calling attention motion.

बिजली मन्त्री (श्री वीरेन्द्र सिंह) : अध्यक्ष महोदय, आप इन्हें इस बारे में आश्वासन दे दें कि सर्कुलेट हो जाएगी और सदन का बिजनैस चलने दें। (शोर एवं व्यवधान) This assurance can be given which is the one way out.

Ch. Bansi Lal : But it must be circulated before the House.

Mr. Speaker : Ram Bilas ji are you ready to read out your notice ?

प्रो० राम बिलास शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं तैयार हूं। आप सर्कुलेट करवा दें।

Mr. Speaker : It will be deemed to have been circulated. ठीक है, अब आप पढ़ें। (शोर एवं व्यवधान)

प्रो० छत्तर सिंह चौहान : अध्यक्ष महोदय, आप हमें सर्कुलेटिड मोशन की कापी दे दें तो हम पढ़ देंगे। (शोर एवं व्यवधान)

चौधरी जगदीश नेहरा : अध्यक्ष महोदय, यह मोशन के बारे में सीरियस नहीं है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : राम बिलास जी, अब आप इस बारे में जुबानी ही बोल दें ।

प्रो० राम बिलास शर्मा : स्पीकर साहब, मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप मंत्री महोदय को रिस्ट्रेन करें, वे हम पर हर बार छींटाकशी क्यों करते हैं और शकोशुबाह से क्यों देखते हैं ? ऐसी बात नहीं होनी चाहिए ।

मुख्य मंत्री (चौ० भजन लाल) : अध्यक्ष महोदय, मैं एक सुझाव देना चाहता हूं । माननीय सदस्य इस बात के लिए बहुत एजिटेटिड हैं । आप इस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव को मंगलवार तक पैंडिंग कर लीजिए, तब तक आप अपना पूरा काम कर लीजिए । हमें इस पर कोई ऐतराज नहीं है ।

चौधरी बंसी लाल : अध्यक्ष महोदय, हमें भी यह बात मंजूर है लेकिन मेरी आपसे एक रिक्वैस्ट है कि बेचारे नेहरा साहब को पार्लियामैंट्री अफेयर्ज का कोई काम तो आता है नहीं, लेकिन चौधरी बीरेन्द्र सिंह भले आदमी हैं । अगर इस काम के लिए उनको बिठा लें तो ज्यादा अच्छा होगा ।

Mr. Speaker: This matter is postponed for Tuesday.

चौधरी ओम प्रकाश चौटाला : स्पीकर सर, यह कालिंग अटैंशन मोशन पढ़ी जा चुकी है इसलिए मैं यह चाहूंगा कि इसका जवाब दे दिया जाए । (विघ्न)

Mr. Speaker : Now, the matter is before the House and I have postponed it for Tuesday.

चौधरी ओम प्रकाश चौटाला : स्पीकर सर, मेरी मोशन हाउस में पढ़ी जा चुकी है इसलिए इसका जवाब दिया जाना चाहिए । इनका मोशन तो अलग है । सर, मेरा यह व्यवस्था का प्रश्न है, इस पर मैं आपकी रूलिंग चाहूंगा कि अगर कोई मोशन हाउस में पढ़ी जा चुकी हो, तो क्या सरकार को इसके लिए दो-या-तीन दिन का समय दिया जा सकता है ? सर, यह तो व्यवस्था का प्रश्न है इसलिए मैं इस पर आपकी रूलिंग चाहूंगा ।

Mr. Speaker : Now Prof. Chhattar Singh Chauhan may read his Calling attention notice No. 17.

Prof. Chhattar Singh Chauhan : Sir, I beg to draw the attention of this August House towards a matter of great public interest and importance that the hailing in the last month and in this month, has caused an immense loss the standing crops of the poor farmers throughout the State.

The hailstroms caused a heavy loss in the District of Bhiwani, particularly Laghan, Jitwan Bas, Simli, Kairu, Obra Chahar Kalan, Chahar Kurd, Mithan, Sirsi Bardu Paju, Badru Mughal, Rawaldhi, Kamod, Jinjhar, Baund Khurd, Ranila, Khatiwas etc. Villages are the worst affected villages.

[Prof. Chhattar Singh Chauhan]

Hence I request the Government to lay on the table of the House, the list of the affected villages of the State and make a statement. I also request the Government that special Girdawari be ordered, adequate compensation be paid to the farmers and recovery of all types of loan be suspended for a year with the exemption of interest for the effected period and Agriculature Insurance Scheme be implemented to give a standing relief to the farmers and the rate of compensation be enhanced keeping in view the raised cost of inputs and out puts.

श्री कर्ण सिंह दलाल : स्पीकर सर, मैंने भी आपकी सेवा में अपना एक मोशन दिया है जो कि फरीदाबाद में हुई ओलावृष्टि के बारे में है। अगर आप कहें तो मैं भी अपने मोशन की दो लाईनें इसी के साथ पढ़ देता हूं।

श्री अध्यक्ष : आप भी बठिए। आपके मोशन का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। He has read this notice on your behalf also. अब राम बिलास जी अपना कालिंग अटैंशन नोटिस नं० 20 पढ़ दें।

प्रो० राम बिलास शर्मा : स्पीकर सर, भैंस तो वही ले जाता है जिसके पास लाठी होती है। आखिर चली तो चौटाला साहब की ही है।

श्री अध्यक्ष : इनके कहने के मुताबिक इन्हें मोशन की कापी दे दो।

प्रो० राम बिलास शर्मा : थैंक यू स्पीकर सर, कितना रोने के बाद चूची मिली है। आप भी यह जानते हैं। सर, अब मैं अपने मोशन की दो लाइनें पढ़ देता हूं—

> "स्पीकर सर, मैं एतद्द्वारा इस महान सदन का ध्यान एक लोक हित के अत्यावश्यक मुद्दे पर दिलाना चाहता हूं। पिछले 15 दिनों में हरियाणा के कई स्थानों पर ओलावृष्टि से किसानों की फसलें पूरी तरह से समाप्त हो गयी हैं इससे किसान बहुत चिन्तित हैं। सरकार इस सम्बन्ध में गिरदावरी करवाए। सर, कई बार किसान की फसल हरी देखकर के और खड़ी देखकर के सरकार यह समझती है कि यह खराबा 20 परसैन्ट है 25 परसैन्ट है। परन्तु ओला जिस टाट पर गिर जाता है, वह साफ हो जाती है जिस पौधे पर ओला गिर जाता है, उस पर फल फूल नहीं लगते। इसलिए उन सब किसानों को इसमें शामिल करके उनको तुरन्त मुआवजा दिलवाया जाए। सादर।"

श्री कर्ण सिंह दलाल : स्पीकर सर, मेरी भी एक काल अटैंशन मोशन है।

श्री अध्यक्ष: आपने कब दी है ?

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, मैंने आज दी है ।

Mr. Speaker : It cannot be included.

Shri Karan Singh Dalal : Sir.....

श्री अध्यक्ष : यह तो आपने अभी दी है, फिर भी यह इसी सब्जैक्ट पर है तो आप पढ़ लो ।

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, मैं इस महान सदन का ध्यान एक अत्यावश्यक लोक महत्व के विषय की ओर दिलाना चाहता हूं । फरीदाबाद में ओलावृष्टि से बहुत अधिक नुकसान हुआ है अतः सरकार इस बारे में सदन में बयान दे ।

श्री बीरेन्द्र सिंह : स्पीकर सर, मेरा प्वाइंट ऑफ आर्डर है । स्पीकर सर, यह काल अटेंशन मोशन वैसे तो सैशन में तकरीबन रोज ही आती रहती हैं । इस बारे में पार्लियामैंट के प्रोसीजर के बारे में कौल एण्ड शकधर की एक बुक है जिसे अथौरिटी मानते हैं उसके बारे में जो मैं समझ पाया हूं perhaps it may benifit the House. जैसे चार काल अटेंशन मोशन आ गईं । एक पांच तारीख को आ गई, दूसरी छह तारीख को आ गई । आपने चार-पांच मोशन गवर्नमैंट को रिप्लाई के लिए भेज दी । रिप्लाई के लिए भेजने के पश्चात् फर्ज करो दो मोशन और आ गईं । फर्ज करो कि इन मोशंज में 40 गांवों को ओर लिस्ट किया गया है पांच तारीख की मोशन में तो केवल 10 गांवों को लिस्ट किया गया था जब आपके पास जवाब आएगा तो उस जवाब में केवल उन्हीं गांवों के बारे में इनफर्मेशन दी गई होगी जिन्हें आपने पहले ऐडमिट करके गवर्नमैंट को रिप्लाई के लिए भेजा था और जो बाद में मोशंज आई और आपने उनको पहले वाली मोशंज के साथ ब्रेक्टिड कर दिया तो इन मोशंज में जिन गांवों को लिस्ट किया गया था उनकी इनफर्मेशन तो नहीं आएगी, इसलिए प्रोसीजर है कि गवर्नमैंट को रिप्लाई के लिए भेजने से पहले उनको ब्रैकिट किया जाए जो पहले रिसीव हुई हैं, बाद में नहीं ।

चौधरी बंसी लाल : अध्यक्ष महोदय, आप यह पहले ले चुके हैं हमारी मोशन के बारे में भी गवर्नमैंट को भेज दिया गया है ।

चौधरी ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, स्टेट में ओलावृष्टि से बहुत भारी नुकसान हुआ है । किन-किन गांवों में कितना हुआ है, उसके लिए डिमांड की गई है कि स्पेशल गिरदावरी की जाए और उसी आधार पर उनको मुआवजा दिया जाए । इसमें यह सवाल नहीं कि वह गांव रह गया । गांव इसमें थोड़े ब्रैकेट किए जाएंगे ।

वक्तव्य--

11.00 बजे | मुख्य मंत्री द्वारा उपरोक्त ध्यानाकर्षण प्रस्ताव संबंधी

मुख्य मन्त्री (चौधरी भजन लाल) : अध्यक्ष महोदय, यह ठीक है कि फरवरी, 1995 में ओलावृष्टि से हरियाणा राज्य में खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचा है। पहली बार राज्य में दिनांक 13-14 फरवरी, 1995 व फिर दोबारा दिनांक 27-28 फरवरी, 1995 को ओलावृष्टि हुई थी। इस ओलावृष्टि से राज्य के 6 जिलों में 155 गांव प्रभावित हुये।

2. सम्बन्धित उपायुक्तों से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार जिला भिवानी के 64 गांव, जिला महेन्द्रगढ़ के 10 गांव, जिला करनाल के 10 गांव, जिला रोहतक के 11 गांव, जिला हिसार के 56 गांव व जिला सोनीपत के 4 गांव ओलावृष्टि से प्रभावित हुये हैं। इन जिलों में कुल 64,837 एकड़ कृषि भूमि में खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचा है। जिला करनाल को छोड़कर बाकी सब जिलों में विशेष गिरदावरी हो चुकी है। हिसार जिला के 56 गांवों में 17,990 एकड़ भूमि में हुई ओलावृष्टि से नुकसान की प्रतिशतता 20 प्रतिशत से कम रही व जिला रोहतक में हुई ओलावृष्टि से 11 गांव में हानि केवल 5 से 10 प्रतिशत थी। इस ओलावृष्टि से सबसे अधिक प्रभाव जिला भिवानी में हुआ जहां 64 गांव की 39,978 एकड़ भूमि में खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचा। भिवानी जिला में की गई विशेष गिरदावरी के अनुसार 8,125 एकड़ भूमि में फसलों को नुकसान 25 प्रतिशत से कम रहा और बाकी क्षेत्र में नुकसान 26 प्रतिशत से अधिक हुआ। इसी प्रकार जिला महेन्द्रगढ़ के 10 गांवों में 1,670 एकड़ भूमि में फसलों को नुकसान 25 प्रतिशत से कम पाया गया व 1,096 एकड़ भूमि में नुकसान 26 प्रतिशत से अधिक है। जिला करनाल के 10 गांव में ओलावृष्टि से प्रारम्भिक अनुमानों के अनुसार 4,000 एकड़ भूमि में खड़ी फसलों को नुकसान हुआ। वहां विशेष गिरदावरी की जा रही है जिसकी रिपोर्ट अभी प्रतीक्षित है। जिला सोनीपत के चार गांवों में 103 एकड़ भूमि में फसलों को नुकसान हुआ जोकि 18 प्रतिशत से कम है।

3. उपायुक्त करनाल की रिपोर्ट के अनुसार ध्यानाकर्षण सूचना नं० 10 में वर्णित गांव कुरलान व कमलपीर ओलावृष्टि से प्रभावित नहीं हुये हैं और कासेपुर खेड़ा नामक कोई गांव करनाल जिला में नहीं है। इसी प्रकार उपायुक्त सोनीपत के अनुसार ध्यानाकर्षण सूचना 10 में वर्णित कोई भी गांव ओलावृष्टि से प्रभावित नहीं हुआ है।

4. सरकार की नीति के अनुसार प्रभावित किसानों/मुजारों को नीचे दिये गये

ब्यौरे अनुसार अनुदान की राशि प्रदान की जाती है :—

	खड़ी फसलों (अनाज/तिलहन) के नुकसान पर	सब्जियों के नुकसान पर
(1) जहां नुकसान 75 प्रतिशत से अधिक हो	400/-रुपये प्रति क्षतिग्रस्त एकड़	600/-रुपये प्रति क्षतिग्रस्त एकड़
(2) जहां नुकसान 50 प्रतिशत से अधिक हो परन्तु 75 प्रतिशत से कम हो	300/-रुपये प्रति क्षतिग्रस्त एकड़	500/-रुपये प्रति क्षतिग्रस्त एकड़
(3) जहां नुकसान 25 प्रतिशत से अधिक हो परन्तु 50 प्रतिशत से कम हो	200/-रुपये प्रति क्षतिग्रस्त एकड़	400/-रुपये प्रति क्षतिग्रस्त एकड़

किसी भी गांव में ओलावृष्टि से क्षतिग्रस्त किसानों/मुजारों को दी जाने वाली अनुदान राहत की कुल राशि के 5 प्रतिशत के बराबर कृषक मजदूरों (हरिजनों) में बांटने के लिये राहत के रूप में नकद राशि भी दी जाती है।

5. उपरोक्त नीति के मद्देनजर सम्बन्धित उपायुक्तों को राहत राशि यथाशीघ्र दे दी जायेगी।

6. मैं माननीय सदस्यों को यह भी सूचित करना चाहता हूं कि राज्य सरकार ने ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों/मुजारों को दी जाने वाली अनुदान राशि की दरों में 50 प्रतिशत वृद्धि करने का निर्णय लिया है।

अध्यक्ष महोदय, चौधरी देवी लाल जी के राज में यह राशि 100, 200 व 300 रुपये दी जाती थी उसके बाद जब मैं मुख्य मंत्री बना तो हमने इस राशि को बढ़ाकर दोगुना कर दिया था यानि 200, 400 व 600 और अब मैं यह हाउस में घोषणा करता हूं कि अब हमने इस राशि को बढ़ाकर डेढ़ गुना कर दिया है। (तालियां)

7. पंजाब भू-अभिलेख मैनुअल के अनुसार गिरदावरी का कार्य राजस्व विभाग के कर्मचारियों/अधिकारियों द्वारा किये जाने का प्रावधान है। अतः चिरकाल से यह कार्य राजस्व विभाग के कर्मचारियों/अधिकारियों द्वारा ही किया जा रहा है। राजस्व कर्मचारी/अधिकारी किसानों तथा उनकी भूमि आदि से भलीभांति परिचित होते हैं और वे इस कार्य को [illegible] निभा रहे हैं।

[चौधरी भजन लाल]

8. माननीय अध्यक्ष महोदय आप देखेंगे कि सरकार स्थिति से पूरी तरह परिचित है और ओलावृष्टि जैसी प्राकृतिक आपदाओं की सूरत में पात्र तथा प्रभावित व्यक्तियों को राहत देने के लिए तुरन्त कार्यवाही की जाती है । मैं एक बार पुनः इस महान सदन को आश्वासन दिलाना चाहूंगा कि ओलावृष्टि से प्रभावित क्षेत्र में पात्र किसानों/मुजारों तथा कृषक मजदूर (हरिजन) की कठिनाईयों को दूर करने/कम करने के लिये हर सम्भव प्रयास किया जाता है और किया जायेगा तथा सरकार द्वारा निर्धारित नार्मज तथा नीति के अनुसार राहत राशि शीघ्र बांट दी जायेगी । अध्यक्ष महोदय, चाहे फरीदाबाद जिले का जिक्र हो या कोई और जिला बाकी रह गया हो, जहां कहीं से भी समाचार आएगा कि ओलावृष्टि हो गई, तो हम फौरन स्पैशल गिरदावरी करवा कर बढ़ाए हुए नार्म्ज के मुताबिक किसानों को जल्द यानि तीस दिन के अन्दर मुआवजा देंगे ।

चौधरी ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, जैसे मैंने अपने काल अटैन्शन मोशन में इस हाउस का ध्यान दिलाया है कि हरियाणा प्रदेश के मुख्य मन्त्री के मानने के मुताबिक दो सौ से कुछ कम गांवों में ओलावृष्टि से बहुत भयंकर नुक्सान हुआ है । अध्यक्ष महोदय, मुझे उन गांवों में जाने का मौका मिला है । मैं विशेष रूप से करनाल और भिवानी के उन गांवों में गया हूं पिछले फ्लड की वजह से भिवानी जिले का क्षेत्र बर्बाद हो गया था । आज स्थिति यह है कि किसान के पास खेत में ड्रांति ले जाने का भी काम नहीं है । मुख्य मन्त्री जी ने बड़े लच्छेदार तरीके से अपनी बात को कहा कि 25 परसैन्ट से कम नुक्सान इतने इलाके में हुआ है । इस बारे में जब चौधरी देवीलाल ने कानून बनाया था तो दुर्भाग्य से ये उनकी वजारत में मन्त्री थे । उस वक्त से 25 परसैन्ट के हिसाब से कोई कम्पनसेशन नहीं दिया जाता है । उसके बाद जहां कहीं नुकसान छिपाने की कोशिश की है तो वहां कहते हैं कि नुक्सान 25 परसैन्ट से कम है । जब उसमें विवरण नहीं दिया गया कि 25 परसैंट से कितना कम है ? शत प्रतिशत नुक्सान हुआ है, और कहते हैं कि कम है । यह भी कहते हैं कि हमने राशि को बढ़ा दिया है । गिरदावरी की रिपोर्ट 25 परसैंट से कम है और कम्पनसेशन की राशि अगर पांच हजार रुपये एकड़ हो जाएगी तो किसान को कोई लाभ नहीं होगा । स्पैशल गिरदावरी की बात कही गई है । यह स्पैशल गिरदावरी का भी मुख्य मन्त्री ने अपनी स्पीच में कहा है । (विघ्न) ए० सी० चौधरी साहब आपने तो * * * की है, आपको खेती का ज्ञान नहीं है । यह गिरदावरी होने के बाद की बात है । आपने तो महकमें बदल कर चूस लिया और अब उद्योग में चले गए ।

श्री अध्यक्ष : यह ठगी ठोरी वाली बात रिकार्ड पर न लाई जाए ।

---

*चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया ।

श्री ए0 सी0 चौधरी : स्पीकर साहब, मेरी पर्सनल एक्सप्लेनेशन है । ये मेरे बारे में ऐसी बात कहते हैं । ये मेरे वे भाई हैं जिनको कस्टम वालों ने पकड़ा था । मेरे को नहीं पकड़ा था ।

चौधरी ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मैं कह रहा था कि इसमें कम्पनसेशन बढ़ाने की बात कही गई है । ऐसा कह कर इन्होंने हाउस को गुमराह किया है । अगर किसी किसान का नुकसान 25 परसैन्ट से कम होगा तो किसी भी किसान को कम्पनसेशन नहीं मिलेगा । अभी क्वैश्चन आवर में मुख्य मन्त्री जी ने लिबर्टी सीडज कार्पोरेशन के बारे में कहा । इन्होंने कहा कि उसमें किसान का एक हजार प्रति एकड़ का नुकसान हुआ लेकिन किसान पांच हजार रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा मांग रहे हैं । उन्होंने कहा कि हम किसानों को ज्यादा मुआवजा दिलाने की कोशिश कर रहे हैं । उनके गलत सीड की वजह से किसान की फसल बर्बाद हो गई है सरकार ने उनको दो–तीन हजार रुपए पर एकड़ मुआवजा देने की कोशिश है । जो किसान ओलावृष्टि की वजह से बर्बाद हो गए, उनकी सरकार ने गिरदावरी करवाई है और उस गिरदावरी में किसानों को कम्पनसेशन से वंचित रखने का प्रयास किया गया है । आज हाउस में सरकार यह आदेश दे कि नए सिरे से गिरदावरी करवाई जाएगी इस बारे में हाउस की एक कमेटी बनाई जाए, जो स्वयं जा कर उन किसानों की हालत देखे जिनका ओलावृष्टि के कारण नुकसान हुआ है । जहां-जहां पर ओलावृष्टि से नुकसान हुआ है, वहां के किसानों को अपने खेतों में शांति ले जाने की आवश्यकता नहीं है । इस बारे में मुख्य मंत्री स्पष्ट उत्तर दें ।

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, इन्होंने क्वैश्चन ऐसे किया है कि जैसे किसानों से इनकी बहुत ज्यादा हमदर्दी हो । सारे प्रदेश के किसान यह बात अच्छी तरह से जानते हैं कि इनकी किसानों के साथ कितनी हमदर्दी है ? आप किसानों को गुमराह करने की बात तो कर सकते हैं कि थारा कर्जा माफ करेंगे । बिजली के बिल न दो या पानी नहीं है । इस तरह की बात कह करके आप किसानों को गुमराह कर सकते हैं । (शोर) अध्यक्ष महोदय, इन्होंने सारे जिलों का जिक्र करके कहा कि 80 गांवों में नुकसान हुआ है लेकिन सरकार कहती है कि 6 जिलों के 155 गांवों में नुकसान हुआ है । ये चार जिले और 80 गांव बताते हैं । मैं कहता हूं कि जहां-जहां पर भी ओलावृष्टि से नुकसान हुआ है, सरकार की उन सभी किसानों के साथ पूरी हमदर्दी है श्रीमान ओम प्रकाश चौटाला जी, आपको मैं पहलवान कहूं कि पहलवान साहब, आपको सुनने में तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिये । आपको चलने में दिक्कत हो सकती है । (शोर) सरकार की किसानों के साथ पूरी हमदर्दी है । चाहे वह भाव की बात है और चाहे किसानों की मदद करने की बात है । हम किसानों की हर तरह से मदद करेंगे । पहले हमने किसानों को ओलावृष्टि के कारण जो मुआवजा दिया जाता था, फिर उसको डबल किया और अब उसको डेढ़ा किया है । जिस जिस जिले में ओले पड़े हैं, वहां के किसानों को हम 30 दिन के अन्दर

[चौधरी भजन लाल]

अन्दर मुआवजा देंगे। अभी एक जिले में गिरदावरी चल रही है। उसकी रिपोर्ट नहीं आई है। वहां से भी रिपोर्ट आ जाएगी। जहां कहीं भी ओले पड़ने से नुकसान हुआ है, 30 दिन के अन्दर मुआवजा पहुंचा दिया जाएगा।

प्रो० सम्पत सिंह : स्पीकर साहब, इस बारे में पांच तारीख तक जितनी इन्फर्मेशन हमारे पास आई थी, उसके हिसाब से हमने आपकी सेवा में काल्गि अटैंशन मोशन दिया था। हम यह नहीं कह रहे कि पांच तारीख के बाद ओले पड़ गए। स्पीकर साहब, सरकार के पास तो वायरलैस सिस्टम है और डी० सी० हैं। एक घंटे के अन्दर इनको यह पता लग सकता है कि कहां पर क्या हुआ है व हमारे वर्कर्ज जिस-जिस जिले में जा कर देखकर आए हैं, उस हिसाब से हमने काल अटैंशन मोशन दिया है। अध्यक्ष स्पीकर साहब, सरकार ने यह जो गिरदावरी करवाई है, यह टोटली बोगस है। मैं खुद अपने हल्के के भामसुख गांव में ओले पड़ने के अगले दिन गया था, वह गांव पूरी तरह से तबाह हो गया है। मुख्य मन्त्री जी ने अभी जवाब देते हुए कहा था कि हिसार जिले में 20 परसैन्ट से कम नुकसान हुआ है। वहां के किसानों को कम्पनसेशन न देने के लिये यह बहाना बनाया गया है। मैंने उस गांव के किसानों से कहा कि आप डी० सी० के पास जाएं और नुकसान की एप्लीकेशन दें। मैं भी उनको कहूंगा। पहले तो किसान कहने लगे कि डी० सी० के पास जाने का कोई फायदा नहीं है। वह मानने वाले नहीं हैं। लेकिन मेरे कहने के बाद, अगले दिन वहां के किसान डी० सी० के पास गए। उसके बाद वहां की गिरदावरी हुई। उसके बाद सारे जिले की यह रिपोर्ट आई है कि वहां पर 20 परसैन्ट से कम नुकसान हुआ है। इसका सीधा मतलब यह है कि यह सरकार वहां के किसानों को कुछ नहीं देना चाहती है। वहां का 20 परसैन्ट से कम नुकसान दिखाया है ताकि वहां के किसानों को कम्पनसेशन न देना पड़े। अगला सवाल मैं यह करना चाहूंगा कि जहां पर 20 प्रतिशत से लेकर 50 प्रतिशत तक नुकसान की रिपोर्ट आई है, वहां पर क्या दुबारा गिरदावरी करवायेंगे? बेशक आप इसके लिये कोई कमेटी बना लें और जिलों के जो पार्टीज प्रेजिडेंट आदि हैं, उनको शामिल करके दुबारा गिरदावरी करवा लें। हमें भले ही शामिल न करें लेकिन ऐसा करें तो सही। इसके अलावा मैं यह पूछना चाहता हूं कि प्राईसिज हर साल बढ़ रही हैं। आम तौर पर हर साल प्राईसिज इन्फलेशन की वजह से 10 परसैन्ट बढ़ जाते हैं। ये जो 300, 400 और 600 रुपये दे रहे हैं, यह कीमतों के बढ़ते हुए रेट को देखते हुए बहुत कम हैं। खाद्यान्नों की कीमतें कम से कम 10 गुना बढ़ी हैं। मैं चाहता हूं कि क्या सरकार प्राईस इन्फलेशन को ध्यान में रखते हुए कम्पनसेशन की राशि को बढ़ायेगी। इसके अलावा दूसरा सवाल यह है कि क्या सरकार जहां पर ओले पड़े हैं, वहां के एरिया के जिन लोगों ने बैंकों का कर्जा ले रखा है, उसको माफ करेगी और उनके बिजली के बिल को भी माफ करेगी?

श्री अध्यक्ष : छत्तर सिंह जी आप भी सवाल पूछ लें ।

प्रो0 सम्पत सिंह : स्पीकर साहब, यह शुरू से ही प्रोसीजर रहा है कि जब एक विधायक एक सवाल पूछता है तो मंत्री उसका जवाब देता है । उसके बाद दूसरा सदस्य पूछता है । चार साल से आप भी स्पीकर हैं । हमेशा से ऐसा ही होता रहा है । अब नया प्रोसीजर एडोप्ट क्यों किया जा रहा है ? मैं इस बारे में आपकी रूलिंग चाहूंगा ।

श्री अध्यक्ष : आपने जो सवाल किए हैं, उनका जवाब सरकार की तरफ से आने पर क्या दुबारा सवाल नहीं पूछेंगे ? क्या वह फाईनल रिप्लाई होगा ?

प्रो0 सम्पत सिंह : अगर हमारी तसल्ली नहीं होगी तो पूछेंगे ?

श्री अध्यक्ष : ऐसे तो आप सारा दिन ही सवाल पूछते रहेंगे । अब आप बैठियेगा

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, सम्पत सिंह जी बहुत पुराने मैम्बर हैं । जब ये अपनी बात एक आंख मींच कर कहते हैं तो इनका मुंह ऐसा लगता है जैसे ये तम्बाकू खा रहे हों ।

प्रो0 सम्पत सिंह : आप ही खाते होंगे, मैं तो चाय तक भी नहीं पीता ।

चौधरी भजन लाल : आप कह दो कि मैं तम्बाकू खाता हूं । मान लूंगा ।

प्रो0 सम्पत सिंह : मुझे क्या पता ?

चौधरी भजन लाल : आप भी हिसार जिले के हो, इतना तो आपस का पता होना चाहिए । कौन क्या खाता-पीता है ?

अध्यक्ष महोदय, इन्होंने बोलते हुए कहा कि 5 तारीख तक इनके पास जो रिपोर्ट आई थी, वह इन्होंने बताई है, जानकारी तो इनकी इतनी ही है । 27-28 फरवरी के बाद तो ओले ही नहीं पड़े । आपने 5 तारीख के प्रस्ताव में 80 गांवों का जिक्र किया है । जबकि हम 155 गांवों के बारे में आप को बता रहे हैं ।

प्रो0 सम्पत सिंह : अध्यक्ष महोदय, यह जरूरी नहीं है कि सारी रिपोर्ट हमारे सामने आए । (विघ्न)

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, इन्होंने कह दिया कि गिरदावरी बोगस हुई इन्होंने यह भी कह दिया कि हिसार जिले के गांव शामिल नहीं किये गये नुकसान कम हुआ दिखाया गया है । अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इनसे पूछना चाहूंगा कि क्या हिसार जिले के अकेले यही ठेकेदार हैं ? हिसार जिला मेरा शुरू का जिला है । हिसार जिले में भी ओले पड़े हैं और मेरे हल्के के 7-8 गांवों

[चौधरी भजन लाल]

में ओलों से किसानों का नुक्सान हुआ है। अध्यक्ष महोदय, हिसार मेरा अपना जिला है । (विघ्न)

एक आवाज : क्या सारा जिला आपका ही है और उस पर किसी का हक नहीं है ?

चौधरी भजन लाल : हक सब का है, लेकिन रहने वाला तो मैं भी उसी जिले का हूं (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, बाकायदा कई जगह जा कर डिप्टी कमिश्नर खुद चैक करता है । कहीं पर एस0 डी0 एम0 खुद देखता है कि जो स्पैशल गिरदावरी, हुई है, वह ठीक हुई है या नहीं । किसानों का जो नुक्सान हुआ है, वह सही दिखाया गया है या नहीं । कहीं पर पटवारी ने गड़बड़ी तो नहीं की । जो नुक्सान, हुआ है, उसको कहीं कम तो नहीं दिखाया गया । अध्यक्ष महोदय, इनको अपने राज के दिन याद आते हैं, जब बिना नुक्सान हुए भी ओलों के नाम पर लोग पैसे ले गए । (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, मेरे कहने का मतलब यह है कि जहां पर नुक्सान हुआ है, वहां पर कर्जा डैफर करवाने की बात ही सकती है ।

चौधरी ओम प्रकाश चौटाला : यह कर्जा माफ होना चाहिये । (विघ्न)

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, कर्जा डैफर हो सकता है लेकिन माफ नहीं हो सकता है । बिल भी माफ नहीं हो सकते लेकिन कुछ देर के लिए उनकी अदायगी टाली जा सकती है । जहां पर ओलों की वजह से बहुत ज्यादा तबाही हुई है, वहां पर ऐसा करने के लिए सरकार विचार कर सकती है ।

(इस समय कई माननीय सदस्य अपनी सीटों पर खड़े हो कर बोलने लग गये) (शोर एवं व्यवधान)

चौधरी ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मैं सवाल पूछना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष : आप अपनी सीट पर बैठिये । (विघ्न)

चौधरी ओम प्रकाश चौटाला : सवाल पूछना मेरा अधिकार है ।

श्री अध्यक्ष : आप मैक्सिमम दो सवाल पूछ सकते हैं ।

चौधरी ओम प्रकाश चौटाला : दो सवाल पूछने का तो मेरा अधिकार है । मैं अपने अधिकार का अतिक्रमण नहीं कर रहा हूं । (विघ्न) मैंने अपनी सप्लीमैंट्री में इस बात को कहा था तथा मुख्य मन्त्री जी ने भी ब्यान में कहा है कि इस प्रकार के 157 गांव हैं । मैंने जो गांव दिए हैं, वह 200 से कम गांव हैं । मैं स्वयं इन में से 80 गांवों में जा कर आया हूं । सैंकड़ों गावों में भयंकर नुक्सान हुआ है । मुख्य

मन्त्री जी ने 25 प्रतिशत से नीचे की जो बात कही है, उसके मुताबिक तो किसानों को कम्पनसेट नहीं किया जा सकता । ये खुद किसानों को कम्पनसेट नहीं करना चाहते । जो हमारी सरकार के टाईम के आंकड़े हैं, वे ये खुद पढ़ लें । हमारी सरकार ने उस वक्त किसानों को 400 रुपये आम फसल के लिए और 600 रुपए सब्जी के लिये कम्पनसेशन दिया था । (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : आपने जो कम्पनसेशन दिया था, उसके लिये आपने कोई परसैंटेज भी तो फिक्स किया होगा ?

चौधरी ओम प्रकाश चौटाला : जी हां। यदि गिरदावरी में 25 प्रतिशत से कम नुक्सान दिखाया गया है तो उनको कम्पनसेशन नहीं मिलेगा और 26 प्रतिशत से अधिक जो कम्पनसेशन देंगे, उसकी तफसील नहीं दी है । उसका तफसील से विवरण नहीं दिया गया है । स्पीकर साहब, इस सरकार की नीति किसानों को कम्पनसेशन नहीं देने की है, नहीं तो इनको इस तरह की परसैंन्टेज फिक्स नहीं करनी चाहिए थी । (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : आप अपना सवाल पूछें ।

चौधरी ओम प्रकाश चौटाला : मैं सवाल पर ही आ रहा हूं । अध्यक्ष महोदय, ये पैसा बढ़ाने की बात करते हैं लेकिन नुक्सान को नहीं देखते । जो किसान फ्लड में बरबाद हुए हैं, उनको कम्पनसेट करवाएं । अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से यह जानना चाहूंगा कि क्या सरकार इसके लिए स्पैशल गिरदावरी करवाएगी ? जिसका जितना नुकसान हुआ है, उसके नुकसान के मुताबिक यह सरकार कम्पनसेशन देगी या नहीं देगी ? जो स्पैशल गिरदावरी हुई, वह मुनासिब नहीं हुई । स्पैशल गिरदावरी करवा कर, क्या नुकसान के मुताबिक किसानों को कम्पनसेशन सरकार देगी या नहीं देगी ?

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले ही जवाब दिया है कि स्पैशल गिरदावरी ही करवाई जाती है, जिसमें यह देखा जाता है कि कितने एकड़ में ओलावृष्टि हुई है और कितने परसैंट नुकसान हुआ है । इस बात के हिसाब से स्पैशल गिरदावरी हो चुकी है । इस में बाकायदा मौके पर जा कर डिप्टी कमिश्नर, एस0 डी0 एम0 तथा ए0 डी0 सी0 देखते हैं ।

चौधरी ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, ये 25 प्रतिशत से कम नुक्सान बता रहे हैं । ये हाउस को गुमराह कर रहे हैं ।

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, जहां पर नुकसान कम है, वहां पर मुआवजा नहीं मिलेगा ।

चौधरी ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, ये हमें यह बताएं कि 25 प्रतिशत तक कितने रकबे की गिरदावरी हुई है और 26 प्रतिशत तक कितने रकबे की गिरदावरी हुई है ।

श्री अध्यक्ष : चौटाला जी, आप बैठ जाएं ।

प्रो0 छतर सिंह चौहान : अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा कि मुख्यमन्त्री जी की मैनिपुलेटिड तरीके से हाउस को गुमराह करने की कोशिश है । अध्यक्ष महोदय, जिला भिवानी में 39 गांवों में नुक्सान हुआ है । मैं और मेरे साथी 23 फरवरी को उन गांवों में गए थे । अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री जी की नौलेज में भी लेगा गांव का नाम है, वहां पर 100 प्रतिशत नुक्सान है । अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि कितने गांवों में 70 प्रतिशत, 80 प्रतिशत और 90 प्रतिशत नुक्सान हुआ है ? इन्होंने जो भी बताया है, वह असत्य है । वहां पर जो गिरदावरी करने वाले कानूनगो हैं, हमारी उनसे बात हुई थी और उन्होंने बताया कि हमारे पास सरकार के निर्देश आए हुए हैं कि सरसों की खेती की गिरदावरी करें । अध्यक्ष महोदय, अगर गेहूं की फसल में ओला गिर जाए तो उसके पत्ते तो झड़ जाते हैं और नाली रह जाती है । अध्यक्ष महोदय, लेगा, सीमली, जीतवान और बास इत्यादि गांव जो बहन जी के हल्के के हैं, वहां पर भी 100 प्रतिशत नुक्सान है। अध्यक्ष महोदय, इन्होंने जो जवाब दिया है, उसमें 26 प्रतिशत भी और 27 प्रतिशत नुक्सान भी हो सकता है । क्या ये उन गांवों की लिस्ट देंगे जिन गांवों में 80 प्रतिशत से ज्यादा नुक्सान है ? अध्यक्ष महोदय, इनकी गिरदावरी का ढंग ही गलत है । ये पटवारी को पहले ही कह देते हैं कि 25 प्रतिशत से ज्यादा खराबा तो नहीं करना है । अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री जी हमें उन गांवों के नाम बताएं जिन गांवों में 80 प्रतिशत से ज्यादा नुक्सान है । * * * * *
* * * * * * * * *

श्री अध्यक्ष : इन्होंने ये जो अभी शब्द कहे हैं, उनको रिकार्ड न किया जाए ।

प्रो0 छतर सिंह चौहान : अध्यक्ष महोदय, उन किसानों की जिनकी फसल पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है । उनके इन-पुटस और आउट-पुटस का अधोमैनेंटली यह सरकार मुआवजा दे । (शोर एवं व्यवधान)

श्री अमीर चन्द मक्कड़ : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है । छतर सिंह जी ने जो हाउस को गुमराह करने वाली बात कही है, वह गलत है । हाउस में हम भी बैठे हैं, हम तो गुमराह नहीं हुए हैं । हां, ये अगर अपना नाम लेकर गुमराह की बात करें, तो अलग बात है । ये हाउस को गुमराह करने वाली बात नहीं करें, क्योंकि हाउस गुमराह नहीं हुआ है ।

---

*चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया ।

प्रो० छतर सिंह चौहान : अध्यक्ष महोदय, मेरी आपके माध्यम से मुख्य मंत्री जी से प्रार्थना है कि जिन गांवों की फसलें ओलावृष्टि से बुरी तरह से नष्ट हो गयी हैं, वहां कम से कम एक साल के लिए लोन की रिकवरी बन्द की जानी चाहिए। रेट आफ इंट्रस्ट को माफ किया जाना चाहिए और बिजली के बिलों को भी माफ किया जाना चाहिए। मुख्य मंत्री जी यह बताएं कि किन-किन गांवों में फसलों का 70 या 80 परसैन्ट नुकसान हुआ है ? अध्यक्ष महोदय, इनका 25 परसैन्ट नुकसान वाला आंकलन ठीक नहीं है।

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, चौहान साहब ने एक तो कह दिया कि भजन लाल को किसानों की बातों का कोई पता नहीं है। ये इस बात को क्या समझेंगे ? लेकिन अगर कोई इनसे पूछने वाला हो तो बताएं। भिवानी जिले में तो ये कह देते हैं कि गुड़ की "भेली" पेड़ पर लगती है तो ठीक है। ये भी उसी जिले के रहने वाले हैं और ये इसी तरह के किसान हैं जबकि ये भजन लाल को भी ऐसा ही कहते हैं। ये लोग तो गेहूं का नाम तब सुना करते थे जब कहीं बटेऊ आ जाता था तो सारा घर कांसे के बर्तन बजाया करता था कि आज गेहूं के माण्डे बनेंगे इस लिए ये खेती के बारे में क्या जानें ?

चौधरी बंसी लाल : अध्यक्ष महोदय, मैं इनकी बात से सहमत हूं कि हमारे यहां न तो पहले गुड़ हुआ करता था और न आज ही होता है। इनकी यह बात भी ठीक है कि हम तो बाजरे की रोटी खाया करते थे कभी गेहूं की रोटी नहीं खायी या कोई बटेऊ आ जाता तो मिला करती थी। लेकिन मैं एक बात मुख्य मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि जहां-जहां पर भी एम० एल० ए० इस चीज को कंटैस्ट करते हैं कि गिरदावरी गलत हुई है तो आप अधिकारियों को आदेश देकर कहें कि वहां-वहां पर एम० एल० ए० के साथ मौके पर जाकर गिरदावरी करें, तो ज्यादा अच्छा होगा।

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, यह ठीक बात है कि भिवानी जिले में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। इस जिले में 39,948 एकड़ में से 8,125 एकड़ छोड़कर 31,853 एकड़ में नुकसान 25 परसैन्ट से ज्यादा हुआ है। कहीं पर नुकसान 25 परसैन्ट है, कहीं पर 25 से 50 परसैन्ट के बीच है और कहीं पर 50 से 75 परसैन्ट नुकसान हुआ है। इसके इलावा, दो या तीन गांवों में तो 75 परसैन्ट से भी ज्यादा नुकसान हुआ है। अध्यक्ष महोदय, जहां पर 75 परसैन्ट से ज्यादा नुकसान हुआ है, वहां पर जिन किसानों ने लोन ले रखा है, उसकी वसूली रोक देंगे। अगर वे बिजली के बिल देने की स्थिति में नहीं होंगे, तो वह भी रोक सकते हैं यानि जो भी सहायता कर सकते हैं, वह करेंगे। जहां से भी शिकायतें आएंगी, उन को देखेंगे। अध्यक्ष महोदय, जनरल गिरदावरी तो हो चुकी है और उसको सैम्पल के तौर पर एस० डी० एम० ने भी चैक कर लिया है। फिर भी अगर कहीं पर कोई शिकायत हो तो सदस्य साहिबान फौरन डी० सी० को बता दें। हम डी० सी० को हिदायतें

[चौधरी भजन लाल]

कर देंगे कि जिस किसी विधायक की तरफ से कोई शिकायत आए कि वहां पर गिरदावरी ठीक नहीं हुई, तो आप वहां पर दोबारा गिरदावरी करवाएं ।

चौधरी बंसी लाल : अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री जी ने यह बात कही है कि स्पैशल गिरदावरी करवा देंगे । लेकिन अगर विधायक कहता है कि उसे भी साथ ले जाएं तो इसमें क्या दिक्कत है ? खुद ही पता लग जाएगा कि विधायक गलत है या वह गलत है । गांव के बीच में विधायक जाएगा तो सब देखेंगे, इसलिए गांव में कोई गलत बात हो नहीं सकती ।

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, अगर विधायक साथ में जाना चाहे, तो हमें कोई ऐतराज नहीं है ।

प्रो० राम बिलास शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं मुख्य मंत्री जी से एक बात जानना चाहता हूं । यह ठीक है कि वह खेती के बारे में जानते हैं लेकिन जब ओलावृष्टि होती है तो उनको पता होगा कि केवल 25 परसैन्ट, 50 परसैन्ट या 75 परसैन्ट की ही हानि नहीं होती बल्कि ओलावृष्टि तो पौवजन वृष्टि होती है फसलों में जैसे चना को टाट नहीं लगती । यही नहीं परन्तु उस पर फूल और फलियां भी नहीं लगतीं और जो आयी होती हैं उनमें फल नहीं लगता । वह 100 परसैन्ट फसल खराब होती है । उसके चारे को पशु भी नहीं खाते हैं । सरसों की फली लगी हो तो वह पूरी खत्म हो जाती है । फूल लगे हों तो उसके बाद फल नहीं लगते । गेहूं की बाली आई हो, तो वह खराब हो जाती है उसकी तूड़ी बैल भी नहीं खाता है ।

श्री अध्यक्ष : आप क्वैश्चन पूछिए ।

प्रो० राम बिलास शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं मुख्य मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि उन्होंने ओलावृष्टि से हुए नुकसान की जो गिरदावरी करवाई है, और मुआवजे का जो ऐलान किया है, उसमें कहा है कि जिन किसानों की फसल में 25 प्रतिशत से ज्यादा खराबा हुआ है, उनको मुआवजा मिलेगा । किसान होने के नाते से मैं गुजारिश करता हूं कि यह नुकसान 100 परसैन्ट होता है, ओलावृष्टि से 60–70 या 80 परसैन्ट नुकसान नहीं होता बल्कि 100 परसैन्ट नुकसान होता है । मैं मुख्य मंत्री जी से गुजारिश करूंगा कि इस खराबे को 100 प्रतिशत खराबा मानें। जैसे टमाटर का बीज इजराइल से लाए हैं, 569 ग्राम बीज 66,278 रुपये का लाए हैं । उस प्रोपोर्शन में किसान को मुआवजा दें ।

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, शर्मा जी ने जो बात कही है, वह पूरी तरह से ठीक नहीं है । ठीक इसलिए नहीं है कि ओला कई जगह छोटा पड़ता है कई जगह बड़ा पड़ता है । जब छोटा ओला पड़ता है, तो उससे बहुत ज्यादा नुकसान

नहीं होता । कुछ फसल ऐसी है, जो छोटी है । उसमें नुकसान बिल्कुल नहीं होता, बल्कि उसका फायदा है ।

प्रो० छत्तर सिंह चौहान : वह कौन सी फसल है ?

चौधरी भजन लाल : आज गेहूं भी छोटी नहीं है, सरसों भी छोटी नहीं है, चना भी छोटा नहीं है । जैसे अगर छोटा ओला पड़ा है तो उससे नुकसान की बात नहीं हो सकती बल्कि उससे फसल को पानी मिल जाएगा ।

श्री धीर पाल सिंह : ओले का पानी भी जाए तो पानी भी जहरीला हो जाए । (विघ्न)

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, ये कभी विदेश जाएं । गेहूं के ऊपर बर्फ जमी हुई मैंने देखी है ।

प्रो० सम्पत सिंह : ओले में और बर्फ में बहुत फर्क होता है । (विघ्न)

चौधरी भजन लाल : आपकी ठीक बात है । बर्फ आहिस्ता से पड़ती है । ओला कनक की बाली को लग जाए तो खराब हो जाएगी । सरसों को लग जाएगा तो वह खराब हो जाएगी । (शोर एवं व्यवधान)

श्री धीर पाल सिंह : मैं मानता हूं कि आप बाहर गए थे और बर्फ देखकर आए हैं । बर्फ का जो एक समान पिघलना है, उसका वातावरण के टैम्प्रेचर के हिसाब से ऐसा असर हो जाता है कि प्लांट अपने आपको उस हिसाब से ढाल लिता है । अपने यहां हिन्दुस्तान में जहां बर्फ गिरती है, उससे नुकसान होना ही होता है । गेहूं पर ओला गिरने से कटाई वाले ने रेट बढ़ा दिया । तीन मन की जगह 4 मन तो वैसे ही कर दिया ।

चौधरी भजन लाल : ठंडी हवा से पाला मार जाए तो नुकसान होता है । नैचुरल कैलेमिटी जैसे बाढ़ आ जाए तो उससे नुकसान होता है । उसमें भी सरकार मदद करती है । एक नार्म बना हुआ है । उस नार्म के मुताबिक किसानों को मुआवजा देंगे । यह तो हो नहीं सकता कि सैन्ट-पर-सैन्ट फसल खराब हो गई हो, यह मानने वाली बात नहीं है ।

श्रीमती चन्द्रावती : अध्यक्ष महोदय, मैं खुद कुछ गांव में होकर आई हूं, जिसका मैंने पहले नाम भी लिया है । एक गांव डिगावा शमशान है । वहां के किसानों ने पंचायत की जमीन नीलामी में ले रखी है और उस जमीन में बहुत अच्छी सरसों हुई थी । परन्तु ओलावृष्टि के प्रकोप के कारण सारी की सारी फसल बिछ गई । हुआ क्या ? जब उस खेत की गिरदावरी के लिये कर्मचारी गये, तो वह खड़ी है और हरी-भरी है लेकिन उसकी फली जो है, वह सफेद हो गई है । सभी जगहों पर गांवों में किसानों की

[श्रीमती चन्द्रावती]

फसलों का बुरा हाल है। नुकसान बहुत ज्यादा हुआ है। लेकिन गिरदावरी जो हुई है, वह ठीक नहीं हुई। हमें कई जगहों से किसानों की शिकायतें भी मिली हैं। इसलिये मैं आपके माध्यम से मुख्य मन्त्री महोदय से अनुरोध करूंगी कि जिन जगहों पर गिरदावरी की शिकायतें मिली हैं वहां पर अगर दोबारा गिरदावरी करवा दी जाए तो किसानों को काफी राहत मिलेगी। किसानों को नुकसान के अनुसार मुआवजा मिलेगा। क्या सरकार ऐसा करेगी ?

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, बहन जी ने अभी गिरदावरी दोबारा करवाने की बात कही है। मैंने इस बारे में पहले भी कहा था कि जहां कहीं भी गिरदावरी के बारे मैम्बर साहेबान को कोई शिकायत है, वे हमें लिख दें या डी०सी० साहब को इस बारे में लिख कर भेजें तो वे मौके पर जाकर दोबारा नुकसान का जायजा लेंगे और उसी के अनुसार ही किसानों को मुआवजा दिया जाएगा।

चौधरी ओम प्रकाश बेरी : अध्यक्ष महोदय, ओलावृष्टि के कारण जो नुकसान हुआ है, उस बारे में मुख्य मन्त्री महोदय ने मुआवजा देने के लिये तीन स्लैब्ज बताए हैं। एक 75 परसैन्ट से ऊपर का नुकसान, दूसरा 50 परसैन्ट से 75 परसैन्ट व तीसरा स्लैब 26 परसैन्ट से लेकर 50 परसैन्ट तक। तो मैं उन से यह अनुरोध करूंगा कि इस समय जहां-जहां ओलावृष्टि हुई है, वहां वहां किसानों का बुरा हाल है और इस हालत में किसानों जितनी की मदद की जाए, वह थोड़ी है। इसलिये मेरी रिक्वेस्ट है कि तीन स्लैब्ज की बजाये चार स्लैब्ज बनाये जाने चाहिये जिसमें 25 परसैन्ट से नीचे होने वाले नुकसान को भी इसी कैटेगरी में शामिल किया जाए ताकि थोड़े नुकसान होने पर भी किसानों को उसी के अनुसार राहत मिल सके।

श्री अध्यक्ष : यह बात बेरी साहब आपको अब सूझी या कि पहले भी इसका ध्यान था ?

चौधरी ओम प्रकाश बेरी : नहीं, स्पीकर साहब, इस का मुझे पहले भी ध्यान था। दूसरी बात मैं मुख्य मन्त्री महोदय से यह भी कहना चाहता हूं कि इस समय देश के अन्दर प्राइसिज काफी बढ़ चुकी हैं। उसी प्राईस इंडैक्स के हिसाब से ही क्या सरकार किसानों को मुआवजा देने का विचार रखती है ? जो मुआवजे में बढ़ोतरी का संशोधन अभी मुख्य मन्त्री महोदय ने किया है, क्या उसमें कोई और अमैन्डमैंट सरकार करने का विचार रखती है ?

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, अब ये लोग पता नहीं किस मुंह से किसानों के हमदर्द बनते हैं ? अब तक पहले इन लोगों में से किसी एक ने भी ऐसा प्रस्ताव नहीं रखा था कि मुआवजा बढ़ाया जाए। अब जबकि हमने खुद मुआवजा की रकम बढ़ा दी है तो इनको याद आया (शोर)

श्री सतबीर सिंह कादयान : अध्यक्ष महोदय, हमें सारा ध्यान था। मैं बताऊंगा कि इस के क्या नाम होने चाहियें। कितना मुआवजा देना चाहिये। (शोर)

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, बेरी साहब स्लैब्ज तीन की बजायें चार स्लैब्ज करने की बात कह रहे हैं। तीन ही उचित रहेंगे क्योंकि फिर तो 10 परसैन्ट 15 परसैन्ट वाला और फिर सैन्ट-परसैन्ट वाला भी बीच में आ जाएगा जो कि वाजिब नहीं है।

श्री कृष्ण लाल : अध्यक्ष महोदय, करनाल जिला में, मेरे हल्के असन्ध में 14 फरवरी को नौ-दस गांवों का ओलावृष्टि से बुरी तरह से नुकसान हुआ है और किसानों की फसलें बुरी तरह से बर्बाद हो गई हैं। इन गांव के नाम हैं—दुपेडी, फफड़ाना, सालवान, कमूलपुर खेड़ा, फैजपुर खेड़ा, कुरलियान श्री, व जनाला वगैरह। आज तक इन गांवों की कोई गिरदावरी नहीं हुई है। वहां के किसान खुद कट्टे भर-भर कर के डी०सी० साहब के पास गये थे कि जनाब हमारे गांवों में ओलावृष्टि के कारण बहुत नुकसान हुआ है, लेकिन वहां पर अभी तक गिरदावरी नहीं हुई है। सरकार इसका कारण बताने की कृपा करेगी कि ऐसा क्यों हुआ? दूसरी बात मैं यह पूछना चाहता हूं कि उन गांवों के अन्दर फसल के साथ-साथ पशुओं के खाने वाला चारा भी बिल्कुल बर्बाद हो गया है तो मैं जानना चाहता हूं कि कब तक गिरदावरी करवा कर किसानों को मुआवजा दे दिया जाएगा? जो अब तक गिरदावरी नहीं हुई, उसके लिए कौन जिम्मेदार है?

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, करनाल में चार हजार एकड़ खड़ी फसल में नुकसान हुआ है। उसकी गिरदावरी हो चुकी है। अभी रिपोर्ट हमारे पास नहीं आई है। डी०सी० ने यह टैलीफोन पर बताया है। रिपोर्ट आने पर जल्द से जल्द लोगों को मुआवजा दे दिया जाएगा।

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, सदन में ओलावृष्टि पर चर्चा हो रही है। सारे हरियाणा प्रदेश के लिये इसमें चर्चा की गई थी कि सारे प्रदेश में इससे नुकसान हुआ है। मुझे अफसोस यह है कि अगर कुछ लेना हो फरीदाबाद याद आ जाता है और अगर कुछ देना हो तो याद नहीं आता। फरीदाबाद में भी कई जगहों पर ओलावृष्टि हुई है लेकिन इन्होंने फरीदाबाद का नाम नहीं लिया। * * * * * * * * * * * *

श्री अध्यक्ष : यह बात रिकार्ड पर न लाई जाए। दलाल साहब, आप सवाल पूछें।

---

*चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया।

श्री कर्ण सिंह दलाल : स्पीकर साहब, मैं जानना चाहता हूं कि जिला फरीदाबाद के किसानों का जो ओलावृष्टि से नुक्सान हुआ है, क्या मुख्य मंत्री जी जब तक एक महीने के अन्दर उस नुक्सान की रिपोर्ट नहीं आती, तब तक वहां के किसानों के बिजली के बिलों की पेमेंट रोकने का आदेश देंगे ? बिजली महकमे के लोग तब तक उन लोगों को बिल भरने के लिये मजबूर न करें जब तक उनको मुआवजा नहीं मिल जाता।

चौधरी भजन लाल : यह नहीं हो सकता है। बिजली के बिल तो पहले के हैं, वे तो भरने ही पड़ेंगे।

श्री कर्ण सिंह दलाल : सर, हमारे फरीदाबाद जिले के किसानों के खेतों में पानी नहीं लगता है। वहां पर नहर के पानी की व्यवस्था नहीं है और न ही बिजली की व्यवस्था है जिस वजह से किसान ट्यूबवैल भी नहीं चला सकते। जो उन्होंने मेहनत करके कमाई की थी, वह भगवान ने छीन ली। इसलिये जब तक इनकी रिपोर्ट तैयार नहीं होती, तब तक उनके बिजली के बिलों को भरने पर रोक लगा दें।

चौधरी भजन लाल : ऐसा नहीं हो सकता। रिपोर्ट हमारे पास जल्द आ जाएगी और किसानों को तीस दिन के अन्दर मुआवजा दे देंगे।

श्री सतबीर सिंह कादयान : स्पीकर साहब, मैं इस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के द्वारा सरकार का ध्यान चौधरी देवी लाल जी द्वारा चलाई गई नीति की तरफ दिलाना चाहता हूं। चौधरी साहब ने जब इस नीति को लागू किया था उस समय तीन सौ रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा दिया जाता था। उस समय गेहूं का भाव 75/- रुपए क्विंटल था और तीन सौ रुपए में चार क्विंटल गेहूं आ जाता था। आज गेहूं का भाव चार सौ रुपये क्विंटल है। क्या सरकार इतना मुआवजा बढ़ाएगी जिससे आज भी चार क्विंटल गेहूं मिल सके ?

श्री अध्यक्ष : आपका राज तो बीच में भी आया था, उस समय आपने क्या किया ? (हंसी)

श्री सतबीर सिंह कादयान : स्पीकर साहब, उस समय चार क्विंटल अनाज मिलता था, लेकिन आज एक क्विंटल मिलता है। क्या इसे चार क्विंटल के बराबर करने की सोचेंगे ?

चौधरी ओम प्रकाश चौटाला : स्पीकर साहब, मेरी एक सबमिशन है कि प्रो0 छतरपाल सिंह को सदन से निष्कासित किए हुए आज तीन दिन हो गए हैं। आज आप उनको यहां हाउस में आने की इजाजत दे दें। (व्यवधान व शोर)

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है कि डिबेट को चलते हुए चार दिन हो गए हैं। मुझे गवर्नर ऐड्रैस का जवाब देना है और जवाब देने

के लिये मुझे कम से कम दो घंटे का समय चाहिये ताकि इन्होंने जो जो मुद्दे उठाए हैं उनका मैं तफसील से जवाब दे सकूं। आप मेहरबानी करके मुझे 12.00 बजे बोलने के लिये इजाजत दें क्योंकि 1.30 बजे तो सैशन खत्म हो जाना है। मुझे बोलने के लिये कम से कम आप 1½ घंटे का टाईम तो जरूर दें।

ध्यानाकर्षण सूचनाएं

चौधरी बंसी लाल : अध्यक्ष महोदय, मैंने आपकी सेवा में एक कालिंग अटैन्शन मोशन दिया था कि कुरुक्षेत्र में शराब के ठेके की नीलामी के खिलाफ पीसफुल डिमौन-स्ट्रेटर अपनी रिप्रिजेन्टेशन देकर वापिस आ रहे थे। उस समय उन पर लाठी चार्ज किया गया। वह आपने डिसअलाऊ कर दिया है। आपने लिखा है कि सिर्फ उनको रोका गया था। अध्यक्ष महोदय, उनको रोका ही नहीं गया था। उन पर बड़ा भारी लाठी चार्ज भी किया गया था। उन लोगों के पीछे घोड़े दौड़ाए गए। वहां पर एक बूढ़ा आदमी जो कुरुक्षेत्र का है, जिसको शायद आप जानते भी होंगे, उसके पीछे घोड़ा दौड़ने से वह गिर गया, और उसकी कुल्हे की हड्डी टूट गई।

श्री अध्यक्ष : चौधरी बंसी लाल जी, आप बैठें। वह मोशन डिस-अलाऊ हो चुका है। अब प्रो० राम बिलास शर्मा गवर्नर एड्रैस पर बोलेंगे। (व्यवधान व शोर) चौधरी साहब, आप बैठिए।

चौधरी बंसी लाल : अध्यक्ष महोदय, आपको मेरे कालिंग अटैन्शन मोशन के बारे में सरकार ने जो रिपोर्ट दी है, वह सत्य नहीं है। वह बूढ़ा आदमी जेल के अन्दर एक कम्बल ओढ़े पड़ा था। जेल में कम्बल ऐसे हैं, जिसके अन्दर से आदमी का शरीर दिखाई देता है। सर्दी के मारे जेल में जो आदमी हैं, उनकी बुरी हालत है। मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप मेरे कालिंग अटैन्शन मोशन को री-कंसिडर करें और उसको एडमिट करें ताकि गवर्नमैंट उसका जवाब दे सके। वहां पर महिलाओं पर भी लाठी चार्ज किया गया है और उनके साथ अत्याचार हुआ है।

श्री अध्यक्ष : वह डिस-अलाऊ हो चुका है।

चौधरी बंसी लाल : अध्यक्ष महोदय, प्रो० छतरपाल सिंह को तीन दिन तक की सजा मिल गई है इसलिये मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि आप उसको हाउस में आने की इजाजत दे दें।

श्री अध्यक्ष : चौधरी बंसी लाल जी, आप कृपया बैठ जाएं।

श्री रमेश कुमार : स्पीकर साहब, मेरा भी एक काल अटैन्शन मोशन था। हरिजनों के लिये मरने जीने का सवाल है। (शोर)

श्री अध्यक्ष: आप उस बारे में कल पूछ लेना।

श्री धीरपाल सिंह : स्पीकर साहब, कल की तो छुट्टी है। (शोर)

श्री अध्यक्ष : जब नैक्सट सीटिंग होगी, उस समय पूछ लेना। (शोर)

श्री धीरपाल सिंह : स्पीकर साहब, माननीय सदस्य ने जो काल अटैन्शन मोशन दिया है, वह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। (शोर)

श्री रमेश कुमार : स्पीकर साहब, हरिजनों की जमीन हथियाने का मामला है, जो कि उनके लिये मरने जीने का सवाल है। (शोर)

श्री अध्यक्ष : आप नैक्सट सिटिंग में इस बारे में पूछ लेना। (शोर)

श्री धीरपाल सिंह : स्पीकर साहब, चौधरी बंसी लाल जी का काल अटैन्शन मोशन डिस अलाऊ हो गया फिर भी आपने उनको उसके बारे में बोलने की इजाजत दे दी। ये नए मैम्बर हैं। इसलिये आप इनको भी टाईम दे दें।

श्री अध्यक्ष : यह अंडर कंसिड्रेशन है। (शोर)

चौधरी ओम प्रकाश चौटाला : स्पीकर साहब, यह मामला हरिजनों के साथ जुड़ा हुआ है।

श्री अध्यक्ष : इनकी तरफ से यह ध्यानाकर्षण प्रस्ताव 8 बज कर 20 मिनट पर दिया गया था और इसका मैंने जवाब भी दिया था कि यह गवर्नमेंट के अंडर कंसीड्रेशन है।

श्री रमेश कुमार : यह गवर्नमैंट हरिजनों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रही है। सिवानी मंडी गांव * * * * (व्यवधान) * * * * * * * * * * * * * *

श्री अध्यक्ष : मेरी परमिशन के बगैर जो कुछ भी बोला जा रहा है, वह रिकार्ड न किया जाये। जो इनका यह काल अटैन्शन था वह डिस अलाऊ हो गया है। अब आप सभी बैठिए।

चौधरी ओम प्रकाश चौटाला : आन ए प्वायंट आफ आर्डर सर, (शोर एवं व्यवधान)

---

*चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

Mr. Speaker : You are not allowed to speak, please take your seat.

चौधरी ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, * (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker : I have not allowed you to speak. This may not be recorded. (व्यवधान)

मुख्य मन्त्री (चौधरी भजन लाल) : स्पीकर साहब, सारे हरियाणा के लोग मेरे अपने आदमी हैं। भजन लाल का कोई रिश्तेदार गलत काम नहीं करेगा। (शोर एवं व्यवधान)

चौधरी ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, जो हमारे सदस्य ने मुद्दा उठाया है, उस पर आप ध्यान दें।

Mr. Speaker : The way he has spoken shows that he is not serious about the matter. Had he acted according to the procedure we would have sent his calling attention motion the Government for comments.

12.00 बजे

चौधरी ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, आपसे मेरी सबमिशन है कि सदन के सम्मानित सदस्य बड़े ही सीरियस हो कर बोल रहे हैं और उन्होंने बहुत ही अहम मुद्दे को उठाया। आपके माध्यम से वे अपनी बात कहने की कोशिश कर रहे हैं। एक गम्भीर मुद्दे पर हाउस का ध्यान उन्होंने दिलाया है। उन्होंने हाउस में जो बात कही है हाउस के सभी सम्मानित सदस्यों ने उसको सुना है। मुख्य मंत्री जी की इस मामले में खुद की इन्वाल्वमैंट है। इनके रिश्तेदार का नाम लिया गया है। मुख्य मन्त्री जी को इस बारे में देखना चाहिये। हरिजनों के साथ अत्याचार हुआ है। लीडर आफ दि हाउस के रिश्तेदार ने यह कार्य किया जो कि बड़ी शेमफुल बात है। (विघ्न)

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, सिवानी में मेरा कोई रिश्तेदार गलत काम नहीं करता है (विघ्न)

श्री रमेश कुमार : मेरे पास लिखा हुआ है। (शोर एवं व्यवधान)

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, कोई भी गलत काम करने वाला आदमी भजन लाल का आदमी नहीं हो सकता। अगर किसी आदमी ने कोई गलत काम किया है, तो उसके खिलाफ सरकार सख्त कार्यवाही करेगी। किसी को बख्शने का कोई सवाल नहीं है। (विघ्न)

*Not recorded as ordered by the chair.

लोक निर्माण मन्त्री (भवन तथा सड़कें) (चौधरी अमर सिंह) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्वायंट आफ आर्डर पर खड़ा हुआ हूं। मैं यह बात कहना चाहता हूं कि ये बिल्कुल निराधार बात कह रहे हैं। कहीं कोई बुल्डोजर नहीं चला। सिवानी मेरी कांस्टीच्यूऐंसी का हिस्सा है। श्री रमेश कुमार हमारे एक आनरेबल मैम्बर हैं। इनको एक्सप्लायट किया जा रहा है। सिवानी के हरिजनों के बारे में जो ये बोल रहे हैं, ये सब चौटाला साहब के पढ़ाए हुए हैं। चौटाला साहब को कहने के लिए और तो कोई बात मिलती नहीं है। बे-सिर पैर की बातों को चौधरी भजन लाल जी के साथ जोड़ देते हैं। मेरे पास भी सिवानी से आदमी आए थे। ऐसी कोई बात नहीं हुई। 1000 गज जमीन के कलेम की बात थी और एस0डी0एम0 ने आकर उसको रोक दिया था। बुल्डोजर चलाने का कोई जिक्र ही नहीं जबकि ये चौधरी भजन लाल का नाम ले रहे हैं। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि वहां पर कोई बुल्डोजर नहीं चला। ओम प्रकाश चौटाला जी कोई भी बात हो इधर-उधर से उठा कर उसको चौधरी भजन लाल जी के साथ जोड़ देते हैं (विघ्न) कल भी यहां हाउस में कुछ कारतूसों के खोल रुमाल में बांध कर ले आए। अध्यक्ष महोदय, इन्होंने इनकी * * * * जैसी हालत बना रखी है। (विघ्न)

चौधरी ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है। (विघ्न)

चौधरी अमर सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं भी प्वायंट आफ आर्डर पर खड़ा हुआ हूं। चौटाला साहब, 3 बार मुख्य मंत्री बन चुके हैं। एक बार 3 दिन के लिये और एक बार 13 दिन के लिये। ये भूतपूर्व मुख्य मंत्री हैं, लेकिन इनको इस बात की भी जानकारी नहीं है कि प्वायंट आफ आर्डर पर प्वायंट आफ आर्डर नहीं हो सकता। चौधरी बंसी लाल जी ने बोलते हुए अपने मोशन के बारे में कुछ कहा था, (विघ्न) सिवानी मेरा हल्का है। कमेटी के मैम्बर्ज की बात भी आई। उन्होंने कहा मैम्बर्ज को हिसार ले गए और वहां दस्तखत करवाए। सिवानी के 13 मैम्बर्ज हैं। उनमें से 8 मैम्बर्ज हरियाणा विकास पार्टी के थे। 2 बड़े नेता जो हाउस के मैम्बर्ज नहीं हैं, वे कुछ लोगों को जबरदस्ती उठा कर ले गए जबकि वहां पर यूनानिमस इलैक्शन हुआ और कांग्रेस की जीत हुई जिसमें अध्यक्ष महोदय, सिवानी में कोई भी वारदात नहीं हुई है। कोई झगड़ा नहीं हुआ और न ही वहां पर कोई बुलडोजर चला है। पांच आदमी रात को मेरे पास भी आए थे जिन्होंने ऐसा नहीं कहा। हाथों और पैरों के अंगूठे लगाकर रमेश कुमार को इस्तेमाल किया है। (शोर एवं व्यवधान)

चौधरी ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है। मेरी अर्ज यह है कि सम्मानित मंत्री जी ने असल बात नहीं करी और इधर-उधर की बात पर चले गए। दूसरे अध्यक्ष महोदय, क्या किसी सदस्य को * * *

---

*चेयर के आदेशानुसार एक्सपंज कर दिये गए।

कहा जा सकता है। वह सदस्य एक सम्मानित सदस्य है और वह हाउस से बाहर जाएगा तो क्या लोग उसे कहेंगे कि वह * * * * बन गया है। आज ये मंत्री बन गए हैं, हरिजन नहीं हैं, इसलिये ये अब उनकी बात नहीं करते हैं।

श्री अध्यक्ष: ये शब्द एक्सपंज कर दिए जाएं।

चौधरी ओम प्रकाश चौटाला: अध्यक्ष महोदय, एक्सपंज से काम नहीं चलेगा। इनको माफी मांगनी पड़ेगी। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप यह बताएं कि क्या हाउस की कार्यवाही आगे चलाई जाए? आप सब बैठ जाएं। आप सब को बोलने का टाईम दिया जायेगा और उन बातों का जवाब भी दिया जाएगा। क्या इस तरह से इन्ट्रप्शन ही करते रहेंगे? (शोर एवं व्यवधान)

श्री धीरपाल सिंह: अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है। मंत्री जी ने जिन बातों की चर्चा की है, उससे इन्होंने मंत्री पद की गरिमा को भंग किया है। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, हमारे विधायक साथी रमेश जी ने हरिजनों पर अत्याचार की जो बात कही थी उस पर चर्चा करनी चाहिये थी लेकिन मंत्री जी ने कह दिया कि चौटाला साहब ने रमेश को इस्तेमाल किया है। यह बात आज के रिकार्ड में है। मैं आपके माध्यम से यह कहूंगा कि हाउस की एक कमेटी बनाई जाए और पता किया जाए कि रमेश कुमार के पास हरिजन आए थे या नहीं। अध्यक्ष महोदय, वे रो रहे थे कि उनको तंग किया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, हमारे सदस्य के प्रति गलत शब्दों का इस्तेमाल किया है। दूसरे इन्होंने * * * वाली बात भी कह दी। (शोर एवं व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, मेरी आपसे गुजारिश है कि मंत्री जी इस बात का खेद प्रकट करें।

समाज कल्याण राज्य मंत्री (कैप्टन अजय सिंह): स्पीकर साहब, मेरा भी प्वायंट आफ आर्डर है।

श्री अध्यक्ष: ऐसा है, आप बीच में डिस्टर्ब न करें। यह सारी कार्यवाही ही प्वायंट आफ आर्डर पर हो रही है। (शोर) यादव जी आप बैठिये।

चौधरी ओम प्रकाश चौटाला: अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है। जब तक मंत्री जी की तरफ से उस सम्मानित सदस्य के लिये कहे गये शब्दों * * * * के लिये माफी नहीं मांगी जाएगी, तब तक हम इस हाउस को नहीं चलने देंगे। यह हमारा अंतिम निर्णय है। अध्यक्ष महोदय, यह शब्द पहले कार्यवाही में आया है और खुद आपने इसको ऐक्सपंज कराया है। (विघ्न)

*Expunged as order by the chair.

चौधरी अमर सिंह : स्पीकर सर, मैंने रामकुमार कटवाल का नाम नहीं लिया। मैंने उनको बिल्कुल भी ऐसा नहीं कहा है। (शोर एवं व्यवधान)

उद्योग मंत्री (श्री ए०सी० चौधरी) : सर, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है। मैं आपकी रूलिंग चाहता हूं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री राम कुमार कटवाल : स्पीकर सर, पहले मंत्री जी को इस बात के लिये हाउस से माफी मांगनी चाहिये। (शोर एवं व्यवधान)

श्री ए०सी० चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है। मैं आपकी रूलिंग चाहता हूं कि जब एक माननीय सदस्य चौटाला जी ने अपनी सारी शराफत की सीमा लांघकर एक मंत्री को 'बेईमान' कहा था और वे लफ्ज विदड्रा भी हो गए थे। स्पीकर सर, एक दुकानदार को दुकानदार ही कहा जाता है, घड़ियों की स्मगलिंग करने वालों को स्मगलर ही कहा जाता है। इनको ईमानदारी का लबादा ओढ़कर प्रोसीडिंग रोकने का कोई अधिकार नहीं दिया जा सकता। अगर ऐसा किया गया तो इससे गलत परम्परा क्रिएट होगी।

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, इनकी मंशा तो यह है कि आज जो मैंने सदन में अपना जवाब देना है, इनमें उसको सुनने की शक्ति नहीं है। ये यहां से आज वाक आउट करना चाहते हैं लेकिन हम इनको यहां से भागने नहीं देंगे। अगर कटवाल साहब को यह बात कहने से तकलीफ हुई है तो हमें इस बात के लिये खेद है। अब आप आगे हाउस को चलाएं।

वाक आउट

श्री कर्ण सिंह दलाल : स्पीकर साहब, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है। कल इस हाउस में छतर पाल सिंह के निलम्बन को रद्द करने के बारे में बात आयी थी (शोर)

श्री अध्यक्ष : ऐसा है कि इस बारे में कल काफी चर्चा हो चुकी है, इसलिये इसमें अब बोलने की कोई बात नहीं है। अब आप बैठिए।

श्री कर्ण सिंह दलाल : स्पीकर साहब, * * *

चौधरी ओम प्रकाश बेरी : स्पीकर साहब, आप हमारी बात तो सुनें। * * * * * * * * * *

---

*चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

श्री अध्यक्ष: जो ये बोल रहे हैं, उसको रिकार्ड न किया जाए क्योंकि ये बिना इजाजत से बोल रहे हैं।

श्री कर्ण सिंह दलाल: अध्यक्ष महोदय, अगर ऐसी बात है तो हम अपनी पार्टी के सभी सदस्यों के साथ इसके विरोध में ऐज ए प्रोटैस्ट वाक आउट करते हैं।

श्री ओम प्रकाश बेरी: मैं भी वाक आउट करता हूं।

(इस समय हरियाणा विकास पार्टी के सदन में उपस्थित सभी सदस्य तथा असम्बद्ध सदस्य श्री ओम प्रकाश बेरी सदन से वाक आउट कर गए)

राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा तथा धन्यवाद प्रस्ताव पर मतदान (पुनरारम्भ)

श्री अध्यक्ष: अब प्रो० रामबिलास शर्मा गवर्नर ऐड्रैस पर बोलेंगे। केवल 10 मिनट।

प्रो० राम बिलास शर्मा (महेन्द्रगढ़): अध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं 20 मिनट से अपने पांवों पर खड़ा हुआ हूं। अभी तो मेरा तवा चढ़ा नहीं, गर्म नहीं हुआ और आप 10 मिनट का समय देने के लिये कह रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मेरी आपसे गुजारिश है कि आज तो मेरे लिये कम से कम आधे घण्टे का समय रखें।

अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय ने अपना अभिभाषण यहां पढ़ा और इस देश के महापुरुष राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बारे में उन्होंने सबसे पहले चर्चा की। वैसे तो, स्पीकर सर, कांग्रेस सरकार की यह परम्परा रही है कि जो भी पाप करते हैं, महात्मा गांधी के नाम से करते हैं। उत्तर प्रदेश में एक ऐसी सरकार कांग्रेस सरकार चला रही है जो अपना आशीर्वाद देकर उस महापुरुष के बारे में गालियां देते हैं। उस सरकार के नेता उस महापुरुष को गालियां देते हैं। मैं कोई गलत बयानी नहीं कर रहा हूं। यू० पी० में कांग्रेस के वरदहस्त से सरकार चल रही है। बहिन मायावती तथा कांशीराम ने महात्मा गांधी को क्या नहीं कह दिया? यह बात इस सदन से छिपी हुई नहीं है। महात्मा गांधी जी की 125वीं जयन्ती मनाई जा रही है। उनके साथ विनोबा भावे जी की भी चर्चा की। स्पीकर सर, आपात स्थिति में हम लोग तो जेलों में थे। एमरजैंसी के बारे में श्रीमती इंदिरा जी ने भी माफी मांगी थी और उसके बाद अब तो लोग एमरजैंसी को अच्छा बताने लगे। अम्बाला की सैन्ट्रल जेल की उन कोठरियों में हमने जो दिन बिताए, उस बारे में चौधरी बीरेन्द्र सिंह जी चश्मदीद गवाह हैं।

(इस समय श्री उपाध्यक्ष पदासीन हुए)

[प्रो० राम बिलास शर्मा]

उन दिनों हम रेडियो पर रत्नाकर भारती को सुना करते थे। विनोबा जी से जेल में इंदिरा जी मिलने गई। विनोबा जी ने मुंह पर पट्टी बांध ली और बात नहीं की। पट्टी बांधने से उस महापुरुष का यह संकेत था कि आजाद मुल्क में बोलने पर पाबंदी नहीं होनी चाहिये। उपाध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि आज हरियाणा में नई राजनीतिक संस्कृति पनप गई है कि अपराध करो और उस पर पर्दा डाल दो। हरियाणा में सी०बी०आई० इतनी पापुलर हो गई है कि कहीं चुनाव लड़ा दो, तो चुनाव जीत जाए।

डिप्टी स्पीकर साहब, मैं इस बात का विरोधी नहीं हूं कि सरकार ने एक हरिजन के बेटे को डी०जी०पी० क्यों बना दिया। इस बात को मैं अच्छा मानता हूं और सरकार की प्रशंसा भी करता हूं। हमें खुशी है कि हरिजनों को भी इस तरह के अवसर मिलने चाहियें लेकिन ला एण्ड आर्डर के मामले अकेले डी० जी०पी० की जिम्मेवारी नहीं बनती। उसमें हर प्रकार से सरकार की भी जिम्मेवारी बनती है कि वह ला एण्ड आर्डर का ध्यान रखे।

डिप्टी स्पीकर साहब, 1991 में कुरुक्षेत्र के अन्दर भूतमाजरा गांव में क्या हुआ? दो ब्राह्मणों की लड़कियां कुसुम व बिमला, एक 19 साल की और दूसरी 21 साल की, का अपहरण हुआ। इस सम्बन्ध में आन्दोलन चला और इसके लिये, हमारे हरियाणा के भूतपूर्व मुख्यमन्त्री, स्वतन्त्रता सेनानी, आज वह शख्सीयत इस संसार में नहीं है, को इसी बात के विरोध में दिल्ली बोट क्लब पर आन्दोलन करना पड़ा लेकिन आज तक सिवाए बिमला की एक चप्पल के और उसकी मरी हुई लाश के और कोई सुराग नहीं मिला और दूसरी लड़की आज तक मिली ही नहीं। कितनी लज्जा की बात है। डिप्टी स्पीकर साहब, हम चौधरी भजन लाल जी के दुश्मन नहीं हैं। वे एक सरकार की भूमिका निभा रहे हैं। वे सरकार चला रहे हैं। 1991 में हरियाणा के अन्दर जो सरकार बनी, वह कोई पार्टी की सरकार नहीं थी। वह एक काली रात हरियाणा में गुजरी और उसके बाद चौधरी भजन लाल के ऊपर हमने विश्वास किया कि वे भले आदमी हैं। जो कहते हैं, करते हैं। ज्यादती नहीं करते। इस तरह की उनकी एक छवि थी। इसलिये उनके नेतृत्व में हरियाणा की डेढ़ करोड़ जनता ने उनको सरकार दी। उनकी सरकार ने 12 जुलाई 1991 को सदन के अन्दर जो अभिभाषण दिया, उसकी बड़ी प्रशंसा हुई और उस अभिभाषण की प्रति मेरे पास है। वे कहते हैं कि अगर बहू-बेटी रात के 12 बजे घर से बाहर जाएगी, तो कोई बदमाश उसकी तरफ आंख उठाकर नहीं देख सकता। सेर सोना डालकर अगर कोई घर से निकलेगी, तो वह बहू-बेटी घर में सुरक्षित पहुंच जाएगी।

डिप्टी स्पीकर साहब, बिमला व कुसुम भूतमाजरा के श्री कृष्ण लाल की बेटियां नहीं थीं। एक बेटी जो होती है, वह पूरे समाज की बेटी होती है। बेटी चाहे ब्राह्मण

की हो, जाट की हो, सुनार की हो, ब्राह्मण की हो, या चमार की हो। बेटियां सभी की बराबर होती हैं।

इसी तरह से सुशीला नाम की हिसार की एक अध्यापिका थी। बहुत अच्छी अध्यापिका थी। कई बार उसको सरकार की तरफ से अवार्ड भी दिया गया और यह मामला दो सालों से यूं ही चल रहा है। आखिर ऐसी क्या बात है कि उसकी हत्या करने वाले अपराधी का पता तक नहीं लग रहा ? अपराध एक निश्चित घेरे में आकर समाप्त हो जाता है। अपराधी का, अपराधों का पता तो लग सकता है लेकिन एक नई संस्कृति आज हरियाणा में चली है कि अपराध कर लो और पर्दा डाल दो और पर्दे के अन्दर समझौता कर लो। इसी तरह से रणधीर सिंह सुहाग नामक लैक्चरर का कुछ पता नहीं चला। होता क्या है कि सभी लाशें नहरों में मिलती हैं। इसी तरह से अशोक नाम के लड़का, जोकि धूधवा गांव का था, के साथ भी आज से डेढ़ साल पहले यही हुआ। उसके परिवार के लोग रो-रो कर बेहाल हो गये। उन्होंने खुद कहा कि जिस जीप में वे लोग आये थे, वह जीप किसी के चुनाव में चली है। यह जीप उत्तर-प्रदेश के मुजफ्फर नगर की है लेकिन पुलिस की वर्दी में अफसर क्या कहते हैं कि जिस गिरोह में यह लड़का है, उस गिरोह के हाथ लम्बे हैं। हम इसको बरामद नहीं कर सकते। भजन लाल जी यह एक उदाहरण है। इसको आलोचना न समझें। आप कृपया इस पर पुनर्विचार करें।

मैं यह कहूंगा कि सुशीला कांड जो है, उस बारे में हरियाणा प्रदेश के लोगों के ऊपर बराबर यह इम्प्रैशन बैठाया जा रहा है कि सी0बी0 आई0 द्वारा खुलकर इस बात का पर्दा फाश क्यों नहीं करवाया जा रहा ? यह इनके अपने हल्के का मामला है।

इसी तरह से नारनौल में 10 तारीख को पुलिस की गोली से दो नौजवान मरे। सुरेन्द्र यादव, जोकि 22 साल का था। राज कुमार शर्मा 24 साल का था। सुरेन्द्र मण्डलाना गांव से अपनी बहन का छूछक लेकर जा रहा था। सराये मुरानी में उसकी छाती में गोलियां लगीं और उसकी बहन की चूड़ियां बिखर कर चूर-चूर हो गईं। इस लिये मेरी रिक्वैस्ट है कि चौधरी भजन लाल जी सुशीला कांड की भी सी0 बी0 आई0 से जांच करवाएं और इसका भण्डा फोड़ करें। उनके अपने जिले की यह घटना है।

इसी तरह से नारनौंद के अन्दर क्या हुआ ? किसान आन्दोलित हो गये। पुलिस की गोली चले और छत पर खड़ा लड़का गोली लगने से मरकर नीचे गिर जाए और फिर ये कहते हैं कि छत से गिर कर मरा है। कभी कह दिया कि पानी से उसकी लाश मिली है और जब ये मुद्दे हम यहां पर उठाएं तो हमको दबाया जाता है। चार साल पुरानी यह सरकार हो गई। जब दिल्ली की सरकार तीन साल पुरानी हुई थी तो वहां पर मिठाइयां बांटी गई थीं। लोगों ने कहा था कि जीओ मेरे लाल। क्योंकि

[प्रो० राम बिलास शर्मा]
नरसिम्हा राव के बारे में किसी ने सोचा नहीं था कि वे तीन साल निकाल जाएंगे।
* * * * * * * *

मुख्य मन्त्री (चौधरी भजन लाल) : उपाध्यक्ष महोदय, देश के प्रधान मन्त्री के बारे में ये ऐसी बात कहें यह मुनासिब नहीं है। यह भाषा राम बिलास शर्मा की नहीं हो सकती। अगर इधर वाले कहते, दूसरी बात थी। इसलिये आप इन शब्दों को कार्यवाही से निकलवाएं।

श्री उपाध्यक्ष : ठीक है, ये शब्द रिकार्ड पर न लाए जाएं।

प्रो० राम बिलास शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, संगत का असर तो पड़ता ही है। (हंसी) तो यह चार साल पुरानी सरकार हो गई। आप कोई असैम्बली का सवाल उठा कर देख लें। कोई गवर्नर एड्रैस या बजट स्पीच उठा कर देख लें, इस आगस्ट हाउस का 80 परसैन्ट टाईम छोटा कसी पर खर्च हुआ है। यहां कहा गया कि पिछली सरकार ने यह कहा कि हमने यह किया। उन्होंने जो किया, उसकी उन्होंने सजा पा ली। वे आज बेचारे मारे-मारे फिर रहे हैं। क्या आप भी वैसा ही करना चाहते हैं? (विघ्न) डिप्टी स्पीकर साहब, यह सरकार हर सवाल के जवाब में और एड्रैस में यह कहती है कि पिछली सरकार ने ऐसा किया था। कल एक सवाल था और मन्त्रीगण को शायद यह ट्रेनिंग दी हुई है कि तैयारी मत करो। वह कितना बढ़िया सवाल था। उसका नं० 1037 था। हमने पूछा था कि इसमें 11 परसैन्ट कंसलटैंसी फीस ली गई। आपके पास पी०डब्ल्यू०डी० में इतने इंजीनियर्ज हैं, उनके होते हुए आपने 11 परसैन्ट फीस दे दी। योजना 1190.16 लाख रुपए की थी और आपने 1330.22 लाख रुपए ठेकेदार को दे दिए। सरकार के ऐसे फैसले जनता को प्रभावित करते हैं। इस तरह से यहां पर चार साल से ड्रामा चल रहा है। कल जो प्रधान थे, आज वे नहीं रहे। इनका मन्त्रिमंडल भी इतना बड़ा है कि सारे देश में एक मिसाल है। उन्होंने कोई एम०एल०ए० नहीं छोड़ा। उपाध्यक्ष महोदय, मेरे पास हरियाणा के बहुत पुराने और सम्मानित अखबार 'दैनिक ट्रिब्यून' की एक प्रति है। हमारे यहां अपराधों पर पर्दा डालने की जो संस्कृति है, जनता के मानस पर लगातार चोट पहुंचाने की जो संस्कृति है, उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने इनको लताड़ा है। यह 24 फरवरी, 1995 का अखबार है। इसके सम्पादकीय का हैडिंग है "सुप्रीम कोर्ट की लताड़"। मैं इसको विस्तार से नहीं पढ़ूंगा। सम्पादक ने कहा है कि हमारे सुप्रीम कोर्ट ने ठीक ही कहा है। उन्होंने कहा कि "सब से चिन्ताजनक बात उसके द्वारा न्यायपालिका को भी गच्चा देने की है"। अगर ऐसा है तब तो पुलिस पर से रहा सहा विश्वास भी उठ जाएगा, उसकी छवि में सुधार की बातें खोखली रह जाएंगी। यह सम्पादक महोदय ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले

---

*चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

के बाद लिखा है कि इस पर चिन्ता होनी चाहिए । इस पर छींटा कशी से काम नहीं चलेगा । इसमें सरकार अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकती । कानून व्यवस्था के बारे में भी बहुत चिन्ता की स्थिति है । आज कुछ लोग सरकार में रहते हुए उसकी प्रशंसा करते हैं, लेकिन सरकारें तो बदलती रहती हैं । अब जो लोग ऐसी बातें करते हैं, वे समय पर काम नहीं आते । सब लोग आपके पास दरख्वास्त लेकर नहीं आ सकते । सब लोग आपके दरवाजे पर आ करके एड़ियां नहीं रगड़ सकते । कृष्ण लाल पंडित, जिसको अपनी दो लड़कियों के बारे में आज तक न्याय नहीं मिला है, इसके कारण जनता जनार्दन में पुलिस के प्रति एक अविश्वास फैला है । उससे जनता में एक दहशत का वातावरण बना है । इसी तरह से रणबीर सिंह सुहाग की हत्या की गई, जिसके कारण रोहतक विश्वविद्यालय में अविश्वास पनप रहा है । आक्रोश पनप रहा है । इस पर सरकार को चिन्ता करनी चाहिए । इस पर सरकार को अपना आत्म विश्लेषण करना चाहिए । डिप्टी स्पीकर साहब, यदि सरकार से पीने के पानी के बारे में कोई सवाल पूछा जाए तो कहते हैं कि फण्डज की उपलब्धि पर इस पर विचार होगा ।

डिप्टी स्पीकर साहब, अस्पतालों की बहुत बुरी हालत है । आज से लगभग 11 दिन पहले की बात है । हमारी सड़क पर एक संजय यादव नाम का नौजवान पड़ा कराह रहा था । उसको वहां से उठा कर अस्पताल में ले जाने के लिए किसी ने गाड़ी नहीं रोकी । मैं उसको वहां से उठा कर नारनौल के अस्पताल में ले कर गया । उस समय रात के लगभग 8.00 बजे थे । हमने सब डाक्टर इकट्ठे किए । उस नौजवान का सिर फटा पड़ा था और दिमाग बाहर निकला हुआ था । डाक्टर कहते हैं कि यह बच नहीं सकता । मैंने कहा, बच नहीं सकता, यह अधिकार तो मालिक के हाथ में है परन्तु आप इसको आप्रेशन थियेटर में ले जा कर इसकी स्टीचिंग तो करें । मेरे कहने के बाद डाक्टर उसको आप्रेशन थियेटर में ले गए । लेकिन आप्रेशन थियेटर में लाईट नहीं थी, ट्यूब नहीं थी । उस समय किसी चौकीदार से बैटरी ले करके उस 22 वर्ष के नौजवान को जैसे एक पशु को आड़ा गेर करके टांका लगाया जाता है उसी तरह से उसकी स्टीचिंग की गई । फिर वह कहां बचना था ? हमारे मन्त्रिमण्डल के बहुत से साथी रोहतक मैडीकल कालेज में विश्राम करने के लिए जाते हैं । रोहतक मैडीकल कालेज की तीन वार्ड मंजिल की इमारत पर पूरा एक करोड़ रुपया लगा दिया होगा । शायद उस बिल्डिंग का उद्घाटन करने से पहले उसमें करैक्स आ गए । उस बारे में सवाल पूछा गया तो दाएं-बाएं की बात करके कहते हैं कि तुम्हारे समय में यह काम हुआ था, पिछली सरकार ने किया था । डिप्टी स्पीकर साहब जो करता है, उसी को भुगतना पड़ता है । यह जनता जनार्दन सब को देखती है । इस जनता जनार्दन के ऊपर भी एक आंख है, जो सब को देख रही है । डिप्टी स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से इस सरकार से कहना चाहूंगा कि आपके पास जितने साधन हैं उनमें से अस्पतालों के एमरजैंसी वार्ड्ज और कैजुअलिटी

[प्रो0 राम बिलास शर्मा]

को डील करते हैं उन के लिए दवाईयां जरूर भिजवाएं । डिप्टी स्पीकर साहब, पिछले दिनों महेन्द्रगढ़ और गुड़गांव के बीच में तीन महीने पहले चार एक्सीडेंट्स हुए थे । उनमें 25 जानें गई थीं । रिवाड़ी अस्पताल में एमरजैंसी नहीं है। वहां पर डाक्टर्ज नहीं हैं । दूसरे साधन नहीं हैं । गुड़गांव के अस्पताल में कोई साधन नहीं है । आगे जाते-जाते लोग दिल्ली पहुंचते हैं । लेकिन दिल्ली के नर्सिंग होम ऐसे हैं जैसे लोगों ने फाईव स्टार होटल खोल रखे हैं । गरीब आदमी उनकी तरफ मुंह झांक कर नहीं देख सकते । मेरे कहने का मतलब यह है कि सरकारी अस्पतालों में एमरजैंसी केसिज को तो जरूर इन्टरटेन किया जाए लेकिन ऐसा नहीं किया जाता है । मैं यह बात कह कर बहन करतारी देवी पर कोई इल्जाम नहीं लगा रहा हूं । मैं उनसे कहना चाहता हूं कि वे स्वयं जा करके देखें कि अस्पतालों में वार्डज की क्या हालत है ? एमरजैंसी की क्या हालत है ? आप्रेशन थियेटर्ज की क्या हालत है और इक्विपमैंटस की क्या हालत है ? अस्पताल में एक्स-रे की मशीन है, लेकिन आप्रेटर नहीं है; अगर आप्रेटर है तो वह दारू पी कर पड़ा हुआ है । आप अस्पतालों से यह रिकार्ड मंगवा कर देख लें कि पिछले दिनों में कितने इक्विपमैंट्स को यूटिलाईज किया गया है ।

डिप्टी स्पीकर साहब, अब मैं एस0वाई0एल0 के मुद्दे पर बोलना चाहूंगा । मुख्य मन्त्री जी ने 12 जुलाई, 1991 के भाषण में कहा था कि हम 6 महीने के अन्दर इस मुद्दे को सुलझा लेंगे । डिप्टी स्पीकर साहब, सारे विपक्ष के लीडर्ज ने, हमने, प्रो0 सम्पत सिंह ने, चौधरी बंसी लाल ने, यह कहा कि एस0वाई0एल0 के बारे में एक प्रस्ताव पास करते हैं लेकिन इन्होंने उस बात को नहीं माना । डिप्टी स्पीकर साहब, इस सरकार के बनने के बाद एस0वाई0एल0 नहर का कोई भी काम नहीं हुआ । बात एक कदम भी आगे नहीं चली । एक तरफ तो हमारे वह जिले हैं, जहां पर जल स्तर बहुत नीचे जा रहा है । आज सिंचाई मन्त्री चौधरी जगदीश नेहरा ने यह माना है कि जल स्तर 40 फुट तक नीचे चला गया है । लेकिन मैं जिस इलाके से चुन कर आता हूं, उस इलाके का जल स्तर 400, 450 और 500 फुट तक नीचे चला गया है । लगभग 500 फुट नीचे जा कर किसानों को सिंचाई के लायक पानी मिलता है । जहां पहले 3 हार्स पावर की मोटर काम करती थी, वहां आज 15 हार्सपावर की मोटर भी काम नहीं कर पा रही । ऐसी हालत आज हमारे यहां पर हुई पड़ी है । हमने इस बारे में अपनी चिंता प्रकट करते हुए रूल 84 के तहत नोटिस भी दिया था । सरकार को बताना चाहिए कि हम इतनी बिजली पैदा करेंगे किसान अपनी फसल बोये या न बोये । समय पर बिजली न आने के कारण बच्चे भी नहीं पढ़ पाते । मुझे तो लगता है कि सरकार ने लैम्प बनाने वाली फैक्ट्रियों के साथ समझौता किया हुआ है कि तुम लैम्प बनाओ, तुम्हारे बिकेंगे क्योंकि बिजली तो होगी नहीं । इस बारे में मेरा अनुरोध है कि कम से कम सायं 7 बजे

से लेकर रात 10 बजे तक तो बिजली अवश्य रहनी चाहिए ताकि बच्चे पढ़ सकें और दूसरे काम हो सकें। चौधरी वीरेन्द्र सिंह जी काबिल बिजली मन्त्री रहे हैं और पिछली सरकार में इन्होंने काफी बिजली जनरेट की थी। इनको चाहिए कि लाईन लॉसिज 27 परसैंट से घटाकर 10 परसैंट लायें। प्लांट लोड फैक्टर 45 परसैंट से क्या 95 परसैंट नहीं कर सकते? जब टाटा 95 परसैंट बिजली पैदा कर सकता है और आन्ध्र प्रदेश 97 परसैंट बिजली पैदा कर सकता है तो हमारे यहां पर ऐसा क्यों नहीं हो सकता? इनको अपने इक्विपमेंट्स का पूरा फायदा उठाना चाहिए। आज 27 परसैंट बिजली चोरी होती है। बिजली की चोरी ऐसी नहीं है कि इसे कोई खेत से उठा कर अपने साथ ले जाए। यह तारों से होती है। It is a managed theft of electricity.

डिप्टी स्पीकर साहब, विश्वविद्यालय का वातावरण और औद्योगिक वातावरण बिजली के कारण काफी परेशान है। आज हरियाणा में आंकड़ों को आगे-पीछे करके विकास किया हुआ बताते हैं। एक बार सदन में बोलते हुए कृषि मन्त्री जी कह रहे थे कि इस साल फसल बहुत अच्छी होगी। मैं कृषि मन्त्री जी को बताना चाहता हूं कि यदि बरसात नहीं होती, तो फिर क्या होता? इसका पता किसानों के साथ हुक्का पीने वाले लोगों के साथ बैठकर लगाया जा सकता है।

डिप्टी स्पीकर साहब, आज कांग्रेस बेचारी का जहाज समुद्र में डूब रहा है। इस डूबते हुए जहाज में मुझे कुछ अपने साथियों की चिंता है, जिसमें वीरेन्द्र सिंह जी भी शामिल हैं। मुझे चिंता है कि कहीं ये मेरे प्रिय साथी इस समुद्र में शहीद न हो जाएं। हमारे यहां पर एक परम्परा, संस्कृति राजनीति की रही है। (विघ्न) डिप्टी स्पीकर साहब, गांव में डंगर चराने वालों को 'पाली' कहते हैं और यह सौभाग्य गऊएं चराने का मुझे भी प्राप्त हुआ है। भगवान श्रीकृष्ण भी पाली रहे हैं। उन्होंने भी गऊएं चराई हैं। लेकिन कुछ पाली अच्छे होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं कि जब सायं को वापस आते हैं, तो यदि उसके पास 100 डंगर हैं, तो उनमें से 30 गायब मिलेंगे और 30 की सिर-पूंछ टूटे-फूटे मिलेंगे। इसलिए चौधरी वीरेन्द्र सिंह जी को तो ऐसा पाली मिला हुआ था, उसने इनको भगाया हुआ है, ये खुद नहीं भागे। इनके साथ हालात ही कुछ ऐसे हो गए। डिप्टी स्पीकर सर, आपको तो रहम करना चाहिए। इस सदन में हरिजनों और ब्राह्मणों पर कुल्हाड़ा चल रहा है। कल को आपके रिश्तेदार भी आपसे पूछेंगे (हंसी) आपको भी जवाब देना पड़ेगा। (विघ्न तथा घंटी) जो रैलेवैन्ट बोलता है, उसको भी आप बोलने नहीं देते हैं और जो इर-रैलेवैन्ट बोलता है, उसको भी बोलने नहीं देते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रोफैसर साहब, स्पीकर साहब आपको 15 मिनट बोलने के लिए समय दे कर गए थे और आपको आधा घण्टा हो गया है। 15 मिनट का समय तो मैं अपनी तरफ से आपको पहले ही दे चुका हूं।

प्रो० राम बिलास शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, इस गवर्नर एड्रैस में हरिजनों के कल्याण की बात कही है । जब चुनाव आते हैं, कांग्रेस की टोली हरिजनों में भाषण देते हुए कहते हैं कि हम तुमको स्वर्ग में ले चलेंगे, हम तुमको प्लाट देंगे । उस गरीब को जो प्लाट दिया जाता है वह मात्र दिखावा है । जेठ बैसाख के महीने में पटवारी गांव में जाएगा, जोहड़ की तली में हरिजनों के लिए प्लाट काटेगा । सावन के महीने में मींह बरसेगा । उस बेचारे हरिजन की झुग्गी भी जाएगी और प्लाट भी जाएगा। डिप्टी स्पीकर साहब, इस इशू पर हम लोगों को ईमानदार होना चाहिए । मध्य प्रदेश में हमारी सरकार थी और मध्य प्रदेश में बाबा साहब भीमराव अम्बेदकर की जन्म शताब्दी हमारी सरकार ने 14 सितम्बर, 1987 को मनाई थी । पण्डित दीन दयाल उपाध्याय का जन्म दिन मनाया गया था । वहां 4 लाख एकड़ जमीन एक लाख हरिजनों और आदिवासियों को हमारी सरकार ने दी और उनको कहा कि यह जमीन तुम्हारी है और तुम्हारे खानदान की है। इन्तकाल चढ़ा कर, गिरदावरी चढ़ा कर खतौनी की किताब उनके हाथ में दे दी । उपाध्यक्ष महोदय, हरिजनों का कल्याण इस प्रकार से होता है । केवल लिख देने से कुछ नहीं होता । उपाध्यक्ष महोदय, आज हरिजनों की स्थिति क्या है ? हरियाणा में कितने ऐसे मामले हैं, जिनमें उनकी जान पर नहीं बीतती ? संग्रेहणी का मामला आखिर में रफा दफा हो गया । सन्तोष 24 वर्षीय गरीब हरिजन बहन के पति को किस तरह से मार दिया गया । उस महिला के साथ सलीम खान और 4 आदमियों ने मुंह काला किया । उसका घरवाला रघुबीर उनको उलाहना देने गया लेकिन उसको मार दिया गया । बाद में मुकदमा दर्ज हुआ तो राजनेताओं ने मिल कर राजीनामा करवा दिया । उपाध्यक्ष महोदय, यह सच्चाई है । आग के ऊपर कितना ही फूंस डाल दो, आग दबेगी नहीं सच्चाई और आग में इतना दम होता है कि आग घास को जला देती है और राख बना देती है तथा अंगारा फिर ऊपर आ जाता है । यह बात दबने वाली नहीं है । हरिजनों के साथ, उपाध्यक्ष महोदय, जाखल थाने में क्या हुआ ? न्याय मांगने जाएं तो उनको कैसा जवाब मिलता है ? ये ऐसी बातें हैं, जिन के ऊपर सरकार को चिन्ता करनी चाहिए ।

एस०वाई०एल० के मुद्दे को सरकार को हल करना चाहिए था । चौधरी भजन लाल की सरकार को बने हुए 4 साल हो गए हैं । कभी वे बेअन्त सिंह जी के साथ चाय पी रहे हैं । आज यह बात हुई । कल वह बात हुई । लेकिन मामला कोई तय नही हुआ । अब फिर जमुना जल समझौता चारों मुख्य मन्त्रियों ने मिल कर कर लिया है । हमारे मुख्य मन्त्री जी कहते हैं कि हमारा हिस्सा कम नहीं हुआ । उपाध्यक्ष महोदय, हमने तो जो फैसला पढ़ा है, जो बाकायदा आंकड़े दिए गए हैं, जितना हिसाब-किताब हमें आता है, उसके हिसाब से तो हमारी पानी की मात्रा कम हुई है । मुख्य मन्त्री जी जवाब देते समय इस बारे भी बता दें, तो उचित होगा । यह सरकार एस० वाई० एल० के मुद्दे पर बिल्कुल चुपचाप हो गई है ।

इस वायदे पर इस सरकार ने हरियाणा की जनता के सा विश्वासघात किया है । इस मामले पर निर्णय होना चाहिए लेकिन इधर-उधर की बात करके इस सरकार ने एस0वाई0एल0 के मुद्दे को डाल्यूट कर दिया है और इस मुद्दे से लोगों का ध्यान हटा दिया है । उपाध्यक्ष महोदय, एस0वाई0एल0 से महत्वपूर्ण कोई दूसरा मुद्दा नहीं है । हमारे इलाके में पानी का लैवल 450 फुट से 500 फुट के करीब नीचे जा लगा है । बहन चन्द्रावती जी यहां हाउस में बैठी हुई हैं । वे अपने हल्के की बात को जानती हैं । वे लोहारू से विधायक हैं । वे सारी हालत को जानती हैं कि वहां पर किसान की क्या हालत हो रही है और वह कैसे जिन्दा है ? स्पीकर सर, एस0वाई0एल0 का पानी आना चाहिए । महेन्द्रगढ़, रिवाड़ी, भिवानी, फरीदाबाद, गुड़गांव जिले के किसानों की हालत अगर पानी न मिला तो 4–5 साल बाद क्या होगी, आप उसका अन्दाजा नहीं लगा सकते हैं । 3 हॉर्स पावर की मोटर की बजाये 15 हॉर्स पावर की मोटर लगानी पड़ती है । उसका खर्च बढ़ गया है और कैपेसिटी कम हो गई है । डिप्टी स्पीकर सर, अगर इस मुद्दे को और ज्यादा देर तक लटकाया जाता है, तो यह अच्छी बात नहीं है । 1991 के चुनाव में लोगों को विश्वास मिला था कि हम 6 महीने में किसान की क्यारी के अन्दर पानी पहुंचा देंगे । हम 90 दिन के अन्दर इस पर काम शुरू करा देंगे । लेकिन 4 साल के बाद भी उस पर कोई काम नहीं हुआ । किसान की क्यारी के अन्दर पानी का सपना पूरा नहीं हुआ है । डिप्टी स्पीकर सर, एस0वाई0एल0 के मुद्दे पर यह सरकार गुनाहगार है । मैं इन शब्दों के साथ कहता हूं जो हरियाणा के हितों के साथ जुड़े हुए हैं, चाहे वह एस0वाई0एल0 का मुद्दा है, चाहे वह रावी-ब्यास का मुद्दा है, उन पर हरियाणा की जनता अपने को ठगा गया महसूस करती है । उसके साथ इस मामले पर धोखा हुआ है । कानून व्यवस्था की स्थिति के बारे में 1991 में चौधरी भजन लाल जी ने लोगों को विश्वास दिलाया था लेकिन लोग आज नाराज हैं । लोगों के विश्वास पर चौधरी भजन लाल जी की सरकार खरी नहीं उतरी । उपाध्यक्ष महोदय, इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करते हुए इस अभिभाषण का विरोध करता हूं तथा आपका धन्यवाद करते हुए अपना स्थान ग्रहण करता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : चौधरी साहब, आप को कितना समय चाहिये ।

चौधरी भजन लाल : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे भी काफी समय लगेगा ।

श्री उपाध्यक्ष : अभी लहरी सिंह जी को पांच मिनट बोलना है । श्री लहरी सिंह जी, आप बोलें ।

साथी लहरी सिंह (रादौर एस0सी0) : उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं । उपाध्यक्ष महोदय, भाई शेर सिंह जी ने गवर्नर साहब का धन्यवाद करने के लिए प्रस्ताव पेश किया है, मैं उसका समर्थन

[साथी लहरी सिंह]

करने के लिए खड़ा हुआ हूं । उपाध्यक्ष महोदय, जो इन्सान अपने बुजुर्गों को याद रखता है, उसकी भगवान भी सुनता हैं । महात्मा गांधी जी ने सपना दिखाया था कि गरीब आदमी को सहूलियत मिले और जो भी फायदा हो, वह गरीब आदमी को ही मिले । आज अमीरों का स्टैटस तो वही है, लेकिन आज गरीब आदमी यह महसूस करता है कि अगर उसकी बात नहीं सुनी जाती है तो वह किसी को भी चाहे वह प्रधान मन्त्री हो, मुख्य मन्त्री हो या कोई और हो, उसको ललकार सकता है । अगर महात्मा गांधी जी का सपना न होता और अम्बेदकर जी की कलम न चली होती तो आज हालात कुछ और ही होते । आज गरीब आदमी का ख्याल रखा जाता है । आज ये सब किसान-किसान कहते रहते हैं । उनका नाम लेकर के उनको एक्सपलाए-टेशन करते हैं । आज जो सरकार है, इन्होंने गरीबों और किसानों की भलाई के लिए काम किया । इस सरकार ने 'सर छोटू राम जी' के नाम पर डाक टिकट निकलवाया है । आज की सरकार ने ही सब कुछ कर दिखाया है । इस सरकार से पहले भी कई सरकारें आईं लेकिन उन्होंने किसानों के लिए कुछ नहीं किया । वे इस बात का दावा करते थे कि हम किसानों की भलाई के लिए यह करेंगे, वह करेंगे । इन्होंने गेहूं का रेट 3 या 5 रुपए और गन्ने का रेट 2 रुपए से ऊपर नहीं बढ़ाया । आज हमारी सरकार ने गन्ने का रिकार्ड तोड़ 60 रुपए का रेट दिया है और गेहूं का 25 और 30 रुपए का रेट बढ़ाकर दिया है । जिससे आज किसानों को बहुत फायदा हुआ है । मैंने पहले भी कहा है कि जो इन्सान सच्ची नीयत से अपने बुजुर्गों को याद रखता है उनकी भगवान भी सुनता है । इस बार जो हरियाणा में फसल हुई है, वह रिकार्ड तोड़ फसल हुई है ।

यह इसलिए हुई है क्योंकि मुख्यमन्त्री जी की और सारे ऑफिसर्ज की नीयत अच्छी थी । गांव-गांव में और एक-एक ब्लाक में जाकर बाकायदा जो इंसेटिव दे सकते थे, वह उन्होंने दिया है । मैं सबसे निवेदन करना चाहूंगा कि किसानों की फसलों का, किसानों की मेहनत का और किसानों के हकों का जो ध्यान रखता है, वह आज की सरकार ही है । आज क्वैश्चन उठता है दक्षिणी हरियाणा का और उत्तरी हरियाणा का । उपाध्यक्ष महोदय, मैं और आप पुराने अम्बाला और पुराने करनाल का प्रतिनिधित्व करते हैं । इन लोगों को आज इस बात की चिढ़ हो गयी है कि यह मुख्य मन्त्री क्यों पुराने अम्बाला और पुराने करनाल को आगे ला रहा है ? मेरी समझ में नहीं आता कि जो काम करना चाहता है, उसे ये काम करने नहीं देना चाहते । सर, यह तो वही बात है कि एक आदमी बैठा था । जब वह उठने लगा तो किसी ने छींक दिया और जब वह बैठने लगा तो फिर किसी ने छींक दिया तो वह आदमी कहने लगा कि न तो मुझे बैठने देते हैं और न ही मुझे उठने देते हैं । अगर आज यह सरकार कोई काम करती है, तो कहने लगते हैं कि सारा काम कालका में ही रहा है और कभी कहने लगते हैं कि आज कोई काम ही

नहीं हो रहा है । मैं यह कहना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान की आजादी के बाद सानी 1947 के बाद जो भी सरकार बनी, उसमें पानी के मामलों के मिनिस्टर चौधरी लहरी सिंह, रणबीर सिंह और उनके बाद चौधरी रिजक राम ही मिनिस्टर बने । ये सारे के सारे मन्त्री जो कि पानी के मामलों को देखते थे, रोहतक, सोनीपत, हिसार और सिरसा जिले, के ही बने हैं और इनमें से किसी ने भी पानी के बारे में कुछ नहीं सोचा । इनके वक्त से पानी का जो बंटवारा चला आ रहा था, वह इन्तजाम पानी का आज भी है । क्या उनको उस समय इस इलाके का ख्याल नहीं था ? इसके अलावा, ये यहां पर बातें कर देते हैं कि हमने यह कर दिया, हमने वह कर दिया उपाध्यक्ष महोदय, प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या जरूरत है ? 31 दिसम्बर, 1981 को प्रधानमन्त्री इंदिरा गांधी इस हरियाणा में आयी थीं और उन्होंने पंजाब के बोर्डर पर एस०वाई०एल० का काम शुरु किया था । उससे पहले तो पंजाब के हिस्से में कोई काम शुरु ही नहीं हुआ था जबकि ये उल्टे कह देते हैं कि हमने यह कर दिया वह कर दिया । पिछली सरकार ने कहा कि भाई प्रकाश सिंह बादल कस्सी लगाएंगे और चौधरी देवी लाल टोकरी उठाएंगे । लेकिन इनका वह वायदा वायदा ही रहा । उपाध्यक्ष महोदय, यह बड़ा दुर्भाग्य है कि इतना पैसा खर्च होने के बाद भी आज इस पर कोई अचीवमैंट नहीं है । कहीं कोई काम नहीं हो रहा है । लेकिन आज जो काम करना चाहते हैं, उनको ये लोग काम करने नहीं देते । मैं सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि हमको बड़ी शांति से इस देश की प्रगति में योगदान करना चाहिए । उपाध्यक्ष महोदय, इसके अलावा, आपने देखा होगा कि इस प्रदेश में पंचायतों के चुनाव कितने निष्पक्ष तरीके से हुए । कहीं भी किसी पार्टी को किसी बात की शिकायत नहीं आयी । जो आदमी मैरिट में आया उसको ही चुना गया है । मैं इस बात के लिए सरकार और सारे ऑफिसर्ज को बधाई देना चाहता हूं । इसके अलावा अगर आज भारतवर्ष में कोई प्रगति के काम हो रहे हैं, तो हरियाणा में वह काम सबसे पहले चालू होते हैं । यह काम हरियाणा में पहले क्यों चालू होते हैं ? वह इसलिए कि सरकार वास्तव में हरियाणा का विकास करना चाहती है । इसलिए मेरा सबसे नम्र निवेदन है कि विकास के कार्य करने दें और हरियाणा को आगे बढ़ने दें । उपाध्यक्ष महोदय, आप देखेंगे कि जब सारे देश में चुनाव के लिए पहचान-पत्र बनने शुरु हुए तो हरियाणा ने सबसे पहले ये पहचान पत्र बनाए । इसी तरह से ट्रांसपोर्ट डिपार्टमैंट सारे देश में लगातार दो साल से खर्च में और सेवा में फर्स्ट आ रहा है । (घंटी) सर, अभी तो मैंने शुरु ही किया है । मुझे थोड़ा समय और दें । मैं कह रहा था कि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमैंट सारे देश में प्रथम आया है । सर, मैं इसके लिये सारे ऑफिसर्ज को और श्री बलबीर पाल शाह को बधाई देता हूं कि इन्होंने बहुत बढ़िया काम किया है । इसी तरह से आपने कृषि के बारे में देखा होगा । इसके बारे में मैं साथ ही कहना चाहता हूं कि नेकनीयती के साथ अगर काम किया जाए तो उसका नतीजा अच्छा ही होता है । हमारे ऊपर बड़ी ज्यादतियां हुई हैं । उसके बावजूद आज के किसान ने बहुत मेहनत

[साथी लहरी सिंह]
करके, काम करके और सारी सरकार ने भी मेहनत करके अपना रिकार्ड तोड़ दिया है। इसकी जलन अपोजीशन के भाइयों को नहीं होनी चाहिए। जहां तक कृषि के लिए पानी की बात है, कृषि के मामले में भी हमारे साथ ज्यादती हुई है। मेरे हल्के की छाती को चीरती हुई आगुमैन्टेशन कैनाल का सारा का सारा पानी भिवानी, सिरसा और हिसार को जा रहा है। यह क्या बात है ? जब हमारी फसल पकने को तैयार होती है, उसमें एक-दो पानी की कसर रह जाती है तो उस नहर से हमें पानी मिलना चाहिए वाटर रीचार्जिंग के बारे में आज क्वेश्चन भी पुट हुआ था। उस तरीके से भी किसानों को पानी दिया जा सकता है। किसान पर बड़ा भारी बोझ है। उपाध्यक्ष महोदय आपके एरिया में पानी का लैवल 100 से 150 फुट नीचे चला गया है।

Mr. Deputy Speaker : I trust Nehra Sahib he is taking full note of what is being said.

साथी लहरी सिंह : पानी का जो लैवल नीचे चला गया है, उसका इंतजाम आज किसी किसान के पास नहीं है। पहले मोनोब्लाक पम्प होते थे, उससे पानी निकल आता था। किसान को 2 हजार से लेकर 6 हजार रुपये तक टैक्स देना पड़ रहा है। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमन्त्री जी से कहना चाहूंगा कि यह किसान के साथ ज्यादती है। जो किसान सारे देश का पेट पालता है आज अगर हमारे इलाके का किसान खेती करनी बन्द कर दे तो ये स्टेट तो भूखी रहेगी ही साथ ही दूसरी स्टेटस भी भूखी मरेगी। इसलिए किसान का पूरी तौर से ध्यान रखना चाहिए। सबमर्सिबल पम्प टैक्स फ्री करने चाहिएं क्योंकि वह किसान ही खरीदता है किसान का ट्यूबवैल के बगैर काम नहीं चलता।

उपाध्यक्ष महोदय, इंडस्ट्रीयल ट्रेनिंग का महकमा नौजवानों को रोजगार देने के लिए बड़ा अहम महकमा है। अब इसकी जगह जगह से डिमांड आ रही है। सरकार ने आई० टी० आई० और वी० आई० खोले हैं। यह बहुत अच्छा कदम है। भारतवर्ष में जो भी स्कीम आती है, सबसे पहले उसे यहां ट्राई करते हैं। यमुनानगर करनाल, पानीपत का जो गंदा पानी यमुना नदी में जाता था, उससे हजारों डंगर हर साल मर जाते थे। उसके पानी को साफ करने के लिये डेढ़ करोड़ रुपये का प्रोजैक्ट शुरु होने जा रहा है। उसका नींव पत्थर मुख्यमन्त्री जी ने रखा है इस प्रोजैक्ट के चालू हो जाने के से गन्दे पानी की एक बूंद भी यमुना नदी में नहीं जाएगी और जो पानी गंदा है, उसकी खाद बनाकर किसानों को दी जाएगी। एक एकड़ एरिया में एक कट्टा कम यूरिया खाद डालनी पड़ेगी। इतना फायदा किसानों को होगा यह बहुत अच्छा कदम है। एक स्कीम मुख्यमन्त्री जी ने और चलाई है जिसके लिए भारत के प्रधान मन्त्री जी ने मुख्यमन्त्री जी को बधाई दी है और कहा है कि यह स्कीम सारे भारत में लागू कराएंगे।

यह जो सरकार ने किया है इसके लिये मैं चौधरी भजनलाल जी को हार्दिक

13.00 बजे | बधाई देता हूं कि जो बच्ची पैदा होगी, उसकी मां को उसी वक्त 500 रुपया दे दिया जाता है और 2500 रुपये उस बच्ची के नाम जमा कर दिया जाता है ताकि 18 सालों के बाद उसको 25000 रुपया मिल जाए चाहे वह नौकरी करे चाहे वह अपना काम करे। इस से वह समाज की एक सम्मानित सदस्या बनकर गुजारा कर सकेगी। यह कोई छोटी मोटी बात नहीं है।

इसके साथ साथ डिप्टी स्पीकर साहब मैं साक्षरता अभियान पर कुछ कहना चाहूंगा। इसके साथ साथ शिक्षा के बारे में भी कहूंगा। शिक्षा मन्त्री महोदय व मुख्यमन्त्री महोदय से कहूंगा कि मेरा जो इलाका है वह रूरल एरिया है। उस एरिया में स्कूलों की अपग्रेडेशन में बहुत कमी है। जैसे बबैन, धारा व गुमथला गांव ऐसे हैं, यहां पर स्कूलों को जल्दी से जल्दी 10+2 बना दिया जाए ताकि बच्चों को किसी प्रकार की दिक्कत न हो और उन्हें दूर दूर जाने से बचाया जा सके।

यहां पर हर बार यही कह दिया जाता है कि जुल्म हो गया और ला एण्ड आर्डर की स्थिति बड़ी खराब है। मैं इन अपोजीशन के भाइयों को यह कहना चाहता हूं कि क्या ये कभी जनता को ला एण्ड आर्डर दे भी पाये हैं? ये तो सिर्फ दूसरों की जमीनों पर कब्जे करते रहे और दूसरी तरफ इनका ध्यान ही नहीं गया। दुकानों पर कब्जे करते रहे। आज ये यहां पर बैठे हैं। इनके पार्टी के लीडर यमुनानगर में, फरीदाबाद में चले जाते हैं तो सारी फैक्टरियां बन्द हो जाती हैं और 10–10 दिनों के लिये सारे इंडस्ट्रीयलिस्ट बाहर चले जाते हैं। इनको तो नोटों की बोरियां चाहिए थीं। (शोर) यहां पर पुलिस की बात आई इधर बैठने वाले, जो इधर बैठे हुए पार्टी के लीडर्ज हैं, उन्होंने एक बात उठा दी कि डी0 जी0 पी0 को कार देने के लिये फरीदाबाद के एस0 पी0 ने पैसे इकट्ठे कर लिये। डी0 जी0 पी0 के बेटे के विवाह में देने के लिये फरीदाबाद के एस0 पी0 ने पैसे इकट्ठे किये। मैं तो कहता हूं कि वह डी0 जी0 पी0 बहुत ही अच्छा आदमी है। जब वह डी0 जी0 पी0 हिसार में एस0 पी0 था और जब के मुख्यमन्त्री थे . . . .

चौधरी भजन लाल : कौन मुख्य मन्त्री थे? क्या चौधरी बंसी लाल थे? (शोर)।

साथी लहरी सिंह : जी हां हिसार के अन्दर मनीराम गोदारा के आदमियों ने एक आदमी को मार दिया था और वहां के एस0 एच0 ओ0 मिलखा सिंह को उन्होंने कहा कि इस केस को बन्द कर दो और एस0 पी0 को भी बुलाकर कहा। इसके साथ जब उन्होंने ऐसा करने से मना कर दिया कि यह काम नहीं हो सकता क्योंकि केस दर्ज हो चुका है। तो इन्होंने उस एस0 एच0 ओ0

[साथी लहरी सिंह]

मिलखा सिंह की दाढ़ी पाट दी। सिख थानेदार की दाढ़ी का एक एक बाल नोंच दिया और बाद में उसको कत्ल करवा दिया गया। इस से बढ़कर और जुल्म क्या हो सकता है ? इसके साथ साथ मैं यह भी बता देना चाहता हूं कि 15-3-68 को थाना तोशाम में इनके विरुद्ध एक रिपोर्ट लिखी गई उस वक्त चौधरी बंसी लाल मुख्य मन्त्री नहीं थे लेकिन एक्स एम0 पी0 थे और उन्होंने मुख्य मन्त्री बनने पर एक राम स्वरूप एस0 एच0 ओ0 का इतना बुरा हाल किया कि उसको भी जान से मार दिया गया। मैं चाहता हूं कि इनके खिलाफ जो रिपोर्ट लिखी हुई है, उसके आधार पर इनके ऊपर तो मर्डर अकैक्षेनेशन का मुकदमा चलाया जाना चाहिये था (शोर) और अब ये डी0 जी0 पी0 की कार की बात पता नहीं किस मुंह से करते हैं ? मैं इनको बताना चाहता हूं कि आज के पेपर्ज में भी यह लिखा हुआ है कि डी0 जी0 पी0 के बेटे कोई को कार वगैरह भेंट नहीं की गयी और फरीदाबाद के एस0 पी0 ने यह कहा है कि यह बात बिल्कुल निराधार है। इसके साथ साथ मेरा एक और निवेदन है जो हमारे नेता के लिये सब से ज्यादा दुख की बात है, वह यह है कि हमारे डी0 जी0 पी0 साहब के लड़के की शादी थी। उसमें भारत के प्रधान मन्त्री आए, पांच छः गवर्नर भी आए। उनको कहां इस बात की सहन थी कि वहां पर मुख्य मन्त्री भी जाएं और प्रधान मन्त्री जी भी जाएं। इनको असल तकलीफ तो यह हुई कि एक हरिजन के यहां इतने बड़े-बड़े लीडर क्यों आए ? इन शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे समय दिया।

श्री उपाध्यक्ष : अब मुख्य मन्त्री जी जवाब देंगे।

श्री धीरपाल सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, आपने मेरे को समय देने के लिये कहा था।

श्री उपाध्यक्ष : आपके लीडर पहले ही 90 मिनट बोल चुके हैं।

श्री धीरपाल सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, यह 90 सदस्यों का हाउस है। तो क्या 90 में से केवल तीन आदमी ही अपोजीशन के बोलेंगे ? अभी तक एक तो बी0 जे0 पी0 के सदस्य, एक हविपा के लीडर और एक हमारे लीडर बोले हैं। केवल हमारे तीन सदस्य बोले हैं और मुख्य मन्त्री जी कहते हैं कि मैं दो घंटे लूंगा। वे किस बात का जवाब देंगे ? क्या हमारा बोलने का हक नहीं है ?

श्री उपाध्यक्ष : आपका हक जरूर है लेकिन आपके लीडर ने पहले ही 90 मिनट ले लिए हैं।

सिंचाई मन्त्री (चौधरी जगदीश नेहरा) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है। जब सम्पत सिंह जी बोल रहे थे, तो उस वक्त मैंने दो बार कहा था कि

कि हमारी स्ट्रैन्थ के हिसाब से टाईम का ध्यान रखना यानी उसका रेशो के हिसाब से ठीक वितरण होना चाहिए। इनके कुल 17 सदस्य हैं और इन्होंने 90 मिनट ले लिए। जब उन्होंने 90 मिनट ले लिये तो मुख्य मन्त्री जी तो कम से कम डेढ़ घंटा तो बोलेंगे ही। इसलिये आप चैक कर लें कि टोटल कितने टाईम के लिये बोला गया और उसमें से इन्होंने कितना टाईम लिया और हमने कितना टाईम लिया ? टाईम तो हिसाब से ही बटेगा। समय ज्यादा इन्होंने नष्ट किया है, हमने नहीं किया।

श्री उपाध्यक्ष : अब तक सौ मिनट तो ट्रेजरी बैंचिज की तरफ से बोला गया है और 162 मिनट अपोजीशन की तरफ से बोला गया है। पार्टी वाईज पोजीशन यह है कि श्री शेर सिंह 57 मिनट बोले, श्री मनी राम केहरवाला 25 मिनट और श्री लहरी सिंह 18 मिनट। दूसरी तरफ प्रो0 सम्पत सिंह 90 मिनट बोले और चौधरी बंसी लाल 42 मिनट तथा श्री राम बिलास शर्मा जी 30 मिनट बोले हैं।

प्रो0 सम्पत सिंह : डिप्टी स्पीकर साहब, पहली बात तो यह है कि जो टोका टोकी की है, उसका पीरीयड भी बीच में आ जाता है।

श्री उपाध्यक्ष : ये तो दोनों तरफ ही आ जाता है।

प्रो0 सम्पत सिंह: उपाध्यक्ष महोदय, इन्होंने पार्टी के हिसाब से टाईम देने की बात की। आप देखें कांग्रेस पार्टी के एम0 एल0 ए0 तो केवल 5–7 ही हैं, बाकी तो सब मन्त्री हैं। दूसरी बात यह है बी0 जे0 पी0 का एक सदस्य है और वे 30 मिनट बोले हैं। अगर इसका हिसाब लगाया जाए तो हम 17 सदस्य हैं, इस हिसाब से तो हमें साढ़े आठ घंटे मिलने चाहिएं। यहां पर हर मैम्बर को अपनी बात कहने का हक है। यह तो विधान सभा का पहला इतिहास होगा कि एक-एक पार्टी का एक एक मैम्बर ही बोले। इस पर जो सदस्य और बोलना चाहते हैं, आप उनको टाईम दे दें और उसके बाद मुख्य मन्त्री जी अपना जवाब दे देंगे या आप ऐसा कर सकते हैं कि बीच में लंच टाईम कर लें और उसके बाद दूसरी सिटिंग रख लें। सदस्यों को बोलने के लिये पूरा समय देना चाहिये। बजट सैशन में तो मेन मुद्दे होते हैं, एक तो गवर्नर एड्रैस और दूसरा बजट पर चर्चा। इन पर तो खुल कर चर्चा होनी चाहिए।

सदन की बैठक दो दिन और बढ़ाना

चौधरी भजन लाल : उपाध्यक्ष महोदय, अभी बजट पेश होना है। ये बजट पर बोल सकते हैं।

श्री धीरपाल सिंह : बजट तो 13 तारीख को पेश किया जाएगा और उस पर 14 और 15 तारीख को बहस होगी तथा 20 तारीख को फाईनैंस मिनिस्टर उसका जवाब देंगे ।

चौधरी भजन लाल : उपाध्यक्ष महोदय, इनकी पार्टी के बोलने वाले लीडर को यह देखना चाहिए कि इनके साथ 16 आदमी और भी बोलने वाले हैं इसलिये उनको भी बोलने के लिये इनको समय देना चाहिये लेकिन ये खुद ही 90 मिनट तक बोलते रहे। अपनी पार्टी के दूसरे सदस्यों को टाईम नहीं दिया । यह कोई मुनासिब बात नहीं है । बजट पेश हो जाएगा, उस पर आप बोल लेना हमें कोई दिक्कत नहीं है । उपाध्यक्ष महोदय, बी0ए0 सी0 ने टाईम फिक्स किया हुआ है । आप में से बी0ए0सी0 की मीटिंग में किसी ने भी यह नहीं कहा कि सैशन का टाईम बढ़ायें । यदि आप उस समय सैशन का टाईम बढ़ाने को कहते तो हम बढ़ा देते उसमें कोई दिक्कत नहीं थी ।

श्री धीरपाल सिंह : डिप्टी स्पीकर साहब, 8 तारीख को भी हाउस का टाईम बढ़ाया गया था ।

Mr. Deputy Speaker : Dhir Pal Ji, please take your Seat. At the time of the meeting of the Business Advisory Committee, this matter was discussed.

श्री धीरपाल सिंह: बी0ए0 सी0 की मीटिंग में यह भी जिक्र नहीं आया था कि 8 तारीख को हाउस का टाईम आधा घंटा बढ़ाया जाएगा । यह हाउस की सहमति से ही आधा घंटा बढ़ाया गया था । अगर उस दिन हाउस का समय नहीं बढ़ाया जाता तो चौधरी बंसी लाल जी नहीं बोल सकते थे। आज ये ड्रामा कर रहे हैं । महामहिम राज्यपाल महोदय से यहां पर अभिभाषण दिलवाया जाता है । उस पर हमें बोलने का मौका नहीं मिलता है । उपाध्यक्ष महोदय, हम विपक्ष के एम0 एल0 ए0 अपने अपने हल्कों की बात फिर कहां पर कहेंगे ? अगर गांवों में जा कर हम कहेंगे तो उस पर कोई कार्यवाही नहीं होती। हम यदि गांव में जा कर कोई बात कहें उस पर लोग क्या कार्यवाही करेंगे । हम जो बातें यहां पर कहते हैं, उस पर भी कोई कार्यवाही नहीं होती है । डिप्टी स्पीकर साहब, एक साल के बाद हमें अपने हल्कों की समस्याओं के बारे में कहने का मौका मिलता है । यदि सैशन में ही हमें बोलने का मौका नहीं दिया जाता है तो फिर इस बैठक की क्या आवश्यकता है ? हमें बोलने का समय नहीं दिया जा रहा । यह बैठक तो संवैधानिक मजबूरी के कारण मुख्य मन्त्री जी ने बुलाई है क्योंकि यदि 6 महीने के अन्दर सैशन नहीं होता है तो सरकार को निश्चित रूप से जाना पड़ता है । इसलिये यह संवैधानिक परम्परा को पूरा करने के लिये सैशन बुलाया गया है । ये मैजोरिटी के आधार पर अपने सभी लोगों को इकट्ठा कर लें और इनकी चाहे ये कोई जायज बात कहें

और चाहे कोई नाजायज बात कहें, सारी बातों को पूरा करेंगे । उपाध्यक्ष महोदय, आप चेयर पर बैठे हैं । आप हमें जो भी आदेश देंगे, उसका पालन करना हमारा धर्म है । हम अपनी बातें कहां पर कहें ? अपने हल्कों की समस्याएं कहां पर बताएं ? चौधरी भजन लाल जी, आप हाउस के नेता हैं इसलिये आपको थोड़ा संयम बरतना चाहिए ।

चौधरी बंसी लाल : उपाध्यक्ष महोदय, मेरी सबमिशन है कि जिस दिन हाउस का टाईम बढ़ाने की बात चली, उस समय चौधरी बीरेन्द्र सिंह ने कहा कि सैशन ज्यादा दिन चलना चाहिए । तो उस समय मुख्य मन्त्री ने कहा कि सैशन तीन चार दिन और बढ़ा लें । मुझे कोई एतराज नहीं है तो मुख्य मन्त्री जी अपनी बात पर कायम रहें । अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर सभी माननीय सदस्य अपनी अपनी कांस्टीच्यूएंसीज की बातें कहना चाहेंगे इसलिये हर मैम्बर को अपनी अपनी कांस्टीच्यूएंसी की बात कहने का मौका मिलना चाहिए । राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर अब तक केवल तीन चार आदमी ही बोले हैं ।

चौधरी भजन लाल : चौधरी बंसी लाल जी, आप तो बी0 ए0 सी0 की मीटिंग में आए ही नहीं मैंने बी0 ए0 सी0 की मीटिंग में यह कहा था कि सैशन का टाईम दो दिन और बढ़ा देते हैं । उस समय किसी भी मैम्बर ने यह नहीं कहा कि सैशन का टाईम दो दिन बढ़ा दो । चार दिन पहले बी0 ए0 सी0 ने जो प्रोग्राम तय किया उसके अनुसार आज मुझे राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर हुई बहस का जवाब देना है । यदि मैं अभी बोलना शुरू करूंगा तो भी हाउस का समय सवा घंटा बढ़ाना पड़ेगा । इस समय सवा एक बजा है । अगर सैद्धांतिक तौर पर देखा जाए कि गवर्नर ऐड्रैस का आप लोगों ने बायकाट किया हुआ है तो उस गवर्नर एड्रैस पर आपको बोलना ही नहीं चाहिए ।

श्री धीर पाल सिंह : किन कारणों से हमने बायकाट किया था, वही तो अब हम अपनी बातें कहना चाहते हैं । (शोर)

चौधरी जगदीश नेहरा : उपाध्यक्ष महोदय, बिजनैस एडवाईजरी कमेटी की मीटिंग में जो प्रोग्राम हमने बनाया था, उसमें 16 मार्च को भी सैशन था । सम्पत सिंह जी, उस मीटिंग में हाजिर थे । इन्होंने कहा कि 16 मार्च को सैशन की कोई आवश्यकता नहीं है और न ही सैशन बढ़ाने की बात कही । चौधरी बंसी लाल जी तो मीटिंग में आये ही नहीं । अब जो कार्य हो रहा है, वह बी0ए0 सी0 की मीटिंग के फैसले के आधार पर हो रहा है । इसकी मंजूरी हाउस से भी ले ली गई है । उस समय सी0 एम0 साहब, ने कहा था कि यदि सैशन एक दो दिन बढ़ाना है, तो बढ़ा सकते हो । आज ये हाउस की सिटिंग बढ़ाने की बात कह रहे हैं । अब संपत सिंह जी बोल रहे थे, तो ये अकेले ही 90 मिनट का समय ले गए । उस समय इनको ध्यान रखना चाहिए था कि दूसरे मैम्बरों ने भी बोलना है । इन्होंने अपने मैम्बरों का समय लिया

[चौधरी जगदीश नेहरा]

है। उस समय मैंने दो बार कहा था कि आप इतना समय न लो जितना अब आप समय ले रहे हैं, वह आपके मैम्बरों का है लेकिन ये 90 मिनट तक बोलते रहे।

चौधरी बंसी लाल : मुख्य मन्त्री जी कह रहे हैं कि आज तो इसका जवाब देना है। यदि यह बात है तो बजट पर जनरल डिस्कशन के लिये दो दिन का हाउस का समय बढ़ा दें ताकि सारे सदस्यों को अपनी अपनी बात कहने का मौका मिल सके।

चौधरी भजन लाल : हमारी तरफ से तो बेशक दो दिन का समय बढ़ा लो। अब हमारी भागने वाली बात तो है नहीं। आपके समय में ऐसी बात थी जब दो दिन का सैशन होता था। उन दिनों में भी आपके साथ था।

चौधरी बंसी लाल : डिप्टी स्पीकर साहब, यदि आज बोलने का समय सदस्यों को नहीं दिया जा रहा है तो फिर बजट पर जनरल डिस्कशन के लिये 3—4 दिन का समय बढ़ा दो ताकि सभी सदस्य अपने विचार प्रकट कर सकें।

चौधरी भजन लाल : चूंकि मैंने आज तो प्रोग्राम के आधार पर जवाब देना है, इसलिये गवर्नर एड्रैस पर तो डिस्कशन के लिये समय नहीं बढ़ाया जा सकता है। हां हाउस का समय बजट पर डिस्कशन के लिये दो दिन के लिये बेशक बढ़ा दें, इसमें मुझे कोई एतराज नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, आप दो दिन तक का इस सैशन का समय बढ़ा दें।

श्री उपाध्यक्ष : मुख्य मन्त्री महोदय की घोषणा के अनुसार बजट पर डिस्कशन का समय दो दिन तक बढ़ाया जाता है।

राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा तथा धन्यवाद प्रस्ताव पर मतदान (पुनरारम्भ)

श्री उपाध्यक्ष : अब मुख्य मन्त्री जी बोलें।

श्री सतबीर सिंह कादयान : उपाध्यक्ष महोदय, डेढ़ घंटा लीडर आफ दी अपोजीशन बोल चुके और डेढ़ घंटा लीडर आफ दी हाउस बोलेंगे तो फिर ये एम० एल० एज० कहां जाएंगे ? इसलिये मेरा अनुरोध है कि आप धीरपाल जी को बोलने का समय दे दें।

श्री धीरपाल सिंह : दो दिन तक के लिए सदन को बढ़ाने में इन्हें कोई आपत्ति नहीं है लेकिन आज अगर हाउस का समय आधा घंटा और बढ़ा दिया जाए तो इसमें क्या आपत्ति है ?

मुख्य मन्त्री (चौधरी भजन लाल) : उपाध्यक्ष महोदय, अगर अभी और समय बढ़ाना है तो फिर दो दिन के लिए सदन को और बढ़ाने की क्या आवश्यकता रह जाएगी ?

श्री धीरपाल सिंह : दो दिन का समय तो और बढ़ चुका है लेकिन अगर साथ ही आज आधा घंटा और सदन बढ़ा लिया जाए तो इसमें कौन सा जुल्म हो जाएगा ? (विघ्न)

चौधरी भजन लाल : उपाध्यक्ष महोदय, पिछले 4 दिन से प्रो0 सम्पत सिंह जो भी बोले वे बेमतलब बोले, हम ने कुछ नहीं कहा । (विघ्न)

श्री धीरपाल सिंह : श्री लहरी सिंह बोले, हमने कोई ऐसी बात नहीं कही । (विघ्न)

चौधरी भजन लाल : आपकी तरफ से बोलते हुए अगर कोई ऐसी बात आए, तो उसका जवाब तो देना ही पड़ता है । (विघ्न)

श्री धीरपाल सिंह : आप हाउस में अपने आदमियों पर संयम रखें । हम भी संयम रखेंगे लेकिन आपके लोग अगर संयम से बाहर आएंगे तो हमारे लोग भी बाहर जा सकते हैं (विघ्न)

चौधरी भजन लाल : यही बात है कि सभी यहां पर संयम में रहें । इसमें हाउस की मर्यादा की भी बात है । उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि महामहिम राज्यपाल महोदय ने सदन में बहुत ही शानदार तथ्यों के साथ बहुत ही बढ़िया अभिभाषण दिया और इस अभिभाषण की केवल हरियाणा प्रान्त में ही नहीं, बल्कि पूरे देश में भी बड़ी अच्छी चर्चा हुई कि बहुत ही अच्छा अभिभाषण राज्यपाल महोदय ने दिया है । (इस समय **श्री अध्यक्ष पदासीन हुए**) अध्यक्ष महोदय बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि अपोजीशन के भाई, जिनका हमारा दिल बड़ा आदर करता है अपना रोल सही अदा नहीं करते अपोजीशन का भी एक रोल होता है और अगर गवर्नर एड्रैस के वक्त अपोजीशन के लोग न हों, तो यह अच्छी बात नहीं है । क्रिटिसिज्म होना चाहिए लेकिन वह हैल्दी तरीके से होना चाहिए । इन को भी अपनी बात कहने का पूरा हक है, और अधिकार है । स्टेट का हैड स्टेट की पौलिसी और प्रोग्रामज को सदन में आ कर कहते हैं लेकिन उनका अभिभाषण सुनना भी इनको गंवारा न हो, इससे ज्यादा अफसोस की बात क्या हो सकती है ?

[चौधरी भजन लाल]

यह अच्छी प्रथा नहीं है। इन लोगों को चाहिए कि उनकी बात को सुनें और अपनी बात को यहां पर कहें। राज्यपाल महोदय ने पूरी तफसील से अपने अभिभाषण को यहां पर पढ़ा भी है और स्टेट के बारे में सही बातें कही हैं। अध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि महात्मा गांधी जी की 125वीं जयंती हम मनाने जा रहे हैं, जिन्होंने सारे संसार को रास्ता दिखाया है। विनोबा भावे और सर, छोटू राम तक का वर्णन इसके अन्दर किया गया है। इस अभिभाषण के पढ़े जाने को तो यह कोई महत्व न दें लेकिन उसी अभिभाषण पर बोलने के लिये, ये समय की मांग कर रहे हैं और समय बढ़ाना चाहते हैं यह उचित नहीं है (विघ्न)। अध्यक्ष महोदय, इनमें सुनने की शक्ति होनी चाहियें। ये लोग तो बात बात पर वाक आउट करते हैं। वाक आउट का भी कोई सिद्धांत होता है कोई तरीका होता है कि किस बात पर वाकआउट किया जाए। अध्यक्ष महोदय, इस पार्टी ने तो इतनी बार वाक आउट किया है कि इस पार्टी का नाम "वाक आउट पार्टी" रख देना चाहिए। सम्पत सिंह जी पढ़े लिखे आदमी है और हर तरह से काबिल हैं वे खुद सोचें कि क्या इतनी बार वाक आउट होना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, इस सरकार को बने हुए पौने चार साल हो गए हैं और इन पौने चार सालों में इस राज्य में इस सरकार ने हर दिशा में प्रगति की है। प्रगति की रफ्तार बढ़ी है। इस सरकार की रूप रेखा महा-महिम राज्यपाल महोदय ने इस सदन के सामने रखी है उसमें चाहे किसान की बात हो और चाहे पानी और बिजली की बात हो, सबकी बात आई है। आप प्रजातन्त्र की बातें जानते हैं। प्रजातन्त्र में मतभेद होते हैं। अध्यक्ष महोदय, मतभेद होना स्वाभाविक भी है लेकिन ताल्लुकात ऐसे नहीं होने चाहिए जिससे कटुता पैदा हो। यहां पर सब नुमाइंदे चुन कर आए हैं लेकिन यहां पर भाषा का सही प्रयोग होना चाहिए और यहां का वातावरण सुन्दर और सुशील बनाए रखना चाहिए। इसलिए मेरा आप सबसे अनुरोध है कि ठीक व्यवहार करें क्योंकि यहां पर प्रदेश के लोग, सुनने वाले महानुभाव, प्रैस के महानुभाव, सभी बैठे हैं। इन्हें संयम से काम लेना चाहिए। इसी से प्रदेश की प्रशंसा होती है। अध्यक्ष महोदय, मैं पहले हरियाणा में जो प्रगति हुई है, उसकी चर्चा करूंगा और बाद में इन्होंने जो प्वायंट कहे हैं, उसका जवाब दूंगा। सबसे पहले जब हमारी सरकार आई तो यहां पर क्या हालात थे? हमने उन हालातों को सुधारा है। किस तरह का यहां का माहौल था? उसको सुधारा है। हमने सबसे पहले यह कहा था कि हम जातिवाद को ठीक करेंगे और प्रदेश में शांति लाएंगे। हमने प्रदेश में पूरी शांति लाने की कोशिश करी है। मगर मैं यह नहीं कहता कि राम राज हो गया है। राम राज तो राम जी के जमाने में भी नहीं था। उनके जमाने में भी राक्षस होते थे और सीता जी का हरण हो गया था। लेकिन अध्यक्ष महोदय, इन्हें सरकार के काम-काज का तरीका देखना चाहिए। सरकार की नीयत देखनी चाहिए। इनकी नीयत क्या है? हमने प्रदेश

में किसानों के साथ, हरिजनों के साथ, बैकवर्ड के साथ, कोई गलत काम नहीं किया है बल्कि उनकी भलाई के लिए ही काम किए हैं । सारे प्रदेश का माहौल बढ़िया हो, इसलिए हमने फैसला किया कि प्रदेश के अन्दर पंचायती चुनाव हों और हमने चुनाव करवाए भी हैं । प्रजातन्त्र की पहली सीढ़ी पंचायती राज है और उसके बाद पार्लियामैंट है । देश में हरियाणा ही पहला प्रदेश है, जिसने पंचायती चुनाव करवाए हैं । सारे देश में कहीं पर भी म्युनिसिपैलिटी और ब्लाक समिति के चुनाव नहीं हुए हैं। हरियाणा ही पहला प्रदेश है, जहां पर ये चुनाव हुए हैं । अध्यक्ष महोदय, राजीव गांधी जी का सपना था कि लोगों के हाथ में ताकत आए । महात्मा गांधी जी का भी यही सपना था । इससे गरीब लोगों को ताकत मिली है । यह सारी योजना गांवों से, शहरों से बनकर ऊपर आई है कि पंचायतें और म्युनिस्पिल कमेटीज लोगों की भलाई का काम करें । इसके तहत हमने पंचायती राज कायम किया है । हम उनको ताकत देने जा रहे हैं । इस बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा ।

बैठक का समय बढ़ाना

श्री अध्यक्ष : अगर हाऊस की सहमति हो तो सदन का समय एक घण्टा और बढ़ा दिया जाए ।

आवाजें : ठीक है जी ।

श्री अध्यक्ष: सदन का समय एक घण्टा और बढ़ाया जाता है ।

राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा तथा धन्यवाद प्रस्ताव पर मतदान (पुनरारम्भ)

मुख्य मन्त्री (चौधरी भजन लाल) : अध्यक्ष महोदय, ये बार-बार कह रहे थे कि इस्तीफा दे दो और चुनाव करवा लो हम तैयार बैठे हैं । अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रजातंत्र की सबसे पहली सीढ़ी पंचायत है । आज यहां जितने महानुभाव बैठे हुए हैं, उनमें से अधिकांश इसी सीढ़ी से चढ़कर आए हैं । मैं भी स्वयं उन्हीं में से एक हूं । मैं भी ऐसे ही गांव का पहले मैम्बर चुना गया था । अध्यक्ष महोदय, प्रजातन्त्र की असली नींव पंचायती राज है । जैसे एजुकेशन में प्राईमरी स्कूल है उसी तरह से प्रजातंत्र की असली नींव पंचायत है । इसी पहली सीढ़ी से चढ़कर मैं आज स्टेट की आखिरी सीढ़ी तक पहुंचा हूं और आपके सामने हूं । तो यही एक तरीका है इसलिए हमने पहले पंचायतों के चुनाव कराए । आज सभी पार्टीज के महानु

[चौधरी भजन लाल]
लोग यहां पर बैठे हैं। उनकी जो हालत इन चुनावों में प्रदेश के अंदर हुई है, उसको आप भी जानते हैं। (विघ्न) आप मुझे बीच में मत टोकिए। अध्यक्ष महोदय, 16 जिला परिषदों में से कांग्रेस पार्टी के 12 जिला प्रमुख हैं। पंचायतों की समितियों के 80% तथा म्युनिस्पिल कमेटीज के 85 फीसदी मैम्बर्ज कांग्रेस पार्टी के बने हैं। यह तथ्य आपके सामने हैं। बाकी 15 फीसदी में यह सभी पार्टीज के लोग हैं। अध्यक्ष महोदय, हमने प्रदेश में पौने चार साल में जो विकास किया है, वह मैं आपको आंकड़ों के हिसाब से बताना चाहता हूं। जैसा कि आप भी जानते हैं कि पर कैपिटा इंकम प्रगति का आधार होती है। 1990-91 में पर कैपिटा इंकम 7,503 रुपये थी जबकि वर्ष 1993-94 में पर कैपिटा इंकम 10,359 रुपये हो गयी है, यानी 2,856 रुपये प्रति व्यक्ति आय बढ़ी है। 1990-91 से लेकर 1994-95 तक आमदनी में 38 परसैंट की वृद्धि हुई है। इसके अलावा 1990-91 में शुद्ध घरेलू उत्पाद 12,230 करोड़ रुपये था जबकि 1993-94 में यह बढ़कर 18 हजार 57 करोड़ रुपये हो गया है।

प्रो0 सम्पत सिंह : आप प्राईस इन्डैक्स भी बता दीजिए।

चौधरी भजन लाल : वह भी बता देंगे। तो अध्यक्ष महोदय, इस तरह से इसमें 40 परसैंट की वृद्धि हुई है। राज्य में 1993-94 में अनाज का उत्पादन 104 लाख टन हमने पैदा किया है जबकि इनके राज में यह उत्पादन 92 लाख टन का था। जबकि ये कहते हैं कि किसानों को खाद नहीं मिलती, बिजली नहीं मिलती, पानी नहीं मिलता और किसानों को दूसरी अन्य चीजें नहीं मिलती हैं। फिर यह 104 लाख टन का उत्पादन कैसे हो गया ? 104 लाख टन में से 22 लाख टन चावल और 73 लाख टन गेहूं का रिकार्ड उत्पादन हुआ है। इसी तरह से तिलहन का पहले उत्पादन 92 हजार टन था, लेकिन अब यह उत्पादन साढ़े आठ लाख टन हो गया है। यानी हमने बुलन्दियों को छुआ है। इसी तरह से गन्ने का उत्पादन 1993-94 में नौ लाख टन गुड़ की शक्ल में हुआ है जबकि 1966-67 में यह 5 लाख 10 हजार टन था। अब हमने 1996-96 में 110 लाख टन का अनाज के उत्पादन का लक्ष्य रखा है। वर्तमान सरकार ने गेहूं के मूल्य में 135 रुपये प्रति क्विंटल और धान सुपर फाईन के मूल्य में 155 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की है। कृषि की उपज में भी किसानों को इन बढ़ी हुई कीमतों के कारण 1990-91 से लेकर 1993-94 तक 3110 करोड़ रुपये का अतिरिक्त लाभ हुआ है। आपको याद होगा कि इनके राज में कैसे किसान अपने खेतों में खड़ा गन्ना जलाया करते थे और कैसी हालत किसानों की मंडियों में होती थी। जबकि आज ये किसानों का अनाज मंडियों में न उठाने के बारे में कहते हैं। एक तरफ कहते हैं कि बिजली और पानी नहीं मिलता। एक ही बात के दो पहलू। कम से कम एक बात तो कहो। अनाज ज्यादा पैदा हुआ, तभी तो सड़ा होगा। अध्यक्ष महोदय,

हमने किसानों की भलाई के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर की फल व सब्जी मंडी कॉम्पलैक्स, कुंडली में 100 करोड़ रुपये की लागत से बनाना शुरु किया है। गत साढ़े तीन वर्षों में फसल, बीज खाद, कीड़े मार दवाइयों पर करीब 108 करोड़ रुपये की सबसिडी दी है। बागवानी के विस्तार से पांच सौ करोड़ रुपये आय बढ़ी है। प्रतिवर्ष डेढ़ लाख लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाया है। पोलीग्रीन हाउस योजना के अंतर्गत 20 पोलीग्रीन हाउस निर्मित किए जा चुके हैं। इसके अलावा टपका सिंचाई नामक एक नयी योजना शुरु की गई है, जिसके अंतर्गत 508 हैक्टेयर भूमि के लोगों को तजुर्बे के आधार पर सहायता दी है। राज्य सरकार ने गत साढ़े तीन वर्ष में 2654.10 करोड़ रुपये के फसली कर्जे दिए गए हैं। पिछले वर्ष 770 करोड़ रुपये के दिए गए थे। सहकारी बैंक के अब तक के इतिहास में यह सबसे अधिक कर्जे हैं और कर्जे के हिसाब से विकास की दर देश में सबसे अधिक है। यह विकास की बात है। आपकी तरह नहीं, कि लेकर वापस नहीं दिया। कर्ज माफी की बात करके, आपकी सरकार ने किसानों को गुमराह किया। हमारी सरकार ने उनके 51 करोड़ रुपये के कर्ज माफ किए और कर्जों की वसूली की नये सिरे से प्रक्रिया शुरु की। आज हरियाणा प्रदेश का किसान टाईम पर लोन लेता है और टाईम से वापस कर देता है। सैन्ट्रल पूल में चावल व गेहूं पंजाब के बाद सबसे ज्यादा देने वाला कोई प्रदेश है तो वह हरियाणा प्रदेश है। इसी तरह से अच्छे धान की कीमत 380 रुपये प्रति क्विंटल तय है। यह गत वर्ष के मुकाबले 30 रुपये अधिक है। राज्य में सिंचाई के लिए नहरों और खालों को पक्का किया जा रहा है। नहरों को पक्का करने का काम विश्व बैंक की मदद से 1978 में शुरु किया गया और मार्च 1994 तक 7,666 कि0मी0 लम्बी नहरों और खालों को पक्का किया जा चुका है। इस काम पर 370 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं। इन नहरों और खालों के पक्का होने से 4,400 क्यूसिक्स पानी की बचत हुई है। 2 लाख 28 हजार हैक्टेयर अतिरिक्त भूमि को सिंचाई की सुविधा मिली है। हरियाणा प्रदेश पहला प्रदेश है, जिसने हरियाणा जल संसाधन कंसोलिडेशन परियोजना शुरू की है। इस पर कुल 1,858 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इस परियोजना के लिए विश्व बैंक से 812 करोड़ रुपये की सहायता मिलेगी। इस योजना से 1.4 लाख हैक्टेयर अतिरिक्त एरिये में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होगी। 12 मई 1994 को राजधानी में जल बंटवारे के बारे में समझौता हुआ। ताजेवाला पर जल का बंटवारा यमुना नदी में पानी की सप्लाई पर आधारित है। ताजेवाला पर हरियाणा का हिस्सा 5.23 मिलियन क्यूसिक मीटर और यू0पी0 का 2.54 है। आप हिसाब लगा लेना कि हरियाणा का दो तिहाई है या नहीं। दिल्ली का हिस्सा .17 मिलियन क्यूसिक मीटर व हिमाचल का .278 मिलियन क्यूसिक मीटर है। यह समझौता 2025 तक लागू रहेगा। इसके अलावा इस समझौते से ओखला पर हरियाणा को 500 क्यूसिक पानी मिलेगा। हथिनीकुंड बैराज 100 वर्ष से भी पुराना था, टूटने वाला था, इसलिए अब इस पर निर्माण कार्य 6 सितम्बर, 1994 से शुरु हो चुका है जिस पर 163 करोड़ रुपया

[चौधरी भजन लाल]

खर्च आएगा और तीन साल में यह काम पूरा हो जाएगा । स्पीकर साहब, इस बात की भी बड़ी चर्चा यहां पर होती है कि यमुना का समझौता करके चौधरी भजन लाल जी ने बड़ा जुल्म कर दिया है । हरियाणा के साथ बड़ा ही अन्याय किया है । फैसला ठीक नहीं हुआ । हरियाणा के हितों को इन्होंने बेच दिया । मैं यह कहूंगा कि अगर हरियाणा के हितों की रक्षा यह भजन लाल और यह सरकार और हमारी पार्टी और हमारे ये साथी अगर नहीं कर सकते तो ये लोग सात जन्मों में भी नहीं करने वाले हैं । अध्यक्ष महोदय, आपको याद होगा कि जब पंजाब और चण्डीगढ़ का मसला आया तो उस समय सब से पहले अगर कोई सत्ता से इस्तीफा देने वाला था तो वह चौधरी भजन लाल ही था । वह आपके सामने खड़ा है । हरियाणा के हितों की रक्षा के लिये हमने श्री राजीव गांधी जी से कहा कि यह नहीं हो सकता कि आप चण्डीगढ़ पंजाब को दे दें और उसके बदले में फाजिल्का-अबोहर हरियाणा को न मिले । यह बड़े अन्याय की बात होगी, हम इसको बरदाश्त नहीं करेंगे । (शोर)

चौधरी ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है । इस्तीफा देने का कोई रिकार्ड इनके पास है ? यूं ही हाउस को गुमराह कर रहे हैं । अगर है तो ये दिखाएं (शोर)

श्री अध्यक्ष : यह कोई प्वायंट आफ आर्डर नहीं है । (शोर)

चौधरी ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, यह हाउस को गुमराह कर रहे हैं । अगर इनके पास कोई इस्तीफा देने का रिकार्ड है, तो दिखाए । (शोर)

श्री अध्यक्ष : ओम प्रकाश जी, आप बैठिये । (शोर) इस्तीफा आपको तो नहीं दिया जाएगा । जहां कोई कहने की बात हो, वहां ही कहनी चाहिये (शोर)

चौधरी ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, हर मौके पर हाउस को, हर बात पर गुमराह करने की बात क्यों कही जाती है ? आप भी इन्हें कहें कि वे इस बात से हमें सन्तुष्ट करें कि कहीं इस्तीफा दिया है या नहीं दिया । चौधरी बंसी लाल जी कहते थे कि तुम ने इस्तीफा दिया होता तो लोग तो लेने के लिये तैयार बैठे थे । कभी सुसाईड की बात करते हैं । कभी कुछ और कहते हैं (शोर) कोई इस्तीफा दिया हो तो बताएं ? हाउस को गुमराह क्यों करते हैं ? (शोर) तथ्यों पर आधारित बात की जानी चाहिये थी । (शोर)

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, मेरी समझ में नहीं आता कि कभी चौधरी बंसी लाल जी खड़े हो जाते हैं तो कभी ओम प्रकाश चौटाला खड़े होकर यूं ही बोलने लग जाते हैं (शोर) और खड़े भी एक ही प्वायंट पर होते हैं और एक ही प्वायंट पर वाक आउट करते हैं । चौधरी बंसी लाल मेरे ऊपर इलजाम लगाते हैं और

कहते हैं कि चौधरी भजन लाल और चौटाला आपस में मिले हुए हैं, दोनों एक ही थैली के चट्टे-बट्टे हैं हालांकि मिले हुए ये खुद दोनों आपस में हैं । (शोर) हर बात पर एक साथ ही वाक आउट करते हैं । प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती । आप स्वयं ही देख लेवें । फिर उल्टे ऐलीगेशन हमारे ऊपर लगाते हैं ।

अध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि हथिनीकुण्ड बैराज का अभी फैसला हुआ है उस बारे में भी ये लोग क्रिटीसीज्म करते हैं । (शोर) प्रो0 सम्पत सिंह मिनिस्टर रहे हैं और बीरेन्द्र सिंह जी भी मन्त्री रहे हैं । बीरेन्द्र सिंह को व इनको पता है कि उस समय वहां की जो पानी की कैपेसिटी थी, वह केवल 14 हजार क्यूसिक्स थी और नया जो बैराज बनेगा उस की कैपेसिटी 28 हजार क्यूसिक्स की होगी । (तालियां) पानी आता है और जाता है लेकिन 28 हजार क्यूसिक्स तक पानी वहां रहेगा ही । इसके साथ-साथ हमारी नहरों में भी पानी चलेगा । रुकने वाला नहीं है । बरसात के दिनों में 14 हजार था और अब वहां पर 28 हजार क्यूसिक्स पानी रहेगा ही । उससे नहरें चलेंगी । और उससे किसान चना, सरसों, जौ वगैरह बीज सकेगा बाद में एक बरसात होगी तो फसल पक जाएगी । इसी तरह से दूसरे समझौते की बात आई, कुछ भाई कहते हैं........(शोर)

श्री धीरपाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, ये पिछले सैशन में कहते थे कि राम जी भी मुझ से पूछ कर बरसेंगे (शोर) क्या यह धारा भी समझौते में लिखी गयी है ?

चौधरी भजन लाल : उसी राम के ही आशीर्वाद से हम यहां पर बैठे हैं धीर पाल जी । (शोर) किसी समय आपकी जगह पर हमारी पार्टी के लोग बैठे थे । जैसा राज आपने चलाया, हमें पता है । मेरी धर्म पत्नी भी इधर बैठी थी । एक बार राजीव जी चौधरी देवी लाल को कांग्रेस में लेने के लिए तैयार हो गए थे । मुझे उनको समझाने के लिए दो घंटे लगे । उन्होंने मेरे को कहा कि देवी लाल जी कांग्रेस में आना चाहते हैं और हमने उनको लेने का फैसला कर लिया है । चौधरी बीरेन्द्र सिंह जी यहां बैठे हैं, उनसे पूछ लें । मैं ईमानदारी से कहता हूं । (शोर)

चौधरी बीरेन्द्र सिंह : स्पीकर साहब, कई बातें यहां पर करने की नहीं होतीं, मैं अलग से बता दूंगा ।

चौधरी भजन लाल : आप इतना तो बता दें कि यह बात ठीक है या नहीं । इन्होंने कह दिया कि मैं बाद में बता दूंगा इसका मतलब यही है कि यह बात ठीक है क्योंकि इन्होंने कहा है कि यह बात यहां बताने की नहीं है । अगर आप कहें तो मैं पूरी बात बता देता हूं । मैं औन ओथ और ईमानदारी से बताऊंगा । मुझे राजीव जी ने कहा कि रणजीत और देवी लाल दोनों कांग्रेस में आने के लिए तैयार हैं । मैंने उनसे कहा कि अगर इनको ले लिया तो हम वोट किस के खिलाफ मांगेंगे ।

चौधरी वीरेन्द्र सिंह : स्पीकर साहब, मैं तो इतना ही कहना चाहता हूं कि मास्टर नारायण सिंह जो एम0 पी0 हैं, इनको तो हमारे को दुआ देनी चाहिए, वरना यहां से तो कोई और ही एम0 पी0 होता ।

चौधरी भजन लाल : इस मामले में हमारी पूरी दो घंटे बात हुई । मैंने कहा यह नहीं हो सकता । अगर देवी लाल को कांग्रेस में लोगे तो हमें वोट कहां से मिलेंगे ? आपको पता ही है कि जनता ने उनके खिलाफ क्या फतवा दिया था ?

चौधरी वीरेन्द्र सिंह : स्पीकर साहब, एक समय पर चौधरी बंसी लाल मुख्य मन्त्री थे और प्रताप सिंह दौलता भी हाउस के सदस्य थे । तो कोई ऐसी बात चल रही थी तो चौधरी साहब कहने लगे कि तुम फलां नेता के पांव पकड़ते हो । तो उन्होंने कहा कि आपका कौन सा कापी राईट है । (हंसी) तो स्पीकर साहब, कांग्रेस में तो कोई आए और कोई जाए, कोई खास बात नहीं है ।

चौधरी बंसी लाल : स्पीकर साहब, जो बात वीरेन्द्र सिंह जी ने कही है, यह बे बुनियाद है । आप असैम्बली की डिबेट निकाल कर देख लें । न मैंने कुछ कहा और न दौलता ने कुछ कहा ।

चौधरी वीरेन्द्र सिंह : स्पीकर साहब, यह बात उस समय की है जब चौधरी बंसी लाल मुख्य मन्त्री थे । उस समय दौलता साहब अपोजीशन की तरफ से जीत कर आए थे । वे कांग्रेस में शामिल होना चाहते थे । उन्होंने इनको कहा था कि आपने दरवाजे तो बन्द कर ही दिए थे लेकिन रोशन दान भी बन्द कर दिए, मैं कांग्रेस में कहां से बड़ूं ? (हंसी) कांग्रेस में तो सभी का स्वागत है क्योंकि यह तो बहुत बड़ी पार्टी है ।

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, एक बात शायद आप मानेंगे कि मैं भी मैंबर था और दौलता साहब भी मैंबर थे । किसी ने कह दिया कि फलां आदमी शराब पीता है, बीड़ी पीता है या हुक्का पीता है । तो उस समय बंसी लाल जी ने कहा था कि मैं कोई भी चीज नहीं पीता । तो दौलता साहब ने कहा था कि आप सब कुछ पीएं लेकिन हमारा लहू मत पीएं । (हंसी)

चौधरी बंसी लाल : अध्यक्ष महोदय, हुआ यूं था कि नो-कौंफिडैंस-मोशन चल रहा था । उस वक्त मैंने कहा था कि मैं न शराब पीता, न हुक्का पीता और न बीड़ी पीता तो दौलता साहब ने कहा कि तू कुछ नहीं पीता हमारा खून पीवै । (हंसी)

चौधरी भजन लाल : मैंने झूठ तो नहीं बोला, ठीक ही कहा । कभी-कभी ऐसी बातें होनी चाहिएं । अध्यक्ष महोदय, यह जो फैसला हुआ है यह ऐतिहासिक है । सभी लोग इस फैसले के पीछे 1970 से यानि 24 साल से लगे हुए थे कि

इस बारे में कोई समझौता हो, कोई फैसला हो । चौधरी बंसी लाल ने भी कहा और चौधरी देवी लाल ने भी कहा । लेकिन इसके बारे में कोई फैसला नहीं हो पाया । मैं इस बात की भारत सरकार को मुबारिकबाद देता हूं कि उन्होंने इस बारे में फैसला कराया । हम प्रधान मंत्री और जल संसाधन मंत्री श्री शुक्ला जी के बड़े आभारी हैं जिन्होंने यह फैसला कराया ।

चौधरी बंसी लाल : अध्यक्ष महोदय, मेरे वक्त में जमुना नदी के पानी के बंटवारे के बारे में कोई केस ही नहीं खुला था । मेरे सामने कभी भी ऐसी बात नहीं आई थी ।

चौधरी भजन लाल : ऐसा है, चौधरी बंसी लाल जी, आपको याद होगा कि ताजेवाला हैडवर्क्स बनाने के बारे में जो केस था, उसके साथ ही यह मामला जुड़ा हुआ था । वह रिकार्ड में है । चौधरी रणबीर सिंह भी एक दफा उस मीटिंग में गए थे । हमने वह रिकार्ड देखा है । इसमें बहस की कोई बात नहीं है और न ही इसमें स्टेट के नुकसान की कोई बात है ।

चौधरी बंसी लाल : ताजेवाला हैड वर्क्स बनाने की बात आई थी, और उसका साईट के बारे में कोई झगड़ा चल रहा था । हम हथिनी कुण्ड बैराज बनाना चाहते थे । मगर उस समय जमुना के पानी के बंटवारे के बारे में कोई बात नहीं आई थी ।

चौधरी भजन लाल : चलो, कोई बात नहीं । हमने बात की है अध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि सन् 2000 में यह फैसला खत्म होने जा रहा है और पंजाब के भाई कैसे बात करते हैं ? यह बहुत झमेले की बात थी । हमने आज तक जो पानी इस्तेमाल किया है, वह 4 बी0 सी0 एम0 से ज्यादा कभी भी इस्तेमाल नहीं किया । हमने 4 बी0 सी0 एम0 से कम पानी इस्तेमाल किया है । नए फैसले के मुताबिक हमें अब 5.73 बी0 सी0 एम0 पानी मिलेगा । अब आप सभी सदस्य यह फैसला कर लें कि पौने चार बी0 सी0 एम0 पानी ज्यादा है या 5.73 बी0 सी0 एम0 ज्यादा है । इसके अलावा अध्यक्ष महोदय, इस पर दो हैड वर्क्स बनेंगे एक किसाऊ डैम और दूसरा रेणुका डैम । डैम बनने से जमुना का पानी बरसात के दिनों में ऊपर रुकेगा । बरसात के दिनों में जब पानी ऊपर रुकेगा तो सर्दियों में, गर्मियों में उस पानी को इस्तेमाल करेंगे । जैसे भाखड़ा डैम बना हुआ है, उसी तरह से जब ये डैम बन जाएंगे तो पानी ऊपर रुकेगा और उसका इस्तेमाल होगा । उसके बाद हथिनी कुण्ड बैराज में 16 मेगावाट बिजली बनेगी । ये इल्जाम लगाते हैं कि भजन लाल ज्यादती कर रहा है कि पानी हिसार ले गया या सिरसा ले गया । ओम प्रकाश चौटाला जब दक्षिणी हरियाणा में जाते हैं तो यह इल्जाम लगाते हैं कि भजन लाल पानी हिसार ले गया या सिरसा ले गया लेकिन ये हिसार और सिरसा में यह बात नहीं कहते । चौधरी बंसी लाल जी जब जा के दक्षिणी हरियाणा

[चौधरी भजन लाल]

में जाते हैं, तो वे भी यही इल्जाम लगाते हैं लेकिन भिवानी में यह नहीं कहेंगे और हिसार में भी नहीं कहेंगे। अध्यक्ष महोदय, पानी का सिस्टम भजन लाल के वक्त का नहीं है। आप इस बारे में बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। आप पुराने तजुर्बेकार हैं। सारी बातों में से निकले हुए हैं। इस पानी का आज का सिस्टम नहीं है। जिस समय भाखड़ा नहर बनी, उस समय भजन लाल किसी पिक्चर में नहीं था। उस समय भजन लाल एक बहुत छोटा सा आदमी गांव में मैम्बर पंचायत था। उस समय यह सिस्टम बना था कि भाखड़ा नहर का पानी कौन से एरिया में जाए और जमुना का पानी कौन से एरिया में जाए। आज भी उस सिस्टम के तहत वह पानी जाता है और उस सिस्टम के तहत ही हरियाणा के सभी जिलों में वह पानी जाता है। वह सिस्टम बनाने वाले कौन थे ? उस समय सबसे पहले तो चौधरी लहरी सिंह, ज्वायंट पंजाब में मंत्री थे जोकि रोहतक और सोनीपत के थे। राव बीरेन्द्र सिंह भी थे, जो दक्षिणी हरियाणा के ही रहने वाले हैं। उस समय इनके पास इरीगेशन का महकमा नहीं था। महकमा उनके पास था। इनके अलावा, चौधरी रणबीर सिंह, उस समय इरीगेशन एंड पावर मंत्री रहे। चौधरी रिजक राम भी रहे। चौधरी बंसी लाल जी आप मुख्य मंत्री रहे। चौधरी देवी लाल जी मुख्य मंत्री रहे। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला भी, बिल्ली के भाग का छिक्का टूट गया इसलिए कुछ दिन ये भी मुख्य मंत्री रहे लेकिन इस सिस्टम के बारे में किसी ने कुछ नहीं किया। अध्यक्ष महोदय, आज ये इल्जाम लगाए कि भजन लाल ने पानी उधर भेज दिया, यह मुनासिब बात नहीं है। जब ये बांध बन जाएंगे तब सारे प्रदेश में पानी की दिक्कत नहीं रहेगी। दक्षिणी हरियाणा को पानी की जो समस्या है, वह काफी हद तक दूर हो जाएगी।

चौधरी बीरेन्द्र सिंह : मैं मुख्य मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि यह किसाऊ डैम कितने दिनों में बनकर तैयार हो जायेगा। मुझे इस बारे में एक मिसाल याद आ गई। लाखन माजरा गांव में एक कामरेड था। वह सुबह सर्दियों में रोज एक जमींदार की दीवार के साथ बैठ जाता था, धूप सेंकने के लिए। कहता था कि भाई क्रांति हो गई। समाजवाद आयेगा। सब बराबर हो जाएंगे तो उसी के पड़ौस में एक आदमी और रहता था। कामरेड ने रोज यही बात करनी थी। जो उसके पड़ौस में गरीब आदमी रहता था, दो उसके छोटे-छोटे बच्चे थे। उनका बाप मर गया। वह उसे कहने लगे कि कब आयेगा तेरा समाजवाद ? तो वह कहने लगा, इसमें तो समय लगेगा। तो वे लोग कहने लगे कि मातु के बालकों को तो आज ही चाहिए समाजवाद। तो स्पीकर साहब, किसाऊ डैम बनने की बात शुरु से करते रहे हैं कि बनेगा। ठीक है किसाऊ डैम बनेगा तो दक्षिण हरियाणा के साथ पानी की समस्या हल होगी लेकिन अगर 10 साल में या 15 साल में बनेगा तो क्या फायदा ? मातु के बालकों को तो यह डैम आज ही चाहिए। (हंसी)

चौधरी भजन लाल : भाजु के बालक क्या ये सामने वाले हैं ? अध्यक्ष महोदय चौधरी बीरेन्द्र सिंह जी ने ठीक कहा है कि इसमें टाईम लगेगा और इसको जल्दी बनना भी चाहिए । भारत सरकार ने कहा है कि इसके बनने में 5 साल से ज्यादा का समय लगेगा लेकिन बनेगा जरूर जब कोई चीज बनने के लिए तय हो गई, तो आखिर में वह बनती है । चाहे स्लो बने या तेज, बनती जरूरी है । अध्यक्ष महोदय, मौजूदा सरकार ने 1991 में कार्य भार संभाला था । उस समय बिजली की स्तिथी काफी खराब थी । उस समय यानि वर्ष 1991 में 2,229.5 मैगावाट की पैदावार थी, जो कि 1994 में बढ़ कर 2,377.10 लाख मैगावाट हो गई । वर्ष 1991-92 में प्रति दिन बिजली की प्रोडक्शन 268 लाख यूनिट रही थी जो वर्ष 1994-95 में 299 लाख यूनिट प्रतिदिन हो गई । राज्य के थर्मल प्लांट में जो बिजली 1991 में 2 लाख 4 हजार यूनिट थी, वर्ष 1994 में 22,286 लाख यूनिट हो गया है । यह पहले की अपेक्षा 14 परसेंट अधिक रहा । हमने गत साढ़े तीन वर्षों के दौरान 45 हजार के करीब ट्यूबवैल्ज के नए कनैक्शंज दिए हैं । राज्य सरकार ने बिजली की खपत की अधिक मांग के दौरान, कृषि में कई दफा जब पीक सीजन होता है, 60 परसैंट के करीब किसानों को बिजली दी । इसी तरह से राज्य में औद्योगिक क्षेत्र के लिए निजि उद्यमियों को भी कहा है कि यदि कोई प्राईवेट प्लांट लगाना चाहता है, तो लगा ले । जब तक नई यूनिट्स न लगें, तब तक बिजली की कमी पूरी नहीं हो सकती । सच्ची बात कहने में मुझे कोई एतराज नहीं है । मेरे सामने चौटाला साहब और सम्पत सिंह जी बैठे हैं, इनके पौने चार साल के राज में, एक भी बिजली का नया यूनिट नहीं लगा । अध्यक्ष महोदय, हमने आने के बाद जब काम अपने हाथ में लिया तो यमुना नगर के प्लांट के बारे में बातचीत की । इन्होंने एन0 टी0 पी0 सी0 से यमुनानगर प्लांट को देने की बात की थी, लेकिन उन्होंने नहीं बनाया । हमने इस प्लांट को एन0 टी0 पी0 सी0 से वापिस लेकर इज़रायल की एक बहुत बड़ी फर्म के साथ एग्रीमेंट किया है । (विघ्न)

श्री सतबीर सिंह कादयान : चौधरी देवी लाल जी ने पानीपत थर्मल प्लांट के 5वें यूनिट का उद्‌घाटन किया था और छठी यूनिट का फांउडेशन रखा था । आपने इन पर एक पैसा भी खर्च नहीं किया । (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : कादयान साहब, यमुनानगर के प्लांट के बारे में थोड़ा सा मैं करैक्ट कर दूं कि चौधरी देवी लाल जी ने इस संबंध में राजीव गांधी जी को लैटर लिखा था कि आप इस प्लांट को ले लें । उन्होंने इस प्लांट को एन0 टी0 पी0 सी0 को दे दिया । एन0 टी0 पी0 सी0 ने भी एस्टिमेट्स बना कर भेजे थे कि दो प्लांट हम शुरु करते हैं । इसके खर्चे का तीसरा हिस्सा वह देंगे और एक हिस्सा हमें देना पड़ेगा । तो इस पर गवर्नमैंट ने इन्कार कर दिया था ।

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, इज़रायल की कम्पनी के साथ सौदा किया और उनसे यह तय किया गया कि यह प्लांट आप लगाएंगे । यह कम्पनी

1-00 बजे

[चौधरी भजन लाल]
दुनियां की बहुत बड़ी कम्पनी है और भारत सरकार तथा एन0 टी0 पी0 सी0 ने उनसे बातचीत की है। जहां तक खर्च का ताल्लुक है, एन0 टी0 पी0 सी0 ने भी कह दिया कि हम यह पैसा खर्च नहीं कर सकते हैं। 15% पैसा लगाने की बात थी। अध्यक्ष महोदय, उन्होंने कह दिया कि हम यह नहीं लगा सकते तो हमने सोचा कि इस बारे में क्या किया जा सकता है? इस प्लांट के लिए यह पैसा स्टेट गवर्नमैंट लगाएगी। आप सभी जानते हैं कि आज बिजली बहुत ही जरूरी चीज है। इसकी जरूरत को देखते हुए एम0 ओ0 यू0 साईन हुआ और मामला नजदीक लग गया। (विघ्न) जब मैं इजरायल गया था यह एम0 ओ0 यू0 उस वक्त साईन हो गया था लेकिन एम0 ओ0 यू0 साईन होने से वह फाईनल नहीं हो जाता। (विघ्न)

एक आवाज : इस एम0 ओ0 यू0 की कॉपी तो हमें आज तक नहीं मिल पाई है।

चौधरी भजन लाल : वह कॉपी इसलिए नहीं मिल पाई है कि अभी पावर परचेज एग्रीमैंट होना बाकी है। जब पी0 पी0 ए0 साईन हो जाएगा, तब उसकी कॉपी यहां पर सदन में रखेंगे (विघ्न) एम0 ओ0 यू0 में तो केवल इतना होता है कि हम यह प्लांट लगाएंगे। इसमें कोई मुद्दा फाईनल नहीं होता है।

श्री अध्यक्ष : श्री बीरेन्द्र सिंह जी, इस बारे में बता देंगे।

बिजली मन्त्री (श्री बीरेन्द्र सिंह) : अध्यक्ष महोदय, आपस की कोलैबोरेशन प्राईवेट डिवैलपमैंटल कार्य का कोई प्लांट लगता है, तो उसमें एम0 ओ0 यू0 साईन होता है। उसमें कमर्शियल कौसीक्वैंसिज की क्लाज भी होती है। जब तक मामला फाईनल न हो जाए, तब तक न तो उनको और न ही हम को कोई ऐसी बात पब्लिक में कहनी चाहिए, कोई भी बात पब्लिक में नहीं आनी चाहिए। जैसे कि माननीय मुख्य मन्त्री जी ने कहा है कि ज्यों ही पी0 पी0 ए0 साईन होगा, उसकी कापी हाउस में आएगी। उससे पहले उसकी कोई आवश्यकता नहीं है।

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, इन्होंने कहा कि बिजली की दरें बढ़ा दीं। आज बिजली जीवन की सबसे बड़ी आवश्यकता है इसलिए वह आज बहुत बड़ी चीज हो गई है। आज बिजली की मांग बहुत बढ़ गई है। आज अगर किसी के घर चार भैंसे हैं तो कोई लस्सी मांगने चला जाए तो कहेंगे कि अभी बिजली नहीं आई। यानि कि आज दूध भी बिजली से रिड़कते हैं। कपड़े धोने के लिए भी आज बिजली की जरूरत है। मशीन से कपड़े धोते हैं। आज आबादी कितनी बढ़ गई है। उसके हिसाब से बिजली की मांग भी बढ़ रही है। कितने नये घर बन गए हैं। आज अगर पानी गर्म करना है, तो पहले की तरह चूल्हे या हारे पर पानी गर्म नहीं होता बल्कि उसके लिए भी गीजर है, तापने के लिए हीटर है मेरे कहने का मतलब

यह है कि बिजली की मांग आज बहुत ज्यादा बढ़ गई है। अध्यक्ष महोदय, इसलिए हमने यह फैसला किया है और हरियाणा सरकार ने हिसार और यमुनानगर में 1000-1000 मैगावाट के दो यूनिट तथा 410 मैगावाट का एक यूनिट फरीदाबाद में लगाने के लिए प्राईवेट लोगों को इन्वाइट किया है। टैंडर्ज अभी आएगें। कोई भी प्राईवेट कम्पनी जो बिजली का यूनिट लगाना चाहती है, वह यह यूनिट लगाए। अभी इन्होंने कहा कि बिजली के रेट्स बढ़ा दिये, अध्यक्ष महोदय, जहां तक बिजली के रेट्स बढ़ाने का ताल्लुक है, अपने प्लांट्स से हम जो बिजली बनाते हैं, वह हमें 1.50 रु० से लेकर 1.80 रुपये में पड़ती है। और जो एक्सट्रा हम भारत सरकार से एन० टी० पी० सी० से लेते हैं वह हमें 2.30 रुपये प्रति यूनिट मिलती है। किसानों को हम यह बिजली 50-60 पैसे पर-यूनिट पर देते हैं। आप अन्दाजा लगाएं कि जो पैसा हमें कम मिलता है, उसकी पूर्ति कहां से करेंगे? मामूली से थोड़े नोमिनल से रेट्स बढ़ाए गए हैं। इतने बड़े नये प्रोजैक्ट्स लगाने के लिए किसी बैंक या कम्पनी से लोन लेना पड़ेगा। लोन जब भी मिलता है तो देने वाली कम्पनी, लोन देने से पहले लोन लेने वाले की हालत तो देखती है कि उसका पैसा वापस आ जाएगा या नहीं। आएगा तो कैसे आएगा, तभी उसको लोन मिलेगा। जब हम वर्ल्ड बैंक से बात करते हैं तो वे कहते हैं कि आपके पास कोयले का पैसा देने के लिए पैसा नहीं है तो आपको लोन कौन देगा? इसलिए आप बिजली के रेट्स बढ़ाएं। आप सारे देश में बिजली के रेट्स कम्पेयर कर लें चाहे आप पंजाब को लें, चाहे आप राजस्थान को ले लें या उत्तर प्रदेश को ले लें। हमारे रेट्स उनसे कुछ न कुछ कम ही होंगे, ज्यादा नहीं हैं। जो हमने रेट्स बढ़ाए भी हैं, उसमें भी 40 यूनिट तक कोई दाम नहीं बढ़ाए, ताकि जो गरीब आदमी है, हरिजन है, किसान है या बैकवर्ड आदमी है, उस पर कोई अतिरिक्त बोझ न पड़े। बाकी हमने जो फ्लैट रेट्स किसानों के बढ़ाए हैं, उसमें यह किया है कि अगर वे अपना मीटर लगाना चाहें, तो मीटर लगवा सकते हैं और उनसे हम 50 पैसे पर-यूनिट ही बिजली का खर्च वसूल करेंगे। जो पैजेट देते हैं तो हमें मीटर के हिसाब से साढ़े चार घण्टे के पैसे मिलते हैं। हमनें इसका हिसाब लगाया है कि बिजली कम से कम छः घण्टे जरूर मिलती है। अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से प्रदेश में कितने उद्योग लगाए गए हैं? जब हरियाणा बना था तो इसमें साढ़े चार हजार इन्डस्ट्रीज थीं। आज एक लाख पचीस हजार इन्डस्ट्रीज हरियाणा प्रदेश में हैं और इनकी मांग दिन-प्रति-दिन बढ़ती जा रही है। आप जानते हैं कि उद्योग लगने से कितने लोगों को रोजगार मिलता है। अभी पिछले तीन सालों में लगभग डेढ़ लाख लोगों को रोजगार मिला है। इसलिए हम चाहते हैं कि और उद्योग लगें ताकि प्रदेश की अर्थ-व्यवस्था ठीक हो सके तथा लोगों को रोजगार मिले। इससे टैक्स आने से भी हमारी इन्कम बढ़ेगी। तभी हम प्रदेश में विकास का काम कर सकेंगे। इसी तरह से हमारे प्रदेश में बाहर की कम्पनियां उद्योग लगाने आ रही हैं। इनके राज में तो इन्डस्ट्रीज यहां से बाहर जा रही थीं और आज यहां पर वापिस आ रही हैं। जापान, सिंगापुर और दूसरे

[चौधरी भजन लाल]

मुल्कों के लोग यहां पर आ रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, हम गुड़गांव में माडल टाउनशिप विकसित करने जा रहे हैं। फरीदाबाद में भी एक औद्योगिक पार्क विकसित करने जा रहे हैं। हाल ही में गुड़गांव में सिंगापुर टैक्नोलोजी पार्क विकसित करने हेतु सिंगापुर की प्राईवेट पार्टी से हुड्डा के साथ एम0 ओ0 यू0 साईन किया है। वर्ष 1993-94 के दौरान 350 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से 90 बड़ी इकाईयां मध्यम दर्जे की इकाईयां/ 102.16 करोड़ रुपये की लागत से और लघु इकाईयां 5 हजार 338 की लागत से स्थापित की गई हैं जिसमें 33 हजार लोगों को नया रोजगार मिला है। अध्यक्ष महोदय, हमने राज्य में उद्योग कुंज नामक योजना शुरु की है, जिसके अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में मिनी इन्टरनैशनल स्टैट स्थापित किए जाएंगे। इस योजना के प्रथम चरण में सोनीपत जिले के लढ़ेरो गांव, सतगांव, गुड़गांव के निकट अलेपुर गांव में, एच0 एस0 आई0 डी0 सी0 द्वारा शेड निर्मित किए जा चुके हैं। उद्योग कुंज के इन प्लाटों का फाऊंडेशन स्टोन जिला प्रशासन द्वारा रखा जा रहा है। उद्योग कुंज सोनीपत, गुड़गांव, रोहतक और अम्बाला में स्थापित किया जा रहा है। जिसके लिए गांव का चुनाव इस जिले के उपायुक्तों के सुपुर्द किया गया है। सड़कों के बारे में, अध्यक्ष महोदय, जब इनका राज था, तो क्या हालात थे? अगर मैं एक-एक सड़क की चर्चा करूंगा तो बहुत समय लग जाएगा। मुझे तो इनकी बातों का भी जवाब देना है। लेकिन इनका साढ़े तीन साल तक राज रहा है और एक रोड़ी भी सड़क पर नहीं लगाई। इतनी बुरी हालत सड़कों की थी। कोई नई सड़क बनाने का तो सवाल ही नहीं उठता है। हमने उन सारी सड़कों की मरम्मत करवाई है और नई सड़कें भी बनवाई हैं। अध्यक्ष महोदय, एक बहुत बड़ी सड़क दिल्ली, जमुना नगर और अम्बाला के बीच 237 किलोमीटर एक्सप्रेस का निर्माण एवं अध्ययन के लिए मलेशिया की एक कम्पनी के साथ समझौते की बात की है। चौटाला जी, उस समझौते के बारे में कहते हैं कि इसमें बहुत गड़बड़ है। करोड़ों रुपए का घोटाला हो गया है। इनको तो घोटाला ही दिखता है क्योंकि इन्होंने इनके राज में कोई और काम किया ही नहीं है। जैसे ये खुद हैं, इनको दूसरे भी वैसे ही दिखते हैं। (विघ्न) अभी इस बात का एग्रीमैंट तो हुआ नहीं है। इसकी स्टडी चल रही है। जब होगा, तो आपको जरूर बता देंगे। अध्यक्ष महोदय ये लोग अपने आप तो कुछ करते नहीं हैं और अगर दूसरा कोई करता है तो बातें करते हैं। अब विश्व बैंक की सहायता से आठ सौ किलोमीटर लम्बे महत्वपूर्ण राज मार्ग को अन्तर्राष्ट्रीय माप दण्डों के अनुरूप सुधार करने के लिए 450 करोड़ रुपये की योजना सैद्धान्तिक रूप से स्वीकृत की जा चुकी है। अब गत तीन सालों में पुलों का निर्माण भी हमने किया है। सभी गांवों में पीने के पानी की सुविधा हमने पहुंचाई है। आप जानते हैं कि फोर लैनिंग का काम भी हमने ही शुरू करवाया था और उस कम्पनी का इन्होंने काम बन्द करवा दिया। अब लोग जानते हैं कि काम क्यों बन्द करवाया गया? ये इससे क्या चाहते थे? अगर मैं

उसके बारे में कहूँगा तो बदमजगी पैदा होगी । जो कि मैं पैदा नहीं करना चाहता । अध्यक्ष महोदय, हमने आने के बाद उसी कम्पनी से उसी रेट पर काम शुरु करवाया । मैंने पूछा कि आपने यह काम क्यों बन्द कर दिया था । उन्होंने कहा कि चौधरी साहब कैसे काम कर सकते हैं । उन्होंने इतनी मांग कर दी कि पांच करोड़ रुपये हमें पार्टी के लिए दो । हमने राजीव गांधी को बदलना है । अध्यक्ष महोदय, उन्होंने इन्हें कहा कि हमारे पास तो यह नहीं है । तो उसने कहा कि मुझे कहा गया कि काम बन्द कर दो । इसलिए उसने काम बन्द कर दिया । अध्यक्ष महोदय, हमने आकर इस काम को फिर शुरु करवाया है । आज आपके सामने है कि वह सड़क करनाल तक बनकर तैयार हो गई है ।

वैयक्तिक स्पष्टीकरण/एक व्यक्ति को सदन में आमंत्रित करने संबंधी रूलिंग रिजर्व करना।

चौधरी ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है। मुख्य मंत्री जी यह भी बता दें कि सी0 एल0 वर्मा से किसने पैसे मांगे और कैसे मांगे ? अध्यक्ष महोदय, हाऊस में अगर कोई बात कही जाए तो उसको स्पष्ट रूप से कहना चाहिए ताकि उसका जवाब दिया जा सके । (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, आप इनको समझाएं । इनको यह ज्ञान नहीं है कि हाउस के डैकोरम को कैसे कायम रखा जाता है ? अध्यक्ष महोदय, हाउस में जो भी बात किसी भी तरह से कही जाए, वह तथ्यों पर आधारित होनी चाहिए । अगर किसी व्यक्ति पर इल्जाम लगाया जाए तो बाकायदा उसका नाम भी देना चाहिए और उसको हाउस के दूसरे सम्मानित सदस्यों को भी सुनने के लिए तैयार रहना चाहिए । हाउस के लीडर हर बार इस तरह के इल्जाम लगाते हैं कि उस कम्पनी से पांच करोड़ रुपये लिए गए । मैं आपको इस बारे में यह कहता हूं कि इसके लिए हाउस की एक कमेटी मुकर्रर की जानी चाहिए और वह कमेटी इस बात की इंक्वायरी करे कि क्या किसी आदमी के साथ इस प्रकार का कोई सौदा हुआ है ? अध्यक्ष महोदय, आपको यह अधिकार है कि आप उस कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर उस आदमी पर केस चलाएं । लेकिन वैसे ही अनर्गल बातें यहां पर नहीं होनी चाहिए । यहां पर जो भी बातें कहीं जाए, वह तथ्यों पर आधारित कही जाएं ।

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, मैं यह मामला आप पर छोड़ता हूं । जहां तक नाम बताने की बात है, तो मैं नाम भी बता देता हूं । हम कोई डरते थोड़े ही हैं । अध्यक्ष महोदय, आप इस हाउस के कस्टोडियन हैं । इसलिए मैं आपको इस मामले के लिए जज मुकर्रर करता हूं । जिसकी यह कंटीनेंटल कम्पनी

[चौधरी भजन लाल]

है, उसका नाम सी0 एल0 वर्मा है और वह फरीदाबाद का रहने वाला है । मैंने उसको बुलाकर पूछा कि आपने इस पर काम क्यों बंद किया है तथा आप यह काम शुरू करिए तो वह कहने लगा कि चौधरी साहब अब तो काफी रेट बढ़ गए हैं । तब मैंने उससे कहा कि या तो आप पहले वाले रेट पर ही काम शुरू करिए, वरना हम आपकी कम्पनी को ब्लैक लिस्ट कर देंगे और दुनिया के सारे अखबारों में यह बात छापने के लिए भेज देंगे । तब उसने बड़ी मुश्किल से यह काम शुरू किया । जब मैंने उससे पूछा कि यह काम क्यों बंद किया था तो उसने कहा कि ओम प्रकाश चौटाला ने मुझसे पांच करोड़ रुपये मांगे । इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं यह मामला आप पर छोड़ता हूं । अगर उसने कहा कि यह मैंने नहीं कहा है तो आप जो कहेंगे या जो सजा देंगे, वह मैं भुगतने के लिए तैयार हूं ।

चौधरी ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मेरी अर्ज सुन लें । अध्यक्ष महोदय, यह बात हाउस में कही गयी है और मेरा नाम इसमें जोड़ा है इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि जिस व्यक्ति का नाम लेकर यह कहा गया है कि उस व्यक्ति से मैंने पैसे मांगे तो अध्यक्ष महोदय, क्या ऐसे किसी व्यक्ति से ओम प्रकाश पैसे मांगेगा ? आप उस सी0 एल0 वर्मा को हाउस में बुलाएं और उसका इस बारे में ब्यान लें । अगर उसका ब्यान मेरे खिलाफ होगा तो ओम प्रकाश सजा भुगतने के लिए तैयार है । आप इस हाउस की एक कमेटी बनाएं । लेकिन अगर उसका ब्यान मेरे खिलाफ नहीं होगा तो यह केस प्रिविलेज कमेटी में जाना चाहिए और मुख्य मंत्री के खिलाफ इस बात के लिए मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए क्योंकि इनकी झूठी, असत्य और अनर्गल बातें कहने की आदत बन चुकी है । इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप अपने अधिकारों के हिसाब से सी0 एल0 वर्मा को यहां बुलाएं और उसका ब्यान लें । अगर आप उसको नहीं बुला सकते हैं तो फिर यह केस प्रिविलेज कमेटी को देकर उसको बुलाया जाए । सर, यह हाउस की प्रिविलेज का सवाल है । केवल ओम प्रकाश चौटाला का सवाल नहीं है । हाउस की गरिमा को कायम रखा जाना चाहिए और झूठी बात कहने पर बाकायदा से रोक लगनी चाहिए । अगर यह बात गलत एवं असत्य कही गयी है और किसी का नाम लेकर कही गयी है तो मुख्य मंत्री जी को भी प्रिविलेज कमेटी में मुलजिम के तौर पर खड़ा करना चाहिए । मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप स्वयं इसके बारे में फैसला करके आदेश दें । इसके लिए कमेटी बनाएं और उसको यहां पर बयान देने के लिए कैसे बुलाया जा सकता है, इसका भी निर्णय आप करें ।

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, हमने भी आपको यह मामला सौंप दिया है इसलिए इस बारे में अब आप ही फैसला कर लें । अगर उसने यह नहीं कहा होगा तो सजा भी आप पर छोड़ दूंगा ।

चौधरी ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, उसको हाउस में बुलाया जाए क्योंकि यह हाउस की गरिमा का सवाल है और यहां पर नाम लिया गया है कि कैसे किसी बाहरी व्यक्ति ने किसी हाउस के सम्मानित सदस्य के बारे में यह कहा है कि मैंने उससे पांच करोड़ रुपये मांगे । यह मेरा सवाल नहीं है बल्कि हाउस की गरिमा का सवाल है इसलिए मैं चाहूंगा कि इस हाउस की गरिमा को बरकरार रखने के लिए सी0 एल0 वर्मा को हाउस में बुलाकर पूछा जाए । अध्यक्ष महोदय, पार्लियामैंट यानि लोकसभा और राज्यसभा में भी यह प्रथा रही है कि इस तरह के मामलों में हाउस में एक आदमी को बुलाया गया है । यह आपका अधिकार है कि उसको हाउस में बुलाकर पूछना चाहिए ।

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, आप उसको चैम्बर में बुलाकर बात करें । आप मुनासिब समझें तो हाउस में बुलाइए । (शोर एवं व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, हमने आप पर छोड़ दिया है ।

चौधरी ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, यह हाउस की गरिमा का प्रश्न है, व्यवस्था का प्रश्न है । (विघ्न)

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, जहां तक पीने के पानी की सुविधा का ताल्लुक है .... (विघ्न)

चौधरी ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, पहले इस बात का फैसला किया जाए । लीडर आफ दि हाउस ने मुझ पर एक अनगैल इल्जाम लगाया है । (विघ्न)

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, इन्होंने तो वाकआउट करना है, ये सुन नहीं सकते । इनमें सुनने की हिम्मत नहीं है । (विघ्न)

चौधरी ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, यह हाउस की गरिमा का सवाल है । आप इस पर फैसला दें । सी0 एल0 वर्मा को हाउस में बुलाया जाए ।

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, हाउस की कमेटी बना दीजिए । चाहे आप पूछ लीजिए, हमने आप पर छोड़ दिया है । गलत हो तो हम सजा भुगत लेंगे । हाउस की एक कमेटी बनाएं । वह जाकर पूछ लेगी ।

चौधरी वीरेन्द्र सिंह : स्पीकर सर, ऑन ए प्वाइंट ऑफ आर्डर । स्पीकर सर, मेरे ख्याल से आपने कमेटी को इजाजत तो दे दी है अगर दी है तो इलैक्शन से पहले उसका फैसला करवा लेना । (शोर एवं व्यवधान)

प्रो० राम बिलास शर्मा : सर, यह कमेटी क्या आपने मुकर्रर कर दी है ? Please let me start. (Noise & Interruptions). इस सदन में सभी माननीय सदस्यों का मान-सम्मान है । यह कमेटी आप मुकर्रर कर दें । यह एक अच्छी रिवायत होगी ।

चौधरी श्रोम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मेरी गुजारिश है कि पहले इस बारे में निर्णय हो जाए, फिर आगे की कार्यवाही चलाएं । अगर कमेटी मुकर्रर करते हैं तो उसके मैम्बर्ज के नामों की घोषणा की जाए । हाउस आपकी एश्योरेंस चाहता है । यह हाउस की गरिमा का सवाल है । पहले इस बात का निर्णय कर दीजिए । (शोर एवं व्यवधान)

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, हाउस की कमेटी बना दीजिए । ओम प्रकाश जी अगर कमेटी ने कह दिया कि यह बात सत्य है तो आप क्या सजा भुगतोगे ?

चौधरी श्रोम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, यह हाउस की गरिमा का प्रश्न है । व्यवस्था का प्रश्न है । इसकी रिकोमैंडेशन की इन्हीं सदस्यों के भरोसे माना जाएगा, तो वह फैसला नहीं होगा । (शोर एवं व्यवधान) मैं चाहूंगा कि जिस सी० एल० वर्मा का यहां जिक्र किया गया है, उस सी० एल० वर्मा को हाउस में बुला कर बयान लिया जाए । उसके आधार पर फैसला किया जाए । सी० एल० वर्मा स्वयं आकर बयान दें । उसे मुलजिम के तौर पर बुलाएं । (शोर एवं व्यवधान)

श्री अमीर चन्द मक्कड़ : अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि चौटाला साहब यूं ही किसी बात पर शोर मचा रहे हैं । मैं इनके बारे में और भी कुछ बताना चाहता हूं कि इन्होंने फरीदाबाद की कम्पनी से भी पैसे मांगे, तो फिर किस मुंह से यहां इन आरोपों का खण्डन कर रहे हैं (शोर)

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, गन्नौर के बी० एस० टी० के रौनक सिंह से जरा पूछिये । (शोर)

चौधरी श्रोम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, हाउस की गरिमा से जुड़ा हुआ एक ऐसा प्रश्न हाउस के समक्ष आया है जिससे हाउस की गरिमा को ठेस पहुंची है इसलिये जिस व्यक्ति के मुताल्लिक यह जिकर किया गया है, उस सी०एल० वर्मा को हाउस में बुला कर पूछा जाए और उस बात का निर्णय हो जाए कि उसमें कौन सही कहता है, कौन गलत कहता है और जो कसूरवार हो, उसको सजा दी जाये । स्पीकर सर, यह अधिकार आप को ही है और आप उस सी०एल० वर्मा को यहां बुला कर पूछिए । (शोर)

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, इस बात का फैसला आप ने करना है आप चाहें तो आज बता दें, कल बता दें या फिर सोमवार को बता दें । आप चाहें तो सी०एल० वर्मा को बुला लें या यह मामला कमेटी के सुपुर्द कर दें । (शोर)

चौधरी ओम प्रकाश चौटाला : स्पीकर सर, हाउस में सभी सदस्यों की मौजूदगी में उसको बुलाकर पूछा जाए ताकि असलीयत का पता लग जाए। (शोर)

चौधरी भजन लाल : स्पीकर साहब, अब ये कमेटी से भी भाग रहे हैं। (शोर)

चौधरी आनन्द सिंह डांगी : अध्यक्ष महोदय, बार-बार इस हाउस में एक ही बात कही जा रही है कि यह सदन की गरिमा का सवाल है। यह हाउस की गरिमा का सवाल नहीं है, यह तो केवल एक आदमी की गरिमा का सवाल है। यह हाउस का सवाल नहीं है। यह बात साफ होनी चाहिये।

बिजली मन्त्री (श्री बीरेन्द्र सिंह) : स्पीकर सर, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने आपको प्रार्थना की कि जिस व्यक्ति ने उनके ऊपर जो आरोप लगाया है, उसके लिये जिस व्यक्ति का नाम, कौन वह व्यक्ति है, जिस ने पैसा मांगा है, उसका नाम दिया जाए। उसका नाम मुख्यमंत्री जी ने बता दिया। श्री सी0एल0 वर्मा से चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने पैसे मांगे। इन्होंने फिर कहा कि आप सी0 एल0 वर्मा को हाउस में बुलाईये तो फिर आप बताएं कि इस तरह से किसी बाहरी व्यक्ति को हाउस में बुलाने का प्रोसीजर है या नहीं है। उसके बाद फिर इन्होंने कहा कि इस के लिये एक कमेटी मुकर्रर की जाये। इस बात को भी मुख्य मंत्री महोदय ने मान लिया कि एक कमेटी का गठन कर दिया जाये और अब जब कमेटी के गठन की बात आई तो फिर यह कहने लगे कि इन मैम्बर्ज के सहारे क्या अकेले यही हैं इस हाउस में बाइज्जत। इनके इलावा बाकी सभी बेइज्जत और धेले के आदमी हैं, आखिर चौधरी साहब, आप इस प्रान्त के मुख्य मन्त्री रह चुके हैं। एक सीनियर मैम्बर हैं। चौधरी देवी लाल जी जैसे सीनियर लीडर के आप बेटे हैं। सभ्यता से तो न गिरिए। हर बात पर आप, आपकी बजाये तुम और तू का लफ्ज इस्तेमाल करने लग जाते हो। जरा सी बात पर आवेश में आ जाते हो। कोई मैम्बर बोलने लगे तो, कहते हो कि तू बैठ जा। यह कोई अच्छी बात नहीं है। अब आपने सरकार को चैलेन्ज दे दिया और इसका निर्णय स्पीकर पर छोड़ दिया, तो जरा उनको प्रोसीजर सैट तो करने दो। इतना सब्र तो कम से कम रखो ताकि वह यह बताएं कि मैं कल बताऊंगा, आज बताऊंगा या परसों बताऊंगा। इतना समय उनको देना आपका फर्ज बनता है। (शोर)

चौधरी ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे एक बार फिर कहना चाहूंगा कि इस हाउस में जो सी0एल0 वर्मा का जिकर आया कि सी0एल0 वर्मा से ओम प्रकाश चौटाला ने पैसे मांगे। इसलिये उसको हाउस में बुलाकर यह पूछा जाए ताकि असलियत का पता लग सके। यह आपका अधिकार है और इस प्रकार का कायदा लोक सभा राज्य सभा में रहा है कि ऐसे लोगों को यहां पर तलब किया जाता रहा है। उनके ब्यान भी लिये गये हैं। इसके साथ-साथ मैं यह भी कहूंगा कि जैसे किसी एक ने कह

[चौधरी ओम प्रकाश चौटाला]
दिया कि यह एक की गरिमा का सवाल है। स्पीकर सर, यह एक की गरिमा का सवाल नहीं है, यह हाउस की गरिमा का प्रश्न है और मैं इस हाउस का एक सम्मानित सदस्य हूं। इसलिये मैं एक बार फिर कहना चाहूंगा कि हाउस के किसी भी सदस्य के खिलाफ किसी बाहरी व्यक्ति का नाम लेकर के इस तरह के अनर्गल इलजाम लगाये जाते हैं तो इसका निर्णय हाउस में ही होना चाहिये और हाउस के सभी सदस्यों की मौजूदगी में सी0एल0 वर्मा को बुलाया जाए और वे यहां आकर यह कहें कि किस ने किस से पैसे मांगे हैं या नहीं मांगे। (शोर)

सिंचाई मन्त्री (चौधरी जगदीश नेहरा) : स्पीकर साहब, कई वाकयात पर या कई चीजों पर एलीगेशन या काउंटर एलीगेशन लगते रहते हैं। ऐसे एलीगेशन पार्लियामैंट में भी लगते रहते हैं, हर बार वहां पर एक कमेटी बनी है और कमेटी ने ही उस बारे में पूछताछ की है। स्कैम के मामले में भी एक कमेटी बनी थी। तो इस बारे में कमेटी ही पूछती है और कमेटी ही फैसला करती है कि हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं। यह तो कोई प्रोसीजर नहीं है कि किसी को यहां पर बुलाया जाए। अब ये अपना मैदान छोड़ रहे हैं क्योंकि कहीं न कहीं कोई गड़बड़ है।

चौधरी बंसी लाल : स्पीकर साहब, अढ़ाई बज गए हैं और खाना खाने का वक्त भी हो गया है। अभी मुख्य मन्त्री जी की तकरीर आधी भी नहीं हुई। इसलिये आप प्रोसीडिंगज को आगे चलायें।

Mr. Speaker : Chautala Ji, whether you admit it or I may examine and give my decision on Monday.

चौधरी ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, यह आपका अधिकार है। आप सी0एल0 वर्मा को इस सदन में बुलाएं।

Mr. Speaker : I will examine it and give my decision on Monday.

चौधरी ओम प्रकाश चौटाला : आप इनको हाउस में बुलाएं।

चौधरी भजन लाल : यह तो स्पीकर साहब देखेंगे कि बुलाना है या नहीं।

श्री किताब सिंह : गवौर में एक रौनक सिंह की फैक्टरी थी। उसको भी बुला कर पूछा जाए कि उसकी फैक्टरी क्यों उठाई गई और उसका क्या कारण था?

राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा तथा धन्यवाद प्रस्ताव पर मतदान (पुनरारम्भ)

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, हम ने जापान की सहायता से एक बढ़िया काम किया है। बड़े-बड़े शहरों में सीवरेज का पानी बिना ट्रीटमैंट के यमुना में गिरता था। हमने 133.47 करोड़ रुपए की लागत से यमुना एक्शन प्लान लागू किया है। जैसा कि अभी चौधरी लहरी सिंह ने बताया, हमने वहां से यह काम शुरू किया है। इसके अलावा प्रदेश में हमने लड़कियों के लिये बी०ए० तक की शिक्षा फ्री की है और टैक्नीकल एजुकेशन में भी हमने शिक्षा फ्री देने का फैसला किया है। चाहे वह आई० टी० आई० है या पालिटैक्निक कालेज है। महिलाओं के विकास के लिये हमने उच्च शिक्षा स्तर के एक महिला सैल की स्थापना की है। हरियाणा में 103 गैर सरकारी कालिज हैं। उनमें से 41 कालिज लड़कियों के लिये हैं जबकि 1966 में ये सिर्फ सात होते थे। इस बारे में मैं कोई ज्यादा लम्बी बात नहीं कहूंगा। अब विश्व बैंक की सहायता से 160 करोड़ रुपए की लागत से राज्य में हमने जिला प्राइमरी शिक्षा कार्यक्रम स्वीकृत किया है। 1993-94 में 669 स्कूल भवनों की मुरम्मत का कार्य सम्पन्न किया। साढ़े तीन सालों में 333 विद्यालयों का दर्जा बढ़ाया गया और 1997 तक सारे राज्य को पूर्ण साक्षर बनाने का लक्ष्य हमने रखा है ताकि प्रदेश में कोई भी आदमी अनपढ़ न रहे। इसी तरह से विश्व बैंक परियोजना के तहत फरीदाबाद में एक रिहायशी महिला पालिटैक्निक, एक टैक्नीकल संस्था स्थापित की जा रही है, जिसके लिए 11 एकड़ भूमि भी ले ली गई है। टैक्नीकल शिक्षा पर भी हमने जोर दिया है। हम चाहते हैं कि बच्चे के पास टैक्नीकल ज्ञान हो और उसमें ज्यादा से ज्यादा शिक्षा वह प्राप्त कर सके। एक परिवार एक रोजगार योजना के अन्तर्गत राजकीय औद्योगिक संस्थानों में मोटर वाइंडिंग, सैनेटरी फिटिंग तथा गैस वैल्डिंग की आवश्यकता पर आधारित छः महीने के कोर्स शुरू किए हैं और ट्रेनिंग लेने वाले को पांच सौ रुपए प्रति माह की दर से वजीफे भी दिए जाते हैं। हमने इसके लिये भी विश्व बैंक की सहायता से 27.86 करोड़ की एक योजना लागू की है। पंचायती राज के बारे में मैंने अभी बताया और ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं। पंचायतों को जो हम अधिकार देने जा रहे हैं, उसमें प्राथमिक शिक्षा का प्रशासन ग्राम पंचायतों तथा पंचायत समितियों को दिया जाएगा। मिडल विद्यालयों की देख रेख जिला परिषदों द्वारा की जाएगी। साक्षरता कार्यक्रम की देखरेख का काम भी पंचायत समितियों द्वारा किया जाएगा।

बैठक का समय बढ़ाना

Mr. Speaker : Is it the sense of the House that the time of sitting be extended by half an hour ?

Voices : Yes.

Mr. Speaker : The time of the sitting is extended by half an hour.

राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा तथा धन्यवाद प्रस्ताव पर मतदान (पुनरारम्भ)

मुख्य मन्त्री (चौधरी भजन लाल) : अध्यक्ष महोदय, आप कम से कम हाउस का टाईम एक घंटा बढ़ा देते। मैंने इनकी सभी बातों का जवाब देना है, इसलिये काफी समय लगेगा।

चौधरी बंसी लाल : अध्यक्ष महोदय, आधा घंटा बहुत है। हमें जा कर खाना भी खाना है।

चौधरी भजन लाल : आदमी को महीने में कम से कम एक दिन का व्रत भी रखना चाहिये। व्रत भी सेहत के लिये जरूरी है। अध्यक्ष महोदय, ग्रामीण-उप-औषधालयों, और उप-स्वास्थ्य-केन्द्रों की देखरेख का कार्य पंचायतों और पंचायत समितियों द्वारा किया जाएगा। विधवाओं और विकलांगों की पैंशन के वितरण का कार्यक्रम भी पंचायतों और पंचायत समितियों की देखरेख में किया जाएगा। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की देखरेख पंचायत समिति करेगी। पशु औषधालयों का कार्य भी पंचायत समिति की देखरेख में किया जाएगा। कृषि विभाग के कृषि विस्तार के कार्यकर्ताओं का कार्य ग्राम पंचायतों और पंचायत समितियों के नियन्त्रण में होगा। मिनि बैंक तथा सहकारी समितियों ग्राम पंचायतों और पंचायत समितियों के नियन्त्रण में होंगी। सैंट्रल कोआप्रेटिव बैंक जिला परिषद के नियन्त्रण में होंगे। ग्रामीण पेय जल सप्लाई की योजना ग्राम पंचायत और पंचायत समिति के नियंत्रण में होगी। राजस्व पटवारी जो फर्द वगैरह का काम करते हैं, और नहरी पटवारी दोनों का काम ग्राम पंचायत और पंचायत समितियों के कंट्रोल में होगा। ग्रामीण स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं का कार्य ग्राम पंचायत और पंचायत समितियों के कंट्रोल में होगा। ग्राम विकास की योजना का काम भी ग्राम पंचायत और पंचायत समितियों के नियन्त्रण में दिया जाएगा। ग्राम सम्पत्ति की देखरेख और रखरखाव का दायित्व भी ग्राम पंचायत और पंचायत समितियों को दिया जाएगा। सार्वजनिक वितरण प्रणाली का कार्य भी ग्राम पंचायत और पंचायत समितियों को दिया जाएगा। चरागाह, बेकार भूमि और एम०आई०टी०सी० के नलकूप की देखरेख का काम भी पंचायत और पंचायत समितियों की देखरेख में किया जाएगा। इसी तरह से एस०डी०ओ० यानि उप मंडल अधिकारी के कार्य की और बिजली बोर्ड के कर्मचारियों जैसे लाईनमैन आदि हैं, उनके कार्यों की और ड्रेनेज विभाग के कर्मचारियों के कार्यों की

देखरेख का काम भी पंचायत और पंचायत समितियों द्वारा किया जाएगा। पुलिस द्वारा किसी भी आदमी की गिरफ्तारी की सूचना संबंधित ग्राम के सरपंच को देनी पड़ेगी कि फलां आदमी को फलां केस में पकड़ा गया है। जब किसी आदमी को पुलिस वाले पकड़ कर ले जाते हैं, तो उसके बारे में सारे गांव को पता नहीं होता है। अब फैसला किया है कि पुलिस वालों को गांव के सरपंच को बाकायदा यह इत्तलाह देनी होगी कि फलां आदमी को फलां केस में ले जा रहे हैं। अनुसूचित जातियों के स्कूलों में जाने वाले बच्चों को समाज कल्याण विभाग द्वारा दिए जाने वाले वजीफे, पुस्तकें और वर्दियों का काम ग्राम पंचायत की देखरेख में किया जाएगा। फील्ड लैवल पर जो भी छोटे अधिकारी हैं, उनकी गोपनीय रिपोर्ट भी पंचायत, पंचायत समितियां और जिला परिषदें लिखा करेंगी ताकि उन पर उनका पूरा कंट्रोल रहे और गांव की पंचायत और गांवों के लोगों को पूरा सुख और सुरक्षा मिले। अगर यह नहीं करते तो एक-एक बात की शिकायत गांव के लोग हमारे सामने करते रहते हैं। ऐसा करने से उनको गांव की पंचायत का डर होगा। अध्यक्ष महोदय, ग्रामीण विकास का जहां तक ताल्लुक है, हमने अपने साढ़े तीन साल के अर्से में ग्रामीण विकास कार्यक्रम के तहत 91,231 गरीब परिवारों को गरीबी की रेखा से ऊपर उठाने के लिये 28.40 करोड़ रुपए अनुदान के रूप में दिए हैं। वर्ष 1994-95 के दौरान 14,715 गरीब परिवारों को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया था जबकि जनवरी 1995 तक 15,197 परिवारों को सहायता प्रदान की जा चुकी है। राज्य में गरीबी उन्मूलन के लिये ट्राईसम क्वालका, जवाहर रोजगार योजना और इन्दिरा आवास योजना आदि भिन्न भिन्न कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इन्दिरा आवास योजना के अधीन गांवों में रहने वाले गरीब लोगों की आर्थिक दशा सुधारने के लिये आवास योजना आरम्भ की गई है। राज्य सरकार ने समाज कल्याण के लिये अनेकों स्कीमें चलाई हुई हैं। वर्तमान सरकार ने राज्य में एक नई बुढ़ापा पैंशन योजना 1-7-1991 से शुरू की थी जिसके तहत 60 वर्ष से ऊपर के बुजुर्गों को 100 रुपए प्रति मास की दर से पैंशन देने का फैसला किया था। इस स्कीम के अन्तर्गत 6 लाख 42 हजार लाभपात्रों को यह पैंशन हर दूसरे महीने दी जा रही है। विधवाओं और विकलांगों को भी 100 रुपए प्रति मास पैंशन दी जा रही है। महिला एवं बाल विकास योजना को सुचारु रूप से चलाने के लिये 1-4-1992 को अलग विभाग की स्थापना की गई। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिलाओं की आर्थिक दशा सुधारने के लिये हरियाणा महिला विकास निगम कार्यशील है जोकि व्यवसायिक ट्रेनिंग एवं स्वयं रोजगार स्थापित करने के लिये संस्थागत वित्त का प्रबंध करता है। ग्रामीण महिलाओं में बचत की भावना मजबूत करने के लिये महिला समृद्ध योजना शुरू की गई, जिसके तहत एक साल में 500 रुपए जमा करवाने पर 75 रुपए ब्याज दिया जाता है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की मानदेय राशि 225 रुपए से बढ़ा कर 350 रुपए कर दी गई है और सहायकों की 110 रुपए से बढ़ा कर 200 रुपए कर दी गई है। "अपनी बेटी अपना धन"। यह कितनी शानदार योजना है। अध्यक्ष महोदय, जिस मुल्क या प्रदेश में नारी का सम्मान नहीं होगा और जिस मुल्क में नारी का सम्मान

[चौधरी भजन लाल]

नहीं हो रहा है, वह मुल्क भटक गया है, पिछड़ गया है। भारत की एक परम्परा रही है और भारत वर्ष का इतिहास रहा है कि हमेशा नारी को मान सम्मान दिया गया है। नारियों का भी इतिहास रहा है कि उन्होंने हिन्दुस्तान की मान और मर्यादा के लिये अनेक कार्य किए हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हरियाणा में ऐसी एक योजना महिलाओं के लिये तैयार की गई जो हिन्दुस्तान के किसी भी प्रदेश में नहीं है। यह योजना हमने गांधी जी की जयन्ती के अवसर पर शुरु की है। समाज में ज्यों ही बच्ची पैदा होती है तो उसको अच्छी नजर से नहीं देखा जाता। किसी के घर बच्चा होने वाला हो तो पड़ोसी बच्चा होने पर पूछते हैं कि क्या हुआ तो हाथ खड़ा करके कहते हैं कि छोरी (लड़की) हो गई। यानि खुशी महसूस नहीं करते। इन्दिरा गांधी भी लड़की थी। पंडित जवाहर लाल नेहरु जी को बहुत से नेताओं ने कहा कि आप दूसरी शादी करके एक लड़का पैदा कर लें तो जवाहर लाल ने कहा नहीं, लड़की और लड़के में कोई अन्तर नहीं है। अगर लड़की काबिल होगी तो मेरा नाम सारे संसार में रोशन करेगी। यदि लड़का नालायक हुआ तो मेरी बदनामी होगी और सारे समाज को कलंकित करेगा। आप जानते हैं कि इन्दिरा गांधी ने सारे संसार में उनका नाम रोशन किया। संसार के चाहे किसी भी छोटे से छोटे देश में कोई गलत बात होती थी, तो इन्दिरा गांधी की आवाज सबसे पहले उठती थी। इसी प्रकार से हमारे यहां पर अनेक महिलाएं ऐसी महान हुई हैं जिन्होंने देश का नाम हमेशा ऊंचा किया है। मीरां बाई, झांसी की रानी, न जाने ऐसी कितनी ही महिलाएं हैं जिन्होंने इस देश का नाम रोशन किया है। इस में हमने सारे हरिजन शामिल किए हैं और गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले जितने भी दूसरी बिरादरियों के लोग हैं, सभी को शामिल किया है। इस स्कीम के तहत हमने लड़की होने पर 500 रुपये उसकी मां को एक महीने के अन्दर-अन्दर देने का फैसला लिया है और 2500 रुपये लड़की के नाम इन्दिरा विकास पत्र खरीद कर 3 महीने के अन्दर-अन्दर उसके मां-बाप को देंगे। इस मद के लिये हमने 3000 रुपए रखे हैं। यह राशि तीन लड़कियों तक बराबर होगी। यह नहीं है कि पैसों के चक्र में कोई लड़कियों की लाईन ही लगा दे। यह 2500 रुपये की राशि 18 साल की होने के बाद लड़की को मिलेगी और उसके बाद चाहे वह उन पैसों से शादी करे, चाहे पढ़ या कारोबार करे। उपाध्यक्ष महोदय, एक और फैसला लिया है कि यदि लड़की 20 साल तक शादी नहीं करेगी तो उसको 30,000 रुपये देंगे और यदि कोई लड़की 22 साल तक शादी नहीं करेगी तो उसको 35,000 रुपया देंगे ताकि आबादी पर भी रोक लगाने में मदद हो सके। हम नारी को मान और सम्मान देने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे।

प्रो० छतर सिंह चौहान : अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि हम नारी को बहुत मान सम्मान दे रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि सुशीला क्या महिला नहीं थी ? (शोर)

श्री अध्यक्ष : छत्तर सिंह जी, आप बैठिये। इसका इस बात से कोई संबंध नहीं है। चौधरी साहब, इसी संबंध में मैं आपको बताना चाहूंगा कि चाईल्ड आर्टिस्ट महिलाएं ही हैं। उनके ग्रेड का मामला आपके पास और गुप्ता जी के पास अटका पड़ा है।

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, आपने कहा है तो जरूर विचार करेंगे। अध्यक्ष महोदय, अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जन-जातियों और पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिये भी इस सरकार ने अनेकों कदम उठाए हैं। अनुसूचित जातियों की छात्राओं को वर्दी पुरस्कार और किताबें आदि भी दी जाती हैं। अनुसूचित जाति की विधवाओं की लड़कियों की शादी के लिये 5 सौ रुपए की सहायता को बढ़ा कर हमने 10 हजार कर दिया है। अनुसूचित जातियों की बस्तियों में, गांवों में, गलियों में, नालियों को पक्का करने के लिये हर गांव को 50 हजार रुपये तक सहायता देने का फैसला किया है। हरिजन कल्याण निगम ने चालू वित्त वर्ष के दौरान 12,500 लोगों को वित्तीय सहायता प्रदान करने का लक्ष्य रखा है। हरियाणा पिछड़े वर्ग तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग कल्याण निगम के माध्यम से भी हमने हरिजन भाईयों की पूरी मदद की है। हरियाणा सरकार ने पिछड़े वर्ग आयोग की स्थापना की है। पिछड़े वर्ग में किन-किन जातियों को शामिल करना है, उसकी सिफारिश उसने हमको दे दी है और सरकार इस बारे में शीघ्र और बहुत जल्द फैसला करेगी। चालू वित्त वर्ष में विशेष घटक योजना में 142.56 करोड़ रुपये सरकार खर्च कर रही है। एक परिवार एक रोजगार योजना में भी हम ने 5 लाख रोजगार देने हैं और दिसम्बर मास के अन्त तक 3 लाख से अधिक लोगों को रोजगार का अवसर दिलाया जा चुका है। परिवहन सेवाओं के बारे में मैं कह सकता हूं कि राज्य परिवहन ने कार्यकुशलता से सेफ और अच्छी सेवा उपलब्ध करवाने के लिये देश भर में ख्याति प्राप्त की है। वर्ष 1993-94 के दौरान हरियाणा रोडवेज परिचालन खर्च व्यय अन्य परिवहन सुविधाओं की तुलना में सबसे कम रहा है जो इसकी अच्छी कार्यकुशलता का सूचक है। उसके लिए भारत सरकार ने और आडिटर जनरल ने भी बहुत भारी प्रशंसा की है। बेरोजगार युवकों को रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सहकारी समितियों के परमिट हमने दिये हैं। कृषि ऋण किसानों को और ग्रामीण दस्तकारों, गरीब मजदूरों, छोटे व्यापारियों की सामाजिक तथा आर्थिक दशा सुधारने के लिये केन्द्रीय सहकारी बैंकों ने वर्ष 1992 से 1994 के दौरान 226.32 करोड़ रुपये अल्पावधि ऋण दिये हैं। स्वः रोजगार के लिये इस योजना के अन्तर्गत लघु-उद्योग एवं छोटे कारोबार शुरु करने के लिये दिसम्बर 1994 तक 54 करोड़ रुपये के कर्ज स्वीकृत किए हैं। सहकारी बैंकों ने राज्य में पढ़े-लिखे बेरोजगार युवकों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिये 753 परिवहन समितियों को सितम्बर 1994 तक केन्द्रीय सहकारी बैंकों के माध्यम से गाड़ियां खरीदने के लिये 34.60 करोड़ रुपये के ऋण प्रदान किए हैं। राज्य में हरियाणा के हिसार, रोहतक, गुड़गांव, करनाल 4 जिलों में अर्बन महिला बैंक खोले जा रहे हैं, जिनका संचालन व

[चौधरी भजन लाल]

प्रबन्ध महिलाओं द्वारा ही किया जायेगा। शिवालिक शिक्षा विकास बोर्ड के अन्दर अम्बाला, मोरनी, पिंजौर, बरवाला, रायपुर रानी, नारायणगढ़ आदि ब्लाकों तथा जिला यमुना नगर के छछरौली, सढ़ौरा और बिलासपुर ब्लाकों को बहुमुखी विकास के लिये शामिल किया गया है। इसी तरह से 300 गहरे नलकूप लगाने के लिये एम०आई० टी०सी० ने व्यवस्था की है जिनकी 25 प्रतिशत लागत राज्य सरकार वहन करेगी। भारत सरकार ने इस तरह के विकास कार्यों के लिये करीब 3 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की है। जैसे कि मैंने मोरनी और दूसरे ब्लाकों का शिक्षा विकास के लिये जिक्र किया है, उनमें प्रशासन पूरी सुविधा जुटाएगा। सन् 2000 तक सभी के लिये स्वास्थ्य के निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति के लिये चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं के प्रचार, प्रसार एवं सुधार के लिये निरन्तर प्रयास कर रहे हैं। 1966-67 में प्रति व्यक्ति शिक्षा पर 1.92 रुपये खर्च किये जा रहे थे जो 1992-93 में बढ़ कर 85/- रुपये हो गया है। करनाल, हिसार, रोहतक, फरीदाबाद 4 क्षेत्रों में ट्रेनिंग सैंटर स्थापित किए गए हैं। रक्त बैंकों में एच०आई०वी० किट्स उपलब्ध करवाए गए हैं और रक्त परीक्षण का भी प्रबन्ध किया गया है। इसी तरह से दूर-दराज के इलाकों में और ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य एवं दन्त चिकित्सा प्रदान करने के लिये 25 जनवरी, 1995 से 16 मोबाईल औषधालय तथा दो मोबाईल दन्त क्लीनिक शुरु किये हैं। हर जिले में एक-एक मोबाईल वैन उपलब्ध करवाई गई है ताकि लोगों की देखभाल मोहल्लों में जाकर की जाए कि किस भाई को क्या तकलीफ है।

श्री अध्यक्ष : क्या ये वैनज जी०टी० रोड्ज पर भी होंगी।

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, उस पर भी हम विचार करेंगे। हमारे 3-4 नैशनल हाई-वे हैं, उन पर भी वैन चलनी चाहिये। अध्यक्ष महोदय, हरियाणा आवास बोर्ड द्वारा महात्मा गांधी जी की 125 वीं वर्षगांठ पर 2 अक्तूबर, 1994 से महात्मा गांधी आवास योजना शुरु की गई है। इस योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिये मंजूरशुदा यमुना नगर, पानीपत, सोनीपत, फरीदाबाद, गुड़गांव तथा हिसार में चार हजार मकान बनाए जाएंगे। इसके अतिरिक्त 1995-96 के दौरान यमुना नगर, पानीपत, सोनीपत, रिवाड़ी, तावडू, बहादुरगढ़, कैथल, नरवाना तथा हांसी में 30 करोड़ रुपए की लागत से लगभग 3 हजार मकान विभिन्न वर्गों के लोगों के लिये बनाए जाएंगे।

अध्यक्ष महोदय, राज्य में हमने बिक्री कर चैक बैरियर हटा दिए हैं। आप जानते हैं कि कितनी दिक्कत बैरियर्ज पर लोगों को होती थी। हमने सभी बैरियर्ज को खत्म कर दिया है ताकि लोगों को परेशानी न हो। बैरियर्ज पर आधा-आधा, घन्टा-घन्टा ट्रक खड़े रहते थे और कितना ही उनका डीजल वहां पर जलता था। इस वजह से लोगों को बहुत परेशानी होती थी। आबकारी विभाग ने वर्ष 1994-95 में 1372 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त किया है। जबकि वर्ष 1990-91 में यह सिर्फ 892 करोड़

रुपए था। कहां पर तो 1372 करोड़ रुपए और कहां पर 892 करोड़ रुपए। अध्यक्ष महोदय, पिछले तीन वर्षों में 53.5 प्रतिशत की कर में वृद्धि हुई है। सरकार ने इस प्रकार से इस बारे में एक ठोस नीति अपना ली है। इसी तरह से हमने यह भी फैसला किया है कि जहां पर भी पंचायत यह फैसला कर ले कि हमारे गांव में ठेका नहीं खुलना चाहिये तो वहां-वहां से हमने सारे शराब के ठेके बन्द भी किए हैं। अध्यक्ष महोदय, इनकी सरकार ने तो गांव-गांव में अहाते खोल दिए थे। हर मोहल्ले में खोल दिए थे। कोई भी, कहीं पर भी जाकर शराब का पग लगा सकता था। आम सड़कों पर लोग बोतल बेचते थे। हमने पिछले साल सारे ठेके बन्द किए हैं। इस साल हमने सारे स्टेट में सारे प्रदेश में बार्ज बन्द किए हैं। नए लाईसेंस देने और रिन्यू करने भी बन्द कर दिए हैं ताकि कोई भी ठेका या बार न खोल सके। मतदाताओं के पहचान पत्र सारे स्टेट में तकरीबन बना दिए हैं और कुछ जो बाकी हैं वह बनते जा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, हम चाहेंगे कि जल्दी ही सारे प्रदेश में ये पहचान पत्र बन जाएं।

अध्यक्ष महोदय, इन्होंने जो मुद्दे उठाए हैं, अब मैं उनकी चर्चा संक्षेप में करूंगा। (विघ्न) इन्होंने कह दिया कि राज्य में चोरियां, डकैतियां, बलात्कारों की घटनाएं फिर से बढ़ रही हैं। इन्होंने यह भी कहा कि पंजाब सरकार जलियांवाला बाग की वर्षगांठ मना रही है। दूसरी तरफ सारा हरियाणा जलियांवाला बाग बना हुआ है। आपने यह भी कहा कि मुख्यमन्त्री खास तौर पर कानून और व्यवस्था की तरफ ध्यान दें। अध्यक्ष महोदय, हरियाणा में कानून व्यवस्था कायम है और राज्य में शांति और विकास का बहुत ही अच्छा वातावरण है। राज्य में हरेक नागरिक अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। हरियाणा पुलिस ने सुनिश्चित और समय पर मानव अपराधों पर कार्यवाही करके काफी हद तक सफलता प्राप्त की है। गत वर्षों की अपेक्षा अपराधों में इस वर्ष और कमी आई है। हरियाणा में कानून व्यवस्था की स्थिति हमारे पड़ोसी राज्यों की तुलना में बहुत अच्छी है। इस बारे में तो इनको खुद ही महसूस करना चाहिये। अध्यक्ष महोदय, पड़ोसी राज्य में आग लगी हुई थी और इनके राज में कितने बुरे हालात थे, कितनी ही घटनाएं घटी। अध्यक्ष महोदय, फतेहाबाद में दरियापुर के पास एक साथ 36-37 आदमी इनके राज में मारे गए थे। अध्यक्ष महोदय, अगर पड़ोस में आग लगी हो तो अपने घर को बचाना बहुत मुश्किल काम है। मैं अपनी पुलिस को और अपने एडमिनिस्ट्रेशन को बधाई देना चाहता हूं कि पड़ोसी राज्य पंजाब में आग लगी हुई थी और इन्होंने अपने घर को बचा कर रखा है। आज कानून व्यवस्था बहुत हद तक ठीक है। बढ़ती हुई जनसंख्या, बेरोजगारी एवं पंजाब तथा जम्मू कश्मीर राज्यों का उग्रवाद व पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कई गंभीर घटनाएं मैंने आपको सुनाईं। अध्यक्ष महोदय, कुरुक्षेत्र जिले में ग्राम अजराना में उग्रवादियों द्वारा अपहरण की केवल एक ही घटना सामने आई जिसमें अपहरण किए गए व्यक्ति सकुशल वापस आ गए थे। कुरुक्षेत्र पुलिस ने एक खूंखार उग्रवादी बलदेव सिंह हलवाराकलां, जिस पर एक लाख 25 हजार रुपये का ईनाम घोषित था, को गिरफ्तार किया है जबकि उसके साथी दिलेरजीत सिंह ने आत्महत्या

[चौधरी भजन लाल]

कर ली। इसके अलावा 1994 में डकैती की घटनाओं के 61 मुकद्दमें दर्ज हुए जबकि 1993 में 70 मुकद्दमें दर्ज हुए थे। इस तरह, स्पीकर सर, अब इस तरह के अपराध में 35 प्रतिशत की कमी आई है। इसके अलावा 1994 में बलात्कार के केसिज के 254 मुकद्दमें दर्ज हुए जिसमें से 223 मुकद्दमे के सदस्यों को तुरन्त पकड़ लिया गया। जहां तक सम्पत्ति के संबंध में अपराध का संबंध है, वह 1994 में लगभग 15 करोड़ तीस लाख रुपए की सम्पत्ति की चोरी हुई जिसमें से दस करोड़ 79 लाख रुपये की सम्पत्ति के माल की बरामदगी हुई जोकि कुल बरामदगी का 70.48 परसैंट है जबकि अभी तक भारतवर्ष में 1992 के आंकड़ों के अनुसार चोरी हुई सम्पत्ति का केवल 26.4 परसैन्ट ही माल बरामद हुआ है जबकि हरियाणा पुलिस ने 70.48 परसैन्ट माल बरामद किया है जोकि एक सराहनीय बात है। अध्यक्ष महोदय, टोहाना, नारनौंद और निसिंग की पुलिस फायरिंग का भी जिक्र किया गया है। हरियाणा पुलिस ने शांतिपूर्ण प्रदर्शनों पर कभी कोई रोक नहीं लगाई परन्तु जब कोई भी व्यक्ति कानून अपने हाथ में लेता है तो सरकार को आखिर कार्यवाही करनी ही पड़ती है। टोहाना और नारनौंद में पुलिस ने केवल हवाई फायरिंग ही की। इसके अलावा टोहाना में जो 31 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए थे, उनको भी सरकार ने किसानों के हितों को देखकर डिसचार्ज करवा दिया तथा मुकद्दमे बंद कर दिए। जैसा अभी मैंने पहले भी बताया है, नारनौंद में केवल पुलिस ने चार राउन्ड ही हवाई फायर किए थे। जहां तक सुशीला कांड का ताल्लुक है तो 8-5-93 को अपहरण का मुकद्दमा दर्ज होने के बाद इसकी तफ्तीश लोकल पुलिस ने की लेकिन जब लोगों ने कहा कि लोकल पुलिस से यह केस सी0आई0ए0 स्टाफ को दिया जाना चाहिए तो हमने सी0आई0ए0 स्टाफ को यह केस दे दिया। परन्तु बाद में जब लोगों ने मुझसे मिलकर कहा कि इस केस को सी0बी0आई0 को दे दें तो हमने यह केस सी0बी0आई0 को दे दिया हालांकि सी0बी0आई0 आमतौर पर ऐसे केस को कम लेती है लेकिन फिर भी मैंने हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना की कि आप इस केस को ले लें और यह केस उनके हवाले किया ताकि सी0बी0आई0 इस मामले को स्पष्ट करें। अब सी0बी0आई0 जांच कर रही है, जो भी दोषी होगा तो उसको माफ करने का सवाल ही नहीं है। जब सी0बी0आई0 जांच कर रही है तो हम कैसे माफ कर सकते हैं? इन्होंने यह भी कह दिया कि वह भजन लाल के गांव का रहने वाला था फलाना बिश्नोई था। क्या सारे बिश्नोई भजन लाल के रिश्तेदार हैं। क्या सारे जाट सम्पत सिंह, बंसी लाल जी के या चौटाला जी के रिश्तेदार हैं? जाति तो किसी भी आदमी की कोई भी हो सकती है। गांव का भी हो सकता है। चौटाला साहब ने गांव में इलैक्शन लड़ा और इनका सरपंच इलैक्शन हार गया इसलिये आधा गांव तो इनके खिलाफ है। अध्यक्ष महोदय, गांव तो भजन लाल का भी हो सकता है एवं गांव में आदमी से खिलाफत हो सकती है। इसलिये यह तो कोई बात नहीं है। गांव में कोई आदमी किसी का रिश्तेदार भी हो सकता है और रिश्तेदार होकर भी वह गलत काम कर सकता है। अगर वह गलत काम करे और सरकार उसे बचाने की कोशिश करे, तब तो सरकार

पर उंगली भी उठायी जा सकती है कि यह भजन लाल का दूर का रिश्तेदार है और इसने गलत काम किया है तथा इसके खिलाफ आपने कोई कार्यवाही नहीं की है। हमने यदि उसे बचाने की बात की होती तो फिर हम यह केस सी0 बी0 आई0 को क्यों भेजते ? फिर तो हमारी पुलिस ही कह देती कि इसमें कुछ नहीं है। लेकिन हम यह नहीं चाहते हैं। हम तो चाहते हैं कि प्रदेश के अन्दर पूरी तरह से लोगों की नजर सरकार के प्रति यह रहे कि सरकार किसी के साथ भी कोई भेदभाव नहीं करती। इसी बात को लेकर हमने यह केस सी0 बी0 आई0 के हवाले किया है। अब सी0 बी0 आई0 इसमें जांच कर रही है। हम तो चाहते हैं कि जांच में जो भी दोषी हों, ऐसा घिनौना काम करने वाले के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्यवाही होनी चाहिए और कोई आदमी भी इसमें बचना नहीं चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से करनाल में 24-12-94 को दो बच्चों के अपहरण की हत्या का मामला दर्ज किया गया था। मृतक बच्चे के माता-पिता ने अपने दो देवरों तथा देवरानियों पर शक किया लेकिन जब उनको तफतीश में शामिल किया गया तो मृतक के पिता ने आत्महत्या कर ली थी। इस मुकदमें में तफतीश सी0 आई0 ए0 द्वारा की जा रही है। लेकिन आरोपित व्यक्तियों ने हाई कोर्ट में मुकदमें की तफतीश सी0 बी0 आई0 को देने के लिए याचिका दायर कर रखी है जिसकी डेट 14 मार्च, 1995 को लगी है और यह मामला अभी सब जुडिस है। इसी तरह से सेखों कांड के दोषियों के बारे में भी आपने कहा। अध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि 26-10-94 को किस तरह से कुछ लोगों ने उनकी हत्या कर दी थी। लेकिन इसकी भी जांच एक बड़े सीनियर डी0 एस0 पी0 के जिम्मे लगा रखी है ताकि वह इस केस की जांच करके दोषियों को गिरफ्तार करे। इस कांड के बारे में इन्होंने मंत्री का भी जिक्र किया। अध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि चाहे कोई मंत्री हो, चाहे कोई छोटा या बड़ा आदमी हो, उसको छोड़ने का कोई सवाल ही नहीं है। आपको तो इसी बात को देखते हुए सरकार पर शक नहीं करना चाहिए था कि जो मेरी कैबिनट का मंत्री हो, हमारा साथी हो, हमारी पार्टी का व्यक्ति हो, हमने उस को भी नहीं बख्शा है। उसे सी0 बी0 आई0 को दिया ताकि इंसाफ हो और जो बात ठीक हो वे करें। अब सी0 बी0 आई0 ने जो कुछ किया है और जो फैसला करेगी, सिर झुकाकर उसको मानेंगे। हमारी उसकी मदद करने की बात होती तो सी0 बी0 आई0 को देने की जरूरत क्या थी ? हम दो मिनट में कह देते आपकी तरह से, कि इसमें वह निर्दोष है। हमने कहा कि नहीं, लोगों की नजरों में सरकार की प्रतिष्ठा, सरकार की शान और मर्यादा बनी रहनी चाहिए। इसी तरह रणबीर सिंह सुहाग की बात कह दी। रणबीर सिंह सुहाग के गुम होने की खबर आप जानते हैं कैसे हुई ? सैर करने गया था। कहते हैं, गुम हो गया। बाद में उसकी डैड बाडी नहर में मिली। उसके लिए लोगों ने कहा। मुझे आकर डैपुटेशन मिला। सुहाग के साथ जैसा भी कांड हुआ है। वह खुदकशी है या किसी ने मारा है, कैसे

[चौधरी भजन लाल]

मरा है इसकी जांच बाकायदा सी0 बी0 आई0 कर रही है और जो रिपोर्ट आएगी उस पर पूरी कार्यवाही सी0 बी0 आई0 करेगी ।

इसी तरह से फरीदाबाद का जिक्र कर दिया । वहां पुलिस ने तुरन्त कार्यवाही करके दोषियों को शरण देने के अपराध में चार दोषी गिरफ्तार कर लिए हैं । जय भगवान एक अन्तर्राष्ट्रीय खतरनाक अपराधी है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए इनाम घोषित किया गया है और पुलिस उसकी तीव्रता से खोज कर रही है । यमुनानगर सी0 आई0 ए0 स्टाफ के बारे में आपने कहा कि 28-10-94 को सी0 आई0 ए0 स्टाफ यमुनानगर के एक खतरनाक डाकुओं के गिरोह ने तीन सदस्य गिरफ्तार किए थे । उनसे 177 गैस सिलैण्डर तथा लूटमार के 1 लाख 32 हजार रुपये का सामान बरामद किया गया । इन सभी ने हत्या तथा लूटमार, दो डकैती व एक चोरी के अपराध कबूल किए हैं । 29-10-94 को तीनों ने साईनाईड खाकर आत्महत्या कर ली जो कि डाक्टरों तथा कैमिकल एग्जामिनेशन की रिपोर्ट से स्पष्ट है । नगीना में कमाल की हत्या के मुकद्मे के आरोप में तात्कालीन उपाधीक्षक, फिरोजपुर झिरका तथा अन्य पुलिस कर्मियों ने कमालपुर लोई को स्वयं सजा दी । हथकड़ियों से उसे मार दिया । सभी अभियुक्त जिसमें पुलिस मुलजिम भी शामिल हैं सब गिरफ्तार हो चुके हैं । इस अभियोग की तफतीश पुलिस एस0 पी0 अपराध शाखा ने स्वयं मौके पर की है । इसमें झूठे गवाही के बयानों पर तसदीक के लिए सी0 आई0 ए0 ने झूठ मापक यंत्र का उपयोग किया जा रहा है । डाक्टरों ने मौत का कारण हृदय गति का रुकना बताया है । बडाव पुलिस चौकी 29-9-94 को कर्म सिंह तथा नर्म सिंह ने शराब पीकर रेलवे के कर्मचारियों से झगड़ा किया । रेलवे कर्मचारियों तथा सी0 आर0 पी0 एफ0 ने इनकी पिटाई कर दी । मामला बडाव चौकी के पास पहुंचा । इन दोनों को डाक्टरी मुआयने के लिए ले जा रहे थे कि नर्म सिंह की मृत्यु हो गई । एस0 डी0 एम0 द्वारा जांच की गई । डाक्टरों ने मृत्यु का कारण पुरानी दिल की बीमारी, शराब पीना तथा चोट लगना बताया । मामला उच्च न्यायालय में विचाराधीन है । धारूहेड़ा थाने में मौत की खबर अखबार में छपी थी । पुलिस ने महिलाओं के साथ छेड़छाड़ तथा बलात्कार किया । अधीक्षक, मुख्यालय रिवाड़ी ने जांच की तथा पीड़ित महिलाओं को भी ढूंढा, परन्तु वे नहीं मिलीं । ये महिलाएं तथा इनके परिवार रिवाड़ी जिले में भेड़ बकरी चोरी के दो मुकद्मों में वांछित थे । पुलिस अधीक्षक रिवाड़ी अब इनकी जांच कर रहे हैं । उनको गांव के सरपंच ने बताया है कि जब ये महिलाएं आएंगी, तभी पुलिस अधीक्षक रिवाड़ी को सूचित कर दिया जाएगा । शाहबाद में पुलिस द्वारा बलात्कार का प्रयास 25-1-95 को उपनिरीक्षक ज्वाला सिंह ने झुग्गियों में रजनी नामक लड़की से छेड़छाड़ की थी उसके खिलाफ मुकद्मा दर्ज किया गया और ज्वाला सिंह थानेदार को गिरफ्तार किया गया तथा दो अन्य सिपाहियों को भी निलम्बित कर दिया गया है । कर्ण सिंह दलाल विधायक के भतीजे

पर हमला हुआ । 18-1-94 को रघुबीर सिंह, राजिन्द्र सिंह, अमर सिंह, ने कर्ण सिंह दलाल विधायक के भतीजे श्री वेदपाल को जख्मी कर दिया ।

बैठक का समय बढ़ाना

श्री अध्यक्ष : यदि हाउस की सहमति हो तो हाउस का समय आधे घण्टे के लिए और बढ़ा दिया जाए ।

आवाजें : ठीक है जी ।

श्री अध्यक्ष : हाउस का समय आधे घण्टे के लिए और बढ़ाया जाता है ।

राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा तथा धन्यवाद प्रस्ताव पर मतदान (पुनरारम्भ)

मुख्य मन्त्री (चौधरी भजन लाल) : इनके खिलाफ धारा 307 के तहत मुकद्मा [15.00 बजे] दर्ज कर लिया गया है और तीनों दोषियों को 22-1-95 को गिरफ्तार किया गया है। वारदात में इस्तेमाल चाकू भी बरामद कर लिया गया है। कैथल के गांव किरोयड़ में हरिजनों पर अत्याचार की बात कही गई । अध्यक्ष महोदय, यह दो हरिजन पार्टियों का आपस का झगड़ा था । गांव से डर कर कुछ हरिजन कैथल चले गये थे वे मेरे से भी मिले थे । मैंने उनकी जिम्मेवारी ली थी कि आप जाकर वहां पर रहो । फिर मैंने यह मामला डी0 सी0 व एस0 पी0 के जिम्मे लगाया और अब वे लोग वापिस अपने गांव में चले गये हैं और अब उनका आपस में राजीनामा भी हो गया है । इसी तरह से कुरुक्षेत्र में जो नीलामी हो रही थी, वहां पर हरियाणा विकास पार्टी के कार्यकर्ताओं ने धारा 144 को तोड़ा और पुलिस पार्टी पर हमला किया जिससे कुछ पुलिस वालों को चोटें आई और फिर लोगों को वहां से तितर-बितर कर दिया गया । नीलामी बाकायदा ठीक ढंग से हो गई । एक सिपाही की पिटाई का जिक्र भी यहां पर किया गया है । आप को पता होगा कि एक उप-पुलिस अधीक्षक ने शराब पिये हुए सिपाही को कुछ कह दिया और सिपाही ने डी0 एस0 पी0 को थप्पड़ मार दिया । अध्यक्ष महोदय, आप तो जानते हैं ऐसे मामलों में आखिर थोड़ी बहुत कार्यवाही तो करनी ही पड़ती है । इस बात की हम जांच कर रहे हैं और जो ठीक बात होगी उसी के अनुसार कार्यवाही की जाएगी ।

दिगावां मंडी लोहारू में दिल्ली पुलिस द्वारा अपहरण के बारे में चौधरी बंसी लाल जी ने भी कुछ कहा कि दिल्ली पुलिस ने दिगावां से एक दल के राधेश्याम, गोविन्द

[चौधरी भजन लाल]

व पवन को किसी धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार किया । उनको छोड़ने के लिये 90 हजार रुपये बतौर रिश्वत के मांगे गए । इस बारे में एस0 डी0 एम0 लोहारू को शिकायत मिली तो उन्होंने पुलिस-अधीक्षक को साथ लेकर रेड करवा दिया। दो पुलिस कर्मचारी दिल्ली पुलिस के मौके से भाग गये और एक को गिरफ्तार कर लिया गया और बाद में रिश्वत का सारा रुपया और वह गाड़ी जो इस हादसे में इस्तेमाल हुई थी, उसको भी बरामद कर लिया गया । बाकी दोषियों को बन्दी बना लिया गया है । इस मामले की पूरी तरह से जांच की गई और इसमें किसी प्रकार की कोताही नहीं बरती गई ।

इसी तरह से हांसी में जो म्युनिसिपल कमेटी के चुनाव हुए, उस बारे में कल भड़कड़ साहब ने सब कुछ बता दिया है । आप जानते हैं कि इलैक्शन में थोड़ा बहुत झगड़ा हो ही गया होगा । अब वह सारा मामला ठीक हो गया है ।

फरीदाबाद में एक पुलिस कर्मचारी देवेन्द्र सिंह ने 28–2–94 को बलात्कार का जो प्रयास किया था, उसको उसी दिन ही गिरफ्तार कर लिया गया था । इसी तरह से गुड़गांव पुलिस के बारे में कहा गया कि उसने अशोक कुमार की हत्या की । उसको मारा पीटा गया और 20–3–94 को जेल में उसकी मृत्यु हो गई । यह अभियुक्त दिल्ली पुलिस के पास गिरफ्तार था । हरियाणा पुलिस ने किसी मामले में उसको लिया था । अशोक कुमार की मौत गुर्दे के फेल होने से हुई है । हरियाणा पुलिस की उसमें कोई गलती नहीं है ।

जिला फरीदाबाद में याहिया खां का अपहरण का मामला भी यहां पर आया। जिसकी फिरौती में रकम मांगी गई थी । पुलिस ने मुख्य अभियुक्त शुभा को गिरफ्तार करके फिरौती की चार लाख की राशि बरामद कर ली है और यह बात बिल्कुल गलत है कि हमारे किसी एम0 एल0 ए0 ने इस केस में कोई पैसा लिया है । एक किसान राजकुमार की जुलाना में पिटाई का किस्सा भी यहां पर आया कि मुख्य सिपाही रणधीर सिंह ने उसकी पिटाई की । जांच करवायी तो शिकायत कर्ता ने शपथ पत्र दिया और उसने यह माना कि गलतफहमी में शिकायत की गई है और अब हमारा समझौता हो गया है और उसने कहा कि मैं इसकी जांच नहीं करवाना चाहता । कुछ कातिलों को रोहतक से सोनीपत ले आया जा रहा था कि मुदई पार्टी ने उन पर हमला कर दिया जिस कारण से दो कातिलों की हत्या हो गई । इस मुकदमें में 29 मुलजिमों को, जिनमें दो पुलिस कर्मी भी हैं, सभी को गिरफ्तार कर लिया गया है । सारी शूटिंग पार्टी को निलम्बित कर दिया गया है और जांच चल रही है ।

अध्यक्ष महोदय, पिंजौर में बाबू राम चेयरमैन की हत्या हो गई । लेकिन डाक्टर ने बताया कि उसकी मौत जहर खाने से हुई है । इसी लिये मुकदमें को खारिज

किया गया है । जाखल थाने में कैला देवी किसी चोरी के मामले में तफतीश के लिये थाने में बुलाई गई थी । उसकी मारपीट हुई । सारी जांच अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा करवाई गई और उसने अपनी रिपोर्ट दी है कि उसके साथ कोई बलात्कार नहीं हुआ है । सरकार ने गुप्त विभाग से भी इसकी जांच करवाई है । पता चला है कि उसकी भी यही रिपोर्ट है कि कोई बलात्कार नहीं हुआ है । डाक्टरों के आतंक की बात भी कही गई है । अब माहौल संतोषजनक है ।

इसके साथ साथ पुलिस हिरासत में मौतों की बात भी आई । मैं बताता हूं कि 1994 में 6 मामलों में 8 लोगों की मृत्यु हुई जिनमें तीन मामलों में पुलिस कर्मचारियों के बारे में तीन मुकदमें दर्ज किये गये जिनमें एक उप-निरीक्षक व एक सहायक निरीक्षक गिरफ्तार किये गये । बाकी दो मामलों में आत्महत्या और एक मामला बस दुर्घटना का सिद्ध होता है । अध्यक्ष महोदय, पुलिस हिरासत में जब मृत्यु होती है, तो धारा 176 सी0 आर0 पी0 सी0 के अन्तर्गत उसकी मैजिस्ट्रेट द्वारा जांच करवाई जाती है और आवश्यक कानूनी कार्यवाही इस मामले में की जाती है । मड़कोली गांव में पुष्पा देवी, निवासी राजस्थान, के ब्यान पर मुकदमा दर्ज करके राम चन्द्र तथा प्रताप नाम के दोषियों को 7-3-95 को गिरफ्तार कर लिया गया है । बहादुरगढ़ में पूजा के अपहरण के मामले में लड़की पर हमला तथा हत्या का मामला दर्ज करके पुलिस ने बलाइंड केस को बड़ी सूझ-बूझ के साथ सुलझा दिया तथा दोषी राज कुमार को 4-3-95 को गिरफ्तार कर लिया गया है । हरियाणा पुलिस ने प्रदेश में आतंकवाद को मिटाने के लिए तथा कानून व्यवस्था को कायम रखने में कोई कमी नहीं छोड़ी । पुलिस विभाग को हमने पूरी तरह से आधुनिक भी किया है और उन्हें नए शस्त्र दिए हैं ताकि अगर किसी प्रकार की कोई घटना हो तो उस पर फौरन काबू पाया जा सके ।

चौधरी बंसी लाल ने पुलिस विभाग में सभी पदों में अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग की कमी के बारे में कहा । मैं इस बारे में बताना चाहता हूं कि फील्ड आफिसर्ज में इनकी थोड़ी कमी है क्योंकि इन्टरव्यू के समय कमिशन में सिलैक्ट नहीं हो पाए । बाकी हैड-कांस्टेबल और कांस्टेबल्ज में कोई कमी नहीं है । चौधरी बंसी लाल जी ने नहरों की सफाई के बारे में कहा । यमुना और भाखड़ा की नहरों की सफाई डब्ल्यू0 सी0 आर0 पी0 और आर0 सी0 पी0 के तहत की जा रही है । उन्होंने कहा कि उठान नहरों की सफाई का काम भी आर0 सी0 पी0 के तहत किया जा सकता है, इसमें कुछ कमी है । आप जानते हैं कि हमने इसके लिए पैसा भी दिया है और इस पर तेजी से काम चल रहा है । हमने कल भी इस बारे में बात चीत की थी कि नहरों की टेल तक पानी पहुंचाया जाए और नहरों में से रेत निकाला जाए । आपने यह भी पूछा कि विभिन्न जिलों में सिंचाई विभाग द्वारा लगाए गए स्प्रिंकलर सैटों का ब्यौरा दिया जाए । य जिला हिसार में 32 हैं, भिवानी में 120 और सिरसा में 5 हैं ।

[चौधरी भजन लाल]

अगली बात राजस्थान से हरियाणा में आ रहे नदी नालों पर राजस्थान द्वारा बांधों के निर्माण के बारे में है। इस बारे में मैंने पहले भी असैम्बली में बताया था कि इस मामले को हम राजस्थान के मुख्य मन्त्री माननीय भैरों सिंह शेखावत के साथ उठाएंगे। इसके अलावा चौधरी बंसी लाल जी ने कहा कि रोपड़, हरिके और फिरोजपुर हैड वर्कस का नियंत्रण भाखड़ा ब्यास मैनेजमैंट को दिलाया जाए। आप जानते हैं कि यह 1966 का मामला है। इसका नियंत्रण पंजाब सरकार ने भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट को देना था लेकिन अभी तक दिया नहीं। इसके लिए आपने भी बहुत कोशिश की। आप भी सैन्टर में मन्त्री रहे हैं, मैं भी रहा हूं और चौधरी देवी लाल जी भी रहे हैं लेकिन अभी तक यह मामला पेंडिंग है। हमने यह मामला कई बार पंजाब सरकार के साथ भी उठाया है और भारत सरकार के साथ भी उठाया है लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। फिर भी हमारी कोशिश इसके लिए जारी है। चौधरी सम्पत सिंह और बंसी लाल जी ने कहा कि बी0एम0एल0 की क्षमता 12,000 क्यूसिक से घट कर 6,000 क्यूसिक रह गई। यह बात ठीक नहीं है। पंजाब तथा हरियाणा की सीमा पर भाखड़ा नहर की कुल क्षमता 10,800 क्यूसिक की बजाए 9100 क्यूसिक रह गई है। इस नहर की क्षमता बढ़ाने के लिए पंजाब सरकार ने कुछ कार्य करवाया है। इसके लिए हरियाणा ने पंजाब को 1 करोड़ 90 लाख रुपए की अदायगी की है, जिसमें से पंजाब ने 1 करोड़ 60 लाख रुपए इस कार्य पर खर्च भी किए हैं। हमारी पूरी कोशिश है कि इसकी कैपेसिटी के मुताबिक इसमें पूरा पानी आए। लेकिन आप जानते हैं कि यह काम करने के लिए नहर को बन्द करना पड़ता है। हम बीच में नहर को बन्द करके इसकी कैपेसिटी को ऊपर लाए हैं। जहां तक यमुना जल समझौते की बात है इसके बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया है। इसी तरह से हथिनी कुण्ड बैराज का जिक्र भी आ चुका है। इसके अलावा आपने कहा कि पाखड़ा लिंक प्रोजैक्ट का जिक्र नहीं आया, जोकि आपके हल्के में है। पाखड़ा लिंक नहर का कार्य शुरू तो किया गया था लेकिन आप जानते हैं कि हाई कोर्ट में मामला फाईल होने की वजह से इसमें स्टे है। इसलिये इस पर हम कार्य नहीं कर सकते। इसका पानी अकेले आपके हल्के में नहीं, बल्कि मेरे हल्के में भी जाता है। डब्ल्यू0 आर0 सी0 परियोजना के अन्तर्गत 1858 करोड़ रुपए का प्रावधान है। इसके लिए आधा धन हरियाणा सरकार ने जुटाना है तथा आधा धन विश्व बैंक प्रदान करेगा।

अध्यक्ष महोदय, चौधरी बंसी लाल ने कहा कि कुछ गांवों में अभी भी बाढ़ का पानी खड़ा है। अध्यक्ष महोदय, रोहतक जिले के रिठाल गांव में बरसात का जो पानी खड़ा था, वह निकाल दिया गया है। जे0एल0एन0 के साथ साथ चार गांवों में पानी खड़ा था। रिठाल गांव में 15 एकड़ में, आखेता गांव में 80 एकड़ में, सुनारिया गांव के 200 एकड़ में और रसूलपुर गांव के 500 एकड़ में पानी खड़ा था। वह पानी ज्यों ज्यों फण्ड मिल रहे हैं, उसके मुताबिक निकाला जा रहा है।

चौधरी बंसी लाल जी ने एक बात यह कही कि आबियाना बढ़ाया जा रहा है। आप जानते हैं कि आबियाना बहुत पुराना फिक्स किया हुआ था। उसको अब नाम मात्र बढ़ाया है। आप जानते हैं कि रख रखाव का खर्चा बहुत बढ़ गया है। नहरों को पक्का किया गया है। अगर हिसाब लगाएं इसमें अब भी बहुत घाटा रहता है। जैसे बिजली में घाटा रहता है, वैसे हमें पानी में भी घाटा है। इस समय हमारी स्टेट में दूसरी स्टेटों के मुकाबले में आबियाना कम है। अध्यक्ष महोदय, बिजली बोर्ड के बारे में मैंने आपके सामने डिटेल में बता दिया है इसलिये दोबारा बताने की आवश्यकता नहीं है। उत्पादन के बारे में भी बता दिया है। इजराइल कम्पनी के बारे में भी बता दिया है। अध्यक्ष महोदय, चौधरी बंसी लाल जी ने एक बात यह कही कि सरकारी अस्पतालों में डाक्टर नहीं हैं, दवाईयां नहीं हैं। अध्यक्ष महोदय, स्वास्थ्य विभाग में डाक्टरों के 1932 पद हैं, उनमें से इस समय 282 पद खाली पड़े हैं। यह बात सही है कि डाक्टरों की कुछ कमी है। सरकार ने खाली पड़े पदों को तदर्थ आधार पर भरने के लिए भी प्रयास किए हैं। एक बार फिर हरियाणा लोक सेवा आयोग ने डाक्टरों के 300 पद भरने के लिए विज्ञापन दिया था और उनके इन्टरव्यू लिए जा रहे हैं। उम्मीद है कि जल्दी ही उन पदों को भर लिया जाएगा। दवाइयां खरीदने के लिए भी सरकार ने स्वास्थ्य विभाग को पैसे दिए थे। अगले साल भी दवाईयों के लिए और पैसे दे देंगे। जिन जिन अस्पतालों में मशीनरी नहीं है, या उपकरण नहीं हैं, वह भी हम पूरा करवाएंगे।

चौधरी बंसी लाल : मैडीकल कालेज रोहतक के बारे में भी बता दें।

चौधरी भजन लाल : मैडीकल कॉलेज रोहतक में भी पूरा करेंगे। अध्यक्ष महोदय, जहां तक जमनानगर पेपर मिल का गंदा पानी जमुना नदी में डालने की बात है इस बारे में हमने 133 करोड़ रुपए की योजना बनाई है, ताकि जमुना नदी में गंदा पानी न डले। जमुना नदी, कृष्णा नदी और सरस्वती नदी ये तीन महा नदियां हैं। इनका मामला ठीक रहना ही चाहिए। इसके अलावा आपने कह दिया कि वर्ल्ड बैंक से कर्जा ले लिया। इस बारे में मैं बताना चाहूंगा कि राजकीय परिवार कल्याण, कृषि एवं जल संसाधन एवं सेवा वितरण परियोजना है। यह परियोजना पांच साल की है इसके लिए कुल राशि 42.42 करोड़ रुपये है। इस राशि में 90 प्रतिशत भारत सरकार का अनुदान है और बाकी 10 प्रतिशत खर्च हरियाणा सरकार वहन करती है। विश्व बैंक से जो कर्ज लिया हुआ था, उसकी अदायगी भी भारत सरकार ने करनी है। इस योजना पर 28-2-95 तक कुल 27.28 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। सड़कों की मुरम्मत के बारे में आपने सवाल उठाया था, वह मैंने बता दिया। अध्यक्ष महोदय, मैं पर्यटन विभाग के बारे में बताना चाहूंगा। बड़खल कम्पलैक्स के बारे में आपने कल जिक्र किया था। तत्कालीन मुख्य सचिव हरियाणा, श्री एम0सी0 गुप्ता ने 23-7-94 को बड़खल फरीदाबाद का दौरा किया था। उस दौरान उनके साथ बड़खल झील पर एक घटना घटी थी। वहां पर जलपान करने के बाद

[चौधरी भजन लाल]

श्री एम0 सी0 गुप्ता फरीदाबाद में फाइनैंस मैनेजमैंट द्वारा दिए गए लन्च में चले गए थे । उसके बाद पर्यटन विभाग के स्टाफ को श्री एम0 सी0 गुप्ता के दोबारा वापिस आने की कोई सूचना नहीं थी लेकिन फिर भी उन्होंने इसमें जो कुछ भी हरकत की, उसमें हमने उनको पकड़ा है और उनके खिलाफ कार्यवाही की है । यदि उन सभी के नाम बताऊं तो बहुत समय लग जाएगा । अध्यक्ष महोदय, सम्पत सिंह जी ने भूना की चीनी मिल का जिक्र किया और कहा कि उस मिल की तरफ किसानों का लगभग 3 करोड़ रुपया बकाया पड़ा है । हमने किसानों को लगभग एक करोड़ रुपया दे दिया है । बाकी भारत सरकार ने वहां से 1500 टन चीनी उठाने का फैसला कर लिया है और 10—15 दिन में वह सारा पैसा किसानों को दे दिया जाएगा । पानीपत चीनी मिल के बारे में चौधरी बंसी लाल ने कहा कि उसको शिफ्ट न किया जाए। आप जानते हैं कि पानीपत चीनी मिल वैसे ही बहुत पुराना हो गया है । हमने उसकी कैपैसिटी डबल करने का फैसला किया है । पानीपत और गोहाना के बीच में इस मिल को लगाएंगे । वह मिल शहर के बहुत बीच में तो नहीं कह सकता । बीच का मतलब तो बिल्कुल ही बीच होता है लेकिन शहर के काफी हद तक वह मिल अन्दर आ गया है। आप जानते हैं कि उसकी बड़ी भारी बदबू आती है (विघ्न) प्रो0 सम्पत सिंह जी ने जिक्र किया कि प्रदेश में वित्तीय संकट है और राशि की अलाटमैंट कम की जाती है, यह कहना बिल्कुल ही गलत है। प्रदेश में वित्तीय संकट और राशि की अलाटमैंट राज्य सरकार की अच्छी वित्तीय संस्थाओं के कारण ही संभव हो सकी है । चालू वर्ष की वार्षिक योजना 1025 करोड़ रुपये के लक्ष्य के मुकाबले में 1030.33 करोड़ रुपए व्यय होने का अनुमान है । राज्य सरकार ने अनावश्यक खर्चों में कमी करके और वर्तमान आय साधनों का सदुपयोग करके अच्छा वित्तीय प्रबंध किया है । राज्य की कर प्रक्रिया में काफी वृद्धि हुई है और भारत सरकार ने भी इनकी प्रशंसा की है । हमारा पूरे साल में एक आध दिन का तो मैं नहीं कह सकता, कभी भी ओवर ड्राफ्ट नहीं हुआ । लाटरी के बारे में हमने प्रदेश में फैसला किया है कि लाटरी पहली तारीख से बन्द कर देंगे (विघ्न) आपने लैक्चर दे दिया कि सरकार ने ऐसा ही कह दिया, लेकिन करेंगी नहीं। पहली अप्रैल से हरियाणा में अपनी लाटरी बंद करने का फैसला किया है और बाहर से कोई लाटरी बेचने आएगा तो उस पर हम 20 परसेंट टैक्स लेंगे । आपने कह दिया कि साहब बाहर से आने वाली लाटरी पर भी बैन लगाया जाना चाहिए । आप तो पढ़े लिखे हैं, प्रोफेसर हैं, चौटाला साहब जैसा या मेरे जैसा कोई आदमी यह बात कह दे तो समझ में आ जायेगी (विघ्न)

प्रो0 सम्पत सिंह : स्पीकर साहब, इन्होंने करना कुछ नहीं . . . . .

चौधरी भजन लाल : बंसी लाल जी ने कहा, मैंने कहा (विघ्न) लोग तो कहते हैं कि आप तो लाटरी लगाते हो तो फिर आप बन्द करने की बात कैसे कह सकते हैं ? (हंसी)

प्रो0 सम्पत सिंह : सर हमने तो इनकी कैबिनेट मीटिंग से पहले महम के जलसे में चेलेंज करके कहा था कि यदि सरकार लाटरी बन्द नहीं करेगी तो हम करेंगे, जा जा कर दुकानदारों से कहेंगे कि पैसे न दो, चाहे हमें लाटरी बेचने वालों को खदेड़ना पड़े, हम बंद करेंगे। (शोर एवं विघ्न)

चौधरी भजन लाल : यह शराब भी आपने बन्द कर दी और लाटरी भी आप बन्द करेंगे. फिर चालू किसने की थी? जहां तक बाहर की लाटरी को बन्द करने का ताल्लुक है, यह भारत सरकार का कानून है, स्टेट गवर्नमेंट इसको बन्द नहीं कर सकती, जब तक भारत सरकार इसको बदले नहीं। हम तो उस पर टैक्स ही लगा सकते हैं। टैक्स बढ़ाने के बारे भारत सरकार को लिख भी दिया है, और भी जरूरत पड़ी टैक्स लगाएंगे ताकि बाहर की लाटरी यहां पर न आए हम टैक्स का रेट और भी बढ़ा सकते हैं।

चौधरी बंसी लाल जी ने पूछा कि वर्ल्ड बैंक से कितना लोन लिया। सरकार ने विश्व बैंक से 1993-94 में 55.69 करोड़ रु0 का ऋण प्राप्त किया। 1994-95 में 15.81 करोड़ रुपये का ऋण प्राप्त हो चुका है।

चौ0 बंसी लाल जी ने कहा कि खर्चों को कम किया जाये। कोशिश करेंगे लेकिन क्या करें, यह प्रथा आपने डाली हुई है। जब आप मुख्यमन्त्री थे तो सारे एम0एल0ए0 को चेयरमैन बना दिया, बाद में देवीलाल जी को भी बनाने पड़े और मुझे भी बनाने पड़ रहे हैं। यह प्रथा तो आपने चालू की थी। बड़े भाई की प्रथा हम जल्दी कैसे खत्म कर सकते हैं? (विघ्न)

चौधरी बीरेन्द्र सिंह : सैशन चल रहा है, इसलिये कोई नोंक झोंक होनी चाहिए। (हंसी)

चौधरी भजन लाल : आंकड़ों की बात है इसलिये ये आंकड़े बता रहा हूं वरना तो इनको पढ़ने की जरूरत नहीं। अध्यक्ष महोदय, सम्पत सिंह जी ने एक जिक्र किया आयल एण्ड फैट्स लिमिटिड अलीपुर जिला अम्बाला का कि वह पैसा ले कर भाग गया। जुलाई 1992 में सरसों के तेल का कारखाना लगाने के लिए एक करोड़ 50 लाख रुपये का लोन उसको दिया गया था। श्री अशोक मोहन बंसल द्वारा, गांव अलीपुर जिला अम्बाला में 225 लाख रुपये की कुल लागत से 150 टन तेल प्रतिदिन निकालने के लिये लगाने के लिये 1994 में एच0 एस0 आई0 डी0 सी0 के द्वारा 27.11 लाख रुपये की सबसिडी की स्वीकृति प्रदान करने के लिये केस आया। कारखाने के लिए उसको जो ऋण दिया गया था, उसके एवज में कारखाने की सारी चल अचल सम्पत्तियां मन्सा देवी काम्पलैक्स में एक कनाल का प्लाट सैक्टर 19 चण्डीगढ़ में एक दुकान गिरवी रखी गई है। फरवरी 1992 में श्री बंसल और उनके परिवार के सदस्य चण्डीगढ़ छोड़ कर कहीं और चले गए। यह सूचना मिलते ही एच0 एस0 आई0 डी0 सी0 ने 22-2-1995 को कारखाने को अपने कब्जे में ले लिया और अपने

[चौधरी भजन लाल]

कर्मचारियों को वहां पर तैनात कर दिया। हम अब शीघ्र ही इस कारखाने को बेच कर अपना ऋण वसूल करेंगे। कुल मिला कर इस कारखाने पर 233 लाख रुपये की वसूली है जब कि जो सम्पत्ति रहन रखी गयी है, उसकी कीमत इससे कहीं ज्यादा है (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, एक बात मैं और हाउस में कहना चाहता हूं। सरकार ने सभी एम0एल0ए0 महानुभावों से 20 लाख रुपये की अपने हल्के के लिये स्कीम बना कर देने के लिये कहा था। मुझे खेद है कि मेरे सामने बैठे 15 विधायकों में से किसी ने कोई स्कीम नहीं भेजी। इनकी इतनी हमदर्दी जनता के साथ है। ये लोग जनता और लोगों के विकास की बात नहीं करते। उल्टी बात तो इससे चाहे, कितनी करवा लो इन 15 विधायकों में से एक दो को छोड़ कर किसी ने कोई स्कीम नहीं भेजी। (विघ्न) मैं यहां पर फिर यह दोहराना चाहता हूं कि मेहरबानी करके अगर अपने हल्के में विकास की कोई स्कीम चाहते हैं तो स्कीम बना कर भेजें कि आप क्या चाहते हैं। हम चाहते हैं कि सभी हल्कों का समान विकास हो सभी विधायक महानुभावों को एक समान अवसर मिले। (विघ्न)

प्रो0 छत्तर सिंह चौहान : अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात जानना चाहता हूं * * *

श्री अध्यक्ष : छत्तर सिंह जी, आप अपनी सीट पर बैठें। (विघ्न) जो इन्होंने कहा है, रिकार्ड न किया जाए।

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से लछमन दास जी के बारे में तो उस दिन पूरा जवाब दे दिया था। विघ्न)

प्रो0 राम बिलास शर्मा : अध्यक्ष महोदय, इस बारे में एक बात जानना चाहता हूं कि विकास की जो योजनाएं हैं, उनका पूरा विवरण स्पष्ट नहीं है कि क्या उनको डिप्टी कमिश्नर करेंगे या राजेन्द्र सिंह बिसला जी का बोर्ड करेगा ? इस बारे में तो अभी आपका प्रशासन दुविधा में है। (विघ्न)

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, मैं सदन को बताना चाहता हूं कि सभी डी0सी0ज0 के पास यह पैसा पहुंच गया है। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ सदन में यह बात कह रहा हूं (विघ्न) एक बात मैं चौधरी बंसी लाल जी से कहना चाहता हूं। बनारसी दास गुप्ता जी को जिस व्यक्ति ने गोली मारी थी, उसको 15 साल की सजा हो गई थी। उस व्यक्ति का आपने स्वागत किया है और उसको अपनी पार्टी में शामिल किया है। इस बारे में आज के पेपर में भी छपा है। आज का अखबार आप पढ़ लें क्या यह ठीक बात नहीं है जो पेपर में छपा है कि बंसी लाल वैलकम्ज राजबीर सिंह ? यह बात ठीक नहीं है क्या ? (विघ्न) इसका मतलब तो यही जानते हैं। (विघ्न)

*Not recorded as ordered by the Chair.

वैयक्तिक स्पष्टीकरण—

(i) चौधरी बंसी लाल द्वारा —

चौधरी बंसी लाल : अध्यक्ष महोदय, इस बारे में मेरा प्वायंट आफ पर्सनल एक्सप्लेनेशन है ऐसे व्यक्तियों के लिये हमारे यहां कोई जगह नहीं है ।

चौधरी भजन लाल : तो फिर किसने यह बात कही, किसी पागलपन में तो कहा नहीं होगा । पेपर में आया है ।

चौधरी बंसी लाल : आपके सी0 आई0 डी0 इन्सपैक्टर के साथ 2—3 अखबार वाले रात के 11 बजे तक होटल में बैठे रहते हैं । उन्होंने ही यह लिख दिया होगा । मैंने ऐसी कोई बात नहीं कही ।

राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा तथा धन्यवाद प्रस्ताव पर मतदान (पुनरारम्भ)

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, अफ्रीका में यूगांडा नाम की जगह है उसका डिक्टेटर इदी अमीन था । जिसको लोग पागल डिक्टेटर कहा करते थे । (विघ्न) वह डिक्टेटर आपकी तरह से था । मेहरबानी करके डिक्टेटरपने की बात न किया करें । शांति रखो, शांति से बात करो, शांति से सुनो और ठीक बात कहो । अध्यक्ष महोदय, मैं इन्हीं शब्दों के साथ सदन का बहुत आभारी हूं कि इन्होंने मुझे शांति से सुना । अब मैं आपके द्वारा सारे सदन से निवेदन करना चाहूंगा कि महामहिम राज्यपाल महोदय ने जो अभिभाषण यहां पर पढ़ा है, उसको सर्वसम्मति से पास किया जाए । (शोर एवं व्यवधान)

चौधरी बंसी लाल : अध्यक्ष महोदय, एक तो मुख्यमन्त्री जी ने जो स्प्रिंकलर सैटस की बात कही तो क्या महेन्द्रगढ़ में स्प्रिंकलर सैटस नहीं थे ? इन्होंने उसका नाम नहीं लिया है ।

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय ये अक्सर भिवानी का ही पूछते हैं तो मैंने सोचा कि इन्होंने भिवानी का ही पूछा है ।

चौधरी बंसी लाल : अध्यक्ष महोदय, मैंने पूरे स्टेट के हर एक जिले का पूछा है। इन्होंने जो पीने के पानी के बारे में और नहरों के पानी के बारे में कहा है वह असत्य है सत्य नहीं है। बहुत से गांवों में साल से पानी नहीं गया है और नहरों की टेल पर कई कई सालों से पानी ही नहीं पहुंचा है। अध्यक्ष महोदय, मुख्यमन्त्री जी ने एक बात सदन में कही थी कि बंसी लाल की सरकार के और चौधरी देवी लाल या चौटाला की सरकार के टाईम में जमीनें बेची गई हैं। तो मैं इनसे आपके जरिए से निवेदन करूंगा कि जो इन्होंने बातें कहीं हैं इनके पूरे तथ्य सदन के पटल पर रख दें कि किसने, किस साल में कितने में किसको किस परपज के लिये किस भाव पर बेची हैं, ताकि इस बात की कुछ सफाई हो जाए।

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, मै यह तथ्य सदन की पटल पर भी रख दूंगा और इनको बता भी देता हूं ताकि पोजीशन स्पष्ट हो जाए। अध्यक्ष महोदय, 1970 में ये मुख्य मन्त्री थे। उस वक्त इन्होंने दिनेश कुमार सन आफ श्री ऋषिदेव हिसार को 13 सौ सकेयर यार्ड 50 रुपये गज के हिसाब से पैट्रोल पम्प लगाने के लिये शहर के अन्दर दी। इसके बाद राम कुमार सन आफ श्री बनारसी दास, श्री टायर सोल्ड कम्पनी को हिसार में वर्कशाप के लिये 50 रुपये गज के हिसाब से दी। इसी प्रकार से इसमें 37 नाम हैं। यह लिस्ट मैं आपको भेज देता हूं आप पढ़ लेना। (शोर एवं व्यवधान)

चौधरी ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मुख्यमन्त्री जी ने अपने जवाब में बलंग-बांग दावे किए। इन्होंने जमुना के समझौते के तहत ....

श्री अध्यक्ष: यह कोई डिस्कशन की बात नहीं है। आप अपनी बात स्पष्ट करें।

चौधरी ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, इन्होंने कहा है और मैं बात ही कह रहा हूं। पुराना जो एग्रीमेंट था, उसके मुताबिक हरियाणा का 77 प्रतिशत पानी था और उत्तर प्रदेश का 23 प्रतिशत पानी का शेयर था। अब नए मुहायदे के मुताबिक हिमाचल को, दिल्ली को और राजस्थान को भी शेयर दिया गया है जबकि यू0 पी0 को उसके पहले के शेयर से अधिक शेयर दिया गया है। मुख्यमन्त्री जी यह बताएं कि वह पानी किसका है? अध्यक्ष महोदय, जो स्पष्ट बात है उसमें भी हाउस को गुमराह किया जा रहा है।

Mr. Speaker : It may be your version. The Govt.'s reply is the final reply. (शोर एवं व्यवधान) आप बार बार इस बात को नहीं छेड़ सकते हैं। इस केस में इन्होंने परसैन्टेज क्लीयर कर दी हैं। (शोर एवं व्यवधान)

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, इन्हें कहिए कि बजट पर बोल लेना । मैं इसका जवाब भी दे दूंगा ।

चौधरी ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, जिनका इस पानी में कोई हिस्सा नहीं था, उन तीन स्टेटस को पानी किसका गया है ?

श्री अध्यक्ष: चौटाला जी, मुख्यमन्त्री जी ने कहा है कि आप बजट पर बोल लेना उस वक्त सुन लेंगे ।

चौधरी ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, क्या हम यह मान लें कि इन्होंने जो कहा है, वह ठीक है।

श्री अध्यक्ष : जी हां, जो कुछ बात कही है, वह ठीक है ।

चौधरी ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय इन्होंने जो कुछ भी बात कही है, वह गलत कही है और हाउस को गुमराह किया है । अध्यक्ष महोदय, यह बात मैं आपके नोटिस में ला रहा हूं।

Mr. Speaker : It may be your version. The statemant of the Government is considered true.

चौधरी ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, बजट में तो कहेंगे ही लेकिन मुख्यमन्त्री ने जो इस बारे में जवाब दिया है वह गुमराहपूर्ण है और उससे हाउस को गुमराह किया गया है। सर, 23 परसैन्ट वालों को भी ज्यादा पानी दिया गया है तथा राजस्थान हिमाचल प्रदेश और दिल्ली को भी और पानी दिया गया है । फिर यह पानी किसके हिस्से का गया है ? अध्यक्ष महोदय, यह स्टेट के इंट्रैस्ट का सवाल है ।

चौधरी बंसी लाल : अध्यक्ष महोदय, मुख्यमन्त्री जी यह बात भी स्पष्ट कर दें कि राजस्थान से जो चार नदियां हरियाणा में आती हैं, जिनके ऊपर राजस्थान सरकार ने बांध बना लिए हैं अध्यक्ष महोदय, हमारा तो वहां बिल्कुल राईपेरियन राइट था, क्या इन्होंने इन नदियों के पानी को हरियाणा में लाने का कोई प्रबन्ध किया है ? इन्होंने इस पानी को लाने का प्रबन्ध किए बगैर राजस्थान को पानी कैसे दे दिया ? पिछले सैशन में मुख्यमन्त्री जी ने कहा था कि राजस्थान के मुख्य मन्त्री जी ने कहा था कि आप आकर देख लें कि हमने कोई बांध नहीं बनाए हैं और अगर कोई बांध बनाए होंगे तो हम उनको हटा देंगे । तब मुख्यमन्त्री जी ने कहा था कि हम उसके ऊपर इंस्पैक्शन कराएंगे. तो क्या वह इंस्पैक्शन मुख्यमन्त्री जी ने कराया है और अगर कोई इंस्पैक्शन कराया है तो कब कराया और उसका क्या रिजल्ट हुआ यह बता दें ?

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, हमने इसका जवाब दे दिया है । शायद इन्होंने सुना नहीं है । बंसीलाल जी, आप इस बारे में रामविलास जी से पूछिए कि हमने यह जवाब दिया है या नहीं ।

चौधरी बंसी लाल : आप फिर अच्छी तरह से बता दें ।

बैठक का समय बढ़ाना

श्री अध्यक्ष : यदि हाउस की सहमति हो तो हाउस का समय 15 मिनट के लिए और बढ़ा दिया जाए ।

आवाजें : ठीक है जी ।

श्री अध्यक्ष : ठीक है हाउस का समय 15 मिनट के लिये और बढ़ाया जाता है ।

राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा तथा धन्यवाद प्रस्ताव पर मतदान (पुनरारम्भ)

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, मैंने अभी बताया था । लेकिन इन्होंने सुना नहीं है । पहले तो इन्हें एक कान से सुनाई देता था अब मुझे पता नहीं है कि इनको कौन से कान से सुनाई देता है और कौन से कान से नहीं । बंसीलाल जी, आप एक कान से सुनते हैं, आपने ध्यान नहीं दिया ।

चौधरी बंसी लाल : अध्यक्ष महोदय, इनको भी एक आंख से दिखता नहीं है, इसलिये बराबर हो गया ।

चौधरी भजन लाल : मुझे तो दोनों आंखों से दिखता है । अगर नहीं दिखता तो एक आंख भींचकर जरा मेरे मुंह में अंगुली डालकर देख लो, पता लग जाएगा । (हंसी) अध्यक्ष महोदय, स्टेट में टोटल 38 हजार स्प्रिंकलर सैट्स लगे हुए हैं जो कि राजस्थान के साथ लगते रेतीले एरिये में, जैसे महेन्द्रगढ़, भिवानी, रिवाड़ी, हिसार, सिरसा और गुड़गांव में हैं यह तो इनके पहले सवाल का जवाब हो गया है और इसके अलावा अध्यक्ष महोदय, राजस्थान के मुख्यमन्त्री जी से बात हो गयी है । उन्होंने कहा है कि आप आइये । हम आपको ये दिखा देंगे । मैं, मन्त्री जी और दूसरे ऑफिसर्ज को साथ लेकर उनसे टाईम लेकर वहां जाएंगे और बात करेंगे तथा उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे ।

चौधरी बंसी लाल : कितने दिनों में करेंगे ?

चौधरी भजन लाल : जब भी वह टाईम देंगे । अभी तो राजस्थान के मुख्यमन्त्री जी से टाईम लेना है । आप अपने पड़ौस में बैठे राम बिलास जी से कहिए कि वह इनसे टाईम दिलवाएं क्योंकि वे इनकी पार्टी के मुख्यमन्त्री हैं।

श्री अध्यक्ष : मुख्य मन्त्री जी, क्या आप बरसात से पहले या जुलाई अगस्त से पहले पहले वहां जाएंगे ?

चौधरी भजन लाल : जी हां, बरसात से पहले जाएंगे ।

प्रो0 राम बिलास शर्मा : स्पीकर सर, 23 तारीख को वहां सैशन है इसलिये ये 23 तारीख को नेहरा जी को साथ लेकर वहां चलें । 38 बांध तो स्वयं मैंने वहां पर देखे हैं । मैं इनके बारे में प्राईवेटली जानता हूं क्योंकि वहां मेरा पड़ौस का इलाका है और उनसे हम इफेक्टिड भी हैं । हमारे सिंचाई विभाग के एक बड़े आफिसर के पास इस बारे में पूरी डिटेल्ज भी है । इसलिए मैं इस मामले में इनकी मदद कर सकता हूं । अगर इनको सुविधा हो तो मैं इनको 23 तारीख को टाईम दिला सकता हूं ।

चौधरी आनन्द सिंह डांगी : स्पीकर सर, अभी एक बहुत ही अहम बात सी0 एल0 वर्मा के बारे में आयी थी । (विघ्न) सर, एक बहुत ही जरूरी बात है इसलिये मैं मुख्यमन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि सी0 एल0 वर्मा की सिक्योरिटी का इंतजाम किया जाए क्योंकि कहीं ऐसा न हो कि उसकी भी बेचारे अमीर सिंह वाली हालत न बन जाए ।

प्रो0 सम्पत सिंह : स्पीकर सर, मुझे भी दो तीन बातें मुख्यमन्त्री जी से पूछनी हैं ।

श्री अध्यक्ष : नहीं, नहीं, आप बैठिए ।

प्रो0 सम्पत सिंह : स्पीकर सर, आपने उनको भी दो-दो बार टाईम दे दिया है, इसलिये आप हमसे ही क्यों नाराज हो रहे हैं ? ऐसी कोई लम्बी चौड़ी बात नहीं है । केवल एक या दो बातें ही इनसे क्लीयर करनी हैं ।

श्री अध्यक्ष : सम्पत सिंह, अब आप बैठिए ।

सिंचाई मन्त्री (चौधरी जगदीश नेहरा) : स्पीकर सर, यह कोई क्वैश्चन आवर नहीं है । यह इनका कोई तरीका नहीं है ।

श्री अध्यक्ष : ठीक है, नेहरा साहब आप भी बैठिए ।

वैयक्तिक स्पष्टीकरण

(ii) चौधरी बंसी लाल द्वारा

चौधरी बंसी लाल : अध्यक्ष महोदय, आन ए प्वायंट आफ पर्सनल एक्सप्लेनेशन सर । मैं केवल एक बात और कहना चाहता हूं कि श्री लहरी सिंह ने मेरे खिलाफ जो इल्जाम लगाए हैं, वह बिल्कुल असत्य और गलत हैं तथा इनमें कोई सच्चाई नहीं है ।

राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा तथा धन्यवाद प्रस्ताव पर मतदान (पुनरारम्भ)

Mr. Speaker : Question is—

"That an Address be presented to the Governor in the following terms:—

That the Members of the Haryana Vidhan Sabha assembled in this Session are deeply grateful to the Governor for the Address which he has been pleased to deliver to the House on the 6th March, 1995.'."

The motion was carried

वर्ष 1994-95 के अनुपूरक अनुमानों पर चर्चा तथा मतदान

(1) राज्यों के राजस्व पर प्रभारित व्यय के अनुमानों पर चर्चा।

(2) अनुपूरक अनुदानों की मांगों पर चर्चा तथा मतदान।

Mr. Speaker : Hon'ble Members, now the discussion and voting on the Supplementary Estimates for the year 1994-95 will take place.

According to previous practice and in order to save the time of the House, all the Demands for supplementary Grants will be deemed to have been read and moved. The members are requested to indicate the Demand No. on which they wish to raise discussion while speaking.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 12,96,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1995 in respect of Demand No. 1-Vidhan Sabha.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 15,37,27,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1995 in respect of Demand No. 2—General Administration.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 8,02,89,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1995 in respect of Demand No. 3—Home.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 17,90,57,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1995 in respect of Demand No. 4—Revenue.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 3,84,35,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1995 in respect of Demand No. 5—Excise and Taxation.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 5,01,46,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1995 in respect of Demand No. 6—Finance.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 24,05,92,85,000 for revenue expenditure and Rs. 1,20,00,000 for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1995 in respect of Demand No. 7—Other Administrative Services.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 12,12,11,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1995 in respect of Demand No. 8—Building and Roads.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 29,06,91,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1995 in respect of Demand No. 9—Education.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 11,92,98,990 for revenue expenditure and Rs. 10,59,23,000 for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1995 in respect of Demand No. 10—Medical and Public Health.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 15,10,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1995 in respect of Demand No. 11—Urban Development.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 39,14,90,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1995 in respect of Demand No. 13—Social Welfare and Rehabilitation.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 1,48,06,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1995 in respect of Demand No. 14—Food & Supplies.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 2,71,400 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1995 in respect of Demand No. 16—Industries.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 3,75,000 for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1995 in respect of Demand No. 17—Agriculture.

[Mr. Speaker]

That a supplementary sum not exceeding Rs. 5,69,60,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1995 in respect of Demand No. 18—Animal Husbandry.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 2,39,52,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1995 in respect of Demand No. 20—Forests.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 1,00,23,000 for revenue expenditure and Rs. 83,71,000 for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1995 in respect of Demand No. 22—Co-operation.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 23,25,04,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1995 in respect of Demand No. 23—Transport.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 37,36,77,000 for Loans & Advances be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1995 in respect of Demand No. 25—Loans and Advances.

(No member raise to speak)

Mr. Speaker : Now, I put various demands to the vote of the House.

(At this stage Prof. Ram Bilas Sharma rose to speak)

आवाजें : इसमें बोलने के लिये कुछ नहीं है।

चौधरी बंसी लाल : डिमांड पर भी नहीं बोलने देंगे तो किस चीज पर बोलने देंगे ?

प्रो० राम बिलास शर्मा (महेन्द्रगढ़) : अध्यक्ष महोदय, खाद्य एवं आपूर्ति के बारे में जो डिमांड नं० 14 है, इस बारे में मैंने काल अटेंशन मोशन भी दी थी। गांव में जो आबादी खेती नहीं करती है, हरिजन और बैकवर्ड क्लास के लोगों की जो आबादी है, उनको राशन की बहुत दिक्कत है उनको गेहूं मिलती है न मिट्टी का तेल मिलता है। इसके अलावा इनमें एक डिमांड भवन तथा सड़कों के बारे में है इस बारे में मेरा कहना है कि जो राजस्थान से सड़क आती है उस पर सारा ट्रैफिक नारनौल महेन्द्रगढ़ और दादरी से डायवर्ट हो गया है। सारे नैशनल हाईवे का ट्रैफिक लगभग 4 हजार व्हीकल इस रोड से गुजरता है। यह काफी छोटी सड़क है और खराब हालत में है। अमर सिंह जी खुद प्रिवैलिज कमेटी में जाते हैं। मैं चाहूंगा कि इस सड़क को फोरलेन बनाया जाए। धन्यवाद।

Mr. Speaker : Question is—

That a supplementary sum not exceeding Rs. 12,96,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1995 in respect of Demand No. 1-Vidhan Sabha.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 15,37,27,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1995 in respect of Demand No. 2—General Administration.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 8,02,89,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1995 in respect of Demand No. 3—Home.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 17,90,57,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1995 in respect of Demand No. 4—Revenue.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 3,84,35,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1995 in respect of Demand No. 5—Excise and Taxation.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 5,01,46,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1995 in respect of Demand No. 6—Finance.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 24,05,85,92,000 for revenue expenditure and Rs. 1,20,00,000 for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1995 in respect of Demand No. 7—Other Administrative Services.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 12,12,11,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1995 in respect of Demand No. 8—Building and Roads.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 29,06,91,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1995 in respect of Demand No. 9—Education.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 11,92,98,990 for revenue expenditure and Rs. 10,59,23,000 for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1995 in respect of Demand No. 10—Medical and Public Health.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 15,10,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1995 in respect of Demand No. 11—Urban Development.

The motion was carried

Mr. Speaker Question is—

That a supplementary sum not exceeding Rs. 39,14,90,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1995 in respect of Demand No. 13—Social Welfare and Rehabilitation.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 1,48,06,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1995 in respect of Demand No. 14—Food & Supplies.

The motion was carried

Mr. Speaker Question is—

That a supplementary sum not exceeding Rs. 2,71,400 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1995 in respect of Demand No. 16—Industries.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 3,75,000 for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1995 in respect of Demand No. 17—Agriculture.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 5,69,60,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1995 in respect of Demand No. 18—Animal Husbandry.

The motion was carried

Mr. Speaker Question is—

That a supplementary sum not exceeding Rs. 2,19,57,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1995 in respect of Demand No. 20—Forests.

The motion was carried

Mr. Speaker : Question is—

That a supplementary sum not exceeding Rs. 1,00,23,000 for revenue expenditure and Rs. 83,71,000 for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1995 in respect of Demand No. 22—Co-operation.

The motion was carried

Mr. Speaker : Question is—

That a supplementary sum not exceeding Rs. 23,25,04,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1995 in respect of Demand No. 23—Transport.

The motion was carried

Mr. Speaker : Question is—

That a supplementary sum not exceeding Rs. 37,36,77,000 for Loans & Advances be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1995 in respect of Demand No. 25—Loans and Advances.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now the House stands adjourned till 2.00 p. m. on Monday, the 13th March, 1995.

*15.39 hrs. (The Sabha then *adjourned till 2.00 P.M. on Monday, the 13th March, 1995.)

26724—H.V.S.—H.G.P., Chd.

Haryana Vidhan Sabha Secretariat * Chandigarh
LIBRARY